खण्ड-435, अंक-4
गुरूवार, 21 वैशाख, शक संवत् 1922
(11 मई, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 435 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या क
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर	1–47
आज की कार्यसूची के नत्थी (ख) के अतारांकित प्रश्न संख्या–36 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	48–49
आज की कार्यसूची के नत्थी (ख) के अतारांकित प्रश्न संख्या–65 के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	49
आज की कार्यसूची के नत्थी (ख) के अतारांकित प्रश्न संख्या–32 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	50
आज की कार्यसूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या–1 का त्रुटिपूर्ण उत्तर तथा संलग्नक में मा० मंत्री के हस्ताक्षर न होने विषयक कार्य पर पूर्व में पीठ से हुए आदेशों का अनुपालन न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	50–51
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	51
जनपद झांसी के बबीना क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित पांच गांवों के विद्युतीकरण हेतु धन अवमुक्त करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	51
जनपद फैजाबाद के सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उ० प्र० के कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	51–52
जनपद मेरठ में सरधना बिगौली मार्ग पर सरूरपुर के निकट रजबाहे का ध्वस्त पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	52
जनपद बहराइच के जिला अस्पताल में एम्बुलेंस खरीदने एवं इन्सुलेटर हेतु वर्ष 1999-2000 में उपलब्ध कराये गये धन का सदुपयोग न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद एटा में जल निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	53
सहारनपुर नगर में मैदा मिल रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्मित कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद मथुरा के पी० एम० वी० पालीटेक्निक, मथुरा के प्राचार्य के कार्यकलापों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	53
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	53–54
वर्तमान सत्र के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–81 की गलत सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	54–55

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के अन्तर्गत राजे सुल्तानपुर गोपालबाग में जमीन अधिग्रहीत करके राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गंगा शंकर साहू द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	55
जनपद गोरखपुर/सन्त कबीरनगर के अन्तर्गत सहजनवा डुमरिया बाबू बांध पर सिसई एवं बुधना स्थानों पर राप्ती नदी से हो रहे कटान की रोकथाम कराये जाने विषयक श्री जनार्दन सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	55
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में डिग्री कालेज खोले जाने विषयक श्री मो० जमीर खां आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	55
जनपद अम्बेडकरनगर में विकास खण्ड कटेहरी के पहितीपुर से मंशापुर तक के सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार वर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	55–56
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां में पराशर मुनि का मढ़िया आश्रम तथा मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराने एवं यात्रियों की सुविधा हेतु रैन बसेरा, शौचालय, पीने का पाँनी, विद्युत व्यवस्था, बैठने के लिए बेन्चें तथा प्राथमिक चिकित्सालय आदि बनवाये जाने विषयक श्री दया शंकर गुप्त आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	56
जनपद अलीगढ़ की नगर पालिका परिषद् खैर में उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन पर यात्रियों को जन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री सुनील पाण्डेय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	56
सदन में अनुपस्थित सदस्यों की याचिकाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	56–57
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	57–75
नियम–311 के अन्तर्गत सूचना	75
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	75–76
बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में सरकार द्वारा स्नातकोत्तर की शिक्षा बन्द करने तथा स्नातक स्तर की सीटों में कमी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 8 मई, 2000 को दी गयी सूचनाओं पर चर्चा	76–84
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (जारी) ...	84–97
विधान भवन के केन्द्रीय कक्ष में मा० सदस्यों के लिए जलपान की व्यवस्था हेतु सूचना	97
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–73—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)...	97–109
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या–93—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या–94—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ...	109–140

विषय	पृष्ठ-संख्या
इस सदन का यह निश्चित मत है कि पालीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबंदी लगाये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	140
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	140–142
जनपद बहराइच में विद्युत उपखण्ड महसी के अन्तर्गत विश्व बैंक योजना के अधीन संचालित नलकूपों के लगभग 12 कि०मी० तार कटे होने के कारण नलकूपों की बन्दी के बावजूद किसानों को सिंचाई शुल्क की नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का वक्तव्य	142–143
प्रदेश में पेयजल हेतु सरफेस वाटर के प्रयोग को बढ़ावा देकर भू-गर्भ जल के दोहन के फलस्वरूप हो रही डार्क एवं ग्रे की स्थिति से प्रदेश को बचाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	143–145
जनपद रामपुर स्थित शिवा पेपर मिल धमौरा के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन न किये जाने से जनजीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में श्री शिव बहादुर सक्सेना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य	145–146
ग्रांम नेवादा, सातन विकास खण्ड टोडरपुर, थाना हरियावां, जनपद हरदोई में हुए भीषण अग्निकाण्ड में तीन व्यक्तियों के जलकर मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० अशोक बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	146–147
प्रदेश में विशेषतः बभनान एवं बलरामपुर शुगर मिल क्षेत्रों में गन्ना किसानों के गन्ने की बिक्री में की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	147–149
जनपद मथुरा के वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य	149–150
जनपद गोण्डा में ग्रामीण वृक्ष अधिनियम, 1976 के प्रभाव के कारण किसानों को अपनी जमीन पर लगाये गये पेड़ों को काटने में हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री बिन्दु लाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य	151

विषय	पृष्ठ-संख्या
खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक दिनांक 26 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 नत्थी (ख) के सम्बन्ध में श्री अम्बिका चौधरी व अन्य द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा (जारी) ...	151–152
सांसद निधि की भांति प्रदेश में विधायक निधि की धनराशि के समयबद्ध तरीके से अवमुक्त करने तथा उसे दो गुना किये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार आदि की तारांकित प्रश्न सं०–3 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा (निरस्त)	152
नत्थी	153–154

अविकल प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

गुरुवार, दिनांक 11 मई, 2000

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे.:—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
अजय प्रताप सिंह उर्फ		बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अल्ला भइया, श्री	गोण्डा	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
अनिल कुमार, श्री	बलिया	भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
अमर मणि, श्री	महराजगंज	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
उमाकान्त यादव,श्री	जौनपुर	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर	राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी	राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	लाखीराम जोशी, श्री	टिहरी गढ़वाल
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर	विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर	विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
दयाशंकर, श्री	जालौन	सरवर अली खां, श्री	बाराबंकी
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर	हरि प्रसाद उर्फ धमड़ी, श्री	सोनभद्र
प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया	होशम सिंह, श्री	बुलन्दशहर
फतेह बहादुर श्री	महराजगंज		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 11 मई, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजकर 01 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन का कार्य एक मिनट विलम्ब से आरम्भ हुआ ।)

प्रश्नोत्तर

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होते ही)

श्री रामजग–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में.....

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 में आपकी सूचना चयन में आ गयी है उसी समय कह दीजियेगा ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में औषधियों की व्यवस्था

**1—श्री राम जग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों में हृदय रोग, मस्तिष्क ज्वर एवं क्षय रोग के मरीजों के इलाज हेतु दवाओं की कमी है ? यदि हां, तो सरकार इन बीमारियों के इलाज हेतु पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध कराने हेतु क्या व्यवस्था कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० रामबाबू हरित)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामजग–

मान्यवर, पूरे प्रदेश के लिये स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होना, इस संबंध में जो प्रश्न किया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । पूरे प्रदेश में हृदय रोग, मस्तिष्क रोग और क्षय रोग के मरीजों की संख्या बहुत अधिक है सरकार इसमें गम्भीर हो जाए तो बहुत से मरीजों को मरने से रोका जा सकता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कितने हृदय रोगी हैं, कितने मस्तिष्क रोगी और कितने क्षय रोगी हैं इन रोगों से पूरे साल में कितने रोंगियों की मृत्यु हुई है ? दूसरी बात मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन बीमारों के इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और जो जिला अस्पताल हैं वहां कितने मूल्य की दवाओं की व्यवस्था प्रतिवर्ष की जाती है ?

डा० रामबाबू हरित–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय रामजग जी को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में क्षय रोगियों का रजिस्ट्रेशन 1999-2000 में 2 लाख 42 हजार 527 किया गया है, मस्तिष्क ज्वर 40 में 20–30 प्रतिशत लोग मर सकते हैं यह औसत है भारत में 30 प्रतिशत का औसत है जबकि हमारे प्रदेश में 20 प्रतिशत का औसत है । पूर्वी जिलों में 1999-2000 में जो मरीज भर्ती हुए उसमें 1300 में से 270 लोग मरे, इसका 20 प्रतिशत औसत आता है । हार्ट से जो सम्बन्धित हैं उसके आंकड़े नहीं हैं । आई० सी० सी० यू० प्रदेश में 56 काम कर रहे हैं । वित्तीय वर्ष 1996-97 में जो औषधि मद क. प्राविधान था

उसको बताना चाहूंगा वह 34 लाख 18 हजार का प्राविधान था लेकिन हमने इसको बढ़ाकर 69 करोड़ 74 लाख कर दिया है । मान्यवर, वित्तीय वर्ष 1996-97 में औषधि मद का बजट लगभग 34 करोड़ 18 लाख था । 1998-99 में 69 करोड़ 74 लाख कर दिया । इसमें एड्स के लिए 7 करोड़ 63 लाख का आवंटन था । 1999-2000 में 63 करोड़ 11 लाख रुपया करके दो गुना कर दिया । जहां तक हृदय रोग से सम्बन्धित मामला है उसमें जो बजट है अनुदान संख्या–32 एवं 36 में औषधिक एवं रसायन मद में प्राविधानित धनराशि का 80 प्रतिशत भाग परिधिगत अधिकारियों द्वारा व्यय किया जाता है, और अवशेष 20 प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय औषधि भण्डार के निस्तारण पर रखी जाती है । उक्त धनराशि से मात्रा अनुबन्ध एवं ब्रान्डनेम के अन्तर्गत औषधियां क्रय की जाती हैं । 1999-2000 में केन्द्रीय औषधि भण्डार को कुल 10 करोड़ 46 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें एक करोड़ नैतालिस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ इकहत्तर से हृदय रोग से सम्बन्धित औषधियां क्रय की गयी थी जोकि औषधि बजट का 13.24 प्रतिशत है । इसमें केन्द्रीय औषधि भण्डारण एवं जनपद के अधिकारियों की एक टीम बनायी गयी है जोकि औषधियां खरीदती हैं । मस्तिष्क ज्वर के संबंध में 1999-2000 में जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि 1370 लोग भर्ती हुए थे और 275 की मृत्यु हुई थी । गोरखपुर मेडिकल कालेज में 1999-2000 में आठ लाख का आवंटन किया गया था । पूर्वी जनपदों को दो लाख से तीन लाख उपलब्ध कराया गया था । केन्द्रीय औषधि भण्डारण के द्वारा एक करोड़ सत्तर लाख उन्नासी हजार तिरासी रुपये और तीस पैसे की धनराशि से औषधियां क्रय की गयी जोकि उपलब्ध बजट का 16.31 प्रतिशत है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मानवीय मंत्री जी से जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं, रुपया तो मिल गया इतना रुपया इस जनपद में आवंटित हुआ । पूर्वांचलों के जनपदों के बारे में बताया कि वहां सर्वाधिक प्रभाव इन बीमारियों का है । इस संदर्भ में मंत्री जी ने जो धन आवंटन पूर्वी जिलों में किया है उसका अगर औसत निकाला जाय तो शायद किसी भी पी० एच० सी० में दवाएं उपलब्ध नहीं हो सकती हैं । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को किन्हीं पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण कर लेंगे जिससे यह ज्ञात हो सके कि इन लोगों की दवायें वहां उपलब्ध हैं, मेरी जानकारी में नहीं है । बाराबंकी मुख्यालय के अस्पताल में दवायें नहीं हैं । आप चार दिन की रिपोर्ट देख लें ।

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित में नीतिगत प्रश्न होते हैं, यदि मंत्री जी के पास ज़वाब हो तो बता दें ।

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, जो यह दिमागी बुखार होता है इसमें मरीज की मृत्यु होती है तेज बुखार होने की वजह से । इसमें पी० सी० एम० इंजेक्शन वगैरह की जरूरत होती है वह उपलब्ध हैं ।

डा० बकार अहमद शाह–

मान्यवर, हृदय रोगियों के लिए 8 घंटे के अन्दर स्टैप्टोटाइनिस दवा की जरूरत होती है जिसकी कीमत 4 हजार रुपये होती है जो आम लोगों की पहुंच से बाहर है । क्या यह दवा हर अस्पताल की इमरजेंसी में उपलब्ध है ? इसी तरीके से मस्तिष्क ज्वर के लिए फ्लूड और मेंटीनेन्स की जरूरत होती है जो जरूरी दवायें हैं क्या वे अस्पतालों में उपलब्ध हैं ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, दवाओं की व्यवस्था है इसमें कोई मरीज आता है तो उसको सबसे पहले काम्पोज लगाया जाता है, मस्तिष्क ज्वर की दवायें उपलब्ध हैं ।

डा० वकार अहमद शाह–

मैंने स्टैप्टोटाइनिस की बात कही है ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

मान्यवर, दवाओं की व्यवस्था है जहां कहीं कमी है बता दें तो हम व्यवस्था करा देंगे ।

डा० वकार अहमद शाह–

जिस अस्पताल में उपलब्ध है उसका नाम बता दें ?

श्री रमापति शास्त्री–

जहां नहीं उपलब्ध हो वहां के लिये बता दें हम व्यवस्था करा देंगे ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, गोरखपुर मेडिकल कालेज में मस्तिष्क ज्वर के ज्यादा मरीज भरे हुए हैं । आपने पिछले साल ४ लाख रुपये मेडिकल कालेज को दिया था । क्या इस वर्ष वहां रोगियों की संख्या को देखते हुए इसमें वृद्धि करेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, जितनी आवश्यकता होगी हम उसकी पूर्ति करेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, 1998-99 में 69 करोड़ 74 लाख रुपये दवाओं के लिए आवंटित किया और पिछले वर्ष 63 करोड़ 11 लाख आवंटित किया जो यह क्षय रोग के मरीज हैं यह काफी संख्या में पंजीकृत हुए हैं तो क्या मरीजों की संख्या आपके हिसाब से घट गयी है जिस कारण आपने पिछले वर्ष कम पैसा खर्च किया या मरीजों की संख्या बढ़ी है और आपने दवाओं में कटौती की है ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैंने जो मरीजों की संख्या बताई थी वह 2 लाख 42 हजार 527 बताई थी और जो धन आवंटित हुआ है उस धन के सापेक्ष में हम मरीजों को पूरी व्यवस्था करा रहे हैं इसके साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है डाट्स योजना इसमें 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार का और 50 प्रतिशत भारत सरकार का है लखनऊ, बाराबंकी में यह योजना लागू है और उन्नाव, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और बागपत में यह शुरू होने जा रही है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, 1998-99 में पूरी दवाओं के ऊपर 69 करोड़ और 1999-2000 में 63 करोड़ रुपया खर्च हुआ है तो मरीजों की संख्या को देखते हुए पैसा कम खर्च हुआ है तो निश्चित तौर से उनको दवा कम मिली होगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, कम मरीज आयेंगे तो कम खर्च होगा और ज्यादा मरीज आयेंगे तो ज्यादा खर्च होगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, आजकल बहुत तेज गर्दन तोड़ बुखार बुरी तरह फैला हुआ है फिरोजाबाद में और देहात में भी बुरी तरह फैला हुआ है । फिरोजाबाद में 5 पी० एच० सी० में से क्या किसी एक पर भी गर्दन तोड़ बुखार की दवा उपलब्ध है मेरी जानकारी में किसी पर दवा उपलब्ध नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–

यह नीतिगत प्रश्न नहीं है । मंत्री जी इसका जवाब दे चुके हैं ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे आजमगढ़ में टी० बी० अस्पताल में दवा बहुत कम है और मरीजों की संख्या काफी है तो क्या मरीजों को देखते हुए उसी आधार पर दवा की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो मंत्री जी ने कह दिया कि आवश्यकतानुसार व्यवस्था करेंगे ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, क्षय रोगियों और हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां तक जिला स्तरीय अस्पतालों का सवाल है वहां व्यवस्था है लेकिन नगर की नगरपालिकाएं जिनकी आबादी ज्यादा है उनमें भी क्षय रोग, हृदय रोग की सघन व्यवस्था की कोई योजना बन रही है या नहीं ?

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, जहां तक क्षय रोग का संबंध है हमारी सी० एस० सी० वहां क्षय रोग को ठीक करने की दवाएं पर्याप्त मात्रा में हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवा भिजवा दी है और जिला अस्पताल में दवाएं हैं ही क्षय रोग की । जहां तक हार्ट के संबंध में 56 चल रही हैं जिला अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनको दवा उपलब्ध होती है और पूरा इलाज कराया जाता है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रति व्यक्ति पर कितना-कितना धन खर्च किया जाता है और क्या जितना धन खर्च किया जा रहा है वह इलाज के लिए पर्याप्त है ?

श्री अध्यक्ष–

पूरा ब्यौरा आ गया है ।

श्री रामजग–

उत्तर प्रदेश में हृदय रोग, मस्तिष्क रोग और क्षय रोगियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है । इन बढ़ते हुये रोगियों की संख्या को देखते हुये उपलब्ध कराया जा रहा धन अपर्याप्त है साथ ही यह दवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाती नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी धन को और बढ़ाने की व्यवस्था करेगें तथा क्या इस बात की भी गारन्टी देगें कि यह दवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, अभी तक दवाओं की व्यवस्था के नाते ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अन्तर था । ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 4250 प्रति शैय्या प्रतिवर्ष दिया जाता था और शहरी क्षेत्र में 5000 रुपया प्रति शैय्या प्रतिवर्ष दिया जाता था । अब इस मानक को खत्म करके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दवाओं के लिये 10 हजार रुपया प्रति शैय्या प्रतिवर्ष कर दिया गया है साथ ही किसी प्रकार की कोई दवा की कमी नहीं होने दी जायेगी ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि संक्रामक रोगों के लिये क्या कोई अलग से पैसा दिया जा रहा है । मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ प्राइवेट लोगों ने अलीगढ़ जिले में एड्स के संबंध में सर्वेक्षण किया और 6 लोग एड्स पीड़ित पाये गये, यह बीमारी पूर्वांचल में

बहुत तेजी से फैल रही है, क्योंकि वहां के मजदूर बम्बई आदि जगहों पर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह एक दूसरे में बीमारी चली जाती है, क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये अपने स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेन्सरियों आदि में दवा रखने का प्राविधान करेगी । इसके अलावा इनफेक्टिव हेपेटाइटिस बी बहुत जोर से फैल रहा है, इससे ग्रसित 90 प्रतिशत लोगों की लिवर कैंसर से मौत हो जाती है, क्या इसकी रोकथाम के लिये भी अस्पतालों में वैक्सीन देने की व्यवस्था करेगें ?

श्री अध्यक्ष–

मूल प्रश्न हृदय रोग, मस्तिक ज्वर और क्षय रोग के संबंध में था । यदि आपके पास हेपेटाइटिस बी और एड्स के बारे में जानकारी हो, तो उत्तर बता दें ।

(मंत्री जी उत्तर के लिये खड़े नहीं हुए)

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर ।)

श्री राम जग–

मान्यवर, यह सरकार दवाओं की व्यवस्था नहीं कर पा रही है और यह सरकार मरीजों के प्रति कतई गंभीर नहीं है, इसलिये मैं और मेरे दल के सदस्य इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री रामजग ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव जनता द्वारा कराने की मांग

**2—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार नगर प्रमुख एवं नगरपालिका के अध्यक्षों की भांति जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव भी सीधे जनता से कराये जाने के संबंध में पंचायत राज ऐक्ट में संशोधन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

जी नहीं ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ग (5) (ख) में यह व्यवस्था है कि मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जायेगा । अतः अध्यक्ष जिला पंचायत का निर्वाचन सीधे जनता से कराये जाने हेतु पंचायत राज अधिनियम में संशोधन सम्भव नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकरण में भारत सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

भारत सरकार विचार कर रही है अथवा नहीं, यह तो उत्तर वही दे सकेंगे । वैसे भारत के संविधान में प्राविधान है, उसके अनुसार सम्भव नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तर प्रदेश सरकार संशोधन में अपना सुझाव भारत सरकार को भेजेगी ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जैसा माननीय पुनेठा जी ने कहा, इसमें बहुत ज्यादा बताने की स्थिति नहीं है । भारत सरकार ने जो 87वां संशोधन प्रस्तुत किया है, वह इसी से संदर्भित विषय है । इस पर राज्य सरकार के अभिमत के लिये भेजा है, यह राज्य सरकार के विचाराधीन है, कि उस पर क्या अभिमत भेजा जाय ?

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में फैसला लेकर भारत सरकार को भेजेगी ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने कहा कि उस पर अभिमत राज्य सरकार के विचाराधीन है और विचारोपरान्त निश्चित अभिमत वहां पर भेजा जायेगा ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों में कीड़ों की रोकथाम हेतु कार्य योजना

*1—श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि खरीफ एवं जायद की फसलों में लगने वाले कीड़ों की रोकथाम हेतु क्या सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

जी हां ।

कार्य योजना का <u>विवरण संलग्न</u> है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(विवरण हेतु देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 153–154 पर)

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है । मैंने सरकार से यह जानना चाहा था कि खरीफ और जायद की फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं, उससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, बहुत नुकसान होता है । जब पैदावार घटेगी तो इसका अर्थ-नीत पर भी फर्क पड़ेगा और आबादी बढ़ रही है इसलिये यह सीधे किसानों से जुड़ा प्रश्न है । आपने उत्तर दे दिया कि कार्य योजना का विवरण संलग्न है । मान्यवर, उसमें देखें जो पहला एनेक्जर लगाया है, उसमें यह किलियर नहीं होता है, उसमें दस्तखत-वस्तखत भी नहीं हैं, मान्यवर, आप रोज निर्णय देते हैं कि दस्तखत होने चाहिए। इसमें जो उत्तर दिया गया है उससे प्रश्न के उत्तर का आशय किलियर नहीं होता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने पहले पेज पर एनेक्जर दिया है, एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन के प्रदर्शन का विवरण दिया जा रहा है । यह एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन का प्रदर्शन का दिया है और जो लक्ष्य दिया है, उसके तहत तो पूर्ण नहीं किया गया है । ये जो प्रदर्शन किये गये, क्या प्रदेश में जिला स्तर पर किये गये, या पंचायत स्तर पर किये गये या ब्लाक स्तर पर किये गये, यह एक हमारा प्रश्न है ? और दूसरा प्रश्न यह है और इसमें जो दूसरा एनेक्जर है, इसमें भावी योजना है 2000-2001 के लिए, इसमें कीड़ों, रोगों और खरपतवारों की रोकथाम के लिए योजना बनायी है, इसमें उन्होंने सिर्फ हेक्टेयर का विवरण दिया है कि इतने हेक्टेयर पर कार्य योजना लागू

करेंगे। इससे भी स्पष्ट नहीं होता है। मान्यवर, मेरा साफ सवाल है कि 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में आपके पास आंकड़े होंगे, जो कीड़े लगते हैं उनसे कितने प्रतिशत तक तीन वर्षों में किसानों की फसलों का लास हुआ हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है, श्रीमन्, माननीय सदस्य का प्रश्न अगर आप देखें कार्य सूची में दिसम्बर, 99 में यह प्रश्न शासन को भेजा गया है तो निश्चित रूप से 2000-2001 के लिए जो कार्य योजना बनायी है, उसी की सूचना माननीय सदस्य के समक्ष प्रेषित करेंगे। हमारी कार्य योजना यह है कि हम कितने बीज शोधन कितने हेक्टेयर के करायें, जायद, खरीफ और रबी तीनों की कार्य योजना दे दिया है जो 2000-2001 के लिए है। इसी प्रकार आईपीएम के विषय में जानना चाहा है इसमें 99-2000 में जो हमारा टोटल लक्ष्य था, अगर माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कितना प्रति मण्डल में हुआ या कितना प्रति ब्लाक में हुआ, इसके लिए अलग से सूचना देनी पड़ेगी। कार्य योजना पूरे वर्ष के लिये बनायी जाती है. निश्चित रूप से यह एक क्षेत्र के लिए नहीं बनायी जाती। धान के लिए देखें, यह बीज शोधन एक जिले के लिए नहीं होगा, पूरे प्रदेश के लिए होगा। यह हमने 2000-2001 के लिए किया है, इसका लक्ष्य हमने बताया है अगर और कोई अधिक सूचना माननीय सदस्य चाहते हैं, मण्डलवार, ब्लाकवार, जिलावार या विधान सभा क्षेत्रवार, माननीय सदस्य बता दें, मैं पूरी सूची उपलब्ध करा दूंगा।

श्री राजेन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने क्षेत्र में सबसे अधिक कीट लगने की वजह से फसलें बरबाद हुई हैं इसके आंकड़े हों तो बता दें और उन क्षेत्रों में सरकार ने क्या कोई विस्तृत कार्य योजना तैयार की है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र में कोई कीट लगा हो तो उसका प्रकोप अन्य जगहों पर वैसा ही होगा भिन्न-भिन्न फसलों पर भिन्न-भिन्न कीटों का प्रकोप भिन्न-भिन्न समय पर होता है। हम इसके लिये तैयार रहते हैं जहां कहीं से एपेडेमिक सूचना आती है उसके अनुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों में गेहूं, धान तथा गन्ना के लागत मूल्य के आधार पर खरीद मूल्य निर्धारण की मांग

*2—कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पन्तनगर, फैजाबाद, कानपुर में कृषि विश्वविद्यालयों में गेहूं, धान, गन्ना का लागत मूल्य क्या आता है ? क्या सरकार इस लागत मूल्य के आधार पर प्रदेश के किसानों के उक्त कृषि उपज का खरीद मूल्य का निर्धारण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा वर्ष 1998-99 में गेहूं, धान तथा गन्ना का लागत मूल्य क्रमशः रु० 419.50, रु० 358.82 तथा रु० 62.28 प्रति कुन्तल आंका गया है।

गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर द्वारा वर्ष 1999-2000 में धान सामान्य तथा धान बासमती की उत्पादन लागत क्रमशः रु० 392.67 तथा रु० 484.04 प्रति कुन्तल आंका गया है। गेहूं की उत्पादन लागत वर्ष 1998-99 में रु० 450.35 प्रति कुन्तल पायी गयी है। इसी प्रकार वर्ष 1997-98 में मन्ना नवलम की उत्पादन लागत रु० 48.80 प्रति कुन्तल तथा मन्ना पेड़ी की उत्पादन लागत रु० 33.35 प्रति कुन्तल पायी गयी है। समर्थन/खरीद मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो आंकड़े मंत्री जी ने दिये हैं वह 1998-99 के हैं। मैंने 1999-2000 के बारे में सवाल किया था। मैं अपेक्षा करता था कि कदाचित इसका यही उत्तर आयेगा। अगर 1999-2000 के आंकड़े उपलब्ध हों तो बता दें कि गेहूं का लागत मूल्य क्या है? दूसरी बात लागत मूल्य और समर्थन मूल्य में अन्तर होता है। आप सुनते होंगे कि पंजाब, हरियाणा, किसानों को बोनस देने का काम करते हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार, अगर भारत सरकार यह नहीं कर रही है, तो किसानों को बोनस दे ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, 1999-2000 में गेहूं की लागत की केवल प्रोजेक्टेड प्राइस बतायी जा सकती है क्योंकि वास्तविकता यह है कि किसी फसल की लागत का मूल्य बुवाई से लेकर कटाई और मार्केटिंग तक के मूल्य को जोड़कर निकाला जाता है। अभी कहीं पर कटाई हो रही है और कहीं पर हो चुकी है और मार्केटिंग भी हो रही है और कहीं पर नहीं हुई है। तो जब पूरे आंकड़े आ जायेंगे तो एक्चुअल कास्ट आफ प्रोडक्शन 1999-2000 की बताई जा सकती है। मैं आपको पंत नगर विश्वविद्यालय में जो प्रोजेक्टेड कास्ट आफ प्रोडक्शन दिया है गेहूं और मन्ने के सम्बन्ध में उसको बता रहा हूं। उत्पादन लागत वर्ष 1999-2000 का प्रोजेक्टेड करने पर गेहूं रु० 490.85 पैसे, मन्ना नवलम रु० 57.58 तथा पेड़ी मन्ना 39 रुपया प्रति कुन्तल प्राप्त हुई है। जहां तक हरियाणा और पंजाब की तरह बोनस देने की बात आयी। हरियाणा, पंजाब व अन्य सभी प्रदेशों के कहने पर भारत सरकार ने ही बोनस दिया था। हमारे यहां की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बोनस अलग से दें। यह जो कास्ट है यह हमारे सीड्स फार्म की कास्ट आफ प्रोडक्शन है। आज पुनः सीड्स फार्मस और फारमर्स जो खेती करते हैं वह किसान जो अपने कंजम्पशन के लिये बोते हैं वह जो पैदावार करते हैं उस पर देते हैं। यह सीड्स प्राइस है इसकी तुलना कभी भी समर्थन मूल्य से नहीं कर सकते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर में बतलाया कि गेहूं का अनुमानित लागत मूल्य 498.85 रुपया प्रति कुन्तल है। यह उस समय अनुमान किया गया जब डीजल की कीमत नहीं बढ़े थे, इलेक्ट्रिक के पैसे नहीं बढ़े थे, खाद के पैसे नहीं बढ़े थे। ये सारी चीजें गेहूं के उत्पादन में काम आती हैं, उनके पैसे नहीं बढ़े थे। अब इन सारी चीजों के दाम बढ़ गये हैं तो अनुमानित लागत निश्चित रूप से बढ़ेगी ही। किसान की जो अनुमानित लागत 498.85 रु० प्रति कुन्तल है। आपने 580 रुपया प्रति कुन्तल समर्थन मूल्य घोषित किया। क्या यह प्रदेशीय सरकार केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगी कि गेहूं का समर्थन मूल्य 650 रुपया कर दिया जाय?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष को सम्भवतः हम अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाये। मैंने जो बताया है कि वर्ष 1998-99 में चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय, कानपुर के आंकड़ों के आधार पर गेहूं

का मूल्य रु० 419.50 वह सीड्स फार्म का मूल्य है। गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में गेहूं का मूल्य वर्ष 1998-99 का रु० 450.35 है।

(इस समय 11 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए)

मान्यवर, प्रोजेक्टेड कास्ट वर्ष 1999-2000 में 490 रुपये 88 पैसे थी मैंने अभी स्पष्ट किया कि यह कास्ट हमारे सीड फार्म की है। वर्मा जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने यह बताया था कि किसानों के खेतों पर पैदावार होती है उसकी प्रोजेक्टेड कास्ट 1999-2000 में जो गेहूं बोया गया है उसके लिए आंका गया वह 473.49 रुपये थी। अगर 490 रुपये ही कास्ट प्रोजक्शन माने तब भी शासन द्वारा समर्थन मूल्य घोषित किया गया 580 रुपये यानी 90 रुपये प्रति कुन्तल ज्यादा। नेता विपक्ष ने एक बात कही कि बीज के दाम बढ़ गये खाद के दाम बढ़ गये। पहली बात यह है कि उर्वरक मूल्यों के बारे में कहा कि उर्वरक के मूल्य बढ़ गये मैंने कल वर्मा जी के प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि "जी हां।" इसलिए कहा था कि यूरिया के दाम 3660 रुपये प्रति टन से 4600 रुपये प्रति टन हुआ था लेकिन डी० ए० पी० अन्य मिक्चर में वर्ष 98-99, 99-2000 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल यूरिया के दाम 29 फरवरी को बढ़े जब सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी अब इस प्राइस का इफेक्ट आने वाले वर्ष में होगा। जब 2000-2001 का गेहूं आयेगा।

श्री धनीराम वर्मा–

मंत्री जी यह भी बतला दें कि डीजल के दाम कब बढ़े, बिजली के दाम कब बढ़े क्या इन दामों के बढ़ने से सिंचाई और कटाई-गड़ाई पर उसका असर नहीं पड़ेगा?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

इन दोनों के दाम कब बढ़े इसकी सूचना हमारे पास नहीं है हां उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री धनीराम वर्मा–

सदन के सभी सदस्य अवगत हैं डीजल के दाम उस समय बढ़ाये गये जब सिंचाई बड़े जोर से चल रही थी यह सम्भवतः नवम्बर में बढ़ाये गये। बिजली के दाम भी बढ़ गये तो बिजली और डीजल के दाम बढ़ने से लागत मूल्य का बढ़ना स्वाभाविक है क्या इसके बाद जो समर्थन मूल्य किया गया वह कम नहीं है? क्या सरकार केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करेगी कि गेहूं का समर्थन मूल्य 650 रुपये प्रति कुन्तल कर दिया जाए?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मुख्य निवेश बीज और उर्वरक होती है समर्थन मूल्य में इन दोनों को शामिल किया गया है। नेता प्रतिपक्ष सिंचाई की बात कर रहे हैं। डीजल के दाम सिंचाई के समय बढ़े हैं मैं तारीख नहीं बता पाऊंगा लेकिन मुख्य व्यय डीजल का बुआई के समय होता है। ज्यादातर सिंचाई तो नहरों से हो जाती है। जहां डीजल का प्रयोग होता है वहां इफेक्ट पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष यह जानना चाहते हैं कि जब डीजल के दाम बढ़े तो उत्पादन का मूल्य भी बढ़ा तो जो समर्थन मूल्य है उसमें आपने इस बात को शामिल किया है? इतनी सी बात जानना चाहते हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

समर्थन मूल्य में सारे निवेश शामिल हैं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो आपने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मूल्यों का कास्ट आफ प्रोडक्शन बताया है यह बीज के उत्पादन का है या सामान्य फर्मों पर बेचने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है । जिस तरह से अन्य उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि हो रही है उसी तरह से क्या आप कृषि मूल्यों में वृद्धि के लिए आपने भारत सरकार से कोई बात की है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

इन दोनों कृषि विश्वविद्यालयों में फर्मों पर जो प्रोड्यूज होता है वह सीड के रूप में होता है । हम रेट बढ़ा रहे हैं । बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अब वहां सीड ही पैदा किया जाता है । वह ब्रिडर से फाउण्डेशन और फाउण्डेशन से फाउण्डेशन टू होता है । अब ब्रिडर या फाउण्डेशन के बारे में तो अलग से आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेगें । अभी हमारे पास यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की ही भांति कृषि उत्पाद मूल्यों में वृद्धि के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं, कुछ न कुछ सामंजस्य तो स्थापित किया ही जायेगा । हम जब मूल्य निर्धारित करते हैं तो जो वर्ग खरीद के खा रहा है उसकी स्थिति को देख कर ही करते हैं । सभी मुद्दों को देखते हुए कृषि निवेश का मूल्य उपभोक्ता का मूल्य और इन्फलेशन रेट क्या चल रहा है सबको ध्यान में रखकर भारत सरकार की कमेटी जो गठित की गयी है बात चल रही है ?

श्री काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन–

मान्यवर, 1974 में मैं भी पंत नगर यूनिवर्सिटी की मैनेजिंग बोर्ड का मेम्बर था और इसके पास हजारों एकड़ रिच लैण्ड है जो उस समय सेल्फ सफीसिएन्ट थी और अपने सारे खर्चे निकालकर पैसा उसका बच जाता था । आज वह सरकारी इमदाद पर चल रही है । माननीय मंत्री जी जो आंकड़े दे रहे हैं वे सब फैब्रिकेटेड हैं । आज यह यूनिवर्सिटी घाटे में चल रही है । जिस हिसाब से डीजल और बिजली के दाम बढ़े हैं, क्या उसे ध्यान में रखा गया है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, इसका उत्तर आ चुका है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सर्टिफाइड, फाउण्डेशन–I, फाउण्डेशन–II तथा ब्रीडर की कास्ट क्या है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने कहा तो कि इसकी पूरी जानकारी करके बता दूंगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि समता मूल्य के सिद्धान्त को भी ध्यान में रखा जाता है । 1978 में जो गेहूं का मूल्य 76 रुपये प्रति कुन्तल था, आज उसमें 6 से साढ़े छः गुने की वृद्धि हुई है और 1978 में जो अन्य उपभोग की वस्तुएं थी, उनके दामों में आज 20 से लेकर 25 गुने की वृद्धि हुई है तो फिर आज के दामों में समता मूल्य का सिद्धान्त कहां रह गया है, इसे माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, अगर पंत नगर यूनिवर्सिटी में गन्ने का सीड बोया जाता है तो निश्चित रूप से अगले वर्ष पेड़ी भी पैदा होगी । जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, उन्हें बताने का प्रयास मैंने किया । पेड़ी न

सर्टिफाइड है,. न ब्रीडर है और न ही फाउण्डेशन–I और फाउण्डेशन–II है। गेहूं का मूल्य 1978 में क्या था और आज क्या है, भारत सरकार की जो कास्ट एण्ड प्राइस स्ट्रक्चर कमेटी है, वह केवल यही नहीं देखती कि इन्फ्लेशन रेट आदि क्या है बल्कि उसे खरीदने वाले वर्ग को भी देखती है और उसकी स्थिति को भी देखती है और उसके लिए क्या लाभप्रद रहेगा ? इस प्रकार बाजार मूल्य का निर्धारण होता है। निश्चित रूप से केवल एक वर्ग के लिये नहीं बल्कि देश और प्रदेश के सभी वर्गों के लिए निर्धारित किया जाता है, इसलिए जो भी निर्धारण होता है, भारत सरकार की कास्ट एण्ड प्राइस कमेटी इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर डिसाइड करती है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जो गेहूं सरकार किसान से खरीदती है और समर्थन मूल्य के आधार पर 580 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से वह गेहूं एफ० सी० आई० को जाता है। मान्यवर, एफ० सी० आई० का इश्यू मूल्य क्या है और किसान से किस दाम पर खरीदा जाता है ? इनका अन्तर क्या है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है वह उस वर्ग की बाइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वह वर्ग खरीद सकता है कि नहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि 90 रुपये प्रति क्विंटल जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 490 रुपये मूल्य आया और 580 किसानों को समर्थन मूल्य दे रहे हैं। मान्यवर, गेहूं की खेती के लिए किसान जो मेहनत करता है और 6 महीने में वह फसल तैयार होती है तो उसके परिश्रम को ध्यान में रखते हुए कम से कम दो सवा दो सौ रुपये तो मिलना चाहिए। क्या मंत्री जी इसको बढ़ाने के लिए केन्द्र से सिफारिश करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैं माननीय सदस्य का प्रश्न ठीक से समझ नहीं सका जरा फिर से बता दें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैंने दो सवाल किये। एक तो यह कि एफ० सी० आई० का इश्यू प्राइस वह क्या है ? दूसरा यह कि जो आपने बताया कि किसान को 580 रुपये दे रहे हैं तो उसको एफ० सी० आई० किस रेट पर बाजार में बिक्री के लिए जारी करता है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, ऐसा है मेरे पास यह सूचना नहीं है कि एफ० सी० आई० किस रेट पर बेचता है। माननीय सदस्य का प्रश्न था कि उत्पादन लागत इन कृषि विश्वविद्यालयों की क्या है ?

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, दूसरे प्रश्न का तो उत्तर दिलवा दें जो मैंने किया है। समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए केन्द्र से सिफारिश करेंगे ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैंने बहुत स्पष्ट बताया कि यह प्रश्न जो कुंवर साहब और अम्बरीष साहब ने पूछा है वह कृषि विश्वविद्यालय में उत्पादन लागत के बारे में है। मैंने कल भी बहुत स्पष्ट कहा था जब मुझसे अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था कि कृषि विश्वविद्यालय और सरकारी फार्म की उत्पादन लागत क्या है ? मैंने बताया था और आज भी दोहरा रहा हूं कि किसानों की यह उत्पादन लागत नहीं है। कृषि विश्वविद्यालय के सीड प्लान्ट की उत्पादन लागत है। इसकी तुलना किसी भी संबंध में हम समर्थन मूल्य से नहीं कर सकते हैं।

(प्रश्न सं० 3 पुकारे जाने पर तथा कुंवर रेवती रमण सिंह व स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

इस पर बहुत प्रश्न हो चुके हैं। माननीय मौर्य जी अगला प्रश्न पंचायती राज का आपके राम ललित जी का हैं। इस प्रश्न पर काफी समय हो गया है इसलिए कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि गेहूं खरीद कर खाने वालों को ध्यान में रखकर यह दाम तय किया जाता है। यह तो ठीक है लेकिन इससे किसानों को नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई के लिए बोनस के रूप में कोई व्यवस्था करेंगे?

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आप मूल्य प्रश्न को देखने का कष्ट करें। उसमें है कि कृषि विश्वविद्यालयों में गेहूं, धान, गन्ना का लागत मूल्य क्या आता है ? क्या किसानों को लाभकारी मूल्य देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी ? दूसरा यह किया गया था कि जो मूल्य निर्धारण किया जाता है वह कम है उसको अधिकतम किया जाना चाहिए। आपने जवाब दिया कि इसको खरीदकर खाने वाले उपभोक्ताओं को देखकर दाम तय किया जाता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की कृषि उपज का जो लागत मूल्य है उसकी भरपाई के लिए कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, यह उत्पादन लागत जैसा कि मैंने पहले बताया है रुपये 490 किसानों की उपज का नहीं है बल्कि कृषि विश्वविद्यालयों के फार्मों का है और इसलिए इसके आधार पर समर्थन मूल्य पर विचार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

(व्यवधान के मध्य) यह किसान विरोधी सरकार है और किसानों की उपज में जो लागत आती है उसके अनुसार सरकार समर्थन मूल्य किसानों को नहीं दे रही है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहंता हूं कि विदेश से जो गेहूं आयात करते हैं वह किस दाम पर करते हैं और उसका क्या मूल्य है ?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के खर्च को देखते हुए जो गन्ना के उत्पादन में आता है इसलिए समर्थन मूल्य में प्रति वर्ष 8–10 रुपये प्रति क्विंटल इजाफा करते हैं, तो क्या गेहूं के किसानों को, जैसा आपने कहा हरियाणा और पंजाब में भारत सरकार स्वयं बोनस देती है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार से बोनस देने के लिए सिफारिश करेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि विदेश से जो गेहूं आयात होता है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उसका मूल्य हमारे पास कैसे होगा, भारत सरकार आयात करती है, इसलिए इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही बोनस नहीं देती है बल्कि पिछले दो वर्षों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जहां-जहां से गेहूं क्रय किया गया था सभी के लिए बोनस घोषित किया गया था । समर्थन प्राइज प्लस बोनस जोड़कर गत वर्षों में खरीदारी की गयी थी । इस प्रकार हम उत्पादन लागत से अधिक मूल्य दे रहे हैं तो बोनस की आवश्यकता कहां है । कृषि फार्मों और मान्यवर, कृषि फार्मों और कृषि विश्वविद्यालयों के फार्मों की बात की जा रही है और किसानों के उपज को समर्थन मूल्य से जोड़ा जा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं और कल भी सदन में बताया था कि कास्ट आफ प्रोडक्शन पर ही किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है और समर्थन मूल्य तय किया है । कृषि विश्वविद्यालयों के मूल्यों पर समर्थन मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । हम पहले ही लाभकारी मूल्य दे रहे हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, जितने प्रश्न उठाये जा रहे हैं सबका उत्तर घुमाफिराकर दे रहे हैं कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है श्रीमन् आप कह रहे हैं कि भारत सरकार किसानों को जो मूल्य देती है वह समर्थन मूल्य देती है लाभकारी मूल्य की जो बात कही वह नयी बात कही श्रीमन्, किसी भी फसल का चाहे वह गन्ना हो चाहे धान हो चाहे गेहूं हो सबका समर्थन मूल्य सरकार देने की घोषणा करती है और जो समर्थन मूल्य था 580 तो 580 में शायद ही किसी ने खरीदा हो सवा पांच सौ मात्र सौ में बिका यह किसान विरोधी सरकार है सरकार किसानों को लागत मूल्य नहीं दे पा रही इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

प्रदेश में जिला पंचायतों द्वारा पड़ाव निर्माण न होने पर अवैध वसूली पर रोक

*3–श्री राम ललित चौधरी–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में जिला पंचायतों द्वारा स्थान-स्थान पर बिना पड़ाव निर्माण के पड़ाव शुल्क के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की अवैध वसूली पर रोक लगाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

पड़ाव अड्डा वसूली के सम्बन्ध में शासन को शिकायतें प्राप्त होने पर सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 29-4-2000 को शासनादेश निर्गत कर तात्कालिक प्रभाव से रोक दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का आदेश जरूर गया है लेकिन इसका किसी जिले में कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है इधर के भी माननीय सदस्य बैठे हैं और उधर के माननीय सदस्य भी बैठे हैं सब जगह वसूली की जा रही है बैरियर लगाकर । मैं जानना चाहूंगा क्या इस शासनादेश के अनुसार कड़ाई से पालन कराने के लिए कोई प्रभावी आदेश फिर से दिये जायेंगे ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

29 अप्रैल को शासनादेश निर्गत करने के बाद सूचना रही है कि आमतौर से 31 मार्च के बाद नीलामी होती है नीलामी में शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक जो प्रतिशत पंचायतों की मदों में आना चाहिए था वह काटकर बाकी वापस कर दिया जायेगा यह व्यवस्था शासनादेश में है। 55 जिलों की सूचना मेरे पास है कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है लेकिन कहीं कोई ऐसी शिकायत मिली हो तो बता दें। हमारी सरकार का सर्वाधिक प्राथमिकता का विषय है हम कहीं पड़ाव शुल्क की अवैध वसूली नहीं होने देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

स्पष्ट उत्तर शासन की ओर से आ गया है शासनादेश जारी हो गया है कड़ाई से पालन करने की बात सरकार ने कह दी है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरी निजी जानकारी है कि आजमगढ़ जिले में नीलामी भी हो गयी हैं और आज की तारीख में हर पड़ाव अड्डे पर वसूली हो रही है।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

माननीय वर्मा जी ने स्पेसिफिक जानकारी दी है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं आज ही इसकी जानकारी कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, चारों तरफ अवैध वसूली हो रही है। गोण्डा में माफियाओं के द्वारा अवैध वसूली हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दें।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, कल तक बस्ती जिले में इस प्रकार की वसूली जारी थी। एरावल रोड, हुसैयागंज रोड पर जारी थी। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय पंचायत राज मंत्री जी, माननीय सदन के सदस्य जिन जनपदों की जानकारी लिखकर दें, जहां पर अवैध वसूली हो रही है, कृपया उसमें यह सुनिश्चित कर लें कि वहां पर आपके शासनादेश का पालन हो रहा है कि नहीं और जहां पर अवैध वसूली हो रही है वहां पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

इससे स्पष्ट आदेश और निर्देश कोई नहीं हो सकता है। जो आप लोग चाहते थे वह हो गया है। आप लोग कृपया बैठ जायें।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी से शिकायत की कि उनके जनपदों में मंत्री जी की घोषणा के बावजूद अवैध वसूली हो रही है और

माननीय मंत्री जी से मैं यह घोषणा चाहूंगा कि इस सदन में उनकी घोषणा के पश्चात् किन जनपदों में अवैध वसूली हो रही है या हुई है, क्या वसूली करने वाले लोगों को दण्डित करेंगे ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आज सदन में जिन-जिन माननीय सदस्यों ने जिन-जिन जगहों की जानकारी दी है इस जानकारी के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आज ही सुनिश्चित करूंगा कि समस्त मण्डलायुक्तों को पुनः इस शासनादेश का कड़ाई से पालन करें यह मैं निर्देश दूंगा। कहीं से भी शिकायत आये उसकी कड़ाई से जांच हो।

*4—श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*5—श्री विनोद मणि–

[दिनांक 27-4-2000 को अता० प्र० सं०–35 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश सरकार की विकेन्द्रीकरण नीति से विधायकों के अधिकारों में कमी की जानकारी

*6—डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (अनुपस्थित)–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार की विकेन्द्रीकरण की वर्तमान नीति के अन्तर्गत क्या विधायकों के अधिकारों में कमी हुई है ? यदि हां, तो क्या विधायकों के अधिकरों में हुई कमी को पुनः स्थापित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचयतों को जो अधिकार एवं दायित्व सौंपे गये हैं वे विभिन्न प्रशासनिक विभागों के हैं, विधायकों के नहीं। अतः उन्हें पुनः स्थापित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शीरे को नियंत्रण मुक्त (डी कन्ट्रोल) करने से एसिड उद्योगों पर कुप्रभावों की जानकारी

*7—श्री बी० आर० वर्मा–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा शीरे को नियंत्रण मुक्त (डी कन्ट्रोल) करने से शीरे पर आधारित डिस्ट्रिलरी, एल्कोहल, ग्लाइकाल, आरगैनिक एसिड बनाने वाले उद्योगों पर इसका कुप्रभाव पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका अध्ययन कराने हेतु किसी समिति के गठन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकरी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी नहीं। ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं है कि प्रदेश सरकार द्वारा शीरे को नियंत्रण मुक्त करने से शीरे पर आधारित डिस्टीलरी आदि उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ा है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है "जी नहीं" तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसमें प्रदेश में जो शीरा आधारित छोटी कैमिकल यूनिटें थी और शीरे पर आधारित उत्तर प्रदेश में 6 बड़ी कैमिकल इकाइयां लगी हुई थीं अगर इस पर बुरा असर नहीं पड़ा तो इनमें से कितनी इकाइयां बन्द हैं यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्रदेश में 7 बड़े रसायनिक उद्योग लगे हुए हैं जिसमें से मे० सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स 1995-96 से बन्द है। सोमैया आर्गेनिक्स इन्होंने गत वर्ष 168.24 लाख लीटर अल्कोहल बनाया है जो उससे पूर्व वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक खपत इन्होंने किया है। इसके बाद वैम आर्गेनिक्स है इन्होंने 97-98 में 711.27 लाख ली० अल्कोहल की खपत की पिछला जो वर्ष बीता है इसमें 865.07 लाख ली० की खपत की। इसी तरह से आई० जी० एल० है इन्होंने 97-98 में 414.32 लाख ली० की खपत की और उसके बाद के वर्ष में 475.07 लाख ली० खपत की इसके बाद धामपुर शुगर मिल्स है इन्होंने बीते वर्ष 133.45 लाख ली० अल्कोहल की खपत की। विजयश्री केमिकल्स बंद है। ओसेवाल केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स यह प्रकाश में आया है कि 98-99 से बन्द है।

श्री बी० आर० वर्मा–

जब से शीरा मान्यवर, डि कंट्रोल हुआ है तब से छोटी यूनिटें कितनी बंद हैं ? मान्यवर, एक बड़ी यूनिट का जिक्र आया वह कलकत्ता से वह अपना उद्योग बंद करके केमिकल यूनिट यहां लगाये हुए थे जब से शीरा डि-कंट्रोल हुआ है तब से बतायें कि कितनी यूनिटें बंद हुई हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, जो यूनिट विगत वर्ष कार्यरत थी वह इस वर्ष भी कार्यरत हैं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, छोटी यूनिटें कितनी बंद हैं जो शीरे से केमिकल बनाती थी या अल्कोहल को कन्ज्यूम करती थीं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, शीरे से अल्कोहल बनाने वाली 7 यूनिटें उ० प्र० में कार्यरत हैं जिनका बेसिक रॉ मेटिरियल शीरा है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

जनपद चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग तथा पौड़ी में भूकम्प राहत हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

*8—श्री मुन्ना चौहान–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला–चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग तथा पौड़ी में कुल कितने लोगों को कुल कितनी धनराशि दिनांक 31-5-99 तक भूकम्प राहत हेतु आवंटित की जा चुकी है? क्या यह सत्य है कि ग्राम–बालासौड़, पट्टी सुखारो, तहसील–कोटद्वार, जिला-पौड़ी गढ़वाल में दिनांक 31-5-99 तक भूकम्प राहत का लाभ भूकम्प से क्षति ग्रस्त हुए मकान मालिकों को नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त भूकम्प राहत का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

जिला चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग तथा पौड़ी में भूकम्प से कुल 49767 प्रभावित लोगों में कुल रु० 8.86.70119/- की धनराशि दिनांक 31-5-99 तक राहत सहायता के रूप में वितरित की गयी हैं।

ग्राम बालासौड़, पट्टी सुखारो, तहसील कोटद्वार में भूकम्ध से कोई भी मकान क्षतिग्रस्त न होने के कारण दिनांक 31-5-99 तक कोई राहत सहायता वितरित नहीं की गयी।

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या–7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री राम कृपाल–

[न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

2—डा० सरजीत सिंह डंग–

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

3—श्री राम विशुन आजाद–

[6ठे शुक्रवार में अता० प्र० संख्या–134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर, तहसील खजनी, ग्राम आसेलामार में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग

4—श्री सन्त प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आसेलामार, तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर के गाटा संख्या–15 रकबा 1.60 डी० जो ग्राम समाज की भूमि है, पर समसुद्दीन पुत्र हजरत का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसे खाली करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री समसुद्दीन पुत्र हजरत ने ग्राम आसिलामार के गाटा संख्या 15 रकबा 1.60 ए० में से 0.05 ए० पर कब्जा किया था जिसे हटा दिया गया है ।

अवैध कब्जा हटा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकरनगर में भूमि संरक्षण निरीक्षक/सहायक निरीक्षक के पद की स्वीकृति तथा जनपद में ऊसर/बंजर भूमि के सुधार की योजना की जानकारी

5—श्री राम अचल राजभर–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के अधीनस्थ भूमि संरक्षण निरीक्षक एवं सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक का पद जनपद अम्बेडकर नगर इकाई में स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या उक्त जनपद में उक्त निरीक्षकों को तैनात किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त जनपद में लगभग 25.000 हेक्टेयर ऊसर/बंजर भूमि एवं नदियों के कटावग्रस्त व जलमग्न क्षेत्र के सुधार की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं, जनपद अम्बेडकर नगर की भूमि संरक्षण इकाई में भूमि संरक्षण निरीक्षक एवं सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक का कोई पद स्वीकृत नहीं है ।

जनपद अम्बेदकर नगर में भूमि संरक्षण निरीक्षक एवं सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक के पद स्वीकृत न होने की दशा में 03 भूमि संरक्षण निरीक्षक 13 सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षक फैजाबाद मण्डल के अन्य जनपदों से अम्बेदकर नगर में भूमि संरक्षण इकाई से सम्बद्ध कर तैनात किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अम्बेडकर नगर में 25.000 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए नहीं, अपितु निम्न विवरण के अनुसार दो योजनाएं क्रमशः सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कटावग्रस्त क्षेत्र के एवं ऊसर सुधार क्षेत्र के

लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को विभिन्न वर्षों में प्रेषित की गयी हैं । जिन पर कार्य प्रगति पर है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अम्बेडकर नगर को उपलब्ध करायी गयी योजना का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :—

क्र०	योजना का नाम	योजना के प्रस्तावित किये जाने वाला वर्ष	प्रस्तावित उपचार किये जाने वाला क्षेत्रफल	अनुमानित धनराशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1	सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद अम्बेडकर नगर में कटावग्रस्त क्षेत्र की योजना ।	1997-98	6500	215.00
2	जनपद अम्बेडकर नगर में ऊसर सुधार की योजना	1998-99	526.	21.02

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील अकबरपुर, ग्राम आमी की भूमि ग्राम सभा में दर्ज करने के आदेशों के अनुपालन की जानकारी

6—श्री राम अचल राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आमी (रानीपुर गीरन्ट) तहसील–अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर को ग्राम सभा की भूमि के पट्टे को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा दिनांक 24-8-96 को निरस्त करके उक्त सम्पत्ति ग्राम सभा में दर्ज किया है ? यदि हां, तो क्या अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3-9-96 में इस भूमि को पुनः आवंटन न करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या इस आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा, तहसील सादाबाद के सेवानिवृत्त अमीन श्री भवानी शंकर के बकाया भुगतान सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

7—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भवानी शंकर, सेवानिवृत्त अमीन तहसील सादाबाद, मथुरा के बकाया का भुगतान किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–/31371/मथुरा/2000, दिनांक 15-2-2000 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

श्री भवानी शंकर संग्रह अमीन दि० 7-5-87 को तहसील सादाबाद से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये थे । श्री भवानी शंकर द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्त आदेश के विरुद्ध माननीय लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में रिट याचिका संख्या–300/1/87 भवानी शंकर बनाम उ० प्र० सरकार दायर की गयी जिसमें लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-1-92 व 24-9-92 के अनुपालन में देयों का भुगतान तहसील सादाबाद से किये गये । श्री भवानी शंकर के सेवा एवं पेंशन सम्बन्धी समस्त अभिलेख तहसील सादाबाद वर्तमान जनपद हाथरस में उपलब्ध हैं । ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में वांछित कार्यवाही जनपद हाथरस से की जानी है । इस आशय का पत्र भी जिलाधिकारी, हाथरस को दिनांक 25-4-2000 प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के अध्यक्ष, जिला पंचायत द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन/किराये के वाहन का उपयोग करने पर कार्यवाही की मांग

8—श्री उदयराज यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायत के व्यय पर वाहन–यात्रा की सुविधा के क्या मानक है ? क्या उक्त अध्यक्षगणों को किराये के वाहन लेकर भी यात्रायें करने पर सुविधा अनुमन्य हैं ? यदि हां, तो किन-किन परिस्थितियों में अध्यक्षगण किराये के वाहन कितने समय तक किराये पर रख सकते हैं ? क्या यह सच है कि निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुये उन्नाव, जिला पंचायत अध्यक्ष ने माह नवम्बर, 98 से माह जनवरी, 2000 तक किराये का वाहन लिया है ? यदि हां, तो इस पर जिला पंचायत का कितना खर्च हुआ है ? क्या ऐसे किराये के वाहन की शासन ने अनुमति दी थी ? यदि नहीं, तो दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

उ० प्र० जिला पंचायत तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान) नियमावली, 1963 के नियम 3(3) में जिला पंचायद अध्यक्ष को अधिकारिक उपयोग के लिए जिला पंचायत द्वारा जीप/कार उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

रुपया 1,53,600/-

जी नहीं ।

शासनादेश सं० 5988/33-2-99-212 (6)/96, दिनांक 4-4-2000 के द्वारा अध्यक्ष जिला पंचायत उन्नाव को भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है ।

जनपद मथुरा, मत्स्य विकास निगम में कार्यरत अधिकारी श्री हीरालाल द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

9—श्री अजय कुमार पोइयां–

क्या पशुधन तथा मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के मत्स्य विकास निगम, उ० प्र० में कार्यरत अधिकारी श्री हीरालाल द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/31497/मथुरा/2000, दिनांक 19-2-2000 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री फागू चौहान)–

जी हां । संदर्भित पत्र में की गयी शिकायतों की जांच कराये जाने पर शिकायतें निराधार पाई गईं ।

जनपद संत रविदास नगर तहसील भदोही के ग्राम अहमदपुर फुलवरिया में भूमि अर्जन की वैध एवं न्याय संगत कार्यवाही

10—श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित ''अम्बेडकर ग्राम'' अहमदपुर फुलवरिया पोस्ट–कुकरौठी, तहसील भदोही जिला संत रविदास नगर, अनुसूचित जाति की भूमि शासनादेश के विपरीत अवैध रूप से अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के सी०एम०/वि०को०/एम–1/28842/वाराणसी/99 दिनांक 17-12-1999 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जय नरायन तिवारी)–

जी हां ।

मा० विधायक के उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायत पर शासन द्वारा विचार किया गया । विचारोपरान्त शिकायत निराधार पायी गयी है क्योंकि उक्त भू-अर्जन की कार्यवाही वैध एवं न्याय संगत है ।

जनपद शाहजहांपुर के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के कार्यकाल की अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर जांच की मांग

11—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या दुग्ध विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 17-9-1998 जो श्री ए० सी० मिश्रा प्रबन्धक, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यकाल में की गयी अनियमितताओं के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त पत्र को दि० 17-9-1998 को आयुक्त, दुग्ध विकास को आवश्यक कार्यवाही एवं जांच के लिए भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयपाल सिंह)–

जी हां,

जी, हां ।

जांच कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फिरोजाबाद, तहसील टूण्डला के मौजा रुधऊ में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि को समतल कराने की जानकारी

12—श्री सुशील शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1998 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं०–7 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की तहसील टूंडला की मौजा रुधऊ के जिन 83 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 3-3 एकड़ बीहड़ में भूमि आवंटित की गयी थी क्या सर्वेक्षण के उपरान्त बीहड़ की उक्त भूमि को समतल कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त बीहड़ भूमि को समतल कराने में कितना समय और लगेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मथुरा, संग्रह अमीन श्री सुरेश कुमार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुकदमा कायम करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

13—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुरेश कुमार गर्ग, संग्रह अमीन जनपद मथुरा के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुकदमा कायम किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम– /31375/मथुरा/2000, दिनांक 5-2-2000 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जा चुकी है ।

जनपद शाहजहांपुर में मत्स्य विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

14—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या पशुधन एवं मत्स्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-10-1999 जो जनपद शाहजहांपुर में मछली पालकों को मत्स्य दिये जाने में मत्स्य विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त पत्र पर सचिव, पशुधन को जांच के लिए निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फागू चौहान–

जी, हां ।

निदेशक मत्स्य को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिनांक 25-10-99 को दिये गये ।

प्रकरण की जांच करायी गयी, जांच में शिकायतें निराधार पायी गयी हैं ।

15—श्री धर्मराज निषाद–

[छठे मंगलवार में अता० प्र० सं०–191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद, तहसील–मिल्कीपुर के ग्राम सभा घोड़वाल के मजरे गुमानीगंज में अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को राहत का वितरण

16—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद तहसील–मिल्कीपुर ब्लाक खण्डांसा के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा घोड़वाल के मजरे गुमानीगंज में दिनांक 3-2-2000 को आग लग जाने के कारण 12 घर पूरी तरह जलकर भस्म हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या पीड़ित परिवारों को समय से समुचित आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा घोड़वाल के मजरे गुमानीगंज में दिनांक 3-4-2000 की रात्रि में अग्निकाण्ड की घटना हुई थी । जांचोपरान्त अग्निकाण्ड की घटना से प्रभावित पात्र व्यक्तियों को दिनांक 12-2-2000 को चेक द्वारा रु० 6,600.00 गृह अनुदान रु० 11,800/- अहैतुक सहायता के रूप में राहत सहायता वितरित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर, बभनपुरा में सड़क कटान रोकने हेतु पत्थर लगवाने की मांग

17—श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज जनपद अम्बेदकर नगर में बभनपुरा पर बने पुल के बराबर मिट्टी का कार्य होने से बाढ़ के समय सड़क पर कटान की स्थिति बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या मिट्टी कार्य कराकर बभनपुरा में कटान को रोकने के लिए पत्थर लगवाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी हां ।

धन उपलब्ध होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज में छात्र की हत्या में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

18—श्री लालमणि प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5 जून, 1997 को नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद के छात्रावास में श्री सूरज भान नामक छात्र की हुई हत्या की जांच के लिए गठित समिति की जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या रहे ? क्या दोषियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां । परन्तु छात्र का नाम सूरज कुमार था ।

जांच समिति किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है । प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद महराजगंज, तहसील निचलौल, ग्राम सभा खेसरारी स्थित ग्राम समाज की भूमि पर विश्वनाथ सिंह का कथित कब्जा

19—श्री कोविद कुमार–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा खेसरारी, तहसील निचलौल (महराजगंज) की परती भूमि जो ग्राम समाज की सम्पत्ति है, को श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह ने खाता

सं०–396 एवं खाता सं०–344. 41.00 हे० भूमि हड़पने के नियत से उप जिलाधिकारी निचलौल के यहां वाद सं०–214 दि० 4-12-1996 दाखिल करके एकपक्षीय निर्णय लेकर उक्त भूमि को अपने नाम से करा लिया है जिससे ग्राम समाज की क्षति हुई है ? क्या उक्त निर्णय के विरुद्ध श्री शारदा प्रसाद जायसवाल भू०पू० विधायक की लिखित शिकायत दि० 18-5-1999 पर ग्राम्य विकास मंत्री ने पत्रांक 397/280 वी०आई०पी० दि० 19-5-1999 द्वारा अध्यक्ष राजस्व परिषद् द्वारा जांच कराने हेतु लिखा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

जी, हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराई गई प्रार्थना-पत्र निक्षेप योग्य पाये जाने के कारण उसे निक्षेपित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

20—श्री अजय कुमार पोइया–

[याचिका समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मथुरा, ''राजकीय संग्रहालय'' को विकसित एवं सौन्दर्यीकरण हेतु अधिग्रहीत करने की जानकारी

21—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा स्थित ''राजकीय संग्रहालय'' के सौन्दर्यीकरण एवं विकसित करने तथा कलाकृतियों के रख-रखाव को सुव्यवस्थित करने हेतु उसके अधिग्रहण पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त राजकीय संग्रहालय को कब तक अधिग्रहीत कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

राजकीय संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन संचालित है । यह शासकीय संस्थान है । अतः इसे अलग से अधिग्रहीत करने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद मथुरा के ''वृन्दावन शोध संस्थान'' को पुरातत्व विभाग के नियंत्रणाधीन करने का प्रकरण

22—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित ''वृन्दावन शोध संस्थान'' को पुरातत्व विभाग के नियंत्रणाधीन किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

प्रश्न नहीं उठता ।

23—श्री अजय कुमार पोइया–

[याचिका समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

24—श्री अजय कुमार पोइया–

[5वें शुक्रवार में अता० प्र० सं०–174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहाँपुर के कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितता की जाँच तथा दोषी के विरुद्ध कार्वाही

25—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे गुरुवार के अता० प्रश्न सं० 4 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत जांच कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां।

प्रारम्भिक जाँच में श्री मोहम्मद असलम खाँ, श्री शीतला प्रसाद, डॉ० ओम प्रकाश, श्री भागमल सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह सभी किसान सहायक विकास खण्ड तिलहर, श्री अखलाक नवी, कृषि रक्षा पर्यवेक्षक, कृषि रक्षा इकाई तिलहर, श्री अमर नाथ लाल, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कार्यालय उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, तिलहर, श्री उदय कुमार सिंह, तत्कालीन उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, तिलहर को दोषी पाया गया। इस जांच के निष्कर्षों के आधार पर इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के प्राविधानों के तहत आरोप-पत्र गठित कर/स्पष्टीकरण मांगकर कार्यवाही करने हेतु संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) बरेली को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उटता।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ग्राम रेवना में बंजर भूमि पर अवैध निर्माण को हटवाने की मांग

26—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–रेवना, परगना–राठ, तहसील मिल्कीपुर, फैजाबाद में बंजर भूमि सं० 46 पर इसी ग्राम के श्री सुरेन्द्र देव सिंह पुत्र रघुवर दयाल सिंह जबरन कब्जा कर घर बना रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त अवैध निर्माण कब तक हटवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ग्राम पंचायत रेवना की भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव को क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा पट्टा पाने वाले व्यक्तियों को वंचित करने सम्बन्धी प्रकरण पर कार्यवाही की माँग

27—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर की ग्राम पंचायत रेवना की भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 13-9-1997 को 54 व्यक्तियों को कृषि आवंटन हेतु प्रस्ताव पारित किया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव में पात्र व्यक्तियों को भी अपात्र दिखाकर क्षेत्रीय लेखपाल ने राजस्व अधिकारियों को गुमराह कर पट्टा पाने से वंचित कर दिया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या दिनांक 10-7-1998 को 54 में से मात्र 44 लोगों को ही पट्टा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र सहजनवा में हरनही-सोनवरसा मार्ग से गिदहा या चौतरवां मार्ग के लेपन कार्य में की गयी अनियमितता का न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

28—श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र सहजनवां में हरनही–सोनबरसा मार्ग से गिदहा चौतरवा मार्ग दूरी 2.5 कि०मी० पर लेपन हेतु शासनादेश सं० 505/एस०एम०पी/33-3-1998 दिनांक 29 सितम्बर, 1998 द्वारा 19 लाख रुपये तथा जिला पंचायत गोरखपुर द्वारा 4 लाख रुपये दिया गया था ? क्या उससे मात्र 2 कि०मी० मार्ग लेपन कराया गया ? क्या जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा इसकी जांच कराने पर इसकी गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी गयी एवं कार्य को पूरा दिखाकर 7 लाख रुपये की अनियमितता की गयी? यदि हां, तो दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां, शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 1998 द्वारा 19 लाख रुपये तथा राज्य वित्त आयोग के अनुदान से डपटेल द्वारा रुपया 436891.00 दिया गया था ।

जी नहीं, 2.05 कि० मी० लेपन कार्य कराया गया ।

जी हां ।

जांच कार्यवाही प्रक्रिया में थी कि मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश प्राप्त होने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है । माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय पर अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर, तहसील लालगंज के ग्राम मिसिरपुर में अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने की मांग

29—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के लालगंज तहसील के मिसिरपुर ग्राम की साढ़े सत्ताइस बीघा भूमि जो पहाड़ अंकित है, पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ, राजकीय पौधशाला अलीगंज में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मालियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियमित कर वेतनमान दिये जाने की जानकारी

30—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पौधशाला, अलीगंज, लखनऊ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मालियों को नियमित कर निम्नतम वेतनमान दिये जाने एवं उन्हें विनियमितीकरण करने पर विचार किये जाने विषयक उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक–क–2-164947, दिनांक 25 मार्च, 2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री धनराज यादव)–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 3-3-2000 के विरुद्ध दिनांक 8-5-2000 को विशेष अपील योजित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील अकबरपुर, ग्राम भीटी में सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग

31—श्री छोटेलाल राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री त्रिलोकी नाथ पुत्र श्री राम दास् निवासी ग्राम भीटी, परगना–मिझोंडा, तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर ने गांव सभा मीटी की सार्वजनिक उपयोग की भूमि गाटा संख्या–822/0-0-18. चकमार्ग पर अतिक्रमण करके अवैधानिक निर्माण कराया है? क्या दिनांक 5-1-1996 को अपर तहसीलदार, अकबरपुर ने उक्त के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दिये जाने तथा चकमार्ग पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील अकबरपुर में ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध कब्जे के विवरण की जानकारी

32—श्री लालजी वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की अकबरपुर तहसील में वर्ष 1999 में ग्राम समाज की भूमि पर किये गये अवैध कब्जों के कितने मामले प्रकाश में आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर में दशम् वित्त योजनान्तर्गत स्वीकृत मार्ग को परिवर्तित करके घरवासपुर–बंगला मार्ग की स्वीकृति हेतु प्रेषित पत्र पर विचाराधीन कार्यवाही

33—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि रजिस्टर्ड डाक नं० 1115 दिनांकित 28-10-99 को प्रेषित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत मिर्जापुर का पत्र संख्या–344/जि०प०/99-2000/दशम् वित्त/दिनांक 23 अक्टूबर, 1999, जो दशम् वित्त योजनान्तर्गत स्वीकृत मार्ग को परिवर्तित कर घरवासपुर–बंगला–मार्ग, लम्बाई 1.5 कि०मी० की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने विषयक है, सचिव, पंचायती राज, को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी, हां।

कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त अवर अभियन्ताओं की जानकारी

34—श्री लालजी वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् में तदर्थ रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं की संख्या क्या है ? क्या यह सही है कि मण्डी परिषद् द्वारा उन अवर अभियन्ताओं से कार्य न लेकर अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियां की जा रही हैं ? यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति पर अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति करने का औचित्य क्या है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मण्डी परिषद् में कुल 20 अवर अभियन्ता तदर्थ रूप से नियुक्त हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर, तहसील घाटमपुर के ग्राम धरधुआ के निवासी को फंसाये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

35—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–धरधुआ, थाना–सवेती, तहसील–घाटमपुर, जनपद–कानपुर के निवासी श्री शिव शंकर सिंह को गलत तरीके से मुकदमें में फंसाने एवं उन पर अनावश्यक रूप से किये गये रु० 8,100 के जुर्माने की जांच कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27 मार्च, 2000 पर उनके द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2000 को पत्रांक–1018/वी०आई०पी०/रा०मं०/2000 द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व को प्रकरण की जांच कराने के आदेश निर्गत किये गये थे? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद प्रतापगढ़, थाना कुण्डा के ग्राम पनाह नगर में अवैध कब्जा हटवाने हेतु दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

36—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-12-99 जो बाबू लाल पुत्र सोनई चमार निवासी–ग्राम–पनाह नगर थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ के आवासीय भूमि के अवैध कब्जे को हटवाने से सम्बन्धित है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अवैध कब्जे को हटवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी, हां ।

आवेदक श्री बाबू लाल को आवासीय पट्टा गाटा सं० 1266(नवीन) परती में किया गया था जिस पर कब्जा दखल पूर्व में ही दे दिया गया है । श्री बाबू लाल वादग्रस्त भूमि गाटा सं० 991 पर अवैध रूप से काबिज होना चाहता था । श्री बाबू लाल की शिकायत को जांचोपरान्त निराधार पाया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भदौरा के ग्राम दिलदार नगर में हिन्दुओं के श्मशान एवं ग्राम सभा के तालाब की भूमि के आवंटन का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

37—श्री सिंहासन सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिलदार नगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दिलदार नगर, विकास खण्ड भदौरा, जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा की 11 बीघा, 13 बिस्वा, 11 धूर जमीन जो कि हिन्दुओं का शमशान एवं ग्राम सभा के तालाब को उप जिलाधिकारी, जमानियां द्वारा दि० 27-4-99 को अनियमित तरीके से 33/99 एल० आर० ए० ऐक्ट के द्वारा जहीरुन्निशा पत्नी फखरुद्दीन खां, निवासी दिलदार नगर को आसामी दर्ज कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त आसामी एवं दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करते हुए ग्राम सभा की उक्त जमीन वापस होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

प्रश्नगत आराजी स्थित मौजा दिलदारनगर के बावत एक वाद अन्तर्गत धारा 33/39 एल० आर० ऐक्ट जहीरून्निशा बनाम गांव सभा दिलदारनगर दायर किया गया जो उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 10-5-93 द्वारा यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि यह मामला स्वत्व का है तथा धारा 33/39 के अन्तर्गत तय नहीं किया जा सकता ।

श्रीमती जहीरुन्निशा के तजबीबसानी प्रार्थना-पत्र पर उक्त आदेश दिनांक 10-5-93 तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 21-7-95 द्वारा निरस्त कर दिया गया और वाद पुनर्जीवित किया गया ।

तत्कालीन उप जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 23-6-95 द्वारा गांव सभा का नाम निरस्त कर श्रीमती जहीरुन्निशा का नाम बतौर आसामी दर्ज कर दिया गया । उक्त आदेश दिनांक 23-6-95 के विरुद्ध सुमना विधवा जमुना आदि के तहजीवसानी प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 22-4-99 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी द्वारा यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि दिनांक 23-6-95 का आदेश अपने में पूर्ण है । प्रार्थना-पत्र कालबाधित है । पुनः प्रधान ग्राम सभा दिलदार नगर की ओर से उक्त आदेश के विरुद्ध तहजीवसानी प्रार्थना-पत्र सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है ।

न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

नपद गाजीपुर, तहसील जमानियां के क्षेत्र दिलदार नगर में टूटे मण्डी भवन की मरम्मत तथा उसे प्रारम्भ कराने की मांग

38—श्री सिंहासन सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र दिलदार नगर तहसील जमानियां, जनपद–गाजीपुर के दिलदार नगर बाजार में मण्डी समिति लगभग 10 वर्षों से बनकर तैयार है परन्तु उसमें मण्डी न लगने के कारण मण्डी भवन लगभग आधा टूट-फूट गया है ? क्या वह मण्डी समिति प्रारम्भ करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां, मरम्मत योग्य है ।

जी हां ।

यथाथीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एवं तहसील देवरिया के राजस्व ग्राम बुद्धूखान तप्पा–पटना आदि में पट्टा एवं आवास आवंटन में की गयी अनियमितता के शिकायती-पत्र पर जांच कार्यवाही

39—श्री बालचन्द्र मिश्र तथा श्री अक्षयवर लाल–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि राजस्व ग्राम–देवरिया, बुद्धूखान, तप्पा–पटना, परगना–शाहजहाँपुर, तहसील व जनपद–देवरिया के राजस्व अभिलेखों, अभिलेखागार–देवरिया से लेकर तहसील स्तर तक के राजस्व अभिलेखों में व्यापक धांधली एवं भ्रष्टाचार विषयक प्रकरण पर श्री खुर्शीद आलम के पत्र दिनांक 17-12-97 पर जिलाधिकारी, देवरिया के पत्रांक 3076/24-12-97 द्वारा क्या अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) देवरिया ने उक्त पत्र एवं उसके पूरक पत्रों दिनांक 12-1-98 एवं 29-1-98 की जांच प्रक्रिया पूरी कर इसकी आख्या अपने पत्र 625/20-2-98 के माध्यम से जिलाधिकारी, देवरिया को प्रेषित की गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का विवरण क्या है ? उक्त प्रकरण में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी, हां ।

पट्टा आवंटन का प्रस्ताव अनियमित पाया गया ।

आवास आवंटन के लिए परगनाधिकारी को संस्तुति करते समय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार ने प्रथम दृष्टया अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया ।

उत्तरदायित्व निर्धारण सहित उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।

जनपद एटा में कलेक्ट्रेट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध के उपरान्त भी कर्मचारियों की नियुक्ति

40—श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान में राजस्व विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कमर्चारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा है ? यदि हां, तो क्या जनपद–एटा की कलेक्ट्रेट में 1 जनवरी, 2000 के बाद चतुर्थ श्रेणी कमर्चारियों की भर्ती की गयी है ? यदि हां, तो कुल कितने कमर्चारियों की भर्ती की गयी है ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां,

जनपद एटा की कलेक्ट्रेट में 1 जनवरी, 2000 के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की कोई नियमित भर्ती नहीं की गयी है, बल्कि निर्वाचन आदि महत्वपूर्ण कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु 21 अस्थाई स्थानापन्न कर्मचारियों को विखंण्डित अवधि 42 दिन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में बतौर एवज लगाया गया है ।

कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गयी है । इसलिए किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को मासिक मानदेय दिये जाने की जानकारी

41—श्री भारत सिंह रावत–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को 1500/- रुपये मासिक मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर, तहसील सहजनवा के ग्राम सभा भुआशहीद में बाढ़ से गृह स्वामियों के ध्वस्त भवनों हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की मांग

42—श्री रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1999 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–81 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोरखपुर, तहसील–सहजनवा के ग्राम सभा–भुआशहीद में वर्ष 1998 की बाढ़ से पूर्ण रूप से ध्वस्त भवनों के गृहस्वामियों की सूची तहसील द्वारा ब्लाक–पाली को प्रेषित की गयी है ? क्या सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को गृह अनुदान/इन्दिरा आवास उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी, हां ।

सूची में उल्लिखित व्यक्तियों को गृह अनुदान/इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने हेतु उनके खाता पंजाब नेशनल बैंक भरपही में खोल दिये गये हैं । उक्त मद में धनराशि उपलब्ध होते ही लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध करा दी जायेगी ।

जनपद कुशीनगर, ग्राम लालाछपरा (लक्ष्मीगंज) में पंचायत भवन का उद्घाटन जिलाधिकारी द्वारा किये जाने पर प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

43—श्री दीपलाल भारती–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–160 के उत्तर के संबंध में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या तत्कालीन ज़िलाधिकारी, कुशीनगर श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव 11 जून, 1998 को ग्राम लालाछपरा (लक्ष्मीगंज) जनपद–कुशीनगर के पंचायत भवन के उद्घाटन में मुख्य अतिथि थे तथा शिलालेख पर उनका नाम मुख्य अतिथि के रूप में अंकित है ? क्या प्रोटोकाल के अनुसार जनप्रतिनिधियों के रहते कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता या शिलान्यास/उद्घाटन नहीं कर सकता है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण के दोषी के प्रति क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी हां ।

जी, हां ।

मा० सदस्य द्वारा उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया है । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लिखा जा रहा है ।

जनपद वाराणसी में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कलेक्ट्रेट भवन की छतों की मरम्मत विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

44—श्री राम औतार शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कलेक्ट्रेट वाराणसी में अतिवृष्टि के कारण हुई क्षतिग्रस्त छतों की मरम्मत हेतु कराये गये कार्य के भुगतान हेतु मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र उनके पत्र

संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम-31988/मैनपुरी/2000. दिनांक 13-3-2000 के साथ प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र पर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी, वाराणसी को निर्देशित कर दिया गया है ।

जनपद मिर्जापुर के इमिलिया चट्टी नरायनपुर रोड से घरवासपुर विश्वकर्मा बस्ती तक की सड़कों के निर्माण/स्वीकृत धनराशि के विवरण की जानकारी

45—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद में दशम् वित्त योजनान्तर्गत शासनादेश सं०–39/एस०एम०पी०ए०/33-3-99. दिनांक 9 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत स्वीकृत इमिलिया चट्टी नरायनपुर रोड से घरवासपुर विश्वकर्मा बस्ती तक की वास्तविक लम्बाई एवं मार्ग की स्वीकृत लम्बाई- क्या-क्या है ? प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत है ? क्या प्रश्नगत मार्ग का निर्माण इमिलिया चट्टी–नरायनपुर रोड के "प्वाइंट" से शुरू किया गया है? यदि नहीं, तो क्या स्वीकृत कार्य अन्य मार्ग पर कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण की जांच के निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर, ब्लाक नरायनपुर के ग्राम घरवासपुर की सड़कों के स्थान पर अविकसित ग्रामों की सड़कों के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की मांग

46—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर जनपद के नरायनपुर ब्लाक में स्थित ग्राम–घरवासपुर पूरब–पश्चिम–उत्तर–दक्षिण चारों दिशाओं से पक्की सड़क से आच्छादित है ? यदि हां, तो ग्राम–घरवासपुर में ही दशम् वित्त योजनान्तर्गत शासनादेश सं०–39/एस०एम०पी०ए०/33-3-99. दिनांक 9 जुलाई, 1999 के तहत पांचवीं लेपित मार्ग इमिलिया चट्टी–नरायनपुर रोड से घरवासपुर मार्ग की स्वीकृति निर्गत करने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार प्रश्नगत शासनादेश के अन्तर्गत जारी वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति को तत्काल निरस्त कर लेपित मार्ग से अछूते किसी अन्य गांव को उक्त धनराशि से मार्ग निर्माण करने हेतु तत्काल प्रभावी निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर में घरवासपुर बंगला मार्ग के निर्माण की स्वीकृति विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

47—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि डा० राजेश कुमार मिश्र, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र मय संलग्नक दिनांक 15-11-99. जो मिर्जापुर जनपद में घरवासपुर बंगला–मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान

करने विषयक है, सचिव, पंचायती राज, को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

मा० सदस्य द्वारा पत्र उपलेब्ध कराने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सुल्तानपुर, क्षेत्र पंचायत समिति कादीपुर की शारीरिक रूप से अक्षम तथा निरक्षर अध्यक्ष के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

48––श्री इन्द्रजीत सरोज –

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि क्षेत्र पंचायत समिति कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्रीमती सावित्री देवी, पत्नी श्री शेर बहादुर सिंह, निवासिनी ग्राम व पोस्ट बनके गांव जनपद सुल्तानपुर शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम तथा निरक्षर हैं ? यदि हां, तो इनके द्वारा बैंक खाते का संचालन किस आधार पर किया जा रहा है ? क्या पंचायती राज ऐक्ट की धारा–16 के अन्तर्गत इन्हें पद से हटाये जाने विषयक श्री सुजीत कुमार, सदस्य, क्षेत्र पंचायत कादीपुर का पत्र दिनांक 14-1-2000 जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी, हां ।

प्रकरण में जांच परि० निदे० जि० ग्रा० वि० अ० द्वारा दिनांक 22-1-2000 को की गई । जांच आख्या के अनुसार श्रीमती सावित्री सिंह 70–75 वर्ष की वृद्ध महिला हैं इन्हें पढ़ने-लिखने का ज्ञान नहीं है परन्तु हस्ताक्षर करना जानती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर, तहसील कम्पियरगंज के ग्राम गोपलापुर टोला में नई सड़क पर अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

49—श्री राजीव कुमार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम–गोपलापुर टोला, सोनबरसा, तप्पा–रिगौली, तहसील–कम्पियरगंज, जनपद–गोरखपुर में चकबन्दी विभाग द्वारा गांव के काली जी के स्थान से दक्षिण की ओर नई सड़क कायम कर गांव के दक्षिण–पूरब स्थित पुरानी सड़क में मिला दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त नई सड़क पर कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी, हां ।

जी, हां ।

उक्त सड़क से अनाधिकार कब्जा हटवा दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मिर्जापुर के बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के भ्रष्टाचार एवं कदाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

50—श्री सत्य प्रकाश सोनकर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मा० सहकारिता मंत्री के पत्र सं० 50 जी०एम०सी०/2000, दिनांक 6-1-2000 के क्रम में मा० राजस्व मंत्री जी का आदेश पत्रांक—196—वी०आई०पी०, दिनांक 10-1-2000, जो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, मिर्जापुर के आर्थिक भ्रष्टाचार एवं कदाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने के संबंध में है, प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र पर उप संचालक चकबन्दी, मिर्जापुर से जांच कराई जा रही है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के ग्राम धरवासपुर में चक निर्माण व धारा 52 के प्रकाशन की कार्यवाही पूर्ण करने की जानकारी

51—श्री सत्य प्रकाश सोनकर—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम—धरवासपुर, परगना—हबेली, तहसील—चुनार, जिला—मिर्जापुर में ब०अ०च० कार्यालय, मिर्जापुर द्वारा नियोजित कार्यक्रम वर्ष 1998 की कार्य योजना में दिसम्बर, 1998 तक प्रश्नगत ग्राम में धारा—52 के प्रकाशन तक की कार्यवाही पूर्ण कर लेने की कार्य-योजना चकबन्दी निदेशालय को प्रेषित की गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत ग्राम में चक निर्माण की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? धारा—52 के प्रकाशन की कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही—

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम में वाद सं०—178 व 180 के न्यायिक प्रक्रिया में लम्बित होने के कारण चक निर्माण की कार्यवाही नहीं हो सकी है । ग्राम का धारा—52 का प्रकाशन फरवरी, 2002 तक सम्भावित है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के ग्राम बरूइयां के पास ईंट भट्ठा के संचालन से ग्राम पंचायत में पर्यावरण पर कुप्रभाव की जांच/कार्यवाही की मांग

52—श्री सत्य प्रकाश सोनकर—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम—बरूइयां, परगना—हवेली, तहसील—चुनार, जिला—मिर्जापुर में चकबन्दी प्रक्रिया अन्तर्गत धारा—4(2) को प्रकाशन होने के बाद गाटा सं०—140, 149 में खातेदार द्वारा अवैध रूप से ईंट—भट्ठा का संचालन किया जा रहा है ? क्या उक्त ईंट—भट्ठा गांव की आबादी से मात्र चार सौ मीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण ग्राम पंचायत परिक्षेत्र के पर्यावरण पर गम्भीर कुप्रभाव पड़ रहा है और फलदार फसलें नष्ट प्राय हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार

प्रश्नगत प्रकरण की तत्काल समयबद्ध उच्च जांच कराकर अवैध ईंट–भट्ठा के संचालन के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर में दशम् वित्त योजनान्तर्गत स्वीकृत मार्गों हेतु प्राविधिक स्वीकृति बिना कार्यारम्भ एवं पूर्व निर्मित मार्ग पर निर्माण कराने में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

53—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जनपद में दशम् वित्त योजनान्तर्गत शासनादेश सं०–39/एस० एम ०पी०ए०/ 33-3-99 दिनांक 9 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत स्वीकृत इमिलिया चट्टी–नरायनपुर–रोड से विश्वकर्मा बस्ती घरवासपुर सम्पर्क मार्ग के विस्तृत प्राकलन पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ? यदि हां, तो कब और किससे ? विस्तृत प्राकलन में क्या-क्या प्राविधान किये गये हैं ? यदि नहीं, तो बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्यारम्भ के लिये उत्तरदायी कौन हैं ? क्या यह सही है कि प्रश्नगत मार्ग स०प० इण्टर कालेज कोलना से घरवासपुर मार्ग के नाम से आर०ई०एस० विभाग द्वारा इण्टर कोट स्तर तक पूर्व निर्मित मार्ग पर ही निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

54—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

। दिनांक 9-5-2000 को अता० प्र० सं०–183 द्वारा उत्तरित ।

जनपद मेरठ के राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, निर्माण खण्ड के उप निदेशक के विरुद्ध सतर्कता जांच

55—श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री पी०के० जैन, उप निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् निर्माण खण्ड, मेरठ के विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या उनका स्थानान्तरण निर्माण खण्ड मेरठ से कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

निर्माण खण्ड मेरठ में श्री पी० के० जैन नहीं, बल्कि श्री पी० सी० जैन उप निदेशक (निर्माण) के पद पर कार्यरत हैं, जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है ।

जी नहीं ।

श्री पी० सी० जैन दिनांक 19-9-95 से अक्टूबर, 97 तक उपनिदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद्, मुरादाबाद के पद पर कार्यरत रहे हैं और उसी अवधि से सम्बन्धित शिकायतों की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है, जिसकी आख्या अभी तक प्राप्त नहीं है ।

जनपद उन्नाव, तहसील बीघापुर के ग्राम पंचायत दूली खेड़ा की कृषि भूमि को भूमिहीनों को आवंटित करने की जानकारी

56—श्री उदय राज़ यादव–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम पंचायत दूली खेड़ा, तह० बीघापुर, परगना डैडिया खेड़ा, जनपद उन्नाव की लगभग 1100 बीघा कृषि भूमि वर्ष 1998 में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा

भूमिहीनों को आवंटित करने का प्रस्ताव दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

वर्ष 1998 में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमिहीनों को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के जिलाधिकारी को भू-माफियाओं से अनधिकृत कब्जा हटवाने विषयक कार्यालय ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्धक समिति दोलीखेड़ा के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

57—श्री उदय राज यादव–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कार्यालय ग्राम पंचायत भूमि प्रबन्धक समिति दोली खेड़ा तहसील बीघापुर जनपद–उन्नाव का जिलाधिकारी उन्नाव को सम्बोधित पत्र दिनांक 24-9-99 जो गाटा सं०–448, 449, 450, 451: 452, 453 की भूमि रकबा 33 बीघा पर भू-माफियाओं द्वारा अनधिकृत कब्जा हटाये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज में वेटनरी पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित कर निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

58—श्री ज़गदीश नारायण राय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद में वेटनरी पालीक्लीनिक का निर्माण कार्य राज ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा वर्ष 1999 में कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी थीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बिना निविदा आमंत्रित किये कार्य की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय हेतु स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले अन्य विभिन्न कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की गयी थीं जिनमें प्राप्त न्यूनतम दर पर ही पालीक्लीनिक का कार्य भी अनुबन्ध के आधार पर स्वीकृत किया गया है । कार्य की तात्कालिकता को देखते हुए इसे न्यूनतम समय में पूरा कराने के उद्देश्य से ही अनुबन्ध पर कार्य स्वीकृत किया गया है। इससे विश्वविद्यालय को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज ट्रेडिंग कम्पनी को, विश्वविद्यालय के अन्य निर्माण कार्य में आमंत्रित किये गये निविदाओं में प्राप्त न्यूननम दर पर ही पालीक्लीनिक का कार्य अनुबन्ध के आधार पर स्वीकृत किया गया है। अस्तु विश्वविद्यालय को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है।

जनपद फैजाबाद, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज में डीन एवं निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी

59—श्री लालजी वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में कुछ पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन सूचना नं० 1/1999 वर्ष 1999 द्वारा निकाला गया है ? क्या उक्त विज्ञापन कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-482-1-1-94-का-1-94 दिनांक 29 मार्च, 1994 के अनुसार किया गया है ? यदि हां, तो डीन एवं निदेशक के कुल कितने पद हैं ? क्या उनमें अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिये पद आरक्षित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी हां।

जी, हां।

विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में एक-एक डीन तथा निदेशालयों में एक-एक निदेशक के पद हैं। इस प्रकार डीन के 3 पद तथा निदेशक के 4 पद कुल मिलाकर 7 पद है।

जी नहीं।

डीन एवं निदेशक के पद अपने संवर्ग के एकल पद हैं, जिस पर शासनादेश संख्या-18/3/1997-का-2/1998, दिनांक 17-6-98 के अनुसार आरक्षण लागू नहीं है।

जनपद जौनपुर के समेकों विकास खण्डों में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत दो-दो ग्रामों की चयन प्रक्रिया पूर्ण करने की जानकारी

60—श्री श्रीराम यादव—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड बक्शा, सिकरारा, करंजार कला एवं सिरकोनी में वित्तीय वर्ष 1998-99 में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत पारितोषिक वितरण हेतु दो-दो ग्रामों की चयन प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय—

कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड जैतीपुर, ग्राम गौटिया धारम में पंचायत घर के निर्माण हेतु स्थल का चयन

61—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र दि० 24-2-99 जो ग्राम गौटिया धारम विकास खण्ड जैतीपुर में बनाये जा रहे पंचायत घर में ग्राम पंचायत का फर्जी प्रस्ताव करके निर्माण कार्य कराने के संबंध में है, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी ने उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी, हां।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने जांच करायी। स्थल का चयन भूमि प्रबन्धक समिति की नियमानुसार बैठक आयोजित कर किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

62—श्री राम ललित चौधरी–

17वें बुधवार में अता० प्र० सं०–110 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद फर्रुखाबाद के श्री राजेन्द्र सिंह, लेखपाल के सेवानिवृत्त पश्चात समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

63—श्री सुशील शाक्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह, लेखपाल जो जनपद फर्रुखाबाद से वर्ष 1989 में सेवानिवृत्त हुए थे, के सभी देयों का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां।

प्रा० ग्रेच्युटी दि० 18-3-89. अन्तिम भुगतान सा० भ० नि० दिनांक 5-6-89, राशिकरण दि० 10-8-89 अन्तिम भुगतान ग्रेच्युटी दि० 10-8-89।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन में भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी०, उरई को भूमि संरक्षण परियोजनाओं में व्यय धनराशि के विवरण की जानकारी

64—श्री श्रीराम पाल–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन में भूमि संरक्षण इकाई डी०पी०ए०पी० उरई को नावार्ड द्वारा वित्तपोषित भूमि संरक्षण परियोजनाओं को वर्ष 1999-2000 में किस परियोजना को कितना-कितना धन दिया गया था ? क्या यह सच है कि उक्त इकाई द्वारा उन्हीं परियोजनाओं का चयन किया गया जिनमें गत वर्षों में अन्य भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो क्या इस मामले की उच्च स्तरीय तकनीकी व वित्तीय जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जनपद जालौन में भू० सं० इकाई, डी० पी० ए० पी० उरई को नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित भूमि संरक्षण परियोजनाओं को वर्ष 99-2000 में कुल धनराशि रु० 78.90 लाख एकमुश्त दिया गया था। जो विभिन्न 13 परियोजनाओं पर व्यय किया गया। जिसका परियोजनावार विवरण निम्नवत् है :—

क्र०सं०	परियोजना	धनराशि (लाख रु०)
1	ब्योजना राजा	4.648
2	पचिपुरा खुर्द	6.872
3	बुढ़िया	3.708
4	मऊ	2.130

क्र०सं०	परियोजना	धनराशि (लाख रु०)
5	बरहल	4.348
6	चमरौआ खुर्द	5.979
7	शाहपुर	8.665
8	धौरपुर	8.273
9	सलैया खुर्द	7.956
10	ककरौली	7.021
11	सिकन्दरपुर	7.479
12	डांग खेरई	4.489
13	नदी गांव	7.332
	योग :	78.900

भूमि संरक्षण इकाई डी० पी० ए० पी० उरई द्वारा नाबार्ड वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत जिस कार्य क्षेत्र का चयन किया गया है, वह क्षेत्र पूर्व में दस्युग्रस्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित ऐसा क्षेत्र था जहां पूर्व में कार्य नहीं कराया जा सका।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

65—श्री श्रीराम पाल–

[छठे बुधवार में अता० प्र० सं०–189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

जनपद आजमगढ़, तहसील लालगंज के सेवानिवृत्त लेखपाल श्री शिवबली पाण्डेय के जी० पी० एफ० भुगतान की जानकारी

66—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के श्री शिवबली पाण्डेय (अवकाश प्राप्त लेखपाल–31-1-87) के जी०पी०एफ० का भुगतान हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

श्री शिवबली पाण्डेय, नाम का कोई लेखपाल तहसील–लालगंज में कार्यरत नहीं था, न ही दिनांक 31-1-87 को सेवानिवृत्त हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, राजकीय पौधशाला अलीगंज के दैनिक वेतन भोगी मालियों के मस्टर रोल गायब होने की जांच में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही/मस्टर रोल के भुगतान की जानकारी

67—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री को जानकारी है कि राजकीय पौधशाला, अलीगंज में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी मालियों के माह जनवरी, 1994 के मस्टर रोल गायब होने की जांच करायी

गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये ? क्या सरकार उक्त जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित करते हुए माह जनवरी, 1994 के मस्टर रोल का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धनराज यादव--

जी हां।

तत्कालीन उप निदेशक की जांच रिपोर्ट दिनांक 15-6-94 के अनुसार तत्कालीन प्रभारी राजकीय अलंकृत उद्यान, अलीगंज मुख्य रूप से दोषी पाये गये।

जी हां।

दैनिक श्रमिक चिट्ठा माह जनवरी, 1994 की मूल प्रति उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिसके क्रम में उप निदेशक उद्यान, लखनऊ ने दैनिक श्रमिकों के बयान लेकर स्वीकृति के आधार पर चिट्ठा तैयार कराने के निदेश दिये थे जो अभी तक अप्राप्त है। सम्बन्धित चिट्ठा प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर, तहसील गौरीगंज के ग्राम महिमापुर के स्कूल की रिक्त भूमि को भूमिहीनों को आवंटित करने की मांग

68—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम महिमापुर तहसील–गौरीगंज, जनपद–सुल्तानपुर के स्कूल स्थल के रूप में दर्ज भूखण्ड नं०–418 जो भूखण्ड नं०–331 नवीन परती बंजर भूमि में स्कूल बन जाने से रिक्त हुई है, को नवीन परती में बदल कर भूमिहीनों को आवंटित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड लालगंज की क्षेत्र पंचायत की भूमि पर हुए अवैध निर्माण में कार्यवाही की मांग

69—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड लालगंज की क्षेत्र पंचायत की भूमि अराजी संख्या–705 पर कैलाश आत्मज ननकू भुजवा द्वारा अतिक्रमण कर उस पर मकान का निर्माण कर लिया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह सच है कि प्रश्नगत भूमि पर यथास्थिति कायम रखने के सिविल जज के आदेश का उल्लंघन कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर टाउन एरिया में उपमण्डी परिषद् के निर्माण की जानकारी

70—श्री रामनरेश यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर टाउन एरिया में मिरचा की अधिक उपज को ध्यान में रखते हुए क्या वहां पर उप मण्डी परिषद् बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक सरकार उसका निर्माण करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं। उ० प्र० में केवल एक ही मण्डी परिषद् स्थापित है जिसका मुख्यालय लखनऊ है। उप-मण्डी परिषद् प्रदेश में स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को चकबन्दी आयुक्त उत्तर प्रदेश का तहसील चुनार, ग्राम शिकारपुर में चकबन्दी प्रक्रिया "जाम" का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

71—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–1(1) के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत गांव में चकबन्दी प्रक्रिया "जाम" करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों को जिलाधिकारी/जिला उप संचालक, चकबन्दी द्वारा चिन्हित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो उत्तरदायित्व निर्धारण के लिये विगत एक वर्ष में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने जाँचोपरान्त पाया कि स्टाफ की कमी तथा जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–8(क) एवं नियम–24(क)(5) के अन्तर्गत सिद्धान्तों के विवरण-पत्र की तैयारी में विवाद हो जाने के कारण एक प्रकरण सरकार बनाम जैसिंह आदि बंदोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, मिर्जापुर के न्यायालय में विचाराधीन है। चकबन्दी कार्य में प्रगति उक्त कारण बाधित हुई। कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के ग्राम नोहदीपुर में चकबन्दी प्रक्रियान्तर्गत धारा–23 एवं 52 के प्रकाशन सम्बन्धी जानकारी

72—श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी प्रक्रियान्तर्गत ग्राम–नोहदीपुर, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जिला–मिर्जापुर में धारा–23 का प्रकाशन किस तिथि को हुआ और चक निर्माण का कार्य कब पूर्ण किया गया ? क्या उक्त ग्राम में धारा–52 का प्रकाशन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ? क्या सरकार उक्त ग्राम में धारा–52 का प्रकाशन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

ग्राम–नोहदीपुर, परगना–भगवत, तहसील–चुनार, जनपद मिर्जापुर में धारा–23 का प्रकाशन दिनांक 3-7-96 को तथा चक निर्माण का कार्य दिनांक 27-1-96 को पूर्ण किया गया। कब्जा परिवर्तन पूर्ण न होने के कारण उक्त ग्राम का धारा–52 का प्रकाशन नहीं हुआ है। कार्य योजना के अनुसार नवम्बर, 2002 तक धारा–52 का प्रकाशन सम्भावित है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

73—श्री राम कुमार एडवोकेट–

[छठे मंगलवार में अता० प्र० सं०–190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद बलिया, तहसील सिकन्दरपुर के ग्राम सभा लिलकर में चकबन्दी के दौरान की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

74—श्री छोटे लाल राजभर–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा लिलकर में चकबन्दी के दौरान कर्मचारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के संबंध में आयुक्त, चकबन्दी का पत्र दिनांक 22-5-98 जिलाधिकारी बलिया तथा उप संचालक चकबन्दी, जनपद बलिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जांच उप संचालक चकबन्दी द्वारा करायी गयी । जांचोपरान्त पायी गयी त्रुटियों के निराकरण हेतु धारा–48(3) के अन्तर्गत वाद संख्या–1450 न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में सुरियावां को तहसील घोषित करने की मांग

75—श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में जनपद संख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर सुरियावां को तहसील घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

इस जनपद के दो विकास खण्ड जनपद जौनपुर में पुनः वापस चले गये हैं,अब यह जनपद पांच विकास खण्डों का मात्र रह गया है, जिसमें तीन तहसीलों का गठन उपयुक्त प्रतीत न होने के कारण सम्भव नहीं है ।

जनपद वाराणसी में संग्रह अमीन के पद पर अनुसूचित जाति के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की मांग

76—श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1991 में विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत वाराणसी जनपद में संग्रह अमीन के पद पर 35 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पद पर उनकी नियुक्ति कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी हां ।

जी नहीं ।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या–8303/91 अशोक सिंह बनाम उ० प्र० सरकार व अन्य में स्थगन आदेश दिनांक 21-3-91 प्राप्त हो जाने के कारण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जा सका ।

मा० उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका सं०–8393/91 का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 2-9-99 द्वारा कर दिया गया है । किन्तु शासनादेश सं०3/दस०सं०-वि०-मित०–2/98, दिनांक 7-1-99 द्वारा वर्तमान समय में लगे प्रतिबन्ध के कारण नियुक्ति सम्भव नहीं है ।

जनपद संत रविदास नगर भदोही में किसानों को निःशुल्क बीज वितरण की जानकारी

77—श्री पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1999-2000 में जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में रबी की बुआई हेतु गेहूं, चना व मटर के बीज किसानों को निःशुल्क वितरण के लिये आया था ? यदि हां, तो क्या उक्त बीज जिला कृषि अधिकारी भदोही द्वारा किसानों को वितरित किया गया ? यदि हां, तो किन-किन किसानों को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जी नहीं ।

गेहूं, चना एवं मटर का बीज निःशुल्क वितरण हेतु नहीं आया । केवल गेहूं के 820, चना के 500 एवं मटर के 50 मिनीकिट प्राप्त हुए जो निर्धारित टोकन मनी प्राप्त कर कृषकों को वितरित किये गये ।

उपरोक्तानुसार मिनीकिट कृषकों को वितरित किये गये ।

जिन कृषकों को मिनीकिट दिये गये उनकी सूची मेरे कार्यालय में उपलब्ध है । मा० सदस्य उसका अवलोकन कर सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के शासकीय अधिवक्ता सिविल द्वारा बेरोजगार भूमिहीन फर्जी जाति पत्र को विवाहित दर्शाकर भूमि अपने एवं पुत्र के नाम आवंटित कराने की जांच कार्यवाही की मांग

78—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के शासकीय अधिवक्ता सिविल श्री समरजीत सिंह ने तहसील चौरी-चौरा अन्तर्गत ग्राम सभा अवधपुर केवटली में अनियमित रूप से स्थाई निवासी तथा बेरोजगार भूमिहीन सैथवार जाति दर्शाकर ग्राम सभा के भूखण्ड 482, 495 को अपने तथा अपने अविवाहित पुत्र को विवाहित दिखाकर 10.5 एकड़ भूमि आवंटित करा ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

79—श्री जगदम्बिका पाल–

[8वें सोमवार में अता० प्र० सं०–38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

80—श्री सीताराम निषाद–

। आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद बस्ती, ग्राम परवर पारा में उपसंचालक चकबन्दी द्वारा पारित आदेश का पालन कराने की मांग

81—श्री सीताराम निषाद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भ संख्या–662/ 367/258 धारा 48(3) जो० च० अ० ग्राम परवर पारा में उपसंचालक, चकबन्दी, बस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-5-91 का पालन बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) बस्ती एवं चकबन्दी अधिकारी, बस्ती द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जी नहीं । उक्त संदर्भ चकबन्दी अधिकारी स्तर पर अभी न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस महानिरीक्षक, विशेष अपराध मुख्यालय, उ० प्र० को श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव, 64 रिकाबगंज, नियावां रोड, फैजाबाद का प्रेषित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

82—श्री सीताराम निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तृतीय गुरुवार के लिये निर्धारित अता० प्र० संख्या–180 एवं 5वें गुरुवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०–15 और प्रथम सत्र, 2000 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस उप महानिरीक्षक के अ०शा० पत्रांक शिकायत–228/95 दिनांक 18-1-96 के अनुसार कब्जा दिया गया ? यदि नहीं, नो क्यों ? क्या यह सही है कि तत्कालीन एस०डी०एम० हरैया ने माह अक्टूबर, 1995 में अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती को अपनी गलत मंत्रणा/राय देकर श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव को भूखण्ड संख्या–548 क्षेत्रफल 2 बीघा, 4 विस्वा 2 धुर को जोतने बोने से वंचित किया है यदि हां, तो क्या श्रीमती कुसुम श्रीवास्तव को क्षति दिलायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलरामपुर, विकास खण्ड गैडास बुजुर्ग में निर्धारित अवधि में प्राप्त धनराशि से मार्ग निर्माण पूर्ण कराने की जानकारी

83—श्री उबैदुर्रहमान–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड गैड़ास बुजुर्ग में वर्ष 1995-96 में स्वीकृत मार्ग, आसाम रोड से चिचूढी सहगियां का निर्माण जिला पंचायत बलरामपुर द्वारा दिनांक 6-6-1998 को द्वितीय किश्त रुपया 2 लाख 12 हजार प्राप्त होने के उपरान्त अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जिलाधिकारी, बलरामपुर की आख्यानुसार वर्ष 1995-96 में प्रश्नगत मार्ग का निर्माण जिला पंचायत गोण्डा द्वारा कराया जा रहा था । जनपद बंटवारे में पत्रावली एवं 2 लाख 12 हजार रुपये की धनराशि प्राप्त होने पर अवशेष पुलिया निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया गया तथा 2 स्यूब पाइप पुलिया का निर्माण पूर्ण करा दिया गया । परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,

बलरामपुर द्वारा आर० सी० सी० पुलिया के स्थान पर उसी मार्ग पर मिट्टी का कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु अवर अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षक करने पर ज्ञात हुआ उक्त मार्ग पर सोलिंग का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बलरामपुर द्वारा कराया जा रहा है । इस प्रकार कार्य कराने से शासकीय धन का दुरुपयोग होना, तदनुसार अवशेष धनराशि रु० 1.54.123/- जिला ग्रामीण अभियंत्रण बलरामपुर को वापस कर दिया गया ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

राजस्व विभाग में (पहरेदार) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुलिस एवं कारागार बन्दी रक्षकों के समान भत्ता दिये जाने की मांग

84–श्री कृष्ण चन्द्र पनेठा–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन जिलों में जेल उपलब्ध नहीं है क्या वहां पर हवालात में पहरेदारी का कार्य राजस्व विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी करते हैं ? क्या उनको पुलिस एवं कारागार बन्दी रक्षकों की भांति भत्ते दिये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या समान ड्यूटी होने पर उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बन्दी रक्षकों की भांति भत्ता दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर की भांति नोएडा को समस्त कर वसूली के अधिकार दिये जाने की मांग

85—श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री महाराज सिंह यादव, श्री उदय राज यादव तथा श्री अम्बिका चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नोएडा को जिला पंचायत गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्रान्तर्गत सभी प्रकार के कर वसूली का अधिकार दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

86—श्री राम नक्षत्र–

। दिनांक 4-5-2000 को अता० प्र० सं०–121 द्वारा उत्तरित ।

जनपद बलरामपुर के जिला पंचायत क्षेत्र टेढ़वा तप्पा बांक में कराये गये कार्यों का विवरण

87–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर की जिला पंचायत द्वारा जिला पंचायत क्षेत्र टेढ़वा तप्पा-बांक में कौन-कौन से निर्माण कार्य वर्ष 1995 से वर्ष 1999 के मध्य कराये गये हैं ? क्या निर्माण कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप है ? क्या सरकार निर्माण स्थलों की जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

वित्तीय वर्ष 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत डी० आर० डी० ए० से प्राप्त प्रथम किश्त से ग्राम उतरौला डुमरिया डीह मार्ग से चिचुडी सहनिया मार्ग पर केवल मिट्टी कार्य कराया

गया वर्ष 1999 में टेढ़वा तप्पा–बांक में आसाम रोड से बांक भवानी मार्ग पर खड़ंजा कार्य कराया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में उद्यान विभाग द्वारा संचालित फलोद्यान की संख्या/आय-व्ययक के विवरण की जानकारी

४४—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिथौरागढ़ जनपद में उद्यान विभाग द्वारा संचालित कितने फलोद्यान हैं ? कितने शाक भाजी उद्यान हैं ? उक्त फल एवं शाक भाजी उद्यानों का वर्ष 1999–2000 का लेन देन क्रमशः कितना रहा है ?

श्री धनराज यादव–

जी हां। पिथौरागढ़ जनपद में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा चौदह फलोद्यान संचालित हैं।

दो।

प्रश्नगत फल एवं शाकभाजी उद्योगों के वर्ष 1999-2000 का बैलेंसशीट (लेन-देन) तैयार नहीं हुआ है, जिसे प्राथमिकता पर तैयार कराया जा रहा है।

जनपद बहराइच, तहसील नानपारा के विकास खण्ड मिहीपुरवा ग्राम नई बस्ती में थाना कोतवाली मुर्तिहा के निर्माण का गृह विभाग के विचाराधीन प्रकरण

89–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद–बहराइच, तहसील–नानपारा, वि०खं० मिहीपुरवा अन्तर्गत ग्राम्य पंचायत निधि पुरवा के ग्राम नई बस्ती में कृषि भूमि खाता खतौनी सं०–380 मि०/202 हे० से खातेदारों का नाम खारिज कर फर्जी ग्राम समाज/नवीन परती दर्शाकर थाना कोतवाली मुर्तिहा के नाम आवंटन कर जबरन थाना कोतवाली मुर्तिहा का निर्माण कराया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास मंत्री का पत्रांक 9392 दिनांक 24-12-98 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

गाटा संख्या–380 क्षेत्रफल 0.263 हे० ग्राम निधिपुरवा परगना व तहसील नानपारा, जिला बहराइच चकबंदी प्रक्रिया में सन् 1392 फसली से ग्राम समाज के खाते में "नवीन परती" के रूप में अंकित रहा। दिनांक 19-11-1998 से गाटा संख्या 380 क्षेत्रफल 0.263 हे० में से 0.202 हे० भूमि कोतवाली मुर्तिहा के भवन निर्माण हेतु पुनर्ग्रहण किया गया।

इस आदेश का खतौनी में 1-12-1998 को अमल दरामद होने के पश्चात् दिनांक 10-12-1998 को तहसीलदार द्वारा ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों के समक्ष पुनर्ग्रहीत भूमि की पैमाइश की गई जिस पर कोतवाली मुर्तिहा निर्मित होकर कार्यरत है।

जी हां।

मामला गृह विभाग में विचाराधीन है।

जनपद मिर्जापुर में सिंचित एवं असिंचित कृषि भूमि की मालियत जनपद लखनऊ से अधिक होने की जानकारी

५()–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचित कृषि भूमि एवं असिंचित कृषि भूमि की मालियत कितनी है एवं इसी श्रेणी की मिर्जापुर जनपद में स्थित उक्त श्रेणी भूमि की मालियत कितनी है ? क्या लखनऊ जनपद की उक्त भूमि की मालियत मिर्जापुर जनपद से अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

लखनऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचित एवं असिंचित कृषि भूमि की परगनावार मालियत–जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर सूची दिनांक ()1-11-99 से प्रभावी निम्नवत् है :––

परगना	सिंचित	असिंचित
	(दर रुपये प्रति एकड़)	
1—लखनऊ	96.(XX)	8().(XX()/-
2—बिजनौर	96.(XX)	8().(XX()/-
3—काकोरी	96.(XX)	72.(XX()/-
4—बी० के० टी०	88.(XX)	8(),(XX()/-
5—मोहनलालगंज	88.(XX)	8().(XX()/-
6—मलिहाबाद	82962	74.868.5()

मिर्जापुर की तहसीलवार ग्रामीण क्षेत्रों की सिंचित एवं असिंचित कृषि भूमि की मालियत निम्नवत् है :––

तहसील सदर

सिंचित (रु० प्रति एकड़)	असिंचित (रु० प्रति एकड़)
56.32()/- (पहाड़ी)	45.76()/- (पहाड़ी)
65,12()/-	6().(XX()/-
12()().(XX()/-	9().(XX()/-

तहसील––मड़िहान

52.8()()/-	38.4()()/-
48.(XX()/-	38.4()()/-
52.8()()/-	38,4()()/-
52.8()()/-	38.4()()/-

तहसील–लालगंज

6().(XX()/-	4().(XX()/-
5().(XX()/-	38.4()()/-

तहसील–चुनार

54.400/-	38.400/-
1.44.000/-	1.14.000/-
1.60.000/-	1.20.000/-
1.68.000/-	1.28.000/-
1.32.000/-	1.05.000/-
1.20.000/-	80.000/-

मिर्जापुर के सदर तहसील में परगना कासीवार को छोड़कर लखनऊ के सभी तहसीलों से मूल्यांकन कम है तथा केवल तहसील चुनार के पांच परगनों के गांवों में लखनऊ ग्रामीण दरें से अधिक है इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र की भूमि बहुत ही उपजाऊ है तथा यहां कृषि उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है। इसी आधार पर यहां का मूल्य लखनऊ से अधिक हैं।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड बिछिया के ग्राम पंचम खेड़ा में खड़ण्जा बिछाने हेतु कार्य की जांच की मांग

91–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के विकास खंड बिछिया के अन्तर्गत ग्राम पंचम खेड़ा में दिसम्बर, 1999 में मुन्नीलाल के घर के सामने से जरगांव सम्पर्क मार्ग लगभग 300 मीटर पर मिट्टी डालकर खडण्जा का कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त खड़न्जा कार्य में भारी वित्तीय अनियमितायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच टी०ए०सी० से कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

जी, हां।

रुपया 1.35.513.00 व्यय किया गया।

निर्माण में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक पलहना की क्षेत्र समिति के गठन की जानकारी

92—श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में नव-सृजित ब्लाक पल्हना का नोटीफिकेशन हो चुका है ? यदि हां, तो क्या पलहना ब्लाक की क्षेत्र समिति का गठन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अन्य की कार्य **सूची के नत्थी (ख) के अतारांकित प्रश्न संख्या–36 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

श्री [illegible] मौर्य–

[illegible] मान्यवर, मेरा आज की कार्य सूची के अनारांकित प्रश्न संख्या–36 के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है। [illegible] प्रश्न देखने का कष्ट करें। मान्यवर, यह जो पत्र दिया गया था। माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया गया था, इसमें था कि गाटा संख्या–५५। में एक बिस्वा भूमि पर मकान बनाने हेतु [illegible] दीवाल उठाकर छप्पर चरही बनाकर रहता था। जिसको वहां के गुण्डों ने गिरा दिया था [illegible] हमने मुख्य मंत्री को पत्र दिया और मुख्य मंत्री ने जिलाधिकारी को लिखा और [illegible] ने एस० डी० एम० को लिखा और एस० डी० एम० ने नायब तहसीलदार को लिखा नायब तहसीलदार ने गाटा संख्या ५५। जिसके संबंध में मुख्य मंत्री को पत्र लिखा उसके संबंध में जांच आख्या प्रस्तुत की। लेकिन राजस्व मंत्री ने इस मामले को गोलमाल करके क्योंकि उसमें कुछ अधिकारी फंस रहे थे उनको बचाने के लिए गलत उत्तर दे दिया। मैंने पूछा था गाटा संख्या–५५। का और आपने उत्तर दे दिया 1266 का।

श्री अधिष्ठाता–

मा० मौर्या जी, यह औचित्य का प्रश्न कहां बन रहा है केवल इतना बता दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जो मैंने मुख्य मंत्री को पत्र संदर्भित किया था उसके संबंध में सारी जांच आई और उसकी जो आख्या को राजस्व मंत्री जी इस सदन में गलत सूचना दे करके सदन को गुमराह कर रहे हैं और भ्रम की स्थिति पैदा करके मामले की लीपापोती कर रहे हैं। यह औचित्य का प्रश्न इसलिए बनता है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने सदन को गुमराह करने का काम किया है और गलत आख्या देकर अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने का काम किया है। मान्यवर, नायब तहसीलदार जो सरकार की मशीनरी है उसकी आख्या देना चाहता हूं, जहां से मामले को गलत किया गया है। मान्यवर, औचित्य का प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि यह [× × ×] सदन को गुमराह कर रहे हैं। असत्य बोल रहे हैं। मैं नायब तहसीलदार की रिपोर्ट की अन्तिम लाइन दे रहा हूं यह है–

"तत्कालीन एस० ओ० व दोनों सिपाही इन्द्र नारायण दुबे व प्रेम नारायण मिश्रा की शिथिलता एवं लापरवाही से दीवाल गिराई गयी। इसके पूर्व बनी हुई दीवाल को विपक्षीगण दिनांक 9-9-99 को गिरा दिये थे, अभी भी पुलिस की शिथिलता से विपक्षीगण प्रार्थी की जमीन पर चारा काटने की मशीन व सामान रखकर कब्जा कर लिया है।"

यह नायब तहसीलदार की रिपोर्ट है और इस पर एस० डी० एम० ने जिलाधिकारी को रिपोर्ट दी है

"नायब तहसीलदार मानिकपुर ने जांचोपरान्त अपनी आख्या दिनांक 16-2-2000 प्रेषित किया है जो तहसीलदार कुण्डा दिनांक 17-2-2000 को अग्रिम कार्यवाई व निर्देश हेतु अग्रसारित की गयी है। नायब तहसीलदार की जांच आख्या अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस की शिथिलता लापरवाही के कारण प्रार्थी की दीवाल गिराई गयी। उक्त प्रकरण में क्षेत्राधिकारी कुण्डा को इस बात के लिए अवगत करा दिया गया है। राजस्व मंत्री जी ने इस पूरी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डालतें हुए एक दूसरी असत्य आख्या प्रस्तुत कर दी और दूसरा जवाब दे दिया।"

श्री अधिष्ठाता–

आपकी पूरी बात आ गयी, अब व्यवस्था तो सुन लें।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आप बड़े पुराने और भिज्ञ सदस्य हैं। आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 300 को देखें। इसमें स्पष्ट लिखा है कि औचित्य के प्रश्न कौन-कौन से हो सकते हैं? आपका प्रश्न कहीं से औचित्य का प्रश्न नहीं बनता। जो प्रक्रिया संबंधी निदेश हैं, उसके निदेश 166 में यह प्राविधान है कि आप अपनी लिखित सूचना देकर मांग कर सकते हैं, सूचना मंगा सकते हैं। आप इस निदेश के अन्तर्गत अपनी लिखित सूचना दे दें, उसमें विचार कर लिया जायेगा। औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए मैं इसको निरस्त करता हूं।

आज की कार्यसूची के नत्थी (ख) के अतारांकित प्रश्न संख्या–65 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

* श्री श्रीराम पाल––

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, आज की कार्यसूची में प्रश्न संख्या–65 अतारांकित प्रश्न के रूप में छपा है, लेकिन इसके आगे लिखा गया है कि छठे बुधवार में अता० प्रश्न संख्या–189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित। इसमें मुख्य बात यह है कि ऐसे प्रश्न जिसमें किसी भ्रष्टाचार के मामले में कोई अधिकारी फंसता नजर आता है, उन प्रश्नों के उत्तर में यह लिख दिया जाता है कि सूचना एकत्र की जा रही है या स्थानान्तरित कर दिया जाता है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इसी उपवेशन में इस प्रश्न का उत्तर आ जाय, यह व्यवस्था आप देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

यह प्रश्न शासन के अनुरोध पर स्थगित हुआ है और जो इस सत्र का छठा बुधवार होगा, उसमें आ जायेगा।

(श्री लालजी वर्मा तथा श्री राम औतार शाक्य को पुकारे जाने पर)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं पहले से खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, आपसे मेरा एक अनुरोध है कि कृपया सदन के संचालन में मेरा सहयोग करें।

श्री लालजी वर्मा–

ठीक है, आप कह दें मैं कोई प्रश्न ही न उठाऊं। मान्यवर, पहले मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री राम औतार शाक्य

मान्यवर, पहले मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पहले मैं खड़ा हुआ हूं लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था के प्रश्न में आपने अनुमति नहीं दी, यदि आप व्यवस्था दे दें कि लालजी वर्मा कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठायेंगे तो मैं नहीं उठाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी आप बैठें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आज की कार्य सूची के अतांराकित प्रश्न संख्या–32 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, मेरा आज प्रश्न था, राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रश्न अतारांकित प्रश्न सं०–32 था कि क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर की अकबरपुर तहसील में वर्ष 1999 में ग्राम समाज की भूमि पर किये गये अवैध कब्जों के कितने मामले प्रकाश में आये हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? मान्यवर, इसमें उत्तर आया, "सूचना एकत्र की जा रही है" जो प्रकाश में आया है वह तहसील में रजिस्टर्ड होता है, एक ही दिन का मामला है, इसमें डेढ़ दो महीने हो गया और आज तक सूचना एकत्र की जा रही है और अब इस सत्र में आयेगी नहीं । इसलिए मान्यवर, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

जो वृहद सूचना आपको चाहिए, सरकार को उतनी उपलब्ध नहीं हो पायी इसलिए इसमें उत्तर दिया गया और इसमें अतारांकित प्रश्न है । अगर सूचना आ जाती तो आपको प्राप्त हो जाती । इसलिए इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता ।

आज की कार्यसूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या–1 का त्रुटिपूर्ण उत्तर तथा संलग्नक में मा० मंत्री के हस्ताक्षर न होने विषयक कार्य पर पूर्व में पीठ से हुए आदेशों का अनुपालन न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज ही हमारा तारांकित प्रश्न सं०–1 नत्थी (ख) लगा था और उसमें डिस्कशन भी हुआ, सप्लीमेंटरी क्वीश्चन भी हुए, उत्तर देख लें, मैंने इंगित भी किया था । इसमें माननीय कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया, प्रथम पेज में तो उनके दस्तखत हैं, नाम लिखा है, उत्तर है–जी हां, कार्य योजना का विवरण संलग्न है, प्रश्न नहीं उठता । इसके बाद संलग्नक 1 और 2 है, उस पर न माननीय मंत्री जी का नाम है और न दस्तखत हैं । मान्यवर, यह व्यवस्था कई बार अध्यक्ष पीठ की तरफ से दी जा चुकी है कि यदि संलग्नक को लगायें तो निश्चित रूप से मंत्री जी के, सम्बन्धित मंत्री के दस्तखत होने चाहिए । मान्यवर, इण्डियन इविडेन्स एक्ट में भी ऐसी व्यवस्था है । माननीय पीठ से भी निर्देश दिये हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है और इसीलिए माननीय मंत्री जी ने इसको पढ़ा नहीं और अगर पढ़ा होता तो एनेक्जर–2 में देखें यह लिखा है कि इस कार्य योजना के अन्तर्गत बीज शोधन कार्य, सामान्य कीट, सघन कृषि रक्षा कार्यक्रम, खरपतवार नियंत्रण, चूहा नियंत्रण कार्यक्रम एवं अन्य भण्डारण, यहां अन्य नहीं होना चाहिए, अन्न होना चाहिए क्योंकि आपने अन्न भण्डारण को स्पेशीफाई किया है यदि माननीय मंत्री जी ने पढ़ा होता तो ऐसी गलती नहीं होती, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि जो मूल्य प्रश्न का उत्तर है उसमें स्पष्ट अंकित है कि कार्य योजना का विवरण संलग्न है, ठीक है । यह जहां तक प्रिंटिंग मिस्टेक है । कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी विवरण संलग्न किया जाता है उसका पाठ कर लिया जाए ताकि प्रिंटिंग मिस्टेक न रहे; ऐसा मैं निर्देश करता हूं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, हस्ताक्षर के लिए भी कह दें ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले भी व्यवस्था दीं जा चुकी है कि संलग्नक में माननीय मंत्री जी का नाम अंकित हो जाये, पहले भी निर्देश किये जा चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी इसे सुनिश्चित कर लें।

श्री मोहम्मद मुकीम–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अभी सुन लूंगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 11 मई, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं। श्रीमती उर्मिला देवी और श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की अनुपस्थिति में प्रतीक्षा सूची में श्री संजय गर्ग एवं श्री अजय कुमार पोइया की सूचनाएं स्वीकृत की गयीं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद झांसी के बबीना क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित पांच गांवों के विद्युतीकरण हेतु धन अवमुक्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सतीश जतारिया–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 99-2000 के लिए मा० ऊर्जा मंत्री की घोषणा के अनुसार 5 गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हुए थे। मेरे द्वारा प्रस्तावित 5 गांव क्रमशः बरौल, रोरा, बकाय, परसा, बेरबई आज तक विद्युतीकरण नहीं किये गये। विभाग द्वारा गांवों का सर्वे कर प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। किन्तु धनराशि अवमुक्त न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। प्रस्तावित गांव बहुत ही पिछड़े तथा उपेक्षित हैं ऊर्जा करण न होने से जनता में रोष व्याप्त है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें।]

जनपद फैज़ाबाद के सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उ० प्र० के कथित भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश फैजाबाद के भ्रष्टाचार एवं अवैधानिक कार्य की तरफ ले जाना चाहता हूं।

सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश फैजाबाद सदस्य सचिव के कार्यकाल में श्री राम अवध सचिव ने साधन सहकारी समिति घुरेहड़ा में तैनाती के समय लाखों रुपया गबन कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [.] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रखा था इस सचिव से सुविधा शुल्क लेकर दूसरे विकास खण्ड में गरौली एवं जुनवारा का चार्ज दिलाकर भारी धनराशि का गबन कराया गया।

जिला सहायक निबन्धक फैजाबाद आर० के० सिंह द्वारा भारी सुविधा शुल्क लेकर अपने चहेते भंवर सिंह सहकारी पर्यवेक्षक को मनचाही समिति विरौली एवं फतेहगंज सहकारी क्रय-विक्रय समिति का चार्ज देकर खुली अनियमितता कराई जा रही है।

आर० के० सिंह जिला सहायक निबन्धक, फैजाबाद द्वारा भारी गबन अनियमितता करने वाले सचिव इन्द्र बहादुर पाण्डेय व अशोक कुमार गुप्ता से सुविधा शुल्क लेकर सेवा में बनाये रखा गया।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जांच कर अविलम्ब कार्यवाही कराने की कृपा करें।।

जनपद मेरठ में सरधना बिनौली मार्ग पर सरूरपुर के निकट रजबाहे का ध्वस्त पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री समर पाल सिंह–

[माननीय, मेरठ जनपद में सरधना बिनौली मार्ग पर सरूरपुर के निकट रजबाहे का पुल विगत लगभग एक वर्ष से टूटा हुआ है। पुल टूटा होने के कारण इस मार्ग पर यातायात बाधित है। अनेक बार इस समस्या की तरफ शासन, प्रशासन का ध्यान आकर्षित किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अधिकारियों की लापरवाही के कारण आम जनता को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा कई बार वहां दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं इस गम्भीर समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के जिला अस्पताल में एम्बुलेंस खरीदने एवं इन्सुलेटर हेतु वर्ष 1999-2000 में उपलब्ध कराये गये धन का सदुपयोग न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० बकीर अहमद शाह–

[माननीय, जिला अस्पताल बहराइच में वर्ष 99-2000 में एम्बुलेंस खरीदने तथा यहां का कूड़ा कचरा जलाने के इन्सुलेटर के लिए धन उपलब्ध कराया गया था। इस धन को पी० एल० ए० में डाल भी दिया गया था परन्तु इसके बाद यह रकम वापस चली गयी। इन्सुलेटर न होने से अस्पताल के चारों ओर सड़क पर कूड़े के ढेर लगे हैं जिससे पर्यावरण को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है काफी दुर्गन्ध फैल रही है। साथ ही एम्बुलेंस न होने से मरीजों को इधर उधर ले जाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। मरीजों तथा उनके तीमारदारों को परेशानी हो रही है।

क्षेत्र के जन प्रतिनिधि के नाते मैं दरख्वास्त करता हूं कि किन अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह रकम वापस लौटी तथा किन लोगों ने इसे वापस करवाने का काम किया इसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इस मामले में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं।]

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जनपद एटा में जल निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

[महोदय, जनपद–एटा में जल निगम में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में निवेदन है कि गत वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह मार्च में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प विभाग द्वारा चोरी से अन्य आपूर्ति करने वाली फर्म को बेच दिये गये हैं । यही नहीं विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाये जाने में व्यय को ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले ग्रामीणों द्वारा वसूले जाने हैं एवं ग्रामीण लोगों से ही पानी व्यवस्था हेतु कहा जाता है तथा गड्ढा भी ग्रामीणों द्वारा ही खोदा जाता है तथा सरकार द्वारा प्रदत्त राशि को अधिकारियों एवं ठेकेदारों द्वारा आपस में बांट लिया जाना है ।

आपसे निवेदन है कि सम्पूर्ण जनपद में जल निगम के भ्रष्टाचार के लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर जांच की मांग करता हूं ।]

सहारनपुर नगर में मैदा मिल रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्मित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग–

[महोदय, नगर सहारनपुर के मध्य स्थित शारदा नगर चौक व अम्बाला रोड के बीच व्यस्ततम मार्ग पर मैदा मिल रेलवे फाटक जो रेलवे स्टेशन के नजदीक होने के कारण रेल शन्टिंग/ट्रैफिक की वजह से अधिकांशतः बंद रहता है, जिससे यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है तथा नागरिकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है । कई-कई घंटे फाटक बंद होने पर नागरिकों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए अनावश्यक ही कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है । बढ़ती आबादी एवं ट्रैफिक के कारण वहां कई बार गम्भीर दुर्घटनायें भी हो चुकी हैं तथा हर समय दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है ।

अतः आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि सहारनपुर नगरवासियों को इस गम्भीर समस्या से निजात दिलाने के लिए मैदा मिल रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण कराये जाने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

जनपद मथुरा के पी० एम० वी० पालीटेक्निक, मथुरा के प्राचार्य के कार्यकलापों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक हित के महत्व के प्रश्न की ओर सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

मथुरा जनपद स्थित पी० एम० वी० पालीटेक्निक मथुरा के प्राचार्य द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्राचार्य का पद हथियाया है निदेशालय के अधिकारियों द्वारा भी उनकी फर्जी अनुभव का ज्ञान होने पर भी अनुमोदन कर दिया गया है । प्राचार्य के विरुद्ध प्राधिकृत नियंत्रक/जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा भी जांच अपने मुख्य विकास अधिकारी से विस्तृत जांच कराकर 15-1-1999 निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को भी विस्तृत भेजी गयी लेकिन एल० एन० मिश्र द्वारा

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रस्तावित दण्ड का अनुमोदन न करके लघु दण्ड देकर वर्तमान प्राचार्य को बचाया गया तथा प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा राघव प्राचार्य का निलम्बन समाप्त करा दिया गया जो कि खेद जनक है। मा० मुख्य मंत्री जी को भी स्टाफ एसोसियेशन पी० एम० वी० पालीटेक्निक मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश पालीटेक्निक कर्मचारी महासंघ (सहायता प्राप्त) से सम्बद्ध हैं द्वारा पत्रांक 42 दिनांक 20-4-2000 को मेरे द्वारा अपने पत्र के साथ दिया गया जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी जो कि खेद जनक है। जनहित में त्याग मूर्ति राजा महेन्द्र प्रताप द्वारा स्थापित संस्था पी० एम० वी० पालीटेक्निक मथुरा जो कि परिषद द्वारा निर्धारित नियमों विनियमों की उपेक्षा, निदेशालय के कतिपय अधिकारियों से दुरार्य-संधि तथा मिल रहे अनुचित संरक्षण के कारण संस्था का वातावरण पूर्णतः दूषित हो गया है। संस्था हित में आपके हस्तक्षेप के अपरिहार्य मानते हुए वर्तमान प्राचार्य रवीन्द्र राघव जो कि 59 वर्ष की आयु को पूर्ण कर रहे हैं अपना कार्यकाल बढ़ाये जाने का षडयंत्र कर रहे हैं कार्यकाल को बढ़ाया जाना संस्था के हित में उचित नहीं है।

अतः आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप तत्काल जनहित में पद मुक्त करने के प्रभावी आदेश निर्गत करने के साथ ही संस्था का भी भौतिक सत्यापन कराने के आदेश किसी भी मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने अथवा केन्द्रीय गुप्तचर संस्था को प्रकरण की जांच सौंप कर प्रभावी दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का स्पष्ट निर्देश शासन द्वारा जारी किये जाने का कष्ट करे तथा कार्यकाल प्राचार्य का किसी भी रूप में कार्यकाल न बढ़े यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 11-5-2000 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई। उक्त सभी सूचनायें नियम 300 की अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण अस्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री समरपाल सिंह, श्री कौकब हमीद की मानवाधिकार आयोग के गठन की घोषणा सदन से बाहर किये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री रवीन्द्र पुण्डीर की लोक निर्माण विभाग के सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक के 71 खण्ड तोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में है। इस विषय पर नियम 51 में दिनांक 8-5-2000 को ध्यानाकर्षण हो चुका है। तीसरी सूचना श्री राम ललित चौधरी की जनपद स्तर पर दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व के शासकीय अधिवक्ताओं के लिए आरक्षण न किये जाने के सम्बन्ध में है। इस पर दिनांक 8 मई, 2000 को पूछा गया प्रश्न उत्तरित हो चुका है। अतः यह प्रकरण समाप्त हो गया है।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–3 में कुछ नहीं है।

वर्तमान सत्र के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 81 की गलत सूचना दिये जाने के संदर्भ में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहम्मद मुकीम–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मेरा एक प्रश्न इस सत्र के चौथे मंगलवार के लिए लगा था प्रश्न संख्या–81 इसमें था कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998 के बोर्ड परीक्षा में कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे तथा कुल कितने नकल करते हुए पकड़े गये? दूसरा क्या यह सही है कि श्रीमती राजदेवी इण्टर कालेज, खुनियांव, जनपद सिद्धार्थनगर के परीक्षा केन्द्र पर छात्रों के साथ दो अध्यापकों को भी जेल भेजा गया है? मान्यवर, उत्तर आया कि जी नहीं। जबकि मेरी निश्चित जानकारी है कि मुकदमा अपराध संख्या–27/98 धारा 3/9 व 7/10

सार्वजनिक परीक्षा निवारण अध्यादेश के तहत दिनांक 24-3-98 को शब्बीर अहमद व अमर आजम, सहायक अध्यापक को जेल भेजा गया जबकि गलत सूचना दी गयी कि जी नहीं । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत दे दें, विचार कर लिया जायेगा।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के अन्तर्गत राजे सुल्तानपुर गोपालबाग में जमीन अधिग्रहीत करके राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गंगा शंकर साहू द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के अन्तर्गत राजे सुल्तानपुर गोपालबाग में जमीन अधिग्रहीत करके राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गंगा शंकर साहू निवासी जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद गोरखपुर/सन्त कबीरनगर के अन्तर्गत सहजनवा डुमरिया बाबू बांध पर सिसई एवं बुधना स्थानों पर राप्ती नदी से हो रहे कटान की रोकथाम कराये जाने विषयक श्री जनार्दन सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोरखपुर/सन्त कबीरनगर के अन्तर्गत सहजनवा डुमरिया बाबू बांध पर सिसई एवं बुधना स्थानों पर राप्ती नदी से हो रहे कटान की रोकथाम कराये जाने विषयक श्री जनार्दन सिंह तथा श्री मोतीलाल यादव, निवासीगण जनपद गोरखपुर/संत कबीरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में डिग्री कालेज खोले जाने विषयक श्री मो० जमीर खां आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री उदय राज यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी; मैं आपकी अनुमति से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा में डिग्री कालेज खोले जाने विषयक श्री मो० जमीर खां तथा श्री रामपाल यादव, निवासीगण जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी के पहितीपुर से मंशापुर तक के सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार वर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री धर्मराज निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अम्बेडकरनगर में विकास खण्ड कटेहरी के पहितीपुर से मंशापुर तक के सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने विषयक श्री संजय कुमार वर्मा तथा

नोट :– † छापी नहीं गयीं ।

श्री रवीन्द्र कुमार निषाद, निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 8 पर माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–9 पर माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां में पराशर मुनि का मढ़िया आश्रम तथा मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराने एवं यात्रियों की सुविधा हेतु रैन बसेरा, पीने का पानी, विद्युत व्यवस्था, बैठने के लिए बेन्चें तथा प्राथमिक चिकित्सालय आदि बनवाये जाने विषयक श्री दया शंकर गुप्ता आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्रीमती कृष्णा राज–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां में पराशर मुनि का मढ़िया आश्रम तथा मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराने एवं यात्रियों की सुविधा हेतु रैन बसेरा, पीने का पानी, विद्युत व्यवस्था, बैठने के लिए बेन्चें तथा प्राथमिक चिकित्सालय आदि बनवाये जाने विषयक श्री दया शंकर गुप्त तथा श्री अतुल गुप्ता, निवासीगण जनपद–खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–11 पर माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

जनपद अलीगढ़ की नगर पालिका परिषद् खैर में उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन पर यात्रियों को जन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री सुनील पाण्डेय आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अलीगढ़ की नगर पालिका परिषद् खैर में उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन पर यात्रियों को जन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने विषयक श्री सुनील पाण्डेय तथा श्री पुरुषोत्तम गर्ग, निवासीगण जनपद अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 13, मद संख्या–14 तथा मद संख्या–15 में कुछ नहीं है।

सदन में अनुपस्थित सदस्यों की याचिकाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। दो माननीय सदस्य याचिकाएं उपस्थित नहीं कर पाये उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, याचिकाएं स्थगित हुईं, स्वीकृत हुईं या उनको पुनः समय मिलेगा याचिकाएं प्रस्तुत करने के लिए।

नोट :– † छापी नहीं गयीं।

श्री अधिष्ठाता–

जब कोई माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं रहता है जो याचिका प्रस्तुत करता है तो वह याचिका उसे दुबारा प्रस्तुत करनी पड़ती है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 11-5-2000 को नियम 56 में कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुईं । दिनांक 10-5-2000 को स्थगित की गईं 7 सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित हुई हैं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

पहली सूचना श्री राम जग, श्री विनोद मणि, श्री राम कृपाल, श्री राजेन्द्र यादव, श्री राम स्वरूप सिंह की प्रदेश में जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच, श्रमिक संगठनों तथा बैंक कर्मियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

दसवीं नम्बर की सूचना श्रीमती गौरी देवी की है जिनके बारे में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि उनको सुन लिया जाए ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, अब्दुल कलाम कई दिन से अपनी सूचना दे रहे हैं लेकिन वह शलाका में नहीं आती। इनकी सूचना महत्वपूर्ण है अविलम्बनीय और लोक महत्व की है । यह अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित है । इनको भारी निराशा है । धर्म स्थल विधेयक पास हुआ है उसके दुरुपयोग के संबंध में है । श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि इस पर भी संक्षेप में सुन लिया जाए क्योंकि यह बार-बार कई दिन से दे रहे हैं आ नहीं पा रही है । इनको सुन लिया जाएगा तो संतोष हो जाएगा और लोगों में जो निराशा है वह भी दूर हो जाएगी ।

*श्री रामजग–

मान्यवर, केन्द्र सरकार की गरीब विरोधी, आर्थिक विरोधी, औद्योगिक विरोधी, वैश्वीकरण निजीकरण की नीतियों के खिलाफ आज देशव्यापी हड़ताल है । प्रदेश के श्रमिक संगठन के लोग, एल०आई० सी० के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं । केन्द्र सरकार की अमेरिका परस्त नीतियों के चलते अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा स्फीति के दबाव में आकर जो नई आर्थिक नीति बनाई गई है उससे आज पूरे देश के सामने गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । आज महंगाई कमरतोड़ हो गयी है । कारखानें बन्द हो रहे हैं रसोई गैस, मिट्टी का तेल, शक्कर सब कुछ महंगा हो गया है । आज गरीब भुखमरी की कगार पर आ गया है । पश्चिम बंगाल और केरल जहां वाम मोर्चे की सरकारें हैं वहां प्रदेश बन्द है। यह सरकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में आकर पब्लिक सेक्टरों को बेचने का काम कर रही है। गांव के किसान, गांव के नौजवान और दूसरे जो कर्मचारी हैं जिनके कारखाने बन्द हो गये हैं जो भुखमरी की कगार पर आ गये हैं उनको रोटी नहीं मिल पा रही है । उनके सामने जीने का खतरा पैदा हो गया है आज हड़ताल पर हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते जो तबाही मची है उसे जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार ने विधान सभा में एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा है कि अपनी इस आर्थिक नीति को वापस ले। यह कहा गया है कि इस आर्थिक नींति के चलते मिट्टी का तेल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री सब कुछ महंगा हो गया है। आज गांव का आदमी 8 रुपये प्रति लीटर मिट्टी का तेल लेने पर मजबूर हो गया है। इस सरकार ने अमेरिका की सरकार के सामने घुटने टेक दिये हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक प्रस्ताव लायें जो कि केन्द्र सरकार को भेजा जाय और कहा जाय कि जो महंगाई है उसे कम किया जाय। केन्द्र सरकार की इस आर्थिक नीति का विरोध किया जाय। जो कारखाने बन्द किये जा रहे हैं उनको बचाया जाय। यह केन्द्र सरकार मूल्यों में वृद्धि का काम न करे। मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है और मैं चाहता हूं कि इस पर पूरे सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय। सरकार बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में आकर सब्सिडी को समाप्त कर रही है। हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की फीस बढ़ा दी गयी थी परन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। यह इसलिए सरकार ने किया था कि गरीबों के बच्चे पढ़ने न पायें। यह एक तात्कालिक विषय है, लोकमहत्व का, इसलिए इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय। आप भी सरकार को निर्देशित करें कि वह गरीब विरोधी नीतियों को छोड़े।

* श्री राजेन्द्र यादव–

मान्यवर, पूरे प्रदेश व देश में जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच, श्रमिक संगठनों तथा बैंक कर्मियों की ओर से आज 11 मई को आम हड़ताल है। जिसमें विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन के दबाव में चलने वाली राजग सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ गुस्से का इजहार करेंगे। यह पहला अवसर है जब कि देश की श्रमिक संगठन व बैंक कर्मी अपने वेतन भत्तों के अलावा आम जनता की समस्याओं खासतौर पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे गरीब जनता की समस्याओं पर लड़ रहे हैं तथा युवाओं के बेरोजगारी डीजल मूल्य वृद्धि जैसी अनेक ज्वलन्त समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने व सरकार को इन समस्याओं के निदान हेतु मजबूर करने की पहल कर रही है। यह मामला प्रदेश व देश की समस्त राज्य कर्मचारी समस्त श्रमिक संगठनों व देश के समस्त बैंक कर्मियों, समस्त बेरोजगार नौजवानों व गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही जनता से जुड़ा प्रश्न है। इससे ज्यादा अविलम्बनीय प्रश्न हो नहीं सकता है। आज बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। शिक्षा का भी इस सरकार ने व्यवसायीकरण कर दिया है शिक्षा के महंगे होने के कारण गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और वह शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं। जिस प्रकार बंगाल और केरल ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की योजना बना रखी है, उसी प्रकार का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में भी आना चाहिए। यह प्रश्न बहुत ही अविलम्बनीय और लोकमहत्व का है, इसलिए सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय।

*श्री विनोद मणि–

मान्यवर, आपने मुझे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया। देश और प्रदेश में जरूरी चीजों पर महंगाई बढ़ रही है और सब्सिडी में कटौती की जा रही है तथा सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है और कल कारखाने बंद हो रहे हैं, मजदूरों की छंटनी की जा रही है। आज देश और प्रदेश के लिए यह एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। डीजल के दाम बढ़े और बिजली महंगी हुई, जरूरी चीजें जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से नीचे के तबके के लोगों को मिलती थी, उसमें भी भारी बढ़ोत्तरी की गयी है। आज सरकार की इन नीतियों के चलते सामान्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जन का जीवन जीना दूभर हो गया है। केन्द्र और प्रदेश दोनों जगह की सरकारें किसान विरोधी हैं इनकी आर्थिक नीतियों और औद्योगिक नीतियों के चलते आज 11 मई को पूरे हिन्दुस्तान में और हमारे प्रदेश में भी मोर्चे के आधार पर एक दिन की हड़ताल कर रखी है। आज का श्रमिक, मजदूर, नवजवान, गांव का पढ़ा लिखा बेरोजगार आज पूरे देश में अपनी इन बातों को लेकर एक दिन की हड़ताल पर है। आज एक सवाल और है मान्यवर, इस हड़ताल में राज्य कर्मचारी भी हैं, बैंक के कर्मचारी भी हैं, बीमा के कर्मचारी भी हैं। इन तमाम कर्मचारियों की जायज मांग है। इस पर सदन में चर्चा कराने की आवश्यकता है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सवाल है। इनकी बातें जायज हैं। शासन की नीतियों के चलते आज 5 हजार से 8 हजार रुपये वेतन पाने वाला सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे की फीस और दवा नहीं कर पा रहा है। इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं ?

हम आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं। मान्यवर, अगर अपनी नीतियों में केन्द्र और प्रदेश की सरकार ने बदलाव नहीं किया तो ज्यादा नहीं कल आने वाले दिन में यह मजदूर, किसान और नवजवान सड़क पर लाठी लेकर खड़े हो जायेंगे तब हमारी जवाबदेही नहीं बन पायेगी। प्रदेश सरकार आपकी है, केन्द्र सरकार आपकी है। आपके हाथ में धोती कुर्ता है, टोपी भी आपके हाथ में है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सदन से एक प्रस्ताव पास होकर जाय इन नीतियों पर विदेशी पूंजीवादी नीतियां हमारे देश में हावी हो रही है। अन्त में यही कहना चाहता हूं कि यह लोक महत्व का प्रश्न है और अविलम्बनीय भी है। करोड़ों लोगों से जुड़ा सवाल है। इस देश की जनता से जुड़ा सवाल है जिसकी वकालत करने के लिए हम चुनकर यहां आये हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना है कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, यह एक-एक सूचना पर कई-कई लोग बोलते हैं आप इनको भी सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

इस एक सूचना पर तीन माननीय सदस्य बोल चुके हैं आप भी जानते हैं।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, दो-दो मिनट बोलने दें।

* श्री राम स्वरूप सिंह–

आज हमारे देश की प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक पार्टियों की वजह से जो सत्ता में हैं, ऐसी हालत बना दी है कि हमारे देश का स्वाभिमान, सम्मान गिरवी रख दिया है, धूल में मिला दिया है। केन्द्र सरकार ने विदेशी कम्पनियों के सामने घुटने टेक दिये हैं। हमारे देश को विदेशी सामान से पाट दिया गया है। हमारे देश के 3 लाख 60 हजार कारखाने बन्द हो गये हैं। कारखानों में बना सामान विदेशी सामान के मुकाबले में बिक नहीं रहा है। करोड़ों मजदूर इस देश में बेकार हो चुके हैं। सरकार की इन आर्थिक नीतियों के कारण विदेशी कम्पनियों का सामान जो देश में आया है उससे देश में भयंकर बेकारी फैल रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं जबकि उनका प्रतिशत 50 से कम नहीं है। गरीबों, बी० पी० एल० को जो राशन सरकारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुकानों से मिलता है उसके रेट सरकार ने दूने कर दिये हैं जिससे मिट्टी का तेल, गेंहू, चावल आदि खाद्यान्नों के दाम सरकार ने बढ़ा दिये हैं। इसलिये गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को आज तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और उनको जीवन यापन करना कठिन हो गया है। मैं जानना चाहता हूं क्या केन्द्र सरकार और इस सरकार की नीतियां गरीबों को मारने वाली नीतियां बनाना रह गया है ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि एक प्रस्ताव सदन से पास कराकर केन्द्र सरकार को भेजा जाय कि बढ़े हुए दामों को घटायें नहीं तो देश और प्रदेश में भुखमरी फैलेगी।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह विषय उठा कि कुछ संगठनों ने आज हड़ताल किया है। यह भी कहा गया कि देश के स्वाभिमान और बेरोजगारी बढ़ाने वाले तथा खाद्यान्न के दामों में बढ़ोत्तरी और उनके अभाव का उल्लेख यहां किया गया। मान्यवर, आपने एक भी ऐसी मिसाल नहीं दी कि प्रदेश की किस नीति का आप विरोध कर रहे हैं ? मान्यवर, फीस बढ़ाने के बारे में कहा गया तो इसमें पहले ही यहां चर्चा हो चुकी है। मान्यवर, छात्रों की फीस बढ़ाने के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि पर रोक लगा दिया है। हमने सारी परिस्थितियों को विचार करके फीस में वृद्धि किया था चूंकि बार-बार कहा गया है कि शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए और शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा की बात करते हैं, विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। इसी देश में दो व्यवस्थायें हैं जिनमें एक जगह तो 500 रुपये 700—1000 रुपये देकर छात्र अध्ययन कर रहे हैं और दूसरी जगह 5 रुपये देने में कठिनाई होती है। इसलिए सिद्धान्त रूप में सभी को शिक्षा मिले और कोई गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे यह हमारी सरकार का दायित्व है जिसको हम निभा रहे हैं और इसीलिए गांव-गांव में स्कूल पहुंचाये हैं। आज एक हजार की आबादी से कोई बड़ा गांव प्रदेश में नहीं है जहां शिक्षा की सुविधा हमने उपलब्ध न करवा दिया हो इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए था। मान्यवर, यही नहीं बेसिक, प्राइमरी ही नहीं जूनियर हाई स्कूल तक स्कूल गांव-गांव में पहुंचा दिया है और हम व्यवस्था कर रहे हैं। जो नौकरशाही की बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि पंचायत तक उसको पहुंचा दिया है। जनता की भागीदारी की बात करते हैं तो केन्द्र सरकार और इस प्रदेश की सरकार ने उसको किया है।

मान्यवर, बेरोजगारी के सम्बन्ध में कहा गया तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मुद्दा तो है लेकिन यह मुद्दा जनसंख्या के मुद्दे से जुड़ा है जिसमें कई बार चर्चा हो चुकी है, चर्चाएं लगी हैं और चर्चाएं होंगी लेकिन जो मौलिक चीजें हैं उन पर हमें विचार करना होगा।

मान्यवर, अपने आपको प्रगतिशील साबित करना चाहते हैं और फिर सरकार पर आरोप लगायें कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दबाव में केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार देश के स्वाभिमान के साथ समझौता कर रही है तो यह कहना ठीक नहीं है। हम देश के और प्रदेश के स्वाभिमान के साथ कभी समझौता करने वाले नहीं हैं और एक भी निर्णय उनके दबाव में होने वाला नहीं है। कल स्पष्ट रूप से ऊर्जा मंत्री ने अपने भाषण में कहा था जहां तक देश की अस्मिता का प्रश्न है उसमें कोई सौदा होने वाला नहीं है चाहे विश्व बैंक हो चाहे कुछ और हो। मा० अटल जी के नेतृत्व में तमाम विषय में जो सम्मान पा रहे हैं आज तक उसकी कल्पना शायद नहीं कर सकते हैं। आपकी निगाह कहीं और रहती है आप उधर से निगाह हटाकर देश पर लायें। आप पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं आप देखें रूस जैसा देश निजी क्षेत्र में जा रहा है चीन भी निजी क्षेत्र की तरफ जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप चर्चा पश्चिम बंगाल की करते हैं उसका अध्ययन करा लें वर्तमान सरकार जो वहां चल रही है उसके कार्यकाल में पब्लिक सेक्टर बन्द होने के बाद निजी क्षेत्र में लाया गया । पब्लिक सेक्टर का आशय क्या है क्या वह घाटा कराते रहें सारा बोझ प्रदेश की गरीब जनता पर पड़ता रहे, उसे आप आदर्श व्यवस्था मानेंगे । अगर जनता की भागीदारी की बात करते हैं तो विचार वह आने चाहिए जो गांधी जी, लोहिया जी, स्व० चौधरी चरण सिंह जी ने दिये आप कुटीर उद्योग की तरफ ले जाएं, गांव की तरफ ले जाएं । सरकार नीति बनाने में लगी हैं कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हड़ताल पर जाते हैं इस पर टिप्पणी नहीं करनी है जाएं या न जाएं । प्रदेश सरकार के नेतृत्व का जहां तक प्रश्न है श्री अटल जी के नेतृत्व में श्री राम प्रकाश गुप्त जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश की सरकारें बराबर जनहित में कार्य कर रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने प्रस्तावक सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि नियम 56 में यह सूचना नहीं आती है इसको निरस्त कर रहे हैं ।

(श्री रामजग, श्री राजेन्द्र यादव, श्री विनोद मणि, श्री राम स्वरूप सिंह एवं श्री राम कृपाल आदि कई सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

जो कुछ कहना है वह अपने स्थान पर जाकर कहें । कृपया अपने स्थान पर जाएं ।

(व्यवधान)

जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जा रहा है ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्यगण नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपने स्थान पर जाएं । जो कुछ कहना है वह अपने स्थान पर जाकर कहें । संसदीय परम्परा में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है । आपने अपनी बात कह दी है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया है । आपने अपना मन्तव्य प्रकट कर दिया है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग कृपया अपने स्थान पर जायें । मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया है कि जो आप कह रहे हैं वह लिखा नहीं जा रहा है ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सदस्यगण नारे लगाते रहे जिससे सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप अपना आसन ग्रहण कर लें । मैं डेढ़ बजे तक सदन को स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 20 मिनट पर 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी । 01 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री रामजग–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार गम्भीर नहीं है आपने जिस तरह से सीमेंट निगम का कारखाना बन्द किया है, चीनी मिल बन्द किया है और बसों का भाड़ा बढ़ाया है, छात्रों की फीस बढ़ा दी है और निगम को, पब्लिक सेक्टर को बेंचने का काम हो रहा है ऊर्जा मंत्री कल बता रहे थे कि उन्होंने पूरा मन बना लिया है ऊर्जा विभाग को निजी क्षेत्र में देने का । मान्यवर, सीमेंट निगम और

चीनी मिल जो बन्द हो गयी हैं उसको खोलने का काम करें उसको बेचने का काम न करें। मिट्टी के तेल, चीनी, चावल, गेहूं आदि के जो दाम बढ़े हैं इसके लिये प्रस्ताव पास करके केन्द्र को भेजा जाये। आज पूरे प्रदेश में–''अमेरिका से यारी, देश से गद्दारी वाह रे अटल बिहारी'' इसलिए मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार की आर्थिक नीति का विरोध करे। मान्यवर, इसके लिए आप सरकार को निर्देश दें।

(श्री राम स्वरूप सिंह एवं श्री विनोद मणि द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं। अब मैं मद संख्या–2 ले रहा हूं। इसमें संसदीय कार्य मंत्री का जवाब आ चुका है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर चुका हूं, आम धारणा क्या है जनता की कि हम कैसे सुधार इसमें ला पायेंगे, हमारा उद्देश्य खाली पब्लिक सेक्टर तक या प्राइवेट सेक्टर तक सीमित रहना नहीं, यह हमारा उद्देश्य है कि आम जनता को सुविधा पहुंचाई जाये और इसलिए बहुत विस्तार से विचार-विमर्श के बाद सोचा गया, सरकार घाटा भी उठाती रहे और आम उपभोक्ता को राहत भी न मिले तो ऐसे पब्लिक सेक्टर को रखकर क्या करेंगे ? हमने लम्बे-चौड़े कारखाने लगाये पब्लिक सेक्टर में, वह नुकसान में हैं और जब नुकसान में हैं तो उनको चलाकर क्या करें ? इस देश की जनता हमसे पूछती है कि हमारा टैक्स का पैसा कहां जा रहा है ? इसका जवाब देना पड़ता है। यह बात आती है कि चीनी, मिट्टी के तेल, चावल और गेहूं इस व्यवस्था पर बहुत गम्भीरता से विचार किया गया। इस व्यवस्था के ऊपर बहुत गम्भीरता से विचार किया गया और विचार करने के बाद जो सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे इस देश के समाज का वह वर्ग है जो बिल्कुल हीन भावना से रह रहा है, जिनके पास दो वक्त खाने का साधन नहीं है। इसीलये हमने बी० पी० एल० योजना चलाई, इसमें बाजार भाव से गेहूं, चावल सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने घोषणा की है कि योजना को और प्रभावी बनाने के उपाय किये जा रहे हैं, आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन स्वागत करने के बजाय आप विरोध कर रहे हैं, केवल एक मुद्दे के लिए मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री राम जग–

संसदीय कार्य मंत्री जी का जो जवाब आया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। यह सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ करने वाली नहीं है। इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री राम जग ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

(श्री राजेन्द्र यादव ने भी सदन का त्याग किया)

*श्री गजेद्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, 27 अप्रैल को बागपत जनपद में एक बहुत भारी तूफान आया, जिसकी वजह से वहां पर काफी पेड़ उखड़ गये और किसानों की गेहूं की फसल 70 प्रतिशत बरबाद हो गयी, जिसकी वजह से किसानों के सामने भुखमरी का सवाल पैदा हो गया है। तूफान की वजह से बिजली के खम्भे उखड़ गये और विद्युत आपूर्ति बाधित हो गयी है। अभी तक वहां के किसानों को कोई राहत सामग्री मुहैया नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करार्इ गई है, वहां जानवरों के चारे की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय विषय पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। पिछले महीने की 27 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती यमुना नदी के किनारे के तमाम जनपदों में भारी तूफान तेज हवाओं के साथ आया। जिसका मुख्य केन्द्र बागपत जनपद का 6 कि०मी० चौड़ा और 30–40 किमी० लम्बा क्षेत्र रहा। इस तूफान ने वहां हाहाकार मचा दिया, इस तूफान की वजह से कई सौ कि०मी० की तेज हवायें चलीं, जिससे गेहूं की कटी फसल उड़ गयी और जो खेत में खड़ी फसल थी, वह नीचे गिर गई। बिजली के खम्भों के गिर जाने से अव्यवस्था का माहौल हो गया जिसकी वजह से दुर्घटनायें हुईं। लोगों के छप्पर उखड़ गये और आग लगने की तमाम घटनायें हुईं, जिसमें काफी लोग घायल भी हुए। मान्यवर, इस तूफान की वजह से दुधारू पशु और मवेशियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, परन्तु आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई राहत दिलाने का काम वहां के लोगों के लिए नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से, आग्रह करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन को इस बात के निर्देश देने का काम करें कि वहां के लोगों को राहत पहुंचाई जाय और उनकी वसूली स्थगित की जाय, साथ ही तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया जाय और उसकी भरपाई की जाय। जो बिजली के खम्भे गिर गये हैं, उन लाइनों की मरम्मत करके दुबारा चालू किया जाय और लोगों को पुनर्वासित करने का काम किया जाय साथ ही लोगों को मुआवजा भी दिया जाय। यह प्रश्न लोक महत्व का और तात्कालिक भी है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह मामला मेरे क्षेत्र से संबंधित है, मैं एक मिनट का समय लूंगा। यह सरकार कल्याणकारी सरकार है और इस नाते इसका दायित्व है कि अगर कहीं कोई दैवी आपदा आई और जानमाल का नुकसान हुआ है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति करे और लोगों के जीवन-यापन करने की सहायता प्रदान करे। मान्यवर, 27 तारीख को जैसा हमारे साथियों ने बताया बागपत जनपद में भारी तूफान आया, वह 40 से 45 किलोमीटर तक चला, 6-7 किलोमीटर चौड़ा था, उसने भारी तबाही मचा दी। इस तूफान से बिजली के तार टूट गये, खम्भे उखड़ गये, कई पशु मारे गये, किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ जो कटी पड़ी थी न जाने कहां गयी और जो खड़ी थी उनमें भी भारी नुकसान हुआ। तीन दर्जन लोग घायल हुए, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनके उपचार की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। मान्यवर, जो यह कल्याणकारी सरकार है 27 तारीख को घटना घटी तमाम लोगों ने जिला प्रशासन को अवगत कराया, हमारे गजेन्द्र कुमार मुन्ना जी भी जिलाधिकारी से मिले और स्थिति से अवगत कराया। हमारे विधान मण्डल दल के नेता कौकब हमीद ने भी अवगत कराया लेकिन जिला प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंगी।

मान्यवर, भुखमरी का सवाल पैदा हो गया है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। 90 से 95 प्रतिशत तक किसानों का नुकसान हुआ है और कुछ गांवों में 60 से 70 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो इस तूफान के द्वारा वहां पर किसानों के जानमाल का नुकसान हुआ है, उसका आप आंकलन करवा लें और जो भी उचित हो, जितना नुकसान हुआ हो, वहां के किसानों का जो नुकसान हुआ है, जो घायल हुए हैं या जिनके पशु मरे हैं उनको राहत पहुंचाने की व्यवस्था करें, ऐसा मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बागपत जनपद में विशेष रूप से दो तहसीलें हैं एक तहसील बागपत और दूसरी खेकड़ा है। बागपत के 29 गांव और खेकड़ा के 14 गांवों में नुकसान हुआ है। यह नुकसान 10 और 60 प्रतिशत के बीच का है। हमने आदेश दिये हैं कि जिस गांव में 50 प्रतिशत या उससे ऊपर हानि हुई है वहां रिलीफ खतौनी तैयार करायी जा रही है और विद्युत विभाग द्वारा जल्द प्रयास किया जा रहा है कि उसको संचालित कर दिया जाए। प्रत्येक जनपद के लिए 10-10 लाख रुपये 2000-2001 के लिए आपदा राहत हेतु पहले ही आरक्षित है। यह टी आर 27 के अन्तर्गत निर्देश हैं कि स्थानीय प्रशासन जहां ऐसी स्थिति देखे, धनाभाव की, राहत उपलब्ध करा सकते हैं। शासन के संज्ञान में आ गया है, हम पहले से प्रयासरत हैं, जो भी सम्भव कार्य होगा किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय प्रस्तावक सदस्यों, समरपाल सिंह और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद शासन ने इसका संज्ञान ले लिया है और व्यवस्था कर दी है इसलिए नियम–56 में मैं इसे निरस्त कर रहा हूं। अगली सूचना मुन्ना चौहान की है–अनुपस्थित हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मुन्ना चौहान जी के बारे में सूचना देना है, उनको लम्बी कैद होने वाली है, उसी के बारे में सूचना है।

एक सदस्य–

मान्यवर, समझा नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पूरी जिन्दगी जिसमें कैद हुआ जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना श्री उदय राज यादव की है।

श्री उदय राज यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस का जंगल राज कायम होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, एक तरफ बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में हत्या, डकैती एवं बलात्कार जैसे अपराध हो रहे हैं, अभी बाराबंकी में दो दिन पहले एक कपड़ा व्यवसायी के पुत्र कमल जिसकी उम्र बहुत कम थी, उसका अपहरण किया गया, फिरौती ली गयी और फिरौती लेने के बाद उस नवयुवक की हत्या कर दी गयी। मान्यवर, इसी प्रकार से उन्नाव जनपद में शुक्लागंज में एक चप्पल व्यवसायी के लड़के का अपहरण किया गया और अपहरणकर्ता उसको लखनऊ लाये और लखनऊ में पुलिस ने उनका पीछा किया तो अम्बेडकर नगर चौकी के थाना प्रभारी के ऊपर बदमाशों द्वारा हमला किया गया। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सक्षम नहीं है और अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम पुलिस नहीं कर रही है। जनता की भावना थी कि पुलिस अपराधियों और गुण्डों से हमारी रक्षा करेगी लेकिन सुरक्षा करने वाले लोग आज पूरे प्रदेश में जुल्म और हत्यायें कर रहे हैं। टूण्डला में थाना कांधला में 1-2 मई को पुलिस द्वारा 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गयी। हरदोई में पुलिस के दरोगा ने और उसके 4 लड़कों ने 4 लोगों की हत्या कर दी। राजधानी लखनऊ में विकास नगर में एक सिपाही के लड़के ने एक छात्र की हत्या कर दी।

मुजफ्फरनगर में पुलिस ने सांसद और विधायकों के ऊपर लाठीचार्ज किया। पुलिस लोगों को फंसाने का काम करती है, हरदोई में अतरौली में 15 लोगों को पुलिस ने 10 दिन तक हिरासत में रखा और प्रताड़ित किया ताकि उनके घर के लोग गांव छोड़कर चले जायं। जिस तरह से पुलिस जुल्म और ज्यादती कर रही है उससे जनता में भय की भावना पैदा हो गयी है। अभी संत कबीर नगर में मौलाना अतीकुर्रहमान जो एक स्कूल चलाने का काम करते थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगर पुलिस पर सरकार द्वारा कोई अंकुश नहीं लगाया गया तथा सरकार पर से जनता का पूरा विश्वास उठ जायेगा। इसलिए सरकार पुलिस पर अंकुश लगाने का काम करे ताकि पुलिस जनता पर जुल्म और अत्याचार न कर सके। इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, लगभग सभी घटनाओं पर विस्तार से एक से ज्यादा बार चर्चा हो चुकी है। कल भी और उससे पूर्व भी मैंने सदन में पूरी बात बतायी है। उदय राज जी को चिंता दर्शाने में थोड़ा विलम्ब हुआ। मैं इसका उत्तर विस्तार से दे चुका हूं। माननीय उदय राज जी कार्यवाही पढ़ लें पता चल जायेगा। इसका उत्तर देकर मैं समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती इसलिए इसको निरस्त कर रहा हूं।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने जो सूचना नियम–56 में दी है वह अविलम्बनीय, तात्कालिक और लोक महत्व की है। यह पूरे देश और प्रदेश को चौंकाने वाली घटना है। मोहित मणि जो रुड़की विश्वविद्यालय का छात्र था वह साफ्टवेयर में रिसर्च कर रहा था। उसकी रिसर्च ऐसी थी कि जर्मनी के वैज्ञानिक भी उस तरह की रिसर्च नहीं कर पा रहे थे और उसका रिसर्च करीब-करीब पूरा हो गया था। मान्यवर, देश तथा विदेश के तमाम साफ्टवेयर कम्पनियों ने करोड़ों रुपया देना चाहा कि वह अपना साफ्टवेयर बेच दे लेकिन मोहित मणि ने मना कर दिया। वह साफ्टवेयर इतना कीमती था कि हमारे डिफेन्स के लिए बहुत उपयोगी था। रक्षा विभाग उसको खरीदना चाहता था लेकिन 18 अप्रैल को संदिग्ध अवस्था में तमाम ऐसे लोग आकर उसका अपहरण करले गये। 18 अप्रैल से आज तक उसका कहीं पता नहीं है। अभी तक डकैती, चोरी और राहजनी होती थी लेकिन अब नया युग आरम्भ हो गया है जिसमें साफ्टवेयर के इस तरह के प्रतिभावान वैज्ञानिकों का अपहरण का काम प्रारम्भ हो गया है। वह भी रुड़की जैसी जगह पर। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रुड़की जो कुछ साल पहले बड़ा ही शांतिपूर्ण जगह थी वहां किसी प्रकार का फसाद नहीं होता था, न डकैती न राहजनी होती थी लेकिन यह एक घटना नहीं है रुड़की में दर्जनों हत्यायें हो चुकी हैं और रुड़की आज असुरक्षित जगह हो गयी है। मोहित मणि का पता यह सरकार नहीं लगा पायी है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह एक गम्भीर घटना है मोहित मणि बी० ई० का छात्र था वह बीच में अपना अध्ययन छोड़कर कम्प्यूटर साफ्टवेयर में रिसर्च का काम कर रहा था जैसे कि कुंवर साहब ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बताया, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता । मोहित मणि जिसने बहुमूल्य साफ्टवेयर तैयार किया था उसका अपहरण हो गया । इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पुलिस जब खोज में लगी तो उन्होंने 27 अप्रैल को विजय प्रताप नामक युवक को पकड़ा । विजय प्रताप और मोहित मणि की कम्प्यूटर साफ्टवेयर में प्रतिद्वन्दिता थी । जिस समय विजय प्रताप कड़े गये उनके पास अधबनी विदेशी मुद्रा डालर भी पायी गयी । पूंछताछ के बाद यह रहस्योद्घाटन भी हुआ है कि उस कम्प्यूटर के माध्यम से इण्टरनेट के माध्यम से विजय प्रताप नकली मुद्रा डालर और भारतीय करेन्सी बना रहा था । नकली मोहरें और प्रमाण-पत्र भी पकड़े गये जिनके आधार पर लोगों ने फर्जी डिग्रियां हासिल की । इसके दो पहलू हैं एक तो यह कि साफ्टवेयर का निर्माण हुआ और उसको निर्माण जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तथा जर्मनी साइंटिस्ट भी नहीं बना पाये थे । एक एन० आर० आई० ने मोहितमणि से कहा था कि इतना कीमती काम तुम्हारा है हम तुम्हें एम० आई० टी० का फेलोशिप दिला सकते हैं । दूसरी तरफ इस विधा, जिसका मानव विकास में इस्तेमाल कर सकते हैं उसका अपराधिक कार्यों के लिए इस्तेमाल । आज तक उस कम्प्यूटर का जो कोडवर्ड जो विजय प्रताप तैयार कर रहा था, पता नहीं लग सका है । यह भी रहस्य है कि कितने लोगों ने फर्जी डिग्रियां और सर्टिफिकेट लिए और उन बैंक अधिकारियों का भी पता नहीं लग सका जिनके माध्यम से फर्जी डालर कैश हो रहे थे और फर्जी इण्डियन करेंसी का प्रचार-प्रसार हो रहा था । उस कम्प्यूटर का कोड वर्ड पता न होने के कारण यह स्थिति है । ऐसा नहीं है कि केवल यह गैंग यहीं तक सीमित हो अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्र भी यह सो सकता है । कई लोगों ने विजय प्रताप को जेल में भी धमकियां दी कि आप जमानत पर बाहर न आएं जेल में आपको सुरक्षित रखा जायेगा इसलिए उसने कहा है कि आप हमारी जमानत न करायें । मैं इस कार्य स्थगन के माध्यम से चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । इसलिए भी कि जो नये प्रकार का अपराध हो रहा है इस अपराध को कैसे रोका जाए कैसे इसका प्रीवेंशन लिया जाए पुलिस में अभी तक ऐसे प्रकरणों पर चर्चा नहीं हुई है जो नई विधा अपराध की प्रकाश में आयी है इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं ? दूसरी तरफ जो कम्प्यूटर साइंटिस्ट जिसका अपहरण हो गया है उसका गम्भीरता से शीघ्र पता लगाया जाए जिससे उसकी प्रतिभा का उपयोग देश और प्रदेश के लिए किया जा सके । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है मैं चाहता हूं कि इस पर कार्य स्थगित कर चर्चा कराई जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह मीहित मणि सिन्हा जो छात्र है उनके पिता एस० एस० सिन्हा रुड़की विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं उन्होंने 18 अप्रैल की घटना की तारीख 21 अप्रैल, 2000 को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी । जानकारी में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विजय प्रताप जो निष्कासित छात्र था वह और दो अन्य छात्र इन लोगों ने मोहित मणि सिन्हा को प्रवेश कुमार के कमरे में बुलाया । उसके बाद से वह लापता है । प्रवेश कुमार के कमरे की तलाशी ली गई जिसमें वहां से अधूरे नोट और उनको बनाने वाला कम्प्यूटर बरामद हुआ । विजय प्रताप को जेल भेजा जा चुका है । जो अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण हरिद्वार हैं उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है उनको जिम्मेदारी दी गयी है कि उनकी बरामदगी कराएं । यह बात पता चली है कि मोहित को कम्प्यूटर साफ्टवेयर की अच्छी जानकारी थी । वह हस्तलेख की पहचान कर सकने का साफ्टवेयर तैयार करने में लगा था । यह तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि इस साफ्टवेयर को जर्मनी के कम्प्यूटर वैज्ञानिक भी तैयार नहीं कर पाये या जिसके लिए विदेशी कम्पनियों ने करोड़ों रुपये आफर किये ऐसी जानकारी आई नहीं है हो सकता है कि यह बात हो । यह सही है कि वह होनहार वैज्ञानिक था वह बहुत बड़ा एसेट्स हो सकता था वह लापता है उसका पता नहीं चल सका । जहां तक सरकार का प्रश्न है सरकार पूरी गम्भीरता के साथ दृढ़ता के साथ इस मामले से निपट रही है । बरामद करने में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों को और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि मामला गम्भीर है इसमें और भी कारण हो सकते हैं। इस संबंध में शासन से अपेक्षा करता हूं कि इसमें उच्च स्तरीय समीक्षा के साथ जांच करायें और इसके परिणाम तक पहुंचें। सरकार की तरफ से आश्वासन आ गया है इसलिए मैं इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं।

छठी सूचना श्री राम सिंह सैनी की जनपद उन्नाव के व्यवसायी पुत्र का अपहरण कर भागे अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, डा० अम्मार रिजवी एवं श्री रामनरेश यादव की है। कोई उपस्थित नहीं है। मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। आठवीं सूचना श्री श्रीराम पाल की विद्युत लाइनों की निरन्तर तार चोरी व कटिंग के कारण प्रदेश का एकमात्र हाथ कागज उद्योग कालपी बंद होने के कारण हजारों श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न आजीविका के संकट के संबंध में है। मैं इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। नवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की है जनपद आजमगढ़ में विद्युत कटौती से उत्पन्न गम्भीर समस्या के संबंध में है मैं इस सूचना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। दसवीं सूचना श्रीमती गौरी देवी की है।

* श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। मेरे क्षेत्र कौड़ीराम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सेतु है जिस पर बैरियर लगाकर ठेकेदार अधिशासी अभियंता और रात में पुलित अलग-अलग तरीके से पैसे की वसूली करते हैं ज़िससे जनता में बहुत आक्रोश है। जो नियमतः निर्धारित कर है वह लगा दिया जाय और किसी एक को वसूलने की जिम्मेदारी सौंप दी जाय यह मांग मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से करती हूं। एक दिन मैं वहां से गुजर रही थी तो देखा कि शीशा तोड़ा जा रहा था लाठी डंडे लेकर वहां लोग वसूली कर रहे थे मैंने रुक कर पूछा कि यह सब क्या है तो कई ड्राइवर हमारे पास आये और कहने लगे कि 30–40 रुपये हमसे लेते हैं। यह लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं और जो बिन्दु माननीय सदस्या ने रखा है उस पर जांच कराई जाय। मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार हुई हैं वे हैं श्री बाबू लाल, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री श्रीराम पाल, श्री राम औतार शाक्य, श्री अम्बिका चौधरी, श्री उदय राज यादव, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम अचल राजभर, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम विशुन आजाद, श्री शिवपाल सिंह यादव, डा० वकार अहमद शाह, श्री अब्दुल कलाम, श्री अफजाल अहमद, श्री राम चन्द्र यादव, श्री जोखू लाल यादव, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री समरपाल सिंह, श्री राम ललित चौधरी, श्री कौकब हमीद, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री लालजी वर्मा, श्री राम प्रसाद चौधरी, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री आर० के० चौधरी तथा श्री इन्द्रजीत सरोज। चौदहवीं सूचना पर विशेष आग्रह पर माननीय अध्यक्ष जी ने दो मिनट सुनने के लिए कहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अब्दुल कलाम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनपद सन्त कबीर नगर में एक अरबी सोसाइटी के नाम से एक जामिया अरबिया स्कूल दरियाबाद में चल रहा था और उसके मैनेजर मौलाना अतीकुर्रहमान साहब हैं, कई सालों से यह चल रहा है। उसमें बाहर के तमाम लड़के आ करके मुफ्त में भोजन करते हैं बहुत अच्छी तरह से यह स्कूल काम कर रहा था। बाहर से चन्दा वसूल होकर उसमें आता था। कभी बम्बई से तो कभी सऊदी अरब से चन्दा होकर इसमें आता है परन्तु एक साजिश के तहत डी० आई० जी० ने 24 तारीख को धारा 420/506 आई० पी० सी० में उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया और 25 तारीख को उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि जेल में क्यों डाला गया तो वह नहीं बता पाये। न तो सरकार के आदेश थे और न ही शासन के आदेश थे और न ही दिल्ली का कोई आदेश था। आज उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में तथा माइनारटीज में हाहाकार मचा हुआ है। डी० आई० डी० साहब साफ-साफ कहते हैं कि यहां से आई० एस० आई० के एजेन्ट पैदा होते हैं और जो मौलाना अतीकुर्रहमान साहब मैनेजर हैं, [× × ×] जिसके पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है। [× × ×] इसलिए मैं इस प्रकरण की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें और इसकी जांच एक जज से करायी जाय क्योंकि यह लोक महत्त्व का मामला है। पूरे पूर्वांचल में हाहाकार मचा हुआ है। वहां के डी० आई० जी० को तत्काल हटाया जाय। वह बार-बार कह रहे हैं कि जितने अरबी मदरसे हैं सबको बर्बाद कर दूंगा। मैं गोण्डा में तथा मेरठ में था वहां तहस नहस करवा दिया था और दंगा करवाया था। अब बस्ती में आया हूं यहां भी तहस नहस करवा दूंगा। मान्यवर, बहुत हाहाकार वहां मचा हुआ है, हालात बहुत गम्भीर हैं वहां पर।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह प्रकरण अत्यन्त लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है और तात्कालिक भी है। मौलाना अतीकुर्रहमान केवल एक शख्स का नाम नहीं है बल्कि पूर्वांचल में रहने वाले लाखों अकलियत मुसलमानों के दिलों में बसने वाले शख्स का नाम है। इनकी एक संस्था है अहले हदीसी संस्था। यह सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था है। फारेन कन्ट्रीब्यूशन एण्ड रेग्युलेशन एक्ट के तहत यह गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 मई, 94 को निबंधित है। मौलाना अतीकुर्रहमान साहब के ऊपर स्थानीय पुलिस ने पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया और इनको 25-4-2000 को जेल में बन्द कर दिया। इन पर आरोप पुलिस ने यह लगाया है कि इन्होंने संस्था के पैसे की हेरा-फेरी की है। संस्था पुरानी बस्ती के भीतर 52 दुकानें बनवा रही थी। वहां तैनात पुलिस के डी० आई० जी० का उनके ऊपर नाजायज दबाव था कि वे उनके एक सगे सम्बन्धी के लिए वहां दुकान व आवास दें जब मौलाना साहब ने दुकान देने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने उनको लगातार प्रताड़ित करके 406 और 420 में मुकदमा बनाकर 25-4-2000 को जेल में बन्द कर दिया। मौलाना साहब की गिरफ्तारी से कई सवाल पैदा होते हैं। सम्बन्धित डी० आई० जी० जो वहां तैनात हैं उन्होंने.....

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मौलाना की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस के जरिये यह अफवाह फैलाना शुरू किया है कि यह आई० एस० आई० के एजेन्ट हैं और उनका सम्बन्ध ओसामा बिन लादेन से है। इस सम्मानित

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सदन में सरकार को बेबाक बहस करनी होगी कि किस प्रकार की गतिविधियां आई० एस० आई० के परिधि में आती हैं। अगर सचमुच में आप इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकना चाहते हैं तो आपको इस पर निर्णायक बहस करनी होगी। मौलाना अतीकुर्रहमान का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो एक ऐसी संस्था चलाते हैं जिसमें यतीम बच्चों को शिक्षा के अतिरिक्त भोजन, कपड़ा और रहने की सुविधा भी मिलती है। इतने अच्छे इन्सान को पुलिस प्रताड़ित कर रही है। पुलिस ने जो आरोप लगाया है वह निराधार है। मान्यवर, एफ० सी० आर० ए० के तहत गृह मंत्रालय के आदेश पर ही इन संस्थाओं के आर्थिक मामलों की जांच की जा सकती है। स्थानीय पुलिस ने कैसे जांच की और यह मुकदमा कायम किया। हर साल बैलेंस शीट गृह मंत्रालय को सौंपी गई। मौलाना की शोहरत पूर्वांचल के अकलियत मुसलमानों में एक निहायत नेक दिल अमन पसन्द इन्सान के रूप में है। इस पर आई० एस० आई० और विदेशी मुल्कों के साथ सम्बन्ध होने की बात का आरोप लगाकर स्थानीय पुलिस इन्हें बदनाम कर रही है। वहां के डी० आई० जी० उनसे नाजायज लाभ लेना चाहते थे मौलाना साहब ने इनकार कर दिया तो उन पर मुकदमा कायम करके उन्हें जेल में बन्द कर दिया। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इस पर चर्चा करायें समस्त कार्यों को रोककर।

श्री राम ललित चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, अभी धर्म स्थल विधेयक लागू नहीं हुआ कि मदरसों के ऊपर आफत आने लगी। मान्यवर, मौलाना अतीकुर्रहमान अहले हदीस तालीमी और रिफाही संस्था दरियाबाद संत कबीरनगर के प्रबन्धक हैं। यह स्कूल सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंजीकृत है तथा भारत सरकार द्वारा एफ० सी० आर० द्वारा भी पंजीकृत है। उसे चला रहे हैं। अर्थात् विदेशों से चन्दा लेने के लिए अधिकृत है जिसका लेखा-जोखा भारत सरकार को जाता है। मान्यवर, मदरसों की आय बढ़ाने के लिहाज से मदरसे की तरफ से मौलाना अतीकुर्रहमान मेरे पड़ोस में जामियां शॉपिंग सेन्टर के नाम से दुकान बनवाना शुरू किया। बड़ी बिल्डिंग को देखकर वहां पुलिस और एल० आई० यू० के लोग आने लगे और मौलाना अतीकुर्रहमान से पैसों की मांग करने लगे। मान्यवर, जब उनसे पुलिस को पैसा और घूस नहीं मिली तो वे लोग मौलाना अतीकुर्रहमान के खिलाफ आई० एस० आई० का चार्ज लगाकर जेल में बन्द कर दिया। मान्यवर, मेरी मांग है कि मौलाना अतीकुर्रहमान को रिहा किया जाय। चूंकि यह पूर्वांचल के एक शरीफ और सम्मानित आदमी हैं। मैं मांग करता हूं कि इसमें चर्चा कराई जाय और इसकी न्यायिक जांच कराई जाय।

*श्री कौकब हमीद–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कभी तो [× × ×] और कभी मौलाना अतीकुर्रहमान, जो एक मदरसा चलाते हैं जिसके वह मैनेजर हैं और वह मदरसा फारेन कन्ट्रोल एक्ट के तहत भारत सरकार में रजिस्टर्ड संस्था है, को आई० एस० आई० का एजेन्ट बता कर जेल में बन्द करने का काम करती है। मैं जानना चाहता हूं कि मौलाना अतीकुर्रहमान आई० एस० आई० के एजेन्ट कैसे हो गये ? पुलिस यह भी कहती है कि मौलाना अतीकुर्रहमान ओसामा बिन लादेन के रिश्तेदार हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह उनके रिश्तेदार कैसे हो गये ? मान्यवर, जो आदमी उठ रहा हो, जिसकी शख्सियत प्रदेश में जानी जाती हो उसको कह दें कि वह आई० एस० आई० के एजेन्ट हैं और उनके खिलाफ धारा 406 और 420 का मुकदमा दायर कर दें तो यह कहां

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तंक उचित है ? मान्यवर, मौलाना अतीकुर्रहमान एक मदरसे के मैनेजर हैं और वह बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं उन्हें एल० आई० यू० का सिपाही कहे कि आई० एस० आई० के एजेन्ट हैं और सरकार उन्हें जेल में बन्द कर दे तो यह ठीक नहीं है । एक शरीफ आदमी को जेल में बन्द कर दें तो इस तरह यह सदन नहीं चलेगा । ओसामा बिन लादेन से उनके कैसे सम्बन्ध हैं यह आपको साबित करना पड़ेगा । उनका संबंध क्या है यह इन्हें साबित करना पड़ेगा । मैं चाहता हूं कि सरकार को निर्देश दें यह तमाशा न करे इस सदन में चर्चा रहती है, तो आई० एस० आई० है क्या और आई० एस० आई० से मुसलमानों का रिश्ता क्या है ? जो पढ़ने वाले हैं जो पढ़ाने वाले हैं कहते हैं वह पहुंच गये, जो एम० एल० ए० यहां बैठे हैं उनको भी आप आई० एस० आई० का एजेन्ट बना दें, कह दें यह भी आई० एस० आई० के हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

सम्भवत: आई० एस० आई० पर कोई चर्चा स्वीकार हुई है इस पर जब चर्चा होगी तो आपकी बात आ जाएगी ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बस्ती जिले में जो शान्ति कायम है वह इन्हीं लोगों से कायम है । मौलाना साहब की बहुत इज्जत है सब उनका एहतिराम करते हैं, वह कौमी एकता के प्रतीक हैं । जिस तरह से मदरसे चल रहे हैं उनका इतिहास निकाल कर देखें कोई आन्दोलन हुआ हो या फिर किसी पर कोई मुसीबत आयी हों यह खड़े हुए हैं । अगर ऐसे आलिम फाजिल लोगों को सरकार बदनाम करने की कोशिश करेगी तो बस्ती की शान्ति व्यवस्था खत्म हो जायेगी । पुलिस की जांच होनी चाहिए जो उनको हक नहीं है वह कैसे उस संस्था की जांच कर सकते हैं जबकि गृह मंत्रालय को पूरा लेखा देना होता है । मैं समझता हूं 'इससे ज्यादा लोक महत्व का प्रश्न और नहीं हो सकता है इस पर चर्चा कराएं ताकि [× × ×] ऐसी बातें फिर भविष्य में न होने पायें ।

श्री हुकुम सिंह–

सम्मानित सदस्य कौकब हमीद साहब ने, घटना कहीं की थी, घटना क्या थी उसको छोड़कर, उनको शौक हो गया घटना के साथ स्व० अली मियां साहब का नाम जोड़ दिया गया । चर्चा उसमें हो गई कि गल्ती से कुछ लोग प्रवेश कर गये उसके लिए माफी भी मांगी जा चुकी है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी हो चुकी है, लेकिन अशिरंजता करने के लिए ऐसा किया जाता है । वातावरण खराब करना अच्छी बात नहीं है । जो ऐसे लोग रहे हैं जिनका योगदान संस्कृति, सभ्यता के विकास का रहा है उनको इसमें न घसीट कर दूसरी बातों को बल दिया जा रहा है-। इस घटना को क्या आकार देना चाहते हैं, क्या स्वरूप देना चाहते हैं । जो सज्जन हैं मौलाना अतीकुर्रहमान यह संस्था चला रहे हैं, संस्था के लिए जैसा श्री श्रीवास्तव ने कहा एफ० ई० आर० ए० 1976 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं इनको विदेशी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन विदेशी सहायता के लिए मापदण्ड निर्धारित हैं । किसलिए विदेशी सहायता प्राप्त करेंगे यह गरीबों की शिक्षा, गरीबों की सहायता के लिए प्राप्त कर सकते हैं ।

ऐसा नहीं है कि विदेशी सहायता प्राप्त करके गरीबों को शिक्षा सुविधा देने के बजाए घर की सम्पत्ति बना लें, इसके उद्देश्य निर्धारित हैं उन उद्देश्यों के अनुरूप खर्चा नहीं किया गया तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

निश्चित रूप से जो कानून है उसके अनुसार होगा। यह जानकारी में आया इन्होंने दो-तीन वर्षों में दूसरे देशों से करोड़ों की विदेशी सहायता प्राप्त की और कोई इनकी आमदनी का साधन नहीं है। इन्होंने 7 हजार 792 वर्ग फुट जमीन लेकर पांच हजार 20 फुट जगीन में दुकानें बना लीं, हाल बना लिया तो जिस पैसे को आपने पब्लिक की खिदमत के लिए लिया है उस पैसे से आपने खिदमत न करके दूसरी तरफ डायवर्जन कर दिया, मामला प्रकाश में आया उसकी जांच हुई उसमें मुकदमा अपराध 72/2, 406, 420 में कायम कर लिया गया इसके अलावा एक इस्लामिक संगठन है अहले हदीश.....

श्री अब्दुल कलाम–

मान्यवर, यह संगठन नहीं एक संस्था है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ठीक है एक संस्था है। मैं इसमें कोई फर्क नहीं समझता था। खैर मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। मान्यवर, जब निश्चित जानकारी में बात आयी तो इन्टेलीजेंस यूनिट से इसकी जांच करायी और उसने तफतीश की। उसने बताया कि इनके ताल्लुकात आतंकवादी संगठनों से हैं और छानबीन शुरू हुई। वरना किसी को क्या शिकायत थी ? भारत सरकार का पैसा है नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा है नहीं। जब इनके ताल्लुकात पता चले तो विचार आया कि इसकी जानकारी करनी चाहिए कि यह पैसा कहां ले जा रहे हैं। यह पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर सदुपयोग कर रहे हैं। मान्यवर, आजकल नामों को लेकर, नाम अतीकुर्रहमान हो गया और उठा दिया। ऐसे काम जो भी करेगा चाहे वह किसी भी नाम का क्यों न हो, मोहन सिंह हो, प्रमोद कुमार हो या फिर अतीकुर्रहमान हो उसे बख्शा नहीं जायेगा। उसे देश-द्रोही माना जायेगा। यहां पर लोग खड़े होकर नामों के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं, इस सदन के फ्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह जनता में यह संदेश देते हैं कि यह सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध है। तो ऐसी बात नहीं है। नाम चाहे कोई भी हो अगर इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जायेगा तो उसे देशद्रोही माना जायेगा। आपने जो मुकद्दस नाम लेकर घटना को बढ़ाना चाहा है मैं उसकी निन्दा करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायें।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, इसकी मंशा ठीक नहीं है। इस घटना की न्यायिक जांच करायें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह मुकदमा और चार्जशीट न्यायालय में जायेगी उससे बड़ा परीक्षण कहां होगा अगर यह आरोप गलत पाया जाता है तो मुकदमा समाप्त कर दिया जायेगा और अगर पुष्टि होती है तो न्यायालय में चार्जशीट जायेगी।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, इसकी पुष्टि न्यायिक जांच से करा लें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने बड़ी साफगोही से पूरे मामले को उलझाने का काम किया है। मान्यवर, मौलाना साहब कबीर नगर के रहने वाले हैं और एफ० आई० आर० बस्ती में होती है। वह शिकायत करने वाले कहां के हैं और किस एजेन्सी से उसकी जांच कराई गई ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह जिस जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा था वह जमीन किसके नाम से रजिस्टर्ड है? अगर वह जमीन मौलाना साहब ने अपने नाम से कराई है तो उनकी नीयत पर शक करना वाजिब होगा। अगर नाम पर नहीं कराई है तो मंत्री जी कृपया खेद व्यक्त कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

दो कामों के लिए पैसा बाहर से आता है शिक्षा और जनसेवा के लिए। जो निश्चित नियम है उनके आधार पर। क्या दुकान बनाना शिक्षा या जनसेवा के अन्तर्गत आता है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जी हां। आज आप देखें चाहे जिला पंचायत हों नगरपालिका हों नगर निगम हों सब दुकानों का निर्माण कर उस इनकम से जनता की सेवा कर रहे हैं। आप डी० ए० वी० कालेज देख लें। अब अगर मौलाना जी ने बना लिया तो गलत हो गया। मान्यवर, कितनी संस्थाएं चल रही हैं जो सरकार से आर्थिक सहायता पाती हैं और कालेजों के सामने दुकानें बनी हुई हैं। मान्यवर, मौलाना साहब की लम्बी जिन्दगी रही है। क्या पुलिस का कोई मुकदमा इस तरह का पहले कायम हुआ है? क्या आपराधिक इतिहास रहा है ? अगर वह जमीन संस्था के नाम रजिस्टर्ड थी तो उनकी नीयत पर शक की बात नहीं है। वह अपराधी नहीं होंगे। वैसे आपके हाथ में ताकत है आप सरकार में हैं जो चाहे कर लें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मंत्री जी ने यह कहा है कि मौलाना अतीकुर्रहमान के ऊपर बाकायदा पता लगाया कि उनके आतंकवादी संगठनों से ताल्लुक हैं तो जब उनके ताल्लुक है उनका परिचय उनसे है तो जितने गैर कानूनी काम होते हैं जो आतंकवादी करते होंगे वह मौलाना भी करते होंगे। तो मौलाना उसी रात से करते थे या कुछ महीने या सालों से करते आ रहे थे। वह कौन-कौन संगठन हैं उनके नाम भी आ जाने चाहिए, तो जब यह आरोप लगा रहे हैं तो यह भी बतायें कि कितने सालों से यह चल रहा था और अगर चल रहा था तो 406 और 420 दफा ही मिली लगाने के लिए, अगर आतंकवादी थे तो उनका पूरा इतिहास बतायें। एक डी० आई० जी० को एक दुकान उस बिल्डिंग में मिल जाये और नहीं दिया तो उसको बन्द करवा दिया 420 में। इसको स्पष्ट कर दें कि सोसाइटी की बिल्डिंग बनाना कहां गैर कानूनी है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जो एफ० आई० आर० उनके विरुद्ध दर्ज हुई है और जो जांच हुई है वह जांच किसके आदेश पर हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, यह उचित नहीं है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[× × ×]

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें । इस तरह से नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

[× × ×]

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सुबाष चन्द्र जी बिना अनुमति के बोल रहे थे तो मेरे लिए उनकी बात का संज्ञान लेना सम्भव नहीं था । बाकी जवाब दे रहा हूं ।

मान्यवर, बार-बार एक बात पर बल दिया जा रहा है कि एक दिन में या दो दिन में यह कैसे प्रकाश में आ गया कि आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं । किस एजेंसी से जांच कराई गई तो यह एक दिन, दो दिन की बात नहीं है यह स्वाभाविक प्रक्रिया है । बाहर से पैसा आता है और बाहर के पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है, यह देखने का काम था । यह अस्वाभाविक घटना नहीं है । करोड़ों रुपया बाहर से आ रहा था तो एक निगाह मात्र थी कि पैसा कहां जा रहा है, जिस उद्देश्य के लिए मंगाया जा रहा है उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं, यह उसका डाइवर्जन हो रहा है, मान्यवर, इंटेलीजेंस जांच करती है, यह एक सीक्रेट जांच होती है । उसमें यह देखा गया ऐसा पता लगा कि इनकी गतिविधियां हैं उसमें यह आया कि आतंकवादी संगठनों से साठ-गांठ है, यह मिले हुए हैं जिस पर यह मुकदमा कायम हुआ। अगर इतना स्पष्ट प्रमाण आ गया होता तो फिर आतंकवादी गतिविधियों में ही होता 420 में नहीं । इसलिए कि पैसे के साथ धोखाधड़ी की, पैसे का डाइवर्जन किया, यह सामान्य धारा आई० पी० सी० की है । अगर ऐसे प्रमाण आ जायेंगे तो धारा और भी बदली जायेगी । अभी तक जो स्थिति है, उसके अनुसार 420/406 का मुकदमा इस आरोप में लगाया गया है कि उन्होंने बाहर से ली गयी सहायता, जो गरीब आदमियों की सेवा के लिए, गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए उपयोग करना चाहिए था, उसका उपयोग गैरकानूनी तरीके से किया, इसलिए मुकदमा कायम हुआ है और उनको जेल भेजा गया है ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेरी व्यवस्था सुन लें । कृपया बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैंने दो चीज जाननी चाही थी, कि जमीन किसके नाम है और उनका आपराधिक इतिहास पूछा था ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह जमीन किसके नाम है, इसकी जानकारी मेरे पास में नहीं है ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें । मेरी व्यवस्था सुन लें, मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री राम ललित चौधरी–

यह सरकार गलतबयानी कर रही है, मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करते हैं ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(श्री राम ललित चौधरी ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री और माननीय सदस्यों को सुनने के बाद.....

(विरोध पक्ष के सदस्य अपने स्थानों से खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया पूरी बात तो आ जाने दीजिये ।

मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुना और माननीय सदस्यों को भी सुना है । मामले की गम्भीरता को देखते हुए मैं सरकार को यह निर्देशित कर रहा हूं कि इस मसले में पूरी तरह से समीक्षा करा लें और गहन जांच कराकर उचित कार्यवाही करें और यह देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी के विशेष रुचि लेने के कारण ऐसा कोई मुकदमा दायर हुआ है, केवल इतना दिखवा लें और उचित निर्णय ले लें, गहन समीक्षा के बाद ।

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्य अपने स्थान से खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठें ।

आखिर जांच तो होगी, कोई भी निर्णय बिना जांच के नहीं होगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं कि आपने निर्देशित कर दिया सरकार को लेकिन आप उस पर पुनिर्वचार कर लें । इतना निर्देश पर्याप्त नहीं है, इस सरकार के लिए । मान्यवर, जिस सरकार के मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जी जो सीधा-सीधा 406 की बात आयी है, आप कानून को जानते हैं, अमानत में खयानत की बात आती है, मान्यवर, जिस मुखिया को वह धन प्राप्त हुआ, उसी संस्था के लिए जो रजिस्टर्ड है, उन नियमों के अन्तर्गत संस्था के कस्टोडियन की हैसियत से सम्पत्ति बढ़ाने का काम किया तो इसमें एम्बेजलमेंट क्या है । इस स्थिति में यह सीधी-सीधी जो बात आयी है कि इस प्रदेश में अकलियत के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है । मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं । मान्यवर, धर्म स्थल विधेयक जिस समय यह सरकार ला रही थी, उसकी नीयत स्पष्ट थी किसी मदरसे को किसी शैक्षिक संस्था को यह सरकार नहीं चलने देना चाहती । हमारी मांग है कि जितने फर्जी मुकदमें मौलाना अतीकुर्रहमान पर हैं उनको वापस लेने की घोषणा इस सदन में की जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो मुकदमें वापस लेने की बात कही गयी है । इसमें इतनी बात स्पष्ट है और मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि नाइंसाफी नहीं होगी और न होने दूंगा । खाली इस कारण से जो मुद्दे आपने उठाये हैं, उसके पीछे कारण कुछ भी हो । आपका आपस का कितना कम्पटीशन है, हाई लाइट करके कौन कितना प्रभावित कर सकता है । लेकिन सरकार कानून को मानेगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो यदि देशद्रोह की बात आती है, हम उसमें समझौता करने वाले नहीं हैं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, देशद्रोह की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, कौन सी देशद्रोह की बात है ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने व्यवस्था दे दी है कि सरकार समीक्षा कर ले ।

(तत्पश्चात् श्री वसीम अहमद, श्री आलमबदी तथा श्री अब्दुल कलाम (बस्ती) के साथ सपा के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान के मध्य)

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 11 मई, 2000 को नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी जो श्री संजय गर्ग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री समर पाल सिंह, श्री परवेज हलीम खां, श्री बनारसी दास चांदना, श्री कौकब हमीद, श्री स्वामी ओइमवेश, श्री राजपाल सिंह तथा श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी है। इस सूचना में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकास निधि न होने का मामला उठाया गया है। चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पैकेज संबंधी प्रश्न दिनांक 4 मई, 2000 को तारांकित प्रश्न सं०–9 नत्थी (ग) उत्तरित हो चुका है अतः यह सूचना नियम 311 में अस्वीकार की जाती है।

(समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गये जिससे सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा।)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है। 3 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौकब हमीद ने जो बात कही है उस पर कोई आपत्तिजनक बात होगी तो कार्यवाही से निकाल देंगे।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अनावश्यक रूप से सदन की कार्यवाही बाधित करवाने के लिए हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी मजबूर कर देते हैं। जब एक प्रश्न चल रहा था मौलवी अतीकुर्रहमान के बारे में वह विद्वान पुरुष हैं उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से की गयी है वह अपनी निजी इमारत नहीं बनवा रहे हैं वह मदरसे से सम्बन्धित इमारत बनवा रहे हैं तथा उसमें केवल प्रबन्धक की हैसियत से कार्य कर रहे थे इसी पर उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही और तमाम तरह की संज्ञाएं दी जाएं इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है? अभी धर्म स्थल विधेयक पूरी तरह से लागू भी नहीं हुआ है जो दोहरी नागरिकता भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए घोषित कर रही है, कसने जा रही है वह भी बहुत दूर है। इससे पहले ही मदरसों को चलाने वालों को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है उनको जेल में डालना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि मौलाना अतीकुर्रहमान को देशद्रोही और आतंकवादियों से साजिश रखने वाले की संज्ञा दी गयी है उसको सदन की कार्यवाही से

निकाल दिया जाये और श्रीमन्, यह भी मैं मांग करता हूं कि उनके ऊपर जो झूठा मुकदमा लगाये गये हैं उनको तुरन्त वापस ले लिया जाये इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मेरी कठिनाई क्या होती है। मैंने कार्य-स्थगन की दस सूचना ले ली उसके बाद आपने विशेष आग्रह किया तो दो-दो मिनट बोलने की अनुमति दे दी आज संसदीय कार्य मंत्री के पास इस प्रकरण की पहले से सूचना है अगर कोई ऐसा प्रकरण उठाया जाए जिसकी सूचना उनके पास न हो तो वह भी उत्तर नहीं देंगे और आपकी सूचना निरर्थक हो जाएगी। जहां तक इस सूचना की बात है सामान्य रूप से इस सदन का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो किसी भी देशद्रोही या आतंकवादी के पक्ष की बात करे। किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में जो बात कही गयी है वह तो मैं कार्यवाही देख लूंगा मैंने आते ही कह दिया कि आपत्तिजनक अंश निकाल दिया जाएगा।

डा० वकार अहमद शाह–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी बताया कि हाई लेविल कमेटी गृह सचिव की अध्यक्षता में बुला रहे हैं। इसमें मेरा सुझाव है क्योंकि श्री अतीकुर्रहमान पर आज तक 107/17 का केस तक नहीं चला है वह अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से बन्द किये गये हैं इसलिए उनके साथ न्याय के लिए पूरी जांच कराकर जिन अधिकारियों ने उन्हें बन्द किया है उनको सजा दी जाए उनको तुरनत हिरासत से छोड़ा जाए।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात का संज्ञान लेते हुए जो भी यथोचित कार्यवाही होगी करेंगे।

बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में सरकार द्वारा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा बन्द करने तथा स्नातक स्तर की सीटों में कमी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 8 मई, 2000 को दी गयी सूचनाओं पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

श्री मणि जी एक अनुरोध हैं आपसे कि इस विषय पर माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण के समय प्रकाश डाला था कल भी दूसरे रूप में इस प्रकरण पर चर्चा हो गयी थी इसलिए आप अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कह दें।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, आपने हमारी चर्चा स्वीकार की इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का आयुर्विज्ञान संस्थान है बाबा राघव दास मेडिकल कालेज। इसमें स्नातकोत्तर की शिक्षा बन्द कर दी गयी। एमबीबीएस की सीटें आधी कर दी गईं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के छः करोड़ लोग इसी मेडिकल कालेज से सम्बद्ध हैं। पिछले 15 वर्षों से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इस मेडिकल कालेज की ओर ध्यान नहीं दे रही है। मेडिकल सेन्टर आफ इण्डिया को और यहां तक कि शिक्षा मंत्री जी को स्वयं डाक्टरों ने कहा और निवेदन किया कि इस ओर ध्यान दिया जाय। पिछले 15 सालों से यहां किसी भी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुई है और जो कुछ डाक्टर हैं वे भी अपने पोलिटिकल दबाव का इस्तेमाल करके कहीं और ट्रांसफर करा रहे हैं। आज मात्र 50 चिकित्सक हैं। एमबीबीएस के 105 और पी० जी० के 154 छात्र यहां पर पढ़ रहे हैं। जिनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। यहां नेहरू चिकित्सालय में मरीजों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। एम०सी०आई० की एक टीम वहां जांच करने जब गई तो उसने स्वीकार किया कि अगर वहां शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तो गोरखपुर मेडिकल

कालेज की मान्यता रद्द कर दी जायेगी । मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने केवल पीजी की ही मान्यता रद्द की है । गोरखपुर मण्डल, बस्ती मण्डल, देवीपाटन और आजमगढ़ मण्डल के चार करोड़ लोग और नेपाल और बिहार के करीब-करीब दो करोड़ लोग इसी मेडिकल कालेज से चिकित्सा लाभ उठाते हैं । यह सरकार वहां के मरीजों और छात्रों के साथ मजाक कर रही है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में मरीजों की जनसंख्या अधिक होने के नाते अनेक दवाई की कम्पनियां वहां स्थापित हैं । दवा की खपत वहां सबसे अधिक है । उन मरीजों के साथ अन्याय हो रहा है । गोरखपुर मेडिकल कालेज की इस घटना, चिकित्सकों की कमी, सीटों में कमी से गोरखपुर के डाक्टर हड़ताल पर हैं । वहां पट्टियां बैनर लिये सड़क पर खड़े हैं । उन्होंने गोरखपुर बन्द का आह्वान किया है । यहां यह एक प्रमुख समस्या बनी हुई है । मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा और सरकार सदन में घोषणा करे अगर जरा भी इनमें नैतिकता बची है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बात बची है, तमाम लोगों के जीवन की रक्षा की बात बची है; एम० सी० आई० ने जो मान्यता समाप्त कर दी है, उसके कारण क्या हैं, उन मानकों को पूरा करने के लिए कौन जिम्मेदार है एम० सी० आई० के जो मानक हैं उसमें छात्रों के अनुपात में शिक्षक हों, इक्वीपमेंट्स हों, भवन हों, इन सारे मानकों को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है । 15–16 सालों से अन्य मेडिकल कालेजों में भी शिक्षकों की कमी है । प्रदेश सरकार के संज्ञान में यह बात-बार-बार लायी जा रही है परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । शिक्षकों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, यह एक गम्भीर विषय है ।

माननीय मंत्री जी गोरखपुर जाते रहते हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश के विधायक सहयोगी के रूप में एक ठोंस भाव के साथ उधर गये थे । आज इस मंत्रिमण्डल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 40 से ज्यादा मंत्री हैं । आज झांसी मेडिकल कालेज में भी मानक पूरे नहीं हैं, कानपुर में भी मानक पूरा नहीं है, परन्तु उनकी मान्यता समाप्त नहीं की गई, केवल गोरखपुर मेडिकल कालेज की मान्यता समाप्त की गई । अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गोरखपुर गये थे और एक लम्बा-चौड़ा भाषण उन्होंने दिया और कहा कि इसे बन्द नहीं होने दिया जायेगा, इसकी मान्यता को समाप्त नहीं होने दिया जायेगा और सीटें कम नहीं की जायेंगी । आज इनकी ढिलाई की वजह से, गैर जिम्मेदारी की वजह से, पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की वजह से, यह मेडिकल कालेज बंद होने के कगार पर है । मेरी मांग है कि जो पी० जी० की मान्यता वहां पर समाप्त कर दी गयी है, उसे फिर से दिलाया जाय । एम० बी० बी० एस० की जो सीटें आधी कर दी गयी हैं, उसे वापस दिलाया जाय । अगर इसी तरह से अन्य मेडिकल कालेजों में भी कमी हैं तो उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाय । इसलिए मान्यवर, आप इस गूंगी बहरी सरकार को निर्देशित करें कि जो नौजवान चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिन्हें यह सरकार शिक्षा से वंचित करना चाहती है और चाहती है कि वह बाहर जाकर शिक्षा लें, ऐसा न होने दिया जाय ।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश अत्यन्त गरीब है, गोरखपुर में बिहार; नेपाल, आजमगढ़ और बस्ती कमिश्नरी के गरीब लोगों के उपचार के लिए केवल एक मात्र साधन गोरखपुर मेडिकल कालेज है । जो लोग सम्पन्न और धनी हैं वे तो नर्सिंग होम में चले जाते हैं या मेडिकल कालेज चले आते हैं लेकिन जब से वहां के जन मानस को यह पता लगा है कि पोस्ट ग्रेजुएट की मान्यता समाप्त कर दी गयी है और ग्रेजुएशन के लिए एम० बी० बी० एस० डाक्टर की सीटें कम कर दी गयी हैं, वहां की जनता चिन्तित है और इससे वहां के लोगों में एक आक्रोश भी व्याप्त है । आज की स्थिति में जब दवा एक आवश्यक चीज है इन्सान के लिए ऐसी स्थिति में सारी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और गोरखपुर मेडिकल कालेज की सीटें कम कर दी गईं । पी० जी० की मान्यता समाप्त की जा रही है । यह आम जनता के लिए आवश्यक है कि मेडिकल कालेज की जो सीटें कम की गई हैं उसको पूर्ववत् रखा जाय ।

गोरखपुर मेडिकल कालेज की जो उपेक्षा हो रही है, जो संसाधन कम हैं और उस कमी के कारण जो अच्छे चिकित्सक हैं निराश होकर वहां से त्याग-पत्र देकर दूसरे मेडिकल कालेज में चले जा रहे हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस का रास्ता अपना रहे हैं। वहां पर जो करोड़ों रुपया लगाया गया है स्वर्गीय चन्द्रभानु गुप्त जी के प्रयास से मेडिकल कालेज कायम हुआ था जिससे वहां की जनता को एक आशा की किरण लगी और सुविधाएं वहां के मरीजों को मिल रही थीं। मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूं इसलिए चिन्तित हूं कि यह कलंक हमारी सरकार को लगने जा रहे है। पूर्व में जो सुविधा वहां मिली थी उसको खत्म किया जा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत से विधायक और मंत्री भी हैं। जो मेडिकल कालेज आवश्यक है वह आज बन्द होने के रास्ते पर जा रहा हैं। वहां की जनता की अपेक्षाओं के अनुसार वहां जो ग्रेजुएशन की सीटें कम की गयी हैं उसको पूर्ववत् रखा जाय। मेडिकल कालेज में जो सुविधाएं मिली हैं उसको सुधार के रास्ते पर लाया जाय। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो मान्यता समाप्त हो गई है उसको भी रिस्टोर करने पर विचार किया जाय।

*श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

गोरखपुर मेडिकल कालेज जो मान्यवर, पूर्वांचल में स्थित है। मान्यवर, सदन भी इससे सहमत होगा कि पूर्वांचल बहुत पिछड़ा और गरीब क्षेत्र है। वहां पर कृषि पर आधारित किसान हैं। मेडिकल कालेज बनाने के लिए वहां के लोगों ने कई एकड़ जमीन दी और करोड़ों रुपये खर्च करके वहां मेडिकल कालेज की स्थापना की गई। पूर्वांचल की जनता के मन में एक भाव बना कि यहां की गरीब जनता उचित समय से अपना उपचार करा सकती है और मान्यवर, उपचार हो भी रहा था लेकिन जो वर्तमान समय में वर्तमान सरकार के द्वारा चिकित्सकों की संख्या घटाई जा रही है और जो मान्यता समाप्त की जा रही है उससे लोग आन्दोलित हैं। अभी धरने पर मान्यवर, केवल डाक्टर बैठे हैं लेकिन जो जनता के बीच में मेडिकल कालेज के प्रति मैसेज जा रहा है उससे जनता भी आन्दोलित होने की स्थिति में है। हम ग्रामीण क्षेत्र से चुनकर आते हैं। गरीब जनता एक चर्चा कर रही है कि मेडिकल कालेज बन्द होने के बाद अमीर लोग जो नर्सिंग होम में जाकर उपचार करा लेंगे लखनऊ, दिल्ली में जाकर उपचार करा लेंगे। गरीब जनता पैसे के अभाव में मेडिकल कालेज में अपना इलाज कराती है। यह जो संख्या घटाई जा रही है उससे लोगों के बीच में आक्रोश है। मैं जानना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज कानपुर में चिकित्सकों की संख्या गोरखपुर से कम है उसके बावजूद वहां मान्यता समाप्त नहीं की जा रही है और न तो एम० बी० बी० एस० की सीटें ही घटाई जा रही हैं तो किन परिस्थितियों में गोरखपुर मेडिकल कालेज की मान्यता समाप्त की जा रही है ? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर मेडिकल कालेज के बारे में सरकार को हर परिस्थिति में विचार करके उसकी मान्यता को बरकरार रखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

* श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, आज हर मेडिकल कालेज पर मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया द्वारा मान्यता समाप्त करने की तलवार लटक रही है और इसके साथ ही साथ सीटें भी कम की जा रही हैं। ऐसे कालेजों में झांसी मेडिकल कालेज भी है जिसमें तमाम अनियमितताएं हुई हैं। मान्यवर, एम० सी० आई० के बारे में चर्चा है और जिसके द्वारा गोरखपुर मेडिकल कालेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा बन्द और एम० बी० बी० एस० में सीटें कम की गयी हैं और यह स्थिति बाकी मेडिकल कालेजों में, झांसी का नाम मैं नही ले रहा हूं चूंकि गोरखपुर मेडिकल कालेज के बारे में यह चर्चा है लेकिन एम० सी० आई० द्वारा मान्यता समाप्त करने की तलवार बाकी मेडिकल कालेजों पर भी लटक रही है। मान्यवर, बहुत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिनों से तमाम अनियमितताएं मेडिकल कालेजों में हो रही थी इसलिए यदि इस पर ध्यान दिया जाता तो यह स्थिति न होती। मान्यवर, मेरे एक पत्र पर जांच हुई थी तो तमाम मेडिकल कालेजों में फर्जी तरीके से जो एडमीशन हुए थे वह निरस्त किये गये थे। मेरा कहना है कि मुख्यालय पर अधिकारी इसमें लिप्त हैं और उनके विरुद्ध जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। मान्यवर, आज चर्चा में भाग लेते हुए मैं मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाये और जो अनियमितताएं हुई हैं उनमें कौन-कौन दोषी हैं उन्हें चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये ताकि मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त करने की जो तलवार लटक रही है वह खत्म हो और मान्यता बरकरार रह सके।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, तकनीकी दृष्टि से यह चर्चा चल रही है जिसका औचित्य नहीं है क्योंकि कार्यसूची में बाबा रामदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर लिखा है और ऐसा कालेज वहां नहीं है, कार्यसूची में यह गलत छप गया है। इसलिए गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कालेज है जिस पर यह चर्चा है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सत्य है कि मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया के मानकों का पालन करना किसी भी मेडिकल कालेज के एक आवश्यक होना चाहिए और उसके बिना यह उचित नहीं होगा कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाये जो मानकों के अनुरूप हो। इसका एक कारण है कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसी कम गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकते हैं। यहां के स्नातक और स्नातकोत्तर विदेशों में जाते हैं यदि उनकी उपाधि यहां पर विधिवत पंजीकृत नहीं है और मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वहां भी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। मान्यवर, अब प्रश्न है कि बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर की किन परिस्थिति में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा की मान्यता समाप्त हो गयी और एम० बी० बी० एस० में सीटें कम कर दी गयीं ? मान्यवर, यदि मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा जो मानक बनाये गये हैं उनके बारे में विभाग के अधिकारियों द्वारा शासन को सूचित किया है कि मानक पूरे नहीं किये जायेंगे तो इस तरह की सम्भावना है कि मान्यता समाप्त हो सकती है और मुझे पूरा विश्वास है मेरी सूचना है मेरे संज्ञान में लाया गया है कि वहां अधिकारियों, प्राचार्यों ने और प्रोफेसर ने लिखकर भेजा है कि यह कमियां हैं इनके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है वरना इस बात की सम्भावना है कि मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया हमारी मान्यता समाप्त कर सकती है, सीटें को कम कर सकती है तो इसमें उत्तरदायित्व निर्धारिण होना चाहिए।

मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया की बाध्यता नहीं होती है कि एक बार रोक लग जाए तो हटेगी नहीं। जो-जो कमियां उत्तर प्रदेश सरकार को मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया ने इंगित की हैं दुबारा मेडिकल काउन्सिल की टीम इंस्पेक्शन करती है, सरकार उन कमियों को सुधार ले, तो जितनी जल्दी हो सके वहां पुनः स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारम्भ हो जाए। इसका प्रयत्न करना चाहिए। चिकित्सकों की जो प्रदेश में कमी है उसको देखते हुए एक ओर तो मेडिकल कालेज खोलने की बात करते हैं, अन्य प्रदेशों में अन्य स्टेटों में खुले हैं और अपने प्रदेश में भी खुले हैं और खुलेंगे तो मेडिकल काउन्सिल के मानकों में किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन शासकीय संस्थायें जो दूसरी तरफ चल रही हैं उसमें लपरवाही नहीं होनी चाहिए, शासन का कहीं उसमें कोई रोल है मानक पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो मितव्ययिता करने की जरूरत नहीं है। विनोद मणि जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस प्रकार पूरी संवेदनशीलता से, पूरी सहानुभूति से त्वरित कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पत्रावली निकलवाकर देखी है कार्यसूची में जो नाम भेजा है वह बाबा रामदास गलत है सही नाम बाबा राघवदास होना चाहिए कार्यवाही में भी सही कर लिया जायेगा।

(व्यवधान)

मैं बुलवा रहा हूं। संक्षेप में सब अपनी बात कहेंगे। चार बजे तक यह समाप्त हो जाए, बातों को दोहरायें नहीं, नई बातें कहना चाहते हों तो कह दें यह अच्छा होगा।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का मौका दिया। बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मेडिकल कालेज है जिसका वास्ता पूर्वांचल में रहने वाले करोड़ों लोगों की जिन्दगी से है। मेडिकल काउंन्सलिंग आफ इण्डिया को जिन कमियों के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के हितों के विपरीत यह निर्णय लेना पड़ा कि उसने स्नातकोत्तर की शिक्षा समाप्त कर दी, स्नातक की सीटों में 50 प्रतिशत की कमी कर दी प्रदेश सरकार ने उन कमियों को समय से क्यों नहीं पूरा किया ? इस चर्चा के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि 25 वर्षों से यह मेडिकल कालेज गोरखपुर में चल रहा है। इस मेडिकल कालेज की स्थापना में स्थानीय लोग उजाड़े गये उनकी जमीनें ली गई आज इस निर्णय से वहां की जनता पर एक बज्रपात हुआ है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में मेडिकल काउन्सिल को पोस्ट ग्रेजुएशन की मान्यता खत्म करने के लिए ग्रेजुएशन की सीटें 50 फीसदी कम करने के लिए निर्णय लेना पड़ा वह परिस्थितियां किसकी वजह से पैदा हुई। जब मेडिकल कालेज द्वारा शासन को कई बार पत्र लिखा गया कि उन मानकों को शीघ्र पूरा किया जाए जिससे कालेज की स्नातकोत्तर शिक्षा, स्नातक शिक्षा की मान्यता बनी रहे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार के संज्ञान में आने के बाद उन कमियों को क्यों नहीं दूर किया गया जिसकी वजह से मेडिकल काउन्सिल को यह निर्णय लेना पड़ा। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्वांचल का भला चाहती है तो यथाशीघ्र एम० सी० आई० ने जिन कमियों को इंगित किया है उनको दूर करे और पूर्व की भांति पी० जी० क्लासेस को चालू कराये और जो स्नातक की सीटों में पचास प्रतिशत की कटौती की गयी है उसे समाप्त कराये। मेडिकल कालेज की पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाय। यह इसलिए तात्कालिक है कि इस निर्णय से वहां के जूनियर डाक्टर और छात्र 15 दिनों से धरने पर हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि यथाशीघ्र उन कमियों को दूर किया जाय, तथा मेडिकल कालेज की पूर्व की स्थिति बहाल की जाय।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे जो चर्चा चल रही है उसमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आजमगढ़ भी पूर्वांचल का क्षेत्र है और आजमगढ़ भी कुछ साल पहले गोरखपुर से सम्बन्धित था। यह गोरखपुर मण्डल में था। सब लोग यह जानते हैं कि इस मेडिकल कालेज की स्थापना के समय वहां के किसानों और मजदूरों की झोपड़ियों को उजाड़कर यह बनाया गया था। उन लोगों ने अपनी जमीन देने का काम किया था अब उनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है। जो स्नातकोत्तर क्लासेज हैं उनको खत्म कर दिया गया है और स्नातक में सीटों को पचास प्रतिशत की कटौती की है। मान्यवर, इससे जो वहां के लोगों को दवाएं मिलती थी उसको कम किया गया जबकि उसको बढ़ाने का काम किया जाय। बार-बार लिखने के बाद भी जिन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो कमियां थी उसको दूर करने का काम नहीं किया उसको इसके लिए सजा मिलनी चाहिए न कि इन गरीब मजदूरों को। यह बहुत ही चिन्तनीय बात है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो कमियां हैं, जो वहां के डाक्टर्स और स्टूडेन्ट हैं वह आन्दोलित हैं उनके आन्दोलन को समाप्त किया जाय और पूर्वांचल के लोगों को हक मिल सके। जो वहां पर पूर्व की स्थिति थी उसे बहाल किया जाय।

श्री बेचन राम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि गोरखपुर पूर्वांचल का अत्यन्त पिछड़ा हुआ जिला है । पूर्वांचल जिले में पूर्वांचल के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो फर्टीलाइजर फैक्ट्री की स्थापना हुई थी वह कई दिनों से बन्द पड़ी है इससे जनता में आक्रोश है । मान्यवर, गोरखपुर में रेलवे इंजन का कारखाना लगना था वह कपूरथला भेज दिया गया । देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा राघवदास जो कभी देवरिया की धरती से थे तब मान्यवर, गोरखपुर और देवरिया एक जिला था, चुनाव लड़ा करते थे । लोक सभा में पहुंचे थे । उस महान पुरुष के नाम से गोरखपुर की धरती पर बाबा राघवदास मेडिकल कालेज की स्थापना तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त जी द्वारा की गयी थी । उस समय पूर्वांचल की जनता को लगा कि प्रदेश सरकार की सदाशयता है कि आज गोरखपुर की धरती पर एक महान पुरुष के नाम पर मेडिकल कालेज की स्थापना की गयी है । हमें दवायें उपलब्ध होंगे उपचार होगा वह मेडिकल कालेज चल रहा था । मैं समझता हूं कि हम लोगों के क्षेत्र के जो लड़के पी० एम० टी० पास करने के बाद एम० बी० बी० एस० की शिक्षा के लिए चुन लिए जाते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे । अभी हमारे धनसज यादव जी भर्ती थे उस दौरान मुझे भी ज़ाने का मौका मिला मैंने महसूस किया कि जो वहां पर जूनियर डाक्टर्स हैं उनके अन्दर आक्रोश है, जनता के अन्दर आक्रोश है । पी० जी० कक्षाओं की मान्यता समाप्त की गयी है मैं अनुरोध करूंगा कि मान्यता वापस लेने के लिए सरकार वचन दे और स्नातक स्तर पर जो सीटें घटाई गई हैं 50 प्रतिशत उसको बढ़ाने का प्रयास करें ।

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

मान्यवर, गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कालेज जिस जगह पर स्थापित है उत्तर प्रदेश की आबादी का काफी बड़ा हिस्सा वहां रहता है । गोरखपुर मण्डल, आजमगढ़ मण्डल, देवीपाटन मण्डल और प्रतापगढ़ के साथ-साथ हमारे बिहार के जो भी सीमावर्ती जनपद हैं उन तमाम जनपदों के गरीब लोगों का वह केन्द्र है । मान्यवर, इन मण्डलों और जिलों के लोगों को इस अस्पताल के माध्यम से राहत देने की योजना थी कि निश्चित में पूर्वांचल में एक बहुत ही उपयोगिता इसकी होगी स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में ।

मान्यवर, किसी जमाने में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मेडिकल कालेज था वह भी एक बहुत बड़ा केन्द्र था, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से उसकी भी कार्यक्षमता में कमी आई और हमारी निगाह बाबा राघवदास मेडिकल कालेज पर थी कि इस इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सेवायें सुलभ होंगी । मान्यवर, पिछले 2-3 सालों से जानकारी मिल रही थी कि मेडिकल कौंसिल के निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि परास्नातक कक्षाओं में पढ़ने के लिए जो सीटें हैं उनमें कमी आ रही है । मान्यवर, आज यह महत्वपूर्ण विषय है हमारी यही अपेक्षा है कि जो भी कमियां रही होंगी आज सरकार जनहित को ध्यान में रखकर पूर्वांचल के दबे-कुचले लोगों के स्वास्थ्य और दवाओं के इन्तजाम के लिए उन शर्तों को पूरा करेगी ताकि जो हमारी मान्यता थी वह पूर्ववत् रहे और स्नातक स्तर पर भी जो सीटों की संख्या थी वह बनी रहे । यही हम सब लोगों की भावना है ।

ग्राम विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

मान्यवर, श्री विनोद मणि जी ने जो बाबा राघवदास मेडिकल कालेज गोरखपुर के संबंध में एक नोटिस दिया था जिसके संदर्भ में यह चर्चा चल रही है मैं आपकी अनुमति से इस चर्चा में भाग ले रहा हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, जब मंत्री चाहते हैं तो फिर दिक्कत क्या है जो मांग चल रही है उसको हो जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

शायद इसलिए मांग कर रहे हैं कि इसमें प्रदेश सरकार से बाहर मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया का भी संबंध है ।

*श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए आपका संरक्षण चाहता हूं । अभी माननीय वन मंत्री जी बोल रहे थे अब दूसरे मंत्री बोल रहे हैं । सरकार की तरफ से राज्य मंत्री इसका जवाब देंगी । मैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए जानना चाहता हूं कि क्या यह उचित है । सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, मैं बैठा हूं, वह सरकार से मांग करें इसमें क्या आपकी राय है यह मैं जानना चाहता हूं ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, सुझाव की बात है, कोई भी दे सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा का विषय ऐसा है कि जिसमें क्षेत्रीय हित भी सन्निहित है । कुछ मंत्री ऐसे हैं कि उनका स्वयं का निर्वाचन क्षेत्र है कुछ और बगल के निर्वाचन क्षेत्र के हैं वह क्षेत्रीय हित से सम्बन्धित है । इसमें मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया का भी संबंध है तो जहां तक प्रदेश से बाहर और जिसके ऊपर प्रदेश सरकार का नियंत्रण नहीं है । ऐसी किसी संस्था से कोई मांग करना है तो मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी ऐसी चर्चा में भाग ले सकते हैं । अपनी सरकार से जहां तक मांग करने की बात है उसके लिए तो कह रहे हैं ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उसकी शर्तों को पूरा करना राज्य सरकार की बात है । उसकी शर्तों को पूरा कर दें तो मेडिकल कौंसिल को करने में समय नहीं लगेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं अभी सरकार का वक्तव्य आयेगा, मान्यवर, अगर सरकार का वक्तव्य अलग आयेगा और दोनों में अन्तर होगा तो क्या स्थिति होगी ?

श्री अध्यक्ष–

पहले मंत्री जी की बात आ जाय फिर सम्बन्धित मंत्री की बात आ जाय ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

हो सकता है कि मैं सरकार की ही बात रखता

(व्यवधान)

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (डा० शीमा रिज़वी)–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस विषय पर चर्चा करने के लिए माननीय विनोद मणि जी ने पहल की और सभी सम्मानित सदस्यों ने जिन लोगों ने इस बात का समर्थन किया और अपनी वेदना को प्रकट किया । मैं उन सबसे बहुत विनम्र निवेदन करते हुए सरकार का पक्ष रखना चाहती हूं । वास्तव में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार इस विषय पर उदासीन नहीं है और पूर्वांचल की जनता के दर्द को पूरी तौर से समझते हुए, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उस इलाके में भी गुणात्मक सुधार हो सके, ऐसा प्रयास कर रही है। इस विषय पर सबसे पहले तो इस बात को इंगित कराना आवश्यक समझती हूं कि एम० सी० आई० ने कुछ कमियां निकाली थीं, बताई थीं और यह सही है कि समय-समय पर सरकार की जानकारी में यह विषय आता रहा, परन्तु पूरी तौर से इस समय एम० सी० आई० की ओर से एक कड़ा निर्देश दिया गया, जिसकी बिना पर राज्य सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ा है। इसमें शिक्षण स्टाफ की कमी दर्शाई गई। उपकरणों की सुविधाओं की कमी दर्शाई गई और शैय्याओं की कमी दर्शाई गई। हमारा ऐसा प्रयास है कि यह कमियां हम जल्द से जल्द पूरी कर सकें और जैसा किसी माननीय सदस्य ने यह कहा भी था कि इस तरह की मान्यता सदैव के लिए समाप्त नहीं की जाती, वरन् केवल एक वर्ष। यह अवश्य है कि इस तरह का नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, लेकिन आगामी सत्र से पूरी तौर से वहां पढ़ाई शुरू हो सकेगी और उन कमियों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे इसके लिए माननीय मंत्री जी ने मैं आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं कि गत 8 तारीख को इस महीने की, केन्द्र के मंत्री से मिलकर एक पत्र के माध्यम से अपनी बात उनके सम्मुख रखी है और उन्होंने इस बात का मौखिक रूप से स्वीकृति भी दे दी है। इसका उत्तर लिखित रूप में राज्य सरकार को इस महीने के अन्त तक अथवा अगले महीने के प्रारम्भ तक मिलने की सम्भावना है। इस पत्र के मिल जाने के उपरान्त जल्द से जल्द पढ़ाई प्रारम्भ कर दी जायेगी, ऐसा हमें विश्वास है। लेकिन साथ-साथ माननीय सदस्यों को इस तथ्य से भी अवगत कराना चाहती हूं कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में 13 विषयों की पढ़ाई चल रही थी लेकिन गत 10 वर्षों से उसकी मान्यता नहीं मिली थी। प्रयास किया जा रहा था लेकिन अब पूरी तौर से हमारी सरकार सजग है और सार्थक प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द उन कमियों को पूरा किया जाय जो 3 कमियां एम० सी० आई० की ओर से दर्शाई गई हैं। इसमें प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी गयी है और मैं बताना चाहती हूं कि अधियाचन बन रहा है और लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए जो रिक्त स्थान हैं, उनकी पूर्ति यथासंम्भव कर दी जायेगी और उपकरणों की सुविधा भी मेडिकल कालेज, गोरखपुर में जल्द से जल्द कर दी जाय, ऐसा राज्य सरकार प्रयास कर रही है। लोक सेवा आयोग पूरी तौर से इन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार होता है, उसमें तत्परता लाई जा सके और नियमों में यदि कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो वह संशोधन करके नियमावली को जल्द से जल्द प्रस्तुत करके अधियाचन को अन्तिम रूप देकर यह प्रक्रिया समाप्त कर दी जाये और माननीय सदस्यों की जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बताना चाहूंगी कि वहां पढ़ाई जल्द से जल्द प्रारम्भ होगी, ऐसा राज्य सरकार का प्रयास है।

मान्यवर, एक बात आपके माध्यम से और बताना चाहती हूं माननीय सदस्यों को, 1978 में मेडिकल कालेज गोरखपुर को मान्यता मिली थी तब 1980 में मान्यवर, 50 सीटों के लिए एम० बी० बी० एस० के लिये यहां पर परमीशन दी गयी थी लेकिन 1986 से इन 50 सीटों को बढ़ाकर अचानक 105 कर दिया गया था, उस समय भी किसी भी प्रकार से इसकी कहीं भी स्वीकृति एम० सी० आई० के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई थी और यही कारण है कि एम० सी० आई० की ओर से उसके बाद समय-समय पर इस बात के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, निरीक्षण किया गया जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था कि एक टीम आती है, निरीक्षण करती है और उसके बाद वह कोई निर्णय लेती है। सरकार को समय भी दिया गया लेकिन समय रहते उसकी पूर्ति न हो सकी जिसके कारण एम० सी० आई० ने एक कठोर कदम उठाया। लेकिन अब यह सरकार पूरी पूरी तौर से उसमें एक सार्थक भूमिका निभा रही है। यही कारण है कि राज्य सरकार का मंत्री केन्द्र सरकार के मंत्री के पास स्वयं चिट्ठी लेकर जाता है और निवेदन करता है और उसके निवेदन को स्वीकार किया जाता है और इसके आधार पर मैं माननीय सदस्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकती हूं कि "न सही बाबे कफस, रोजाने जिंदा तो खुला"।

श्री विनोद मणि–

माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं लेकिन एक बात माननीय मंत्री जी ने कहा राज्य सरकार का प्रयास होगा उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा बहाल करने के सवाल पर, एम० बी० बी० एस० की सीटें जो कम कर दी गयी हैं, प्रयास होगा लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, महत्वपूर्ण सवाल है, सत्तापक्ष के लोगों की भी बात आयी है, हम जानना चाहते हैं कि क्या यह जो समस्या पैदा हो गयी है । प्रदेश सरकार की या कुछ सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है । क्या इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करके एम० सी० आई० के मानक को पूरा करके बजट के पूर्व, इस सत्र की पढ़ाई जो बाधित हो रही है क्या उसके लिए माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पढ़ाई में बाधा नहीं आयेगी और उपकरण आदि के लिए इस बजट में भी कोई प्राविधान करेंगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीया मंत्री जी, आपके पास कहने को कुछ बचा है ?

डा० शीमा रिजवी–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य की जिज्ञासा की पूर्ति के लिए इतना कहना चाहती हूं कि जो छात्र इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा । यह व्यवस्था आगामी सत्र के लिए और जैसा कि माननीय सदस्य ने एक बात जाननी चाही है, मैं अपने उत्तर में पूर्व में ही कह चुकी हूं कि आगामी 4 महीने में ऐसी व्यवस्था कर ली जायेगी और मैं समझती हूं कि यह अगले बजट के लिए ही मैं बात कह रही हूं और आगामी 4 माह उसी के बीच आते होंगे ।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा समाप्त की जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

श्री अध्यक्ष–

इससे पहले कि उच्च शिक्षा मंत्री जी अपना भाषण प्रस्तुत करें एक अनुरोध करना चाहता हूं । उच्च शिक्षा के आय-व्ययक पर मैं लगभग डेढ़ घंटे का समय निर्धारित करता हूं जिसमें माननीय मंत्री जी का भाषण और कटौती के प्रस्तावक का भाषण आदि शामिल रहेगा । 6 बजे तक इसको समाप्त कर दें।

सिंचाई एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,26,66,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, प्रदेश में उच्च शिक्षा कई समस्याओं से ग्रसित है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक तरफ बढ़ती आबादी के कारण शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ आर्थिक दबाव के कारण आवश्यकतानुसार शिक्षण संस्थायें नहीं खुल पा रही हैं और इसी के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की कमी की बात को आज सभी स्वीकार करते हैं । लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी प्रयास किये जा रहे हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन बढ़े और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो । इन समस्याओं से निपटने के लिए शासन की नीति है कि जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनसे परामर्श करके ही और उनके सहयोग से समस्याओं का समाधान किया जाय । इस

दिशा में किया गया प्रयास बहुत सार्थक सिद्ध हुआ है । सभी अवगत हैं कि पिछले महीने में कुलपति सम्मेलन बुलाया गया जो एक सार्थक सम्मेलन सिद्ध हुआ । मैं समस्त कुलपति महोदयों को बधाई दूंगा कि उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए कई निर्णय लिये और अपने ऊपर जिम्मेदारी भी स्वीकार की । इस निर्णय में सबसे प्रथम निर्णय उच्च शिक्षा जगत में सत्र को नियमित करने के लिए निर्णय लिया गया । मुझे प्रसन्नता है कि सभी कुलपति इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं । उन्होंने निर्णय लिया कि इस वर्ष की परीक्षायें मई के अन्त तक समाप्त हो जायं और यह समाप्त कर रहे हैं केवल लखनऊ विश्वविद्यालय ऐसा है जिसमें 20 साल से सत्र नियमित नहीं हुआ है लेकिन इस वर्ष वहां भी सत्र नियमित होने जा रहा है । बीच में छात्र संघ का चुनाव भी उन्होंने शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न करा लिया है । इस चुनाव के कारण परीक्षायें 28 जून को समाप्त होंगी । सभी कुलपतियों ने इस बात का निर्णय लिया, संकल्प लिया कि 16 जुलाई से सभी विश्वविद्यालयों में अगला नया सत्र प्रारम्भ हो जाय । लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी इस बात का संकल्प लिया है कि बी० ए०, बी० एस० सी० और एम० ए० प्रथम वर्ष की क्लासेज 16 जुलाई से शुरू कर देंगे और यह भी संकल्प लिया कि यह जो सत्र अनियमित होने का एक बहुत बड़ा कारण था कि साल भर प्रवेश प्रक्रिया चलती रहती थी, अगले सत्र में 30 अगस्त के बाद कोई भी प्रवेश नहीं होगा । मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जिस विश्वविद्यालय में पिछले कई वर्षों से सत्र नियमित नहीं हो पाया उस विश्वविद्यालय का सत्र भी इस वर्ष नियमित होगा । यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि है । पूरे प्रदेश में सभी विश्वविद्यालयों के सत्र नियमित किये जायेंगे जिससे पूरा शिक्षा जगत परेशान था कि कब पढ़ाई होगी, कब तक प्रवेश चलेगा, कब परीक्षायें होंगी तथा कब रिजल्ट आयेगा, कुछ भी निश्चित नहीं था । पहली बार शत प्रतिशत विश्वविद्यालयों में यह निश्चित होने जा रहा है । 16 जुलाई से पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नये सत्र का पठन-पाठन प्रारम्भ हो जायेगा । दूसरा संकल्प किया कि सभी विश्वविद्यालयों के कला क्षेत्र के स्नातक कक्षाओं में समान पाठ्यक्रम लागू किया जाये । कुलपतियों ने इसमें प्रयास किया है । अनेक विषयों के समान पाठ्यक्रम तैयार हो गये हैं, शेष भी इस महीने और अगले महीने के प्रारम्भ तक तैयार हो जायेगा और अगले सत्र में सभी विश्वविद्यालयों में कला के क्षेत्र में स्नातक स्तर पर समान पाठ्यक्रम लागू होगा ।

मान्यवर, सभी इस बात से सहमत हैं और परेशान हैं कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक प्रश्न पत्र का एक ही स्वरूप बना रहता था । 8 प्रश्न में से कोई 5 प्रश्न करना अनिवार्य है और इस कारण विकृति यहां तक पहुंची कि पठन-पाठन इम्पोर्टेंट टापिक और इम्पोर्टेंट क्वेशचन तक सीमित हो गयी, गेस पेपर तक सीमित हो गया क्योंकि उच्च शिक्षा केवल एक औपचारिक शिक्षा बन गयी । पाठ्यक्रम के हर चैप्टर को न पढ़ना, इम्पोर्टेंट टापिक को पढ़कर डिग्री प्राप्त करना यह उच्च शिक्षा का चरित्र बन गया था । सभी कुलपतियों ने और बाद में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों की भी बैठक की उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया और पूरा सहयोग देने का वायदा किया । अब उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा शायद देश में पहला प्रदेश है जहां इम्पोर्टेंट क्वेशचन इम्पोर्टेंट टॉपिक और गेस पेपर तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर विद्यार्थी को सिलेबस का हर चैप्टर पढ़ना होगा और शिक्षक हर चैप्टर पढ़ाने के लिए बाध्य होगा क्योंकि हर चैप्टर से छोटे उत्तर देने वाले क्वेशचन होंगे । यह क्वेशचन नम्बर 15–20 या 25 हो सकता है, आब्जेक्टिव भी हो सकता है । परिणाम यह होगा कि प्रश्न-पत्र का स्वरूप बदलेगा और छात्रों की सुविधा के लिए यह निर्णय किया गया है । उस प्रश्न-पत्र का एक माडल अखबार में पहले से ही छपवा दिया जाय । पूरे सिलेबस को एक-एक चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। शिक्षक पर भी दबाव होगा । जो इम्पोर्टेंट क्वेशचन बताकर या पढ़ाकर मुक्ति पा लेते थे । वह भी प्रथम चैप्टर से लेकर अन्तिम चैप्टर तक पढ़ाने के लिए बाध्य होगा ।

देश के अन्दर उत्तर प्रदेश में पहला पहल हो रहा है जिसमें इस प्रकार के प्रश्न पत्र बनाने की सहमति सभी ने व्यक्त की है जिससे कि पठन पाठक का स्तर बढ़ेगा, गुणात्मक सुधार होगा । सही अर्थ में किसी विषय का पूरा ज्ञान रखकर डिग्री प्राप्त करेगा अर्थात् उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा की डिग्री एक सार्थक डिग्री होगी, ज्ञानवान डिग्री होगी । यह भी निर्णय लिया गया है जिसमें पहल शुरू कर दी गयी है अगले सत्र में ऐसा ही होगा । लेकिन इस सबके बावजूद छात्र अनुशासन स्थापित रहे कक्षा में बहुत से अधिक छात्रों का प्रवेश जिसमें बैठने की सुविधा नहीं है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि अब जितनी सीटें होंगी जितनी संख्या होगी उतने ही प्रवेश मेरिट के आधार पर छात्रों को दिया जायेगा लेकिन किसी छात्र को अगर सामान्य स्तर का छात्र है लेकिन ग्रेजुएट के लिए डिग्री लेना चाहता है तो उसको वंचित नहीं किया जाएगा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस सरकार ने निर्णय लिया है ओपन यूनीवर्सिटी स्थापित करने का । जिसमें जिन लड़कों को प्रवेश नहीं मिल रहा था या जो लड़के पूरा समय देकर कालेज में नहीं पढ़ सकें ऐसे छात्रों के लिए पत्राचार कोर्स के माध्यम से पठन-पाठन का अवसर मिल सके, डिग्री मिल सके । इम्तिहान देने का अवसर मिल सके. ओपन यूनीवर्सिटी पत्राचार कोर्स और प्राइवेट भी ग्रेजुएट क्लास में परीक्षा देने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है जिससे मेधावी छात्र हों तो वह प्रवेश देकर पढ़ लें लेकिन जो सामान्य स्तर के छात्र हैं वह अन्य साधनों से डिग्री लेने से वंचित न रह जाएं ।

यह भी प्रयास किया गया है । पत्राचार कोर्स के माध्यम से प्राइवेट या ओपन यूनीवर्सिटी में प्रवेश लेकर परीक्षा पास कर सकें और ग्रेजुएट बन सकें । कक्षाओं में जब इस तरह का वातावरण हो जहां अटेंडेंस ली जा सके व अनुशासित ढंग से पढ़ाया जा सके इसके लिए अध्यापकों की जिम्मेदारी दी गई है । अध्यापकों ने इसे स्वीकार किया है वह अब 180 दिन कक्षाओं में पढ़ाना अनिवार्य होगा हर छात्र 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी । इसके बाद ही परीक्षा में बैठने के लिए छात्र अधिकृत होगा ।

(इस समय 4 बजकर 23 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पुनः पीठासीन हुए ।)

75 प्रतिशत उपस्थिति होगी 180 दिन कक्षाओं में सालाना बैठने का वातावरण होगा शिक्षक पूरे समय पढ़ाएंगे तो उच्च शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन अनिवार्य रूप से होगा । उच्च शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाए बिना उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा की प्रतिष्ठा स्थापित नहीं हो पायेगी । एक बात से सभी सहमत हैं छात्र संघ भी विश्वविद्यालयों के अन्दर का अनुशासन और सत्र को अनियमित करने में भागीदार होते थे और छात्र संघ हर प्रकार के छात्रों की संस्था नहीं बन पाई थी । इसलिए छात्र संघ के नियमों में परिवर्तन किया गया है अब कोई भी पेशेवर छात्र नेता अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए छात्र बनकर पूरे छात्र संस्था का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के लिए करें एवं छात्र नेता के नाम पर छात्र हितों का हनन करे, गुमराह करे इसकी अनुमति नहीं होगी । इसलिए सबने निर्णय किया कुलपति सम्मेलन ने निर्णय लिया शिक्षक संघ और राज्यपाल ने निर्णय किया कि 25 वर्ष की ऊपर की आयु के छात्र अब छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ पायेंगे । छात्र संघ सभी की संस्था बने । इसलिए यह निर्णय लिया गया कि 5 अनुसूचित वर्ग, 5 मेधावी छात्र 5 महिला वर्ग एक खिलाड़ी वर्ग से अब कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा । जब छात्र संघ का स्वरूप मेधावी होगा, महिलाओं का प्रतिनिधि स्वरूप होगा, खिलाड़ियों का प्रतिनिधि स्वरूप होगा तो नेतागिरी नहीं चलेगी वहां छात्रों के हितों को अनदेखी नहीं होगी । बी० एड० की डिग्री रोजगार परक है । अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में साढ़े ग्यारह हजार छात्रों को बी० एड० की डिग्री देने हेतु सम्बद्धता प्रदान कर दी गयी है उसमें से एक हजार छात्र बी० एड० की डिग्री के बाद नौकरी पाते हैं । बी० एड० को अन्य विभागों के साथ सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी । केवल वहां की जायेगी जहां बी० एड० का डिपार्टमेन्ट न हो और आवश्यकता के अनुसार ही सम्बद्धता प्रदान की जायेगी । कई स्ववित्त पोषित संस्थायें खुल गयी हैं जो बी० एड० की

डिग्री की मान्यता ले कर अपना धंधा चला रही हैं। उन पर रोक लगाई जायेगी। बी० एड० के नये विभागों की स्वीकृति अतिआवश्यक हुआ तभी दी जायेगी।

मान्यवर, यह युग कम्प्यूटर का है। हर कोई कम्प्यूटर सीखना चाहता है। हमने कम्प्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में कर रहे हैं। निजी कम्पनियों से बात हो चुकी है वे तैयार हो गये हैं। जो छात्र चाहे एक निर्धारित शुल्क देकर अपने विद्यालय में कम्प्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति यह योजना करेगी। उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए दो निर्णय लिये गये हैं कि जो विश्वविद्यालय उत्कृष्ट शिक्षण और वित्तीय अनुशासन के लिए सर्वोच्च माना जायेगा। ऐसे तीन विश्वविद्यालयों को प्रतिवर्ष चयनित किया जो पिछले वर्ष भी किया गया था उनमें से प्रथम स्थान पाने वाले विश्वविद्यालय को डेढ़ करोड़, द्वितीय स्थान पाने वाले को एक करोड़ और तृतीय स्थान पाने वाले विश्वविद्यालय को 50 लाख रुपये का प्रोत्साहन अनुदान दिया जायेगा। शिक्षकों की कठिनाई पर भी ध्यान दिया गया है। जो शिक्षक 30 जून को रिटायर हो रहा है वह अगर अपने पेंशन से सम्बन्धित समस्त कागजात 31 जनवरी तक निदेशालय में जमा कर देगा उस शिक्षक को पैसे की स्वीकृति के आदेश शीघ्रतम 31 जुलाई तक अवश्य दे दिया जायेगा। शिक्षक एक निश्चित रूप से बहुत ही सामान्य स्वरूप निष्ठावान समझा जाता है। इनको पैसे के लिए भटकना पड़े यह उचित नहीं लगता। आर्थिक दायित्वों के कारण कठिनाइयों के कारण बढ़ती आबादी की अपेक्षानुसार विश्वविद्यालय नहीं खोले जा पा रहे हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्र में जहां कोई भी महाविद्यालय नहीं है, अगर कोई निजी क्षेत्र में महाविद्यालय खोलना चाहता है, शासन की एक स्कीम है, उसके तहत 20 लाख से 50 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। इस वर्ष भी 10 ऐसे महाविद्यालयों को असेवित क्षेत्रों में, जो निजी क्षेत्र में विद्यालय खोलने के लिए आगे आये, प्रथम किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपये की सहायता उन्हें दी गई है और आगे भी दी जायेगी। एक नई स्कीम प्रयोग के रूप में शासन ने चला रखी है। स्ववित्त पोषित महाविद्यालय जो निजी क्षेत्र में महाविद्यालय खोलना चाहते हैं सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उन्हें बिना किसी रोक के स्ववित्त पोषण के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिससे कि समाज के शिक्षा की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। अभी यह प्रयोग के रूप में है, इसलिए इन पर नियंत्रण के लिए नियम बनाये जा रहे हैं। लेकिन दो चीजें हैं, हमें शिकायतें मिली, शिक्षकों से भी मिली और जगहों से भी मिली कि कुछ लोग, जिसे हम जुगाड़ कहते हैं, बिना मानक पूरा किये मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी संस्थाओं के जांच के आदेश दे दिये गये हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसे विद्यालय हैं जो स्ववित्त पोषित क्षेत्र में बिना मानक पूरा किये मान्यता प्राप्त कर लिया है तो निश्चित रूप से उसकी जानकारी हमें दें, उनकी जांच करा ली जायेगी, ऐसा कोई विश्वविद्यालय अगर पाया गया तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी। दूसरा यह भी है कि अगर कोई संस्था सरकार की सहमति से चलती है तो उसमें काम करने वाले लोग सुरक्षित रह सकें, उन्हें मिनिमम सुरक्षा गारन्टी दी जा सके स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में, जैसे शिक्षकों की सेवा शर्तों और उनका न्यूनतम वेतन सुरक्षित रह सके, इसके लिए भी नियम बनाये जा रहे हैं।

श्रीमन्, सम्बद्धता के बारे में कठिनाइयां आती हैं और इसमें शिकायतें भी मिलती रही हैं, इसमें जो क्लीयरेन्स प्राप्त करने के लिए स्टेज थी, महाविद्यालय ने क्लीयरेन्स के लिए एप्लाई किया, वहीं यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आती थी, कि क्लीयरेन्स दी जाती है, फिर डिस्टिक्ट रिपोर्ट भेजी जाती थी तब जाकर समबद्धता हेतु पत्रावली आगे जाती थी, हमने अनावश्यक रूप से इसे दोहरी प्रक्रिया माना, अब यह क्लीयरेन्स व्यवस्था समाप्त हो गयी है। कोई भी विद्यालय सम्बद्धता के लिए एप्लाई करेगा तो सीधे विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मंगवाकर और उसका परीक्षण करके कुलाधिपति के पास भेज दी जायेगी। श्रीमन्, एक और विचार चल रहा है। ग्रेजुएट तक की शिक्षा सभी को मिले, यह अवश्य

समझ में आता हैं परन्तु स्नातकोत्तर कक्षाओं में डिग्री सबको मिले चाहे वह सामान्य श्रेणी का ही क्यों न हो, यह आवश्यक नहीं है । पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री एक विशिष्ट डिग्री होनी चाहिए और उसकी एक मान्यता होनी चाहिए उससे प्रदेश का उच्च शिक्षा स्तर, मान्यता, सम्मान और पहिचान बनती है । इसलिए इस बात पर विचार किया जा रहा है कि सामाजिक दबाव और सामाजिक मान को देखते हुए, अन्डर ग्रेजुएट शिक्षा जो भी लेना चाहे, वह ले लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की होनी चाहिए। जितने सीटों की मान्यता दी गयी है उतने ही प्रवेश मेरिट के आधार पर हों और वहां शिक्षा का बहुत ही अच्छा गुणात्मक सुधार हो। ऐसी व्यवस्था करने पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है कि स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाय । इस तरह से इस प्रदेश में जो कुल 22 विश्वविद्यालय शासकीय और अशासकीय 763 महाविद्यालय, 225 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय को मान्यता दी गयी है और जिसमें लगभग 12 लाख छात्र पढ़ते हैं । उनके उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए, शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन स्थापित करने के लिए, नियमित रूप से सत्र चले इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है । मुझे पूरा विश्वास हैं कि सदन के सभी माननीय सदस्य अपने योग्य सुझाव देंगे और इस उच्च शिक्षा के बजट को स्वीकृति प्रदान कर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने में पूरा सहयोग करेंगे ।

* डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है । मान्यवर, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी योग्यता से इस बजट को रखा है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर आप देखें तो इस उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट को जोड़ा गया है सिंचाई के साथ । जबकि इसके लिए अलग एक दिन होना चाहिए था । सिंचाई के सैलाब में उच्च शिक्षा बच पायेगा कि नहीं यह हमेंको देखना है । (व्यवधान) सुरक्षित तो इसलिए है कि वह एक अध्यापक ने पेश किया है । मान्यवर, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बजट है अगर इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो जिस वक्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी आई थी लार्ड मैकाले हिन्दुस्तान में हुकूमत करने का नक्शा बना रहे थे शिक्षा नीति ग्रेजुएट बनाने की और ईस्ट इंडिया कम्पनी के लिए क्लार्क, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर बनाये गये थे । एक तरह से नौकरों की जरूरत थी अपनी कम्पनी के लिए और इत्तेफाक से यह दुर्भाग्य है और हम सब उसके लिए भागीदार हुए । आज यह उच्च शिक्षा का बजट है कुछ ऐसी चिन्ता भी करनी चाहिए । आज तक हम उसी शिक्षा नीति को अपनाते आ रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया । अगर इसमें परिवर्तन करते तो एक आजाद मुल्क के लिए जो परिवर्तन इसमें होना चाहिए था वह हो जाता । आज अगर हम देखें तो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसमें 22 यूनीवर्सिटी, 61 गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज हैं, 80 एडेड डिग्री कालेज हैं । कुल मिलाकर 12 लाख छात्रों की बात कही । इतने बड़े डिपार्टमेन्ट की ग्रान्ट देखें 326 करोड़ रुपये, 66 लाख और 70 हजार है ।

माननीय मंत्री जी कृपया यह भी बतायें कि कितना पैसा आप तनख्वाह पर, लेबोरिटीज पर, कितना पैसा इसकेअन्दर स्टेडियम और एक्स्ट्रा कैलीकुलर और को कैलीकुलर एक्टीविटीज के लिए खर्च कर रहे हैं । इसके लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया के कमीशन है, उत्तर प्रदेश सरकार का कमीशन है, हाईयर एजूकेशन ग्रेट ब्रिटेन का है । इन सब बातों के लिए कितना पैसा आपने रखा है । यह हमारी मजबूरी है, कुछ ऐसा है कि शिक्षा का जब नाम आता है तो और चीजों के लिए तो प्राविधान हो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाता है लेकिन शिक्षा पर कटौती की गाज गिरती है। इस बजट से आप केवल तनख्वाह दे पा रहे हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए कालेज में पैसा नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूं 1975 में मैंने एक डिग्री कालेज खोला था। फाउन्डेशन स्टोन रखा गया। महमूदाबाद में फखरुद्दीन अली अहमद पोस्ट ग्रेजुएट कालेज। आपके पास क्षमता नहीं, विभाग के पास पैसा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्वान्टिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं क्वालिटी के ऊपर नहीं। एक्सपेंशन पर ध्यान देते हैं कन्सोलिडेशन पर ध्यान नहीं। तनख्वाह देने की बात कर रहे हैं। किस तरह से लाइब्रेरी को लेबोरेटरीज को अच्छी चीजों से इक्विप्ड करें ? मान्यवर, आज उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि इससे पूरा प्रदेश प्रभावित होगा, आने वाले छात्र और आने वाले प्रशासनिक लोग कैसे होंगे और आने वाला प्रदेश कैसा होगा यह उच्च शिक्षा प्रणाली कैसी हो इस पर निर्भर करता है। आज होड़ लगी है कि विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, एल० एल० बी० अथवा अन्य कोर्स कर लें। मान्यवर, आज कैम्पस में सबसे बड़ी समस्या अनुशासन की है। इसलिए हम चाहते हैं कि क्यों न सभी पोलीटिकल पार्टीज बैठकर फैसला लें कि जो यूनिवर्सिटीज, कालेजेज के जो कैम्पस हैं उन्हें कुछ दिनों तक राजनीति से दूर रखेंगे। हम अगर यह फैसला कर लें तो क्वालिटी में सुधार आ जायेगा और जो समस्या आ जाती है कि शिक्षा सत्र पूरे नहीं होते हैं तो वह होने लगेंगे। मान्यवर, आज यूनियन के दफ्तर ऐंटी लोगों के अड्डे बन गये हैं और छात्रावास विरोधी तत्वों के पनाह घर बन गये हैं। यह चीजें हम सभी को मिलकर करना होगा।

मान्यवर, वाइस चांसलर के सेलेक्शन की बात आती है। मैं जानना चाहता हूं कि वाइस चांसलर के सेलेक्शन की जो सूची जाती है क्या उसमें यूनीफार्मिटी होती है ? इसलिए जो सूची भेजी जाय उसमें एकरूपता हो और उसके द्वारा नियुक्ति की जाय। इसमें ध्यान देने की जरूरत है। जो मानक हैं उसके हिसाब से शिक्षा के विशेषज्ञों को उसमें रखें। अध्यापक को यदि वाइस चांसलर बनाते हैं; प्रोफेसर को वाइस चांसलर बनाते हैं तो हम विश्वविद्यालय में कन्ट्रोल कर सकेंगे। यदि बाहर के लोगों को वाइस चांसलर, एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं तो यूनिवर्सिटीज का वातावरण बिगड़ने लगता है। इसलिए इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि वाइस चांसलर बनायें तो वहीं के लोगों को बनायें।

मान्यवर, इसी तरह से एडमीशन की पालिसी में एकरूपता होनी चाहिए इसी तरह फीस में भी एकरूपता होनी चाहिए। मान्यवर, नेट और पी० एच० डी० की बात आयी। नेट जो था उसको पी० एच० डी० से मुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन से एक पत्र आया था जिसकी सूचना जगह-जगह नहीं पहुंची जिसके कारण अध्यापकों को लाभ नहीं पहुंचा और ना मालूम कितने लोग बेकार रह गये। आज ना मालूम कितनी वैकेंसीज हैं जिसके कारण एक-एक लेक्चरार को कितना अधिक पढ़ाना पड़ता है जिसके कारण क्वालिटी में गिरावट आयी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि शिक्षा में कुछ दिनों तक इक्सपैन्सन न करें लेकिन जो है उसको कन्सोलीडेट जरूर करना चाहिए।

मान्यवर, मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह विश्वविद्यालयों की तरफ ध्यान दें क्योंकि वह आटोनामस बाडी है। मान्यवर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि कल मैं अपने दफ्तर में बैठा था जहां मुझे एक लिफाफा मिला। उसमें लिखा है कि श्री प्रमोद कुमार, नेता विधान मण्डल दल, कांग्रेस आई, उप कुलपति। इसमें इनके पास इक्जामिनेशन की कापी भेजी है और कहा है कि आपके पास कापी भेजी जा रही है, एडमिटकार्ड है, प्रश्न पत्र बाद में भेज दिया जायेगा, आप उत्तर भेज दें। यह लिफाफा मैं आपके पास भेज दूंगा। आप इसके ऊपर अपना उत्तर लिखकर भेज दीजिए तो क्या यह माननीय ओम प्रकाश जी और प्रमोद कुमार जी के ही पास आई है, मैं तो पुराना अध्यापक हूं मेरे पास क्यों नहीं आई ? कापी भेज दी गई, नकल करने की जिनको पुरानी आदत है उन-उनको भेज दी गई।

(हंसी)

श्री प्रमोद कुमार–

हुकुम सिंह जी को शिकायत है उनके पास क्यों नहीं भेजी गई मैं बताना चाहूंगा कि यह पढ़े-लिखे लोगों को भेजी गई है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

पढ़े लिखे तो हैं मगर नकल करके।

(हंसी)

डा० अम्मार रिजवी–

सुधार की बात कही गई, बात तो महत्वपूर्ण है आपके पास काफी रिक्तियां हैं अंशकालिक, विद्यालय कानपुर में हैं आसपास सैकड़ों टेण्ट लगाये लोग पड़े रहे, तीन-चार साल से पड़े रहते हैं उनकी पूरी क्वालिफिकेशन है। उनको किसी प्रकार से जगह नहीं मिल रही है भुखमरी और बेकारी के कगार पर है। इसको देखना होगा अधिक से अधिक लोगों को, जो योग्य हैं क्वालिफाइड हैं उनको हम रख सकते हैं। मान्यवर, मैं एक निवेदन करूंगा, यहां लखनऊ विश्वविद्यालय की बात माननीय मंत्री जी ने कही इसमें कोई शुभा नहीं है कि इम्तहान सही वक्त पर हो रहे हैं। 28–29 जून तक परीक्षायें खत्म हो जाएगी इसका प्रयास किया जा रहा है। चुनाव हो रहे हैं चुनाव जहां-जहां हुए, जितने बिश्वविद्यालयों में चुनाव हुए हैं, कितना बन्दोबस्त पुलिस का चुनाव के लिए करना पड़ता है, विश्वविद्यालय बिल्कुल छावनी बनने लगता है। तो कोई न कोई सूरत इख्तियार करनी पड़ेगी, जो पुलिस के जरिए चुनाव हो रहे हैं उसमें कमी करायें। मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय ने अण्डर ग्रेजुएट कालेज के व्यक्ति को शिया कालेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, उसी दिन सेलेक्शन होता है, 27 तारीख को तीन बजे, 10 बजे मैनेजिंग कमेटी एप्रूव करती है और 11 बजे रात में अनुमोदन होता है, मान्यवर, सन् 1956 में मैं भी पढ़ा था तीन बार शिक्षा मंत्री रहा हूं 80 साल के इतिहास में 11 बजे रात में किसी कालेज में अनुमोदन नहीं दिया गया। आप इतने योग्य मंत्री हैं आप इसकी जांच करायें इस तरह की घटनायें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही हैं. विश्वविद्यालय में, इसको देखने की आवश्यकता है। आटोनमस संस्थायें हैं सही है लेकिन जिस तरीके से काम कर रहे हैं इस पर नजर डालनी होगी। जिस तरह से साइंस के कोर्सेज चल रहे हैं बी० एड० की बात कही गयी लेकिन वह समय आ गया है टैक्नोलाजी, इन्फारमेशन टैक्नोलाजी, कम्प्यूटर पर ध्यान दिया जाए। अब जमाना बहुत आगे चला गया है और हमें उसके साथ चलना होगा। जब हम कालेज खोलें, 30, 40 लाख रुपये देकर बनाते हैं तो उसमें बी० एड० और एम० एड० तक ही नहीं सीमित रखें बल्कि उसमें कम्प्यूटर साइंस और इनफारमेशन टैक्नोलाजी की शिक्षा भी होनी चाहिए ताकि जो छात्र निकले वह केवल दरख्वास्त लेकर नौकरियों के ही चक्कर न लगायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो पैसा है वह अपर्याप्त है, तनख्वाहें सिर्फ आप दे रहे हैं। तो कृपया ज्यादा पैसा लें। जब तक ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, तब तक इसको बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, जब तक लाइब्रेरी और लेबोरेटरीज की बात नहीं करेंगे तब तक उच्च शिक्षा देना सिर्फ कागजों पर ही आप कह सकते हैं। आप उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा के रूप में नहीं दे सकते हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से लापरवाही की सोच और दूरदृष्टि का न होना इसके कारण इस प्रदेश और देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शिक्षा, निरक्षरता और अशिक्षित होना इन तीनों में बहुत अन्तर है। निरक्षर का अर्थ जिसे शब्दों का ज्ञान नहीं है, सामान्य रूप से

सूचनाओं को ग्राह्य नहीं कर सकता है अपनी सूचनाओं को सम्प्रेषित नहीं कर सकता है। शिक्षित का अर्थ है मनुष्य के रूप में वह अपने जीवन को सार्थक करे और एक परिपूर्ण ह्यूमन बियिंग बन सकें और उच्च शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व को एक नया आयाम देती है और विशेषज्ञता देती है। मगर पिछले वर्षों में हुआ क्या है ? उच्च शिक्षा के नाम पर एक प्रकार से बच्चों को यह अलिखित आश्वासन दे दिया गया कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले तुम्हें रोजगार मिल जायेगा और यह अब एक रोजगार का साधन हो गया है। मान्यवर, उच्च शिक्षा केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होना चाहिए जो उसके योग्य हैं, जिनकी अभिरुचि है, जो ज्ञान का अर्जन करना चाहते हैं और समाज को इसका प्रतिदान देना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा हमने बी० एड० कराकर लोगों को रोजगार बना देने का काम किया है। लेकिन आप देखें कितनी बड़ी फौज खड़ी है। जब तक इस बात का चिन्तन योजनाबद्ध तरीके से, शिक्षा ठींक नियत और नियोजन के साथ नहीं दी जायेगी, सही नीतियों के साथ नहीं दी जायेगी उच्च शिक्षा की जो दुर्दशा है वह चलती रहेगी और इसका नुकसान हमें भोगना पड़ेगा। मान्यवर, मैं दो तीन बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। आज उच्च शिक्षा के मन्दिर राजनीति का अखाड़ा बन गये हैं। ज़ितना एक सांसद और विधायक अपने चुनाव में खर्च करता है उससे दस गुना धन डिग्री कालेज का प्रत्याशी खर्च कर रहा है। इसमें कहीं न कहीं रोक लगानी पड़ेगी।

हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किस वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा दी जाय। मान्यवर, नकल के संबंध में कहना चाहूंगा, कुछ सरकारें नकल की पक्षधर थी लेकिन इसमें रोक लगानी चाहिए। अगर कोई छात्र नकल करके शिक्षक बन जायेगा तो वह अपने छात्रों से कहेगा कि हमें तो कुछ आता जाता नहीं है, हम तो नकल करके पास हुए हैं तुम भी कर लो। मान्यवर, मैं जब दारुलशफा से आता हूं तो वहां कुछ प्रदर्शनकारी बैठे हुए मिलते हैं वह डिग्री कालेज के मान्यता प्राप्त शिक्षक हैं जिनको 100 रु० प्रतिदिन पर रखा हुआ था, उनसे एफीडेविट ले लिया गया कि रेगुलराइज करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है न मांग करेंगे। मान्यवर, उन्होंने बेरोजगारी की स्थिति में वह एफीडेविट भर दिया, वे सारी अर्हतायें रखते हैं जो उच्च शिक्षा सेवा आयोग के सामने जाने के लिए होनी चाहिए। वहां वे काम कर रहे हैं। उसी आधार पर उनके शादी ब्याह और बच्चे हो गये। अब एक-एक करके उनको नौकरी से निकाला जा रहा है वे कहां जायेंगे ? उनकी संख्या 418 या 428 है जबकि 1800 पद रिक्त हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी संवेदनशीलता के साथ और इस बात को देखते हुए इसके पहले भी हुआ है अंशकालिक चिकित्सक, अंशकालिक शिक्षक उनको नियमित किया गया है।

अगर उनके पास अर्हतायें हैं तो कम से कम मानवीय मूल्यों का सम्मान करते हुए इन 1800 रिक्त पदों में से इतने पदों को अलग करके उन्हें काम करने का अवसर दिया जाय अन्यथा वे आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे या विक्षप्त अवस्था में सड़कों पर आ जायेंगे। माननीय मंत्री शिक्षक हैं, बहुत से विद्यार्थी उनके प्रशंसक हैं वे शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को समझते हैं। उनमें दूरदृष्टि है मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस तरह की विसंगतियां हैं उन्हें दूर करेंगे। मान्यवर, कहीं निर्मम होना पड़ेगा तो कहीं संवेदनशील होना पड़ेगा। आप छात्र शिक्षकों की समस्याओं को सुलझायें, क्योंकि उच्च शिक्षा में दूरगामी परिणाम होने वाले हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए नीतिगत योजनायें बनायें, नियोजन बनायें। इसी के साथ बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इस सरकार में उच्च शिक्षा की कितनी उपयोगिता है यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि माननीय राम प्रकाश गुप्त जी की सरकार में एक सबसिडियरी डिपार्टमेंट बनाकर सिंचाई मंत्री के साथ इस विभाग को जोड़ दिया गया है। अब इसका क्या रिश्ता हो सकता है आप मान्यवर, स्वयं

विचार करें । पूर्व मंत्री गौड़ जी विश्वविद्यालय में अध्यापक थे उन्होंने दो बार यहां बजट प्रस्तुत किया, आज तीसरा बजट माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, कल्पनाचित होकर मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है कहा गया कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जायेगा और तमाम प्रयास किये जायेंगे । इन तीन वर्षों में क्या प्रयास किये गये ? मान्यवर, इस विधान सभा का समय धीरे-धीरे पूरा हो रहा है । इन वर्षों में क्या कार्य मूर्त रूप में कार्य किया गया वह आपकी वाणी में कहीं भी सुनाई नहीं पड़ा । मान्यवर, शिक्षा का आकार चाहे जितना बड़ा हो जाय, माननीय मंत्री जी ने विश्वविद्यालयों और इतने महाविद्यालयों की जितनी लम्बी सूची सामने रखी और बताया कि 12 लाख छात्र इससे जुड़े हैं । 22 विश्वविद्यालय यहां पर हैं उन सभी विश्वविद्यालयों की कोई उपलब्धि है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली हो ? जो अनुसंधान हुए हैं, जो रिसर्च हुए हैं, कोई उपलब्धि न हो पाना, यह चिन्ता का विषय है । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमने सालों से क्या किया है, केवल कागज की कोरी डिग्रियां बांटने का काम किया है । मान्यवर, एक गुणात्मक सुधार की अपेक्षा थी और वह इस सरकार में नहीं हो सका यह चिन्ता का विषय है । मैं अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास करें । सत्र को नियमित हो जाने की जो बात है, सत्र पिछले काफी दिनों से अनियमित चल रहे थे लेकिन अब विश्वविद्यालय की परीक्षायें प्रारम्भ हैं कब इनकी परीक्षाएं खत्म होंगी और फिर जून से कक्षाएं कैसे प्रारम्भ होंगी ? परीक्षाएं नियमित कर दीजिएगा तो सत्र नियमित चल जायेगा यह कागज पर भले ही कर लें लेकिन कुछ होना वाला नहीं है ।

मान्यवर, तमाम विषय में पद रिक्त हैं वह पद कैसे भरे जायेंगे ? बिना अध्यापकों के उच्च शिक्षा के विषय का गुणात्मक सुधार कैसे होगा ? महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी खाली पड़ी है, पुस्तकालयों में पुस्तकें नहीं हैं । आपने बजट में कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसमें हो कि पुस्तकालयों के लिए इतनी धनराशि उपलब्ध करायेंगे । यह छोटा सा बजट इतना विशाल दायित्व का निर्वहन कैसे करेगा यह चिन्ता का विषय है । गत सत्र में विधान सभा में एक कानून बनाया गया था उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षा अनुदान आयोग के गठन की बात थी, बिल पारित हुआ लेकिन सरकार ने उसकी उपयोगिता न समझते हुए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसको निष्फल करने का काम किया । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए हमारा जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन है उसकी सीमित सीमाएं हैं । इसलिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हो ।

मान्यवर, आपका उच्च शिक्षा चयन आयोग है वहां पर वर्षों से रिक्वीजीशन भेजा गया है लेकिन आज तक उन पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं जिसके कारण शिक्षकों का अभाव बना हुआ है । आज जो सबसे बड़ी चिन्ता है वह है कि जो विश्वविद्यालयों में अराजकता बढ़ती जा रही है । माननीय मंत्री जी आप एक बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं और सरकार में मंत्री हैं, बहुमत में सरकार है तो कौन सी कमी है कि विश्वविद्यालय से अराजकता को समाप्त नहीं कर सकते, कहां-कहां कमी है । इस तरह से विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का माहौल नहीं बनेगा और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर सुधारने का आपका कोरा स्वप्न रह जायेगा । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मजबूती के साथ इसमें सुधार करें । आपके हास्टल में जब रेड पड़ती है तो तमन्चे निकलते हैं, गोलियां निकलती हैं, राजधानी के विश्वविद्यालय जहां आप बैठते हैं, सरकार बैठती है, शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी सरकार आपकी होते हुए आप गुण्डागर्दी का उन्मूलन नहीं कर सकते विश्वविद्यालयों से तो विश्वविद्यालयों के सुधार की बात एक दिवास्वप्न होगी । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार प्राथमिकता तय करे । पहले विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शांति का वातावरण बनाया जाय । मान्यवर, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता है लेकिन यह है कि हर निर्देश सरकार द्वारा प्राप्त किया जाय ।

आज कुलपति के चयन का मामला है आज एक विशेष विचारधारा के लोगों को विश्वविद्यालयों में स्थापित करने का काम हो गया तो विश्वविद्यालयों के सुधार और उच्च शिक्षा की कल्पना पूरी नहीं होगी । मान्यवर, विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य नरेन्द्र देव और श्रीमाली जैसे लोग बना करते थे लेकिन आज विशेष विचारधारा के लोगों को विश्वविद्यालयों में कुलपति बनाने की विचारधारा चल रही है उससे विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा में सुधार नहीं होगा । माननीय मंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर सही मायने में उच्च शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं, विश्वविद्यालयों के सत्र को नियमित करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एक सर्वेक्षण करायें, मास्टर प्लान बनायें कि 16 करोड़ की आबादी हमारे प्रदेश की है और इस हिसाब से कितने गणित के परास्नातक चाहिए, कितने रसायन विज्ञान के चाहिए, कितना समाजशास्त्री चाहिए, कितने केमिस्ट चाहिए और कितने सोशल साइंस के विद्यार्थी चाहिए । उसके अनुरूप महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना का काम हो, लेकिन आज सरकार के पास कोई अध्ययन नहीं है कि किस विषय के कितने छात्रों की, कितने टीचरों की आवश्यकता होगी ? उसके अनुरूप यदि मान्यता देने का काम किया जाय और बजट दिया जाय, तब सुधार हो सकता है । माननीय मंत्री जी, आप मजबूत व्यक्ति हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, आपसे बड़ी अपेक्षायें हैं । आज बजट भाषण में आपने जो अपेक्षायें की हैं, उनकी समय-सीमा निर्धारित करें, आपने पूरे भाषण में केवल कल्पना की है । आप बतायें कि इसको कब तक पूरा कर लेंगे ? चूंकि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए और धन देने की आवश्यकता नहीं है । अतः मैं माननीय अम्मार रिजवी साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका पुरजोर समर्थन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री हरपाल सिंह–

मान्यवर, उच्च शिक्षा के बजट का मैं भरपूर समर्थन करता हूं । उच्च शिक्षा ही हमको वस्तुतः अग्रगण्य मार्गों की ओर ले जाता है और उच्च शिक्षा से यही आशा की जाती है कि मनुष्य का मानवीय दृष्टिकोण हो, दोनों पक्षों से यह आवाजें आ रही हैं कि उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जाय, परन्तु कभी हम बांयें चले जाते हैं, कभी दायें हो जाते हैं, परन्तु सुधार आज तक नहीं हुआ । जिन्होंने (डा० अम्मार रिजवी) ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनकी बातों में भी कोई सुझाव प्रतीत नहीं होता जिसे हम अंगीकार कर सकें । वस्तुतः इसका गहन अध्ययन किया ही नहीं किया कि उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के मापदण्ड क्या हैं ? केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने से ही बात नहीं बन जायेगी । आज उच्च शिक्षा रोजगारपरक भी नहीं रह गयी है ।अभी डंग साहब ने कहा था कि हम लोग मानवीय दृष्टिकोण से हजारों कोस दूर भागते चले जा रहे हैं, उच्च शिक्षा से लाभ तो प्राप्त होता है, परन्तु जो भ्रष्टाचार का आंकलन करें तो वह आज उच्च शिक्षा वालों पर ही ज्यादा लग रहा है । देश का किसान, गरीब मजदूर जो दिन भर खूब मेहनत करके गाढ़ी कमाई करता है, वह यह दावे के साथ कह सकता है कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन जो जितना उच्च शिक्षा प्राप्त है, वह उतना ही बड़ा बेईमान हो गया है ।आज आम आदमी के भ्रष्टाचार की तीन चीज ध्यान में हैं, मिनिस्टर, अफसर और दफ्तर, क्या होगा उच्च शिक्षा का ? श्रीमन्, आज भी कालेजों की मान्यता लेने जाते हैं तो मान्यता आसानी से नहीं मिलती । मैंने पिछले साल एक कालेज की मान्यता ली थी, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा ने मान्यता में एक आपत्ति लगा दी, जब हमने आपत्ति रिमूव कर दी तो दूसरे दिन दूसरी आपत्ति लगा दी, माननीय नरेन्द्र कुमार सिंह गौर साहब बैठे हैं, वह जानते हैं । क्या पारदर्शिता है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है ? क्या मान्यता 100-100 बार दी जाती है, आज अस्थाई है, कल स्थाई मान्यता है अड्डा बना रखा है । यहां हम सब माननीय विधायक बैठे हैं, इस पर कभी विचार नहीं किया, एक बार अस्थाई मान्यता मिलती है और दूसरी बार में स्थायी मान्यता मिलती है । जब ग्राम के किसान समूह बनाकर कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल खुले, माध्यमिक स्कूल खुले पर अधिकारी मान्यता में आपत्ति लगा देते हैं, एक के बाद दूसरी आपत्ति लगती है,उसके निराकरण के बाद तीसरी आपत्ति लगा देते हैं ।

मान्यवर, उच्च शिक्षा के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं, हममें सहिष्णुता होनी चाहिए, परोपकार होना चाहिए। तभी शिक्षा का प्रसार और विकास होगा तुलना करते हैं जब हम पाते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग हमसे अच्छे हैं, दान देने में आगे हैं, दया करने में आगे हैं क्या लाभ है उच्च शिक्षा में। इसी प्रकार मान्यवर, डिवीजन प्रणाली में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त छात्र थर्ड क्लास 45 प्रतिशत वाली सेकेण्ड क्लास और 59 प्रतिशत उसे भी सेकेण्ड क्लास लेकिन 60 प्रतिशत हो जाने पर उसे प्रथम श्रेणी मिलती है, इसमें भी साम्प्रदायिकता की बू आती है। जिसने जो प्रतिशत पास किया है, वैसी ही लिखा जाना चाहिए जैसे पी० टी० ऊषा सेकेण्ड के 100वें भाग से पीछे रह गयी थी, और उसे वहीं स्थान लिखा गया। 59 परसेण्ट वाला नजर गड़ा कर देखता है और 60 परसेण्ट यदि प्राप्त कर लेता है तो समझता है कि मैंने लाल किले पर झंडा फहरा दिया है। मान्यवर, यह लचर स्थिति है, इसमें कोई विचार नहीं किया गया। मैंने मान्यता की बात कही, मैंने डिवीजन प्रणाली की बात कही और रोजगारपरक शिक्षा की उच्च शिक्षा में लोग चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, रोजगार मिल नहीं रहा है, ऐसी दयनीय स्थिति हो गयी है प्रदेश की और देश की। मैं आंखों देखा हाल व्यक्त करना चाहता हूं कि एम०ए०, एम० एस०-सी० फर्स्ट क्लास पास बच्चे रोजी के लिए प्रिंसिपल और मैनेजर के पास खड़े होकर कहते हैं "त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वमम देवदेवं" ऐसी स्थिति है, उच्च शिक्षा की। मान्यवर, मजदूर गारे का काम करता है, ईंट का काम करता है, गांव में रह रहा है, 60 रुपये रोज पाता है और उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक 30 रुपये पा रहा है। बिना पढ़ा लिखा 60 रुपये और 120 रुपये और उच्च शिक्षा वाला 30 रुपये।

मान्यवर, इसका तात्पर्य यह है कि हम किंकर्तव्य विमूढ़ हो गये हैं। यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं, हम गहन से विचार करें जो कमी इसमें आ गयी है, उसको समाप्त करें। उच्च शिक्षा मंत्री जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि जितनी मान्यता ग्रामीण अंचल में देना चाहते हो, ऐसा न करें कि आपने जो मानक बना रखे हैं कि इतना बड़ा कमरा होना चाहिए, रिजर्व फण्ड 2.50 लाख होना चाहिए ये शर्तवादी है। यहां राजस्व मंत्री बैठे हैं बड़ी अच्छी बात है। मान्यवर, ग्राम में कालेज खोलने को जमीन का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ग्राम समाज की जमीन स्वाहा। जो स्कूल खोलता है, ग्राम समाज की जमीन मिलनी चाहिए, राजस्व मंत्री इसमें संशोधन करें, बड़ी परेशानी होती है, स्कूल कोई आकाश में नहीं खुलेंगे, जमीन तो बिल्कुल ही कम होती चली जा रही है। मान्यवर, उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाकर, छात्रों का हित करे चाहे कम्प्यूटर की शिक्षा हो, चाहे टेक्निकल हैण्ड बनायें, जैसा भी हो। उच्च शिक्षा कल्याणकारी होनी चाहिए। टीचर्स को जो वेतन दिया जाता है उसमें भारी अंतर है एक टीचर एक जगह हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी पढ़ाता है, उतने ही घंटे पढ़ाता है लेकिन उसको दूसरा वेतन मिलता है और दूसरी जगह पढ़ाने वाले को दूसरा वेतन मिलता है। अगर कटौती के प्रस्तावक ने जो प्रस्ताव रखा है उसको मान लेंगे तो टीचर मारा जायगा जब घर जायगा तो घर में तकरार होगी और पति पत्नी लड़ लड़कर मर जायेंगे। एक टीचर को 60 रुपया मिल रहा है और दूसरा स्थायी प्रोफेसर बना हुआ है, तो वेतन में समानता होनी चाहिए, काम के बदले वेतन मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

* श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, माननीय अम्मार रिजवी साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आरक्षण का कोटा चाहे वह अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हैं, आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। इसका कारण यह बताया जाता है कि यूनीवर्सिटीज आटोनामस बाडी है, अगर आटोनामस बाडी है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो सरकार के ऊपर तो नहीं हो सकती, सरकार को निश्चित रूप से जो कानून है उसके मुताबिक काम करना चाहिए.और जो बैकलाग पड़ा है उसको पूरा करना चाहिए। अब तो संविधान में संशोधन भी हो गया है इसलिए आरक्षित पदों को चाहे वह प्रोफेसर्स हों या अन्य पद हों उन सबको भरा जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र बिल्सी के राजकीय डिग्री कालेज की ओर दिलाना चाहता हूं। उस जिले में यह एक मात्र राजकीय डिग्री कालेज है और उसकी बड़ी दुर्दशा है। 1995 में सतत प्रयास करके वह स्थापित हुआ था 3 करोड़ रुपये उस कालेज को दिलवाये गये थे। उस कालेज का भवन भी बन गया और उसका लोकार्पण भी हो गया तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने उस कालेज में विज्ञान की शिक्षा हेतु व्यवस्था करने को कहा था लेकिन 2 साल हो गये हैं अब तक विज्ञान की शिक्षा देने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। उस जनपद में अन्य जो प्राइवेट कालेज हैं वहां पर भी विज्ञान की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कालेज की इतनी दुर्दशा है कि 1995 में जब कालेज स्थापित हुआ था तब 1 लाख रुपया साज सज्जा के लिए दिये गया था, अब नया भवन बन गया है पर फर्नीचर के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया गया है। यहां पर 4-5 सौ छात्र पढ़ते हैं लेकिन फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है,मैं मांग करता हूं कि फर्नीचर की व्यवस्था तत्काल करायी जाय। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैंने अभी बोलना प्रारम्भ किया है।

श्री अधिष्ठाता–

अभी आपका 1 मिनट बाकी है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक सदस्य को आपने 10 मिनट समय दिया है और एक माननीय सदस्य ने जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे ही उनको बैठाना चाहते हैं। क्या हम लोग केवल सुनने का काम करें, बोलने का काम न करें।

श्री अधिष्ठाता–

इस बजट पर मात्र दो घण्टे निश्चित किये गये हैं, इतने समय में समाप्त करना है।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप बोलने का समय दें या न दें। इस तरह की व्यवस्था की है डेढ़ घण्टे का समय निर्धारित किया गया है तो उसमें हमारे लिये कौन सा समय निर्धारित किया है। आप बता दीजिये कि कितना समय निर्धारित है ?

श्री अधिष्ठाता–

समय निश्चित है। आप बैठिये।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि उसमें विज्ञान की कक्षायें खोलने की घोषणा दो साल पहले हो गयी लेकिन कोई वित्तीय प्राविधान नहीं किया गया है। वहां अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र हैं इसमें करीब 40 फीसदी इस क्षेत्र की जनता अनुसूचित जाति की आती है उसको इसका लाभ मिला। लेकिन इसमें जो कम्यूटर का कोर्स स्वीकृत था वह लागू नहीं किया गया। मेरी मांग है कि तत्काल कम्यूटर का कोर्स लागू कराया जाये। बहुत बड़ा अन्याय इसमें यह हुआ कि सभी विषयों के प्राध्यापक नियुक्त नहीं किये गये। एक एकोनॉमिक के प्रोफेसर नियुक्त किये गये उनको अतरौली से सम्बद्ध कर दिया गया। तनख्वाह उनको बिल्सी से मिलती है लेकिन वह पढ़ा रहे हैं अतरौली में। मान्यवर, उनको अतरौली से बिल्सी भेजा जाये। वहां पर 3 विषयों के अध्यापक नहीं हैं, संस्कृत, इतिहास और अंग्रेजी के। इनके

अध्यापकों की तत्काल वहां नियुक्ति की जाय । वहां पर जो रास्ता है उसे तत्कालीन जिला परिषद् ने दिया था वह रास्ता राजनीतिक कारणों से पड़ा है ।

अभीं माननीय मंत्री जी लोकापर्ण के लिए गये हुये थे तो मन्नूमल जैन इण्टर कालेज के मैनेजर थे, उस रास्ते का पैसा 4 लाख रुपया मिल गया लेकिन वह रास्ता नहीं बना और रुपया लेप्स करा दिया। रास्ता आज तक नहीं बन पाया । वहां पर लड़कियां शिक्षा पाती हैं बरसात के दिनों में घुटनों-घुटनों पानी में जाती हैं । जो पैसा लेप्स हो गया है उसे वापस दिलाया जाये । जो रास्ता जिला परिषद् का है शिक्षा विभाग द्वारा उसे बनवाया जाये क्योंकि आपका महाविद्यालय है और आपको संचालित करना है । वहां पर जो उपकरण जाना चाहिए था वह नहीं गया है और जितने अध्यापक नियुक्त होने चाहिए थे उनकी नियुक्ति नहीं करायी गयी । मान्यवर, सबसे बड़ा नुकसान जो छात्रों का हो रहा है कम से कम 1000 छात्रों की कैपासिटी का महाविद्यालय बनकर तैयार हो गया है । सवा करोड़ रुपया सरकार का व्यय हुआ है किन्तु लाइब्रेरी नहीं देंगे, पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं हो पायी है तो मैं चाहूंगा कि यहां जो उल्लेख किया है माननीय मंत्री जी वाचनालय, प्रोफेसर्स और फर्नीचर की तत्काल व्यवस्था करायी जाय । यह डिग्री कालेज जनपद बदायूं का एक मात्र अकेला डिग्री कालेज है और सेण्टर में है, दूर-दूर से छात्र पढ़ने आते हैं और पठन-पाठन का स्तर अच्छा है उसे और अच्छा बनाया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डा० इन्द्रदेव सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने इस बजट में कुछ कार्य बहुत प्रशंसनीय किये हैं । जैसा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र को नियमित करने की बात बतायी है । ज्यादातर विश्वविद्यालयों में शिक्षा सत्र पिछले कई वर्षों से नियमित चल रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में बताया है कि शिक्षा सत्र नियमित नहीं हुआ है । जिसे इस सत्र से नियमित कराने का उन्होंने विश्वास दिलाया है । यह प्रशंसनीय कार्य है । वास्तव में इसके लिए वे बधाई पात्र हैं दूसरा एक बिन्दु उन्होंने रखा है आब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रखे जाएंगे । यह अच्छे परिश्रमी और प्रतिभाशाली छात्रों के हित में काम होगा । मुझे ध्यान है जब हम एम० एस० सी० में थे तो दो छात्र हमारे कमरे में थे । जिसमें एक छात्र गिने-चुने 5-7 क्वेश्चन तैयार किये और दूसरे छात्र ने 100 में 80 क्वेश्चन तैयार किये जिसने 5-7 क्वेश्चन तैयार किये उसके 4 क्वेश्चन इम्तहान में आ गये और वह फर्स्ट पास हो गया दूसरे छात्र ने जो 20 क्वेश्चन छोड़ दिये उसी में से 9 क्वेश्चन आ गये और वह फेल हो गया । दूसरा छात्र 5-7 क्वेश्चन तैयार करके प्रथम श्रेणी में पास हो गया । इस आब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से जो अच्छे और परिश्रमी छात्र होंगे वही अच्छे नम्बर प्राप्त कर सकेंगे यह प्रतिभाशाली छात्रों के हित में होगा ।

आपने कक्षा स्तर और अटेंडेंस स्तर तक जाकर सोचा है यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है । छात्र संघ राजनीति को आपने सुधारने का प्रयास किया है यह भी विश्वविद्यालय और विद्यालयों के हित में होगा । उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र वास्तव में समाज में जिम्मेदारी उठाने के द्वार पर होते हैं । भारत हमेशा उच्च शिक्षा का गढ़ रहा है तक्षशिला, काशी, नालन्दा जैसे स्थानों पर दूसरे देशों से ज्ञान प्राप्त करने छात्र आते रहे हैं । लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है कि पिछले वर्षों से यह प्रणाली कमजोर हुई है और अब हमारे देश के छात्र दूसरे देशों में जाते हैं उसके बाद वहीं रह जाते हैं । हमारे देश में उच्च शिक्षा का स्तर गिरा है शोध और अनुसन्धान की उच्च सुविधाएं यहां पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है । इस कारण हमारे छात्र विदेशों में जा रहे हैं । जब वहां शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वहीं के होकर रह जाते हैं । उनके ज्ञान का लाभ वही देश उठा पाते हैं । हमारा देश उस लाभ से वंचित रह जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

डॉ० इन्द्रदेव सिंह–

उच्च शिक्षा में रैगिंग कोढ़ है । कई विश्वविद्यालयों/विद्यालयों में रैगिंग चल रही है उसके कारण कभी-कभी दुर्घटनाएं तक हो जाती है । इसकी तरफ ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । मंत्री जी छात्रावासों की जो दशा है उसकी तरफ शायद भूल गये । हमारे यहां छात्रावासों में कभी-कभी ऐसी भी स्थिति देखने को आती है कि वहां पर हथियार बरामद हो रहे हैं । जब छात्र विश्वविद्यालय स्तर पर जाता है तो वह यद्यपि बच्चा नही होता पर पूर्ण परिपक्व भी नहीं होता है । उसके ऊपर निगरानी की आवश्यकता होती है अब छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने की आश्यकता है । छात्र अध्यापकों का सम्बन्ध निरन्तर खराब हो रहा है उसको सुधारने की आवश्यकता है । इसके साथ ही साथ छात्रों का शोषण भी विश्वविद्यालयों में हो रहा है । मुझे ध्यान है कई जगह ऐसा होता है कि जो छात्र ट्यूशन पढ़ेगा वह प्रतिभाशाली न होने के बाद भी प्रेक्टिकल में अच्छे नम्बर पा जाता है जो ट्यूशन नहीं पढ़ रहा है उसको प्रेक्टिकल में अच्छे नम्बर नहीं मिल पाते । गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रभावशाली पद पर एक महोदय थे उनकी सन्तान को थ्योरी में एम०एस०सी० में तृतीय अंक मिलने के बाद भी प्रेक्टिकल में अच्छे अंक मिले जिस के कारण वह प्रथम श्रेणी में आ गई । इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र अफजलगढ़ में एक भी महिला विद्यालय नहीं है, डिग्री कालेज नहीं है मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कालेज खोलने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों को साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

एक निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दी थी कि इस बजट की चर्चा 6 बजे तक समाप्त कर दिया जाय । अधिकांश लोगों की बात यहां पर आ जाय इसलिए संक्षिप्त करके पांच मिनट में बोलें । हर दल को समय निर्धारित है बसपा को 20 मिनट और कटौती का अलग ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हमारी सबसे बड़ी पार्टी है उसको केवल 20 मिनट और अम्बरीष जी को पांच मिनट कर दिया है आप कम से कम 10-10 मिनट तो दें ही । छः बजकर 10–20 मिनट इधर-उधर के लिए भी माननीय अध्यक्ष ने कहा है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं माननीय अम्मार रिजवी जी के कटौती के समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

विधान भवन के केन्द्रीय कक्ष में मा० सदस्यों के लिए जलपान की व्यवस्था हेतु सूचना

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, एक सूचना देना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों के लिए जलपान की व्यवस्था सेन्ट्रल हाल में कर दी गयी है जो सदस्य चाहें वहां जाकर जलपान कर सकते हैं ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या– 73— शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (क्रमागत)

श्री अम्बरीष कुमार–

हमारे भारत के आचार्यों ने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शिक्षा को माध्यम माना है। मैं अभी माननीय मंत्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था और यह आशा भी कर रहा था कि

क्या गुणात्मक परिवर्तन मंत्री जी शिक्षा में लाना चाहते हैं ? जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं सांस्कृतिक धरोहर और उसकी रक्षा की बात करते हैं । तो इस आर्थिक उदारीकरण के युग में जो आर्थिक और सामाजिक विकास देश और प्रदेश के स्तर पर हो रहे हैं उससे भी आंखें नहीं मूंद सकते । शिक्षा की बात करते हैं तो उसके परिवेश और वातावरण की बात आवश्यक है । यदि वातावरण और परिवेश शिक्षा का अच्छा होगा तो विद्यार्थी मनोयोग से शिक्षा ग्रहण करेगी यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए । जो पूर्व व्यक्तियों ने कहा मैं उसको दोहराना नहीं चाहता और जिस वातावरण की बात कही है वह किसी से छुपी नहीं है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि शिक्षा एक ऐसा विभाग है जिस पर हम सबको दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर समन्वय नीति बनानी होगी । ऐसी नीति जो सरकारों के बदलने के साथ बदलती न हो और आम राय से हो शिक्षा के उन्नयन से सम्बन्धित हो, तभी हम अपने देश को सही मायने में, अपने प्रदेश को सही मायने में आगे बढ़ा सकेंगे और उसका भला कर सकेंगे । शिक्षकों की बात माननीय मंत्री जी ने की । डाक्टर राधा कृष्णन जी ने अपने भाषण में कहा था कि येरूशलम का विनाश इसलिए हो गया क्योंकि वहां शिक्षकों का सम्मान नहीं था । यूरोप और भारत-पश्चिम और पूर्व इनकी दो परम्परायें हैं । पश्चिम में शिक्षक को केवल पैसे पर खरीदा जाता है, उसे अच्छा वेतन दिया जाता है अच्छी सुविधायें दी जाती हैं लेकिन भारत में हम शिक्षक को आदर देते हैं । यहीं भारत का गौरवमयी इतिहास रहा है बिना भौतिक सुविधा उपलब्ध कराये हमारे शिक्षकों ने उत्तम श्रेणी की शिक्षा भारत के नौजवानों को दी । आज विडम्बना यह है कि हम उन्हें श्रद्धा दे नहीं पा रहे हैं और पैसा हम दे नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हम उच्च कोटि की शिक्षा प्रदेश के युवाओं को दे सकेंगे । डाक्टर डंग जी ने कहा कि ऐसे शिक्षक जिन्हें मानदेय पर रखा गया है, उनकी जो योग्यता है, वह उन्हीं शिक्षकों के बराबर है जो स्थायी रूप से रखे गये हैं, लेकिन इन दोनों के वेतन में भारी असमानता है ।

मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसपल्स आफ स्टेट पालिसी है क्या वह इस बात की व्यवस्था नहीं करती कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए । अगर यह उपबन्ध करते हैं तो सरकार के ऊपर उसके संविधान को पालन करने का दायित्व है । क्या उसके लिए यह उचित है कि एक ही कार्य करने के लिए और एक ही योग्यता के अध्यापकों को दो वेतनमान मिले। इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें । मैं बजट की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । पिछले वर्ष उच्च शिक्षा के लिए 3800 लाख रुपये की व्यवस्था थी और इस वर्ष 3200 लाख रुपये की व्यवस्था है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 600 लाख रुपये कम है । जो आंकड़े दिये गये हैं,जब से यह सरकार बनी है विगत तीन वर्ष में किसी भी महाविद्यालय को अनुदान सूची में नहीं लिया गया है । यह सरकार की नीति प्रदर्शित करती है कि यह सरकार उच्च शिक्षा के प्रति कितनी गम्भीर है । 1998-99 के आंकड़ों की तुलना जब हम 1999-2000 के आंकड़ों से करते हैं तो जो हमारे बालक और बालिकायें हैं, जो स्टूडेन्ट्स की संख्या बढ़ी है, वह लगभग डेढ़ लाख बढ़ी है और शिक्षकों की संख्या मात्र 139 बढ़ी है । यदि इन आंकड़ों पर विश्वास करें तो एक हजार छात्रों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की गयी है, यह साफ जाहिर करता है कि हमारे प्रदेश में उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है । जिस शिक्षा को मानव आत्मा की स्वतंत्रता का आधार मानते हैं, आज वही शिक्षा कहां जा रही है । यह एक चिन्तनीय प्रश्न है । जब हम शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता की बात करते हैं, राजनीति से अलग रखने की बात करते हैं, हमारे सामने में एक प्रश्न उभरता है । अगर आप राजनैतिक शिक्षा संस्थाओं को राजनीति से मुक्त रखना चाहते हैं तो क्या इस बात की आवश्यकता थी जब कुलाधिपति को कुलपति नियुक्त करने का अधिकार है तो हम कानून बनाकर कुलाधिपति के उन अधिकारों को राजनैतिक लोगों के हाथ में देने का काम किया है । इसका हश्र यह हुआ कि महामहिम राज्यपाल जी ने उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किये । यही नहीं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसने भी आपत्ति की है कि कुलाधिपति के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का एक राजनीतिक

प्रयास है और यह बंद होना चाहिए। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की रक्षा होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है उसके 46वे आर्टिकल में कहा गया है कि हम समाज के कमजोर तबके को शिक्षा देने की जिम्मेदारी लेंगे। आज इस अधिकार को हम न्यायालय के द्वारा नहीं ले सकते हैं लेकिन जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जनप्रतिनिधियों की सरकार है उससे हम यह आशा तो कर सकते हैं कि समाज के उन कमजोर वर्गों की शिक्षा के लिए समुचित प्रयास किये जायं। उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव त्रिवेदी जी हैं उनका एक शासनादेश जारी हुआ है जिसमें फीस 400 प्रतिशत बढ़ा दी गयी। 10 रुपये थी ट्यूशन फीस तो वह 100 रुपये हो गयी। 15 रुपये फीस थी तो वह 150 रुपये कर दी गयी और वह इस नाम पर कर दी गई कि शिक्षकों के वेतनमान बढ़ गये हैं. मैं कहना चाहता हूं कि 1996 में.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, अगर आप कहें तो मेरी बातें काम की नहीं हैं तो आप कह दें मैं बैठ जाऊंगा। मैं आपकी अवज्ञा नहीं कर सकता। दो मिनट का समय दे दें। 1996 में जब यह वेतन आयोग लागू हुआ था यह जो यू० जी० सी० की नियमावली है उसके अनुसार 5 वर्ष तक केन्द्र सरकार या यू०जी०सी० इस बढ़े हुए वेतनमान के भार को वहन करती है लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या कारण हुआ कि 3 वर्ष बाद ही शासनादेश जारी कर दिया गया कि सरकार से जो अनुदान मिलता था 98-99 के स्तर पर फ्रीज कर दिया गया है और बढ़े हुए वेतनमान के भार को स्वयं वहन करना होगा, साधन जुटाने होंगे और उसके लिए फीस बढ़ानी होगी। मान्यवर, जिस प्रदेश में 47 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हों और जिनकी आज भी प्रति वर्ष की आय 7 हजार रुपये से कम है मंत्री जी बता सकते हैं कि वह क्या आशा और आकांक्षा करे कि मेरे बच्चे भी स्नातक होंगे, स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करेंगे। क्या उसके लिए सम्भव है कि वह अपने एक बेटा या बेटी की फीस 2100 रुपये बी० ए० की प्रति वर्ष और बी० एस०सी० की 2200 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक है वह वहन कर सके। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक मार्मिक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब मंत्री जी अपने परिवार के बारे में फैसला करते हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में फैसला करते हैं सब खर्चों को काटकर व्यवस्था करते होंगे कि इस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूलों में जाय, सुन्दर और सुनहरा स्वर्णिम भविष्य उसका बना सकें ऐसा आप अपने बच्चे के बारे में सोचते होंगे। 12 लाख उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बच्चों को भी अपना बच्चा समझें और अगर ऐसा समझकर यह बजट बनाया होता तो दुर्दशा न होती। जो महाविद्यालय हैं उनको अनुदान सूची पर लिया जाय, शिक्षक रखे जायं। एक ऐसी उच्च शिक्षा नीति का निर्माण करते कि अपने बच्चे और प्रदेश के 12 लाख बच्चों में कोई अन्तर नहीं करते।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, एक मिनट। कालेज डेवलपमेंट काउन्सिल जो कालेज यूनिवर्सिटी और यू० जी० सी० के बीच में सम्पर्क का काम करता है उसकी क्या स्थिति है बता दें। उसमें कुछ अवकाश प्राप्त लोगों का अखाड़ा मौज मस्ती का बना हुआ है। हम लोग समझते थे कि यह सरकार अधिकारियों के ट्रांसफर करती है एक जिलाधिकारी 6 महीने नहीं रहता उसका ट्रांसफर कर दिया दूसरा आया उसका भी कर दिया। हमने सोचा विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए ऐसा कर रहे हैं हमको समझने में देर

नहीं लगी कि यह कार्य केवल अधिकारियों के लिए ही नहीं मंत्रियों के लिए भी किया । गौर साहब तीन वर्षों से उच्च शिक्षा का कार्य देख रहे थे उनको गन्ना पकड़ा दिया । जो गन्ने में मेहनत कर रहे थे उनको शिक्षा पकड़ा दिया । मुख्य मंत्री जी न तो प्रशासन में न नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार लाना चाहते हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

अधिष्ठाता महोदय, आपने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने का जो प्रयास किया गया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने शिक्षा सत्र को नियमित करने का और विश्वविद्यालयों में व्याप्त अनुशासनहीनता को समाप्त करने का तथा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए सामूहिक जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा लागू करके सराहनीय कार्य किया है ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ के शिक्षकों ने मुझे ज्ञापन दिया है जिसमें उन्होंने अपनी कुछ मांगें प्रस्तुत की हैं जिसकी ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को चिकित्सकीय व्यय की प्रतिपूर्ति और दुर्घटना सहायता दी जाय । शिक्षकों द्वारा अपने विश्वविद्यालयों में मूल्यांकन प्रायोगिक, मौखिक आदि कार्यों के लिए अवकाश की सुविधा दी जाय । तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण, एल० टी० सी० सुविधा प्रदान करने और राजकीय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग किया है । इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग किया है कि अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाये और उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाय । इस ओर सरकार अवश्य ध्यान दे ।

मान्यवर, विज्ञान की उच्च शिक्षा से सम्बद्ध प्रदेश के महाविद्यालयों के प्रयोगशाला सहायक वर्षों से अपने पद नाम में परिवर्तन की मांग शासन से करते आये हैं किन्तु अभी तक इस विषय में शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाय । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों के पत्र और जी० ओ० मेरे पास हैं जिसमें उन्होंने इन प्रयोगशाला सहायकों के पद नाम परिवर्तन करके लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर और लैब तकनीशियन का पद नाम दे दिया है । यही मांग उक्त संघ के लोग कर रहे हैं, इसलिए मेरा आग्रह है मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

मान्यवर, लखनऊ में 27 महाविद्यालय हैं जिनमें 18 महाविद्यालय महिलाओं के हैं जिनमें अनेक वर्षों से शिक्षकों के पद रिक्त हैं जिससे छात्रों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है । इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि शासन इन रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने का प्रयास करे ।

मान्यवर, पं० दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला महाविद्यालय, राजाजीपुरम, लखनऊ में है जिसमें बी० एस-सी० तथा बी० काम की कक्षायें प्रारम्भ करने के लिए अनुमति दी जाय चूंकि भवन बन गया है लेकिन मान्यता नहीं मिली है इसलिए मंत्री जी इस ओर ध्यान दें ।

मान्यवर, मैं यह भी चाहता हूं कि जो अशासकीय महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट कक्षायें खोलना चाहते हैं उन्हें अनुमति प्रदान की जाय । मान्यवर, रोजगार परक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में सीटें बढ़ाई जायें और रोजगार परक शिक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में एम० एस-सी० इलेक्ट्रानिक तथा एम० बी० ए० में कम सीट हैं उन्हें बढ़ाने की तरफ मंत्री जी ध्यान दें । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुझे उम्मीद थी कि माननीय मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और इसलिए उनका प्रभाव बजट पर अवश्य रहेगा और विभाग इनके पास है तो बजट भी अधिक होगा। लेकिन जो बजट पुस्तिका हम लोगों को दी गयी है उसको देखने के बाद यह लगता है कि बहुत ज्यादा कमी आ गई है, जो बजट पुस्तिका है इसमें पूरा बजट है 2000-2001 का यह है 435 करोड़ 55 लाख 90 हजार जबकि 99-2000 के बजट से पहले 682 करोड़ का बजट रखा गया था, पुनरीक्षित 586 करोड़ है तो इतनी बड़ी कमी के बाद आप कुछ अच्छा कर पायेंगे। इस पर प्रश्न चिह्न लग जाता है, मैं माननीय मंत्री जी से दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं,मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हम चाहेंगे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की एजुकेशन उच्च कोटि के लोग कर पावें, पहले सभी लोगों के लिए था, अब पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा करने के लिए प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि अनुसूचित जाति के बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन न कर पावें, यह उद्देश्य नजर आ रहा है। भोला शंकर मौर्य जी ने रिजर्वेशन की बात कही स्वायत्त शासी संस्थाओं के नाम पर रिजर्वेशन के आधार पर नियुक्तियां विश्वविद्यालयों में नहीं हो पा रही हैं। जबकि आरक्षण का पालन विश्वविद्यालय में भी होना चाहिए, प्रोफेसर की तादाद होनी चाहिए उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, जब सरकार ग्रान्ट देती है, पैसा देती है, तो स्वायत्त शासी संस्थाओं के नाम पर सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक समरसता का जो विचार है उसको धराशायी नहीं होना चाहिए। जो शासनादेश रिजर्वेशन का है उसको पूरा करने का काम किया जाए।

मंत्री जी के विचार से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। इन्होंने पुस्तिका में लिखा है पांच मेधावी छात्र पांच अनुसूचित जाति के छात्र और एक महिला वर्ग के प्रतिनिधि के नामिनेशन की प्रक्रिया है। मेरा सुझाव है छात्र संघ का चुनाव पूरी तरह से प्रतिबन्धित होना चाहिए। जो पहले नम्बर पर पांच मेधावी छात्र हैं वह रहें और अनुसूचित जाति के जो मेरिट में पांच ऊपर के छात्र हैं वह ले लें इसी तरह से महिलाओं को भी मेरिट के आधार पर लेने का काम करें। यह जो 15 लोगों की समिति हो वह तय करे कि वह पदाधिकारी चुनने का काम करें। शिक्षा के क्षेत्र को राजनीति की तरफ मोड़ने का काम नहीं करना चाहिए पूरी तरह से शिक्षा का वातावरण बना रहे इसके लिए छात्र संघ के चुनाव पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। मान्यवर,मैं जहां से चुनकर आता हूं टांडा अम्बेडकर नगर जिले में सबसे बड़ी आबादी है। फैजाबाद मण्डल में एक-दो जगह को छोड़कर सबसे बड़ी आबादी टांडा की है वहां महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत अच्छा है कई इण्टर कालेज लड़कियों के हैं। श्री जयराम वर्मा जी हमारे यहां से प्रतिनिधित्व करते थे। इस सदन के वह सदस्य भी रहे हैं और मंत्री भी रहे, उनके प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा प्रयास रहा इण्टर कालेज खुले। लेकिन जहां डिग्री कालेजों का अभाव है विज्ञान के डिग्री कालेज की संख्या जीरो है। एक महिला विद्यालय लड़कियों का है वहां खोला जाना चाहिए थर्मल प्रोजेक्ट एन० टी० पी० सी० का भी है। महाविद्यालय न होने से कर्मचारियों को भी परेशानी होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं परिस्थितियों को देखते हुए एक महिला डिग्री कालेज विज्ञान विषयों सहित खोला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय अम्मार रिजवी साहब द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, स्वामी ओइमवेश जी को पहले सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

हमारी भी कुछ सीमाएं हैं .

* स्वामी ओइमवेश–

मान्यवर, कभी-कभी तो हम बोलते हैं। मैं आपका आंभारी हूं कि आपने मुझे उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने उच्च शिक्षा पर जो अपने विचार रखे हैं मैं उससे अपनें को सम्बद्ध करता हूं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो उन्होंने कही हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा को केवल डिग्री दिलाने का ही मान लिया गया है यह उचित बात नहीं है। शिक्षा शास्त्री यह मानते हैं कि जब बच्चा स्कूल में जाना प्रारम्भ करता है तो उसी समय से शिक्षा प्रारम्भ हो जाती है लेकिन मेरे विचार दूसरे हैं। शिक्षा उस समय से प्रारम्भ होती है जब बच्चा मां की गोद में बैठा हुआ हो उस समय मां की बातों को सुनता हूं। जब वह उसे प्यार भरी लोरियां देती है और जो संस्कार देती है वह सारी उम्र मन मस्तिष्क में बैठा लेता है। पंडित दयानन्द सरस्वती जी ने तो यह कहा है कि बच्चा मां के पेट से सीखना शुरू कर देता है। जैसे अभिमन्यु जब अपनी मां के पेट में था तो उसने सीखना शुरू कर दिया था। तो केवल डिग्री देना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैंने एक कहानी पढ़ी थी एक किसान एक डाक्टर के पास जाता है और कहता है कि साहब मेरी पत्नी बीमार है आप चलिये नहीं तो मर जायेगी। डा० कहता है कि किसान भाई दुकान छोड़नी पड़ेगी फीस 100 रु० पड़ेगी किसान ने बहुत सोच कर कहा कि ठीक है 100 रु० दे देंगे। एक रिक्शा वाला बुलाया और रिक्शे में बैठकर वे लोग चल देते हैं थोड़ी देर बाद घर पर पहुंचते हैं दरवाजे खुलवाते हैं तो एक चीख उस घर से निकलकर आती है अन्दर जाकर देखते हैं कि उसकी पत्नी मर चुकी है। डा० चल देते हैं पर किसान को बुलाकर कहते हैं कि भाई हमारे 100 रु० दीजिये। किसान वह पैसा उसके हाथ में रख देता है फिर रिक्शे वाले से पूछता है कि भाई तुम्हारा कितना पैसा हुआ। वह रिक्शा वाला हाथ जोड़कर कहता है कि नहीं किसान भाई आपकी पत्नी मर चुकी है मैं आपसे रिक्शे भाड़े के पैसे नहीं लूंगा। यह है पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पैसे मांगता है अनपढ़ आदमी जिसकी रोजी रोटी रिक्शा चलाने से है वह मना कर देता है। आपने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें कहीं व्यवस्था नहीं की गयी है कि नैतिक शिक्षा नौजवानों को बच्चों को दी जायेगी। उनको बताया जाय कि शिक्षा क्या होती है आप इस तरफ भी ध्यान दें शिक्षा में नैतिक शिक्षा को जोड़ा जाय नौजवान केवल अपने बारे में न सोचें समाज के बारे में भी सोंचे। इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बेचन राम–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 3 साल हो गये हैं, मान्यवर, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा जो शिक्षा सत्र को नियमित करने का साहसी कदम उठाया गया है वह एक ऐतिहासिक कदम है। इस साल समय से, लखनऊ विश्वविद्यालय को छोड़कर, परीक्षायें सम्पन्न हो गयी। कहा गया कि विश्वविद्यालयों में छात्रावासों में असामाजिक तत्वों का समावेश होता है वह समावेश रुके विश्वविद्यालय शिक्षा के पवित्र केन्द्र बनें, छात्रसंघों के चुनाव के लिए जो 25 साल की आयु निर्धारित की है, सराहनीय कदम है। मान्यवर, सरकार की सदाशयता है प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश की तरह बने और यहां के छात्र आई० ए० एस०, आई० पी० एस० की प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक स्थान लाने का काम करें इस दिशा में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बहुत सराहनीय कदम उठाये हैं । इसी के साथ मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, मैं बड़े भाई अम्मार रिजवी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, उच्च शिक्षा में खेलकूद का बड़ा महत्व दर्शाया जाता है इसमें खेलकूद के बारे में भी कहा गया है लेकिन 1982 से पहले जब डिग्री कालेजों में या महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में टीचर्स हुआ करते थे वे बी० ए०, बी० पी० एड० हुआ करते थे फिजिकल इन्सट्रक्टर के नाम से जाने जाते थे मार्च, 1982 से उनको लेक्चरर का ग्रेड दे दिया गया लेकिन मार्च, 1982 के बाद से अब तक मानक नहीं निर्धारित किये गये । मानक न निर्धारित होने से हजारों बी० ए०, बी० पी० एड०, एम० पी० एड० उत्तीर्ण छात्र सड़कों पर रोजगार के लिए घूम रहे हैं उनको एपाइंटमेंट नहीं मिल रहा है । मार्च, 82 से आज तक उनकी भर्ती के लिए मानक नहीं बना आप उनकी तरफ ध्यान दें उनको रोजगार के अवसर देने का काम करें । माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर स्थाई किसी कालेज और विश्वविद्यालय में डिस्पिलिन चाहते हैं तो अपने छात्रों को खेलकूद में छोड़ दीजिए तो इससे जो अनुशासन होगा वह स्थाई होगा यह हमेशा काम करेगा । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* डा० पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट का समर्थन करते हुए एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा ।

सत्र नियमित करने पर जोर हम विशेष दे रहे,
समान पाठ्यक्रम लागू करने का आदेश दे रहे,
छात्रों की सुविधा हेतु सार्थक प्रयास कर,
पूरे पाठ्यक्रम को प्रश्नपत्र में समावेश कर रहे ।
गुणात्मक सुधार करने का शिक्षा में कार्य कर रहे,
एक सौ अस्सी दिन कक्षा चलाना अनिवार्य कर रहे,
परीक्षा में बैठने को पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति,
विद्यालयों में व्यवस्था सभी प्राचार्य कर रहे ।
ओपेन यूनिवर्सिटी खोलने का विचार कर रहे,
शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन और सुधार कर रहे,
प्राइवेट परीक्षा की व्यवस्था सबके लिए हो,
पत्राचर कोर्स की सुविधा पहली बार कर रहे ।
विद्यालय न राजनीति का अब अखाड़ा बनेगा,
छात्र हित हनन न होगा, न कबाड़ा बनेगा,
प्रतिबन्धित किया उम्र पच्चीस वर्ष छात्र का,
छात्र संघ चुनाव अब नहीं पहाड़ा बनेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बधाई है उच्च शिक्षा में कार्य तेज किये हैं,
मेरे क्षेत्र में भी एक डिग्री कालेज दिये हैं,
लेकिन है कष्ट मान्यवर, जो धन नहीं मिला,
न जाने क्यों धन देने से परहेज किये हैं ।

माननीय रिजवी साहब से निवेदन करता हूं कि–

जनता ने भेजा है जिसलिए निर्वाह धर्म कीजिए,
छात्रों के हित के लिए अच्छा कर्म कीजिए,
आप है विद्वान और पढ़े लिखे भी हैं,
फिर भी कटौती कर रहे कुछ शर्म कीजिए ।
विद्यालयों को सुसज्जित कर रहे हम सब प्रकार से,
कोई शिकायत नहीं मिलेगी अब सरकार से,
उच्च शिक्षा का बजट महत्वपूर्ण है,
कटौती ले वापस, आग्रह है श्री रिजवी अम्मार से ।

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

डा० अम्मार रिजवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सम्मानित सदस्यों का बहुत आभारी हूं । 11 सदस्यों ने इसमें भाग लिया, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री अशोक बाजपेयी, श्री हरपाल सिंह, श्री भोला शंकर मौर्य, श्री इन्द्रदेव सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, श्री लालजी वर्मा जी, स्वामी ओइमवेशजी, श्री बेचन राम जी, श्री वसीम अहमद जी और डा० पूर्णमासी पंकज जी ने जो कुछ भी कमी थी उसको पूरा कर दिया ।

मान्यवर, वही बातें उभरकर सामने आई जो मैंने शुरू में कही थीं कि शिक्षा का राजनीतीकरण हो रहा है इस पर रोक लगनी चाहिए और जो माननीय मंत्री जी ने कहा उसको मैं क्या श्रेणी दूं लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी पूरी तरह से इस पर रोक लग सकी है । इसमें खाली ट्रेजरी बेन्चेस को या सरकार को कुछ करने से काम पूरा नहीं होगा बल्कि इसमें सारी पालिटिकल पार्टी जो उस तरफ या इस तरफ लोग बैठे हैं उनसे अपील है कि थोड़ा सा हिम्मत से काम लें और यह तय करे कि हम कभी यूनिवर्सिटी कैम्पस में दखलन्दाजी नहीं करेंगे और अपनी राजनीति का अड्डा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को नहीं बनायेंगे । यह किसी एक का सवाल नहीं है ।

"मेरे आशियां का तू गम न कर,
यह जल रहा है तो जला करे,
मगर उन हवाओं को रोक दें,
यह सवाल सारे चमन का है ।।"

मैं यही कहना चाहता हूं कि यह सवाल पूरे शिक्षा जगत का है । मेरा अनुरोध है, माननीय मंत्री जी से और जितने राजनीतिक दल के नेता हैं कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, जिस तरह हम वहां की यूनियंस पर वहां के सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए । मान्यवर, माननीय डंग साहब ने मानदेय अध्यापक की बात कही । मैंने भी कहा था कि उनकी तरफ ध्यान दें, वह क्वालीफाइड हैं । उस वक्त उनको बुलाया गया था, जिस

वक्त हमको उनकी जरूरत थी, आज उनके रेगुलराइजेशन की जरूरत है, स्थान भी हैं, आप सक्षम भी हैं, इसको सैटिल कर दें।

मान्यवर, डा० इन्द्रदेव सिंह ने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात कही, हम लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया था। महाविद्यालयों में जो रैगिंग का सिलसिला चला है, वह अंग्रेजों की देन है, ब्रिटिश साम्राज्य की देन है, उनके आने के पहले हमारे महाविद्यालयों में रैगिंग का कोई नाम नहीं था, इस रैगिंग की वजह से हमारे कितने छात्र-छात्राओं को मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और विश्वविद्यालयों से बाहर जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि रैगिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दें और इस पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश करें।

मान्यवर, उच्च शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की थी, इसको सक्रिय बनाया जाय, आप फुलटाइम अध्यक्ष बनाइये और पूरी तरह से उच्च शिक्षा परिषद् को सक्रिय कीजिये। माननीय मौर्य जी ने और कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उनकी तरफ भी ध्यान दें। मैंने निवेदन किया था कि एक विद्यालय हमारी कांस्टीटुएन्सी का है, उसकी 10-12 साल से इमारत नहीं बनी है, लड़के जमीन पर बैठते हैं और लोग मुझे ताना देते हैं। कम से कम उस विद्यालय की इमारत बनवा दें और विद्यालयों की भी आप इमारतें बनवायें। मान्यवर, हमारे महमूदाबाद में फखरुद्दीन अली अहमद विद्यालय को इमारत देने की कृपा करें।

माननीय मंत्री जी, लखनऊ विश्वविद्यालय में अनियमितता हो रही है। अंडर ग्रेजुएट प्रिंसिपल को पोस्ट ग्रेजुएट का प्रिंसिपल बना दिया गया है, आप स्वयं ला के प्रोफेसर रहे हैं, सारे कानूनों को जानते हैं, इस मामले की खुद आप फाइल मंगाकर देखें और जो गलत किया गया है, जो यूनिवर्सिटी ने गलती की है, कालेज के मैनेजमेंट ने गलती की है, और जिसने गलती की है, उसे सजा देने की कार्यवाही करें। तीसरी चीज यह है कि पंकज जी ने कहा है कि मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह घोषणा कर दें कि 327 करोड़ के बजाय इसको एक हजार करोड़ कर रहे हैं तो मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा। आप माननीय मंत्री जी से अनुरोध करा दें, आप इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष भी हैं, सक्षम हैं, न एक हजार सही, 600 करोड़ ही कर दें तो भी मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा और पंकज जी की बात को नहीं टालूंगा। माननीय मंत्री जी जब आप उत्तर भाषण दें तो यह भी बता दें कि कितना पैसा आप तनख्वाहों में दे रहे हैं और कितना पैसा डेवलपमेंट के लिए है। मेरा अनुरोध है कि उच्च शिक्षा को बहुत ही महत्व की नजर से देखा जाना चाहिए। मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जब से शिक्षा को हिस्सों में बांट दिया गया है, जैसे जिस्म को काट दें, सिर को अलग काट दें, हाथ को अलग काट दें, पैर को अलग काट दें तो कुछ नहीं बचता। इसी तरह प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को अलग-अलग काट दिया गया है, इससे शिक्षा में कोआर्डीनेशन समाप्त हो गया है। एक जमाना था जब प्राविधिक शिक्षा तक एक ही में हुआ करती थी शिक्षा जो है वह किसी एक कम्पार्टमेंट का नाम नहीं है, शिक्षा कोई एक फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, जहां एक फैक्ट्री में एक चीज बन रही है और दूसरे में दूसरी। जो बीज आप प्राइमरी में लाते हैं जो प्रेप और नर्सरी में लाते हैं वही आप एल०एल-बी, पी० एच० डी० और डी० लिट० तक वहीं बीज जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में कोआर्डीनेशन नहीं रह गया है और यही अधिकारियों के साथ भी है, कोई सेक्रेटरी माध्यमिक है, कोई सेक्रेटरी उच्च शिक्षा है, उसमें भी कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। मंत्रियों में भी शिक्षा का एक विभाग होना चाहिए, अलग-अलग नहीं होना चाहिए। विभागों को बांटना हो तो अब भी बहुत से विभाग हैं तो 92 में 120-125 और बन सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर इस आशय के साथ बल देता हूं कि कटौती का प्रस्ताव मैं वापस ले लूंगा लेकिन माननीय मंत्री जी घोषणा करें कि जो धनराशि मांगी है, उसको हम दूना करेंगे; मैं वापस ले लूंगा।

सिंचाई एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं माननीय अम्मार साहब के प्रति और जिन सदस्यों ने अपने अमूल्य सुझाव दिये उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आभारी हूं। लेकिन एक बात से मैं सदा असहमत रहता हूं कि लार्ड मैकाले 1947 से पहले चले गये और 1947 के बाद इस देश में कम से कम इस सदन में कोई ऐसा पक्ष नहीं है, जो सत्ता में न रहा हो तो अपनी-अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए मैकाले को गाली देना उचित नहीं है। मैं आज की शिक्षा पद्धति के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं मानता हूं, किसने रोका था उस पद्धति में बदलाव करने के लिए। अपनी अक्षमता में पर्दा डालने के लिए हम ऐसा कहते हैं। जब भी कोई मंच पर खड़ा होता है तो मैकाले को गाली देना शुरू कर देता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। शिक्षा पद्धति में अनेक ऐसी दबाव की परिस्थितियां हैं जिससे इसमें बहुत आमूलचूल व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सकता। एक कोई नैतिक शिक्षा है, संस्कृति की बात जोड़ लीजिए, तो उसमें विवाद खड़ा हो जायेगा कि इससे भगवाकरण होगा, कुछ राजनीतीकरण होगा, नैतिकता की शिक्षा दीजिए तो उसमें राजनीतीकरण होगा। महाभारत और रामायण के कथानक से प्रेरणा देने की बात करिए तो उसका राजनीतीकरण होगा। यदि कोई जानकारी देनी है, संस्कार देने हैं तो इस देश के आदर्शों से ही दिए जा सकते हैं इसलिए हमें उस पर विवाद खत्म करना पड़ेगा, इस पर कोई तैयार नहीं है। जहां तक शिक्षा को राजनीति से दूर करने की बात है, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि भारत में क्या होता है, दूसरे राज्यों में क्या होता है छोड़ दें, राजनीतिक दलों के नेताओं में क्या होता है छोड़ दें। इस सदन के हमारे राजनीतिक दल के नेता बैठ जायें और संकल्प लें कि इस प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र को हर तरह से राजनीति से मुक्त करेंगे, इसमें हमारा दल सबसे आगे है, यह आश्वस्त करना चाहता हूं।

आज तक छात्र राजनीति में या किसी छात्र की राजनीति में मेरे दल का नाम कभी नहीं आया। निश्चित है कि शिक्षा क्षेत्र को एक सही दिशा में ले चलना पड़ेगा, उसे राजनीति से मुक्त भी करना पड़ेगा और उसमें उठाये गये अच्छे कदमों को राजनीतिक दृष्टि से देखना भी बन्द करना पड़ेगा। हम हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। यह ठीक नहीं है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति को पूरी तरह से दूर करने के लिए यह सदन पहल करे और सदन की पहल से सभी प्रदेशों के सदन पहल करेंगे। छात्रसंघों को राजनीति से मुक्त रखा जाय यह मेरा प्रारम्भ से संकल्प है जब मैंने 1968 में बी० एच० यू० को छोड़ा था। मैं मानता हूं कि शिक्षा में दलीय राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज एक विडम्बना है, छात्र ग्रामीण क्षेत्र से आता है और ज्यों-ज्यों वह शिक्षित होता जाता है त्यों-त्यों वह अपनी खेती से अपने परम्परागत पेशे से दूर होता जाता है और पोस्ट ग्रेजुएट होकर जब वह गांव जाता है तो वह हल, बीज और किस मौसम में कितना पानी फसल को देना चाहिए यह सब भूल जाता है और उसको नौकरी भी नहीं मिलती है, न वह घर का रहता है और न खेत का रहता है। इसलिए गुणात्मक विकास करने की आवश्यकता है। शिक्षा में कृषि की शिक्षा को आवश्यक करने के बारे में विचार करना होगा। प्रारम्भिक स्तर से कृषि की शिक्षा देकर हम शिक्षा को सार्थक बनाना चाहते हैं। जब इस तरह से छात्र शिक्षित होकर निकलेगा तो जो परम्परागत पेशे का काम है खेती की उसको जानकारी होगी। यह विषय हमारे विचार में है। इसको कैसे और किस रूप में लागू कर पायेंगे इसके बारे में हम सोच रहे हैं।

पैसे की कमी की बात कही गयी, मैं कहना चाहता हूं कि कम पैसे में भी नियोजन हो सकता है उसे हम करके दिखायेंगे। जहां तक अनुशासन स्थापित करने की बात है यह हमारी प्राथमिकता है। हमने ऐसे कदम उठाये हैं जिससे शिक्षक और छात्रों में अनुशासन आये और एक स्वस्थ शैक्षिक वातावरण बने। प्रथम चरण में ही यदि स्वस्थ शैक्षिक वातावरण बन जायेगा तो निश्चित रूप से शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन की शुरुआत अपने आप हो जायेगी। हम प्रथम चरण में ही स्वस्थ शैक्षिक

वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक विश्वविद्यालयों में अराजकता की बात है तो यदि राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त हो जाय तो अराजक तत्व अपने आप समाप्त हो जायेंगे। पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाने के बाद पूरे प्रश्न-पत्र के आधार पर परीक्षा लेने की पद्धति हो तो उससे भी अराजकता दूर होगी। एक बात कही गयी है कि प्रेक्टिकल के माध्यम से छात्रों का शिक्षक शोषण करते हैं, सही बात है अनेक उदाहरण इसके हैं। इसका एक रूप हो सकता है कि थ्योरी और प्रेक्टिकल के नम्बर अलग-अलग कर दिये जायं जैसे बी० एड० में होता है तो उससे कुछ कंट्रोल होगा और यह बुराई भी दूर होगी। मान्यवर, रैगिंग की बात कही गयी इसके लिए कानून बनाने का कार्य परीक्षण के अन्तर्गत है। रैगिंग रुकना चाहिए यह निश्चित रूप से दुर्व्यवस्था को जन्म दे रही है। एक तरह से नये छात्रों का शोषण और उनको गलत रास्ते पर ले जाने का कार्य रैगिंग कर रही है। जहां तक शेड्यूल कास्ट के लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट में जाने से रोकने की बात है यह अनर्गल और निराधार आरोप है। शेड्यूल कास्ट के छात्र भी पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा योग्यतापूर्वक लें और सभी छात्र योग्यतापूर्वक लें यह व्यवस्था करने की योजना है। मान्यता के बारे में कहा गया है कि उसमें अनावश्यक विलम्ब होता है यह निश्चित है कि विलम्ब होता था। जितनी भी पुरानी मान्यता की पत्रावलियां थी शासन स्तर पर एक अभियान चलाकर उसका डिस्पोजल किया गया है और अन्त में 25–30 पत्रावलियां बच गयी थी। हमने कहा कि जनवरी में सभी लोगों को एक साथ बुला लो और जो भी कमियां हैं उनको समय देकर परीक्षण करा लें। मान्यवर, जो मानक पूरा कर रहे हैं उनमें अनावश्यक विलम्ब नहीं होने दे रहे हैं और आगे भी नहीं होने देंगे। प्रक्रिया में विलम्ब भ्रष्टाचार को जन्म देता है। हम किसी भी दशा में भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में आपका सहयोग चाहते हैं। एक सन्देह व्यक्त किया गया कि यह घोषणा है। यह घोषणा नहीं है जितनी बात कही है सबके सम्बन्धित आदेश जारी हो चुके हैं। कुलपतियों ने संकल्पपूर्वक यह बात सम्मेलन में नहीं कही है, मैं समय-समय पर उनसे बात करके पूछ रहा हूं उनका भी मानस बना है।

प्रदेश के शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने 11 बजे से लेकर 7 बजे तक अपनी सेवा के बारे में एक बात भी नहीं कही। यह प्रथम प्रयोग हमने किया था। हमने शुरू में ही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों के परामर्श के बगैर नहीं होना चाहिए। शासन के अधिकारियों के माध्यम से, उनकी सोच के माध्यम से कराने का पक्षधर मैं नहीं हूं। शिक्षा, शिक्षकों और विद्वानों द्वारा चलने दें इसलिए इनको प्रयोग के रूप में पहली बार बुलाया था। आप कह रहे हैं कि 3 बार शिक्षा मंत्री रहे लेकिन क्या आपने कभी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श किया। हमने यह पहल की और हम 4-5 महीने में एक बार बुलाकर परामर्श करते रहेंगे और चाहेंगे कि उनके योगदान से शिक्षा में परिवर्तन आये। मैं उनके प्रति आभारी हूं। मानदेय शिक्षकों के बारे में बात की गयी। वर्मा जी ने कहा कि इस साल बजट में कम प्राविधान है। उसका कारण यह है कि पिछले वर्ष जो एरियर शिक्षकों के वेतन का देने के कारण 165 करोड़ रुपया अशासकीय और 60 करोड़ रुपया शासकीय विद्यालयों को देना था इसलिए बजट में प्राविधान किया गया था। वह दे दिया गया है। अब एरियर नहीं है इसलिए उसके प्राविधान की आवश्यकता नहीं है। मा० अम्बरीष जी ने कहा था कि 80 प्रतिशत सेन्ट्रल देता है, वह मार्च, 2000 तक के लिए था। अब इस राज्य सरकार को आपके द्वारा पास किये गये बजट पर ही पूरा भार पड़ेगा। अब केन्द्र सरकार की सहायता नहीं होगी। जहां तक नियुक्ति का सवाल है। 627 अध्यापकों की नियुक्ति पहले हुई थी। 1500 के आसपास वैकेन्सी थी, आयोग ने जितने भी अभ्यर्थी थे उन सबका इण्टरव्यू पूरा कर लिया है और उन्होंने कहा है कि जून के अन्त तक पूरा रिजल्ट दे देंगे और जो बाकी खाली पद हैं उनके अधियाचन जा चुके हैं उसका विज्ञापन निकल गया होगा या निकलने वाला हो। इसलिए जो रिक्त पद हैं जिस गति से भरे गये हैं आयोग सक्रियता से काम कर रहा है निकट भविष्य में रिक्त पद नहीं होंगे। हमने डायरेक्टर से भी कहा है कि अगले जून तक वैकेन्सी होने वाला है

उसको भी पूछ लें वैकेन्सी होने से पहले ही चयन हो जाये । वैकेन्सी के कारण जो अव्यवस्था पठन-पाठन में होती है वह न होने पाये । अभी कल सम्पूर्णानन्द की एक कापी दिखायी पता अज्ञात है इस संबंध में जब मैंने सचिव को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी आया है । यह मिस्चीव प्ले है यह विश्वविद्यालय को बदनाम करने का षडयंत्र है । यह गुटबाजी लगती है । इसकी जांच पुलिस की खुफिया एजेंसी से करायेंगे और जो भी दोषी होगा दण्डित किया जाएगा । नेशनल टेक्नालॉजी की बात डाक्टर साहब ने कही हम उसका विस्तार करेंगे चार महाविद्यालयों में इनफार्मेशन टेक्नालॉजी शिक्षण कार्य के लिए मान्यता दे दी है और इसको आगे बढ़ायेंगे । मानदेय शिक्षक की बात कही गयी । कोई भी मानदेय शिक्षक मुश्किल से 12–16 महीने ही पढ़ाया होगा इनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह व्यवस्था की है कि इनको छूट देकर जब अध्याचन भेजा जाएगा तो यह व्यवस्था की जाएगी कि इनको इण्टरव्यू में कुछ छूट दी जाए । आयोग का इनके प्रति सिम्पैथिटिक एटीट्यूट हो । यह व्यवम्था निरन्तर चलने वाली व्यवस्था है । ऐसा नहीं है कि दो-तीन साल तक यह व्यवस्था चले और बन्द हो जाए आज भी मानदेय पर शिक्षक रखे जा रहे हैं । लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि जो मेधावी छात्र हैं वह कहीं न लगे और ऐसे ही लोगों को रख लिया जाए ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

जो अर्हता प्राप्त लोग थे उसमें सर्वश्रेष्ठ लोगों को रखा गया था इस आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि बाहरी मेधावी लोग रह जायेंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

विश्वविद्यालयों में रिजर्वेशन के संबंध में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पूरी यूनीवर्सिटी को इकाई मानकर हर डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन डिपार्टमेंट वाइज पूरा करने की प्रक्रिया विचाराधीन है । हम चाहेंगे कि रिजर्वेशन का कोटा पूरा हो । इस सरकार ने तो वह करके दिखा दिया है संविधान में संशोधन कर दिया है यह किसी ने नहीं किया । हमने 50 प्रतिशत की जो बार है उसको समाप्त किया है । अनुसूचित जाति के लोगों को जो हक नहीं मिला है वह हक भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन उनको तुरन्त प्रदान करने में विश्वास रखती है । हम आरक्षित वर्ग को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अम्मार रिजवी जी से अनुरोध करता हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और इस बजट को सर्वसम्मत पास करने में अपना योगदान दें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति के विरुद्ध कोई जांच हुई थी और जांच में सम्भवतः वह दोषी हुए थे । उनको हटाने पर सरकार कोई विचार करेगी या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शासन के स्तर से मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया । हमने इस सम्बन्ध में चांसलर को लिखा है कि स्वस्थ परम्पराओं को कायम करने के लिए इस प्रकरण पर गम्भीरता से विचार कर निर्णय दें ।

डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आज कोचिंग इन्स्टीट्यूट बहुत चल रहे हैं । जो अन्य संस्थाओं में अध्यापक हैं वे इन कोचिंगों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा विश्वविद्यालय में चयन के सम्बन्ध में उसको भी देख लिया जाय ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शिक्षक नेताओं ने बैठक में इस बारे में कहा है हम इस पर विचार करेंगे। जहां तक शिया कालेज के बारे में आपने कहा तो यह प्रकरण उच्च शिक्षा आयोग के समक्ष है वहां जाकर आप अपनी कठिनाई कह सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–73—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,26,66,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान–अनुदान संख्या 93—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान), अनुदान संख्या 94—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,21,61,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 94—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,20,33,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, इस सदन में मैं कुछ अचम्भित करने वाले आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इस प्रदेश की पिछले कई वर्षों की नियोजन की दशा और दिशा को निर्धारित करती हैं। मान्यवर, इस प्रदेश का कृषि क्षेत्र, सिंचाई और खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़ों को देखें तो लगता है कि प्रदेश की प्रगति हुई ही नहीं। 1984-85 में 172.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल था कृषि का, 1997-98 में 172.28 लाख लाख हेक्टेयर क्षेत्र है कृषि कार्य, कुल सिंचित क्षेत्र 1984-85 में 101.54 लाख हेक्टेयर था और 1997-98 में 101 लाख हेक्टेयर है। लगता है आंकड़ों में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। खाद्यान्न उत्पादन 1984-85 में 299.18 लाख टन था 1997-98 में 314.10 लाख टन है। इस प्रकार लगभग 13-14 साल में कोई गुणात्मक परिवर्तन इस प्रदेश के कृषि क्षेत्र में, सिंचाई में और खाद्यान्न उत्पादन में नहीं दिख रहा है। 1984-85 से लेकर 1997-98 तक सदन का कोई भी ऐसा दल नहीं है जो सत्ता में नहीं बैठ चुका हो। दिशा एक ही, नीति कैसी और प्रगति कैसी। श्रीमन्, यह सभी जानते हैं कि इस समय

प्रदेश की आबादी 17 करोड़ है और 2020 में 28 करोड़ हो जायेगी । इस समय खाद्यान्न उत्पादन 314 लाख मीट्रिक टन है, 20 साल बाद आवश्यकता होगी 700 लाख मीट्रिक टन की ।

आज की तुलना में हमें खद्याान्न उत्पादन दुगुना करना पड़ेगा अगर हम आज की आवश्यकता को मानकर प्रत्येक व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र बढ़ा लेकिन उतना ही गैर कृषि क्षेत्र में लग गया । जो कृषि उत्पादन बढ़ा, उसका कारण यह है कि फसल देने वाली जमीन दो फसली हो गई । कुल 101.54 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है और इस प्रदेश का कृषि क्षेत्र है 172.48 लाख हेक्टेयर । 80 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिसे दो फसली सिंचाई मिलती है बाकी के लिए एक फसली । कहीं न कहीं इस प्रदेश की एक लम्बे काल तक नियोजन और नीति उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही जो इस प्रदेश को विकास की गति पर ले जाये । जब यह सरकार आयी और मुझे सिंचाई मंत्री का दायित्व मिला तो उस समय 20–25 साल पुरानी 29 सिंचाई परियोजनायें इस प्रदेश में लम्बित थी । क्या कारण था कि उन्हें पूरा नहीं किया गया । कहीं न कहीं नियोजन की गलती थी । 1991-92 की सरजू परियोजना थी, 299 करोड़ की थी उस पर पैसा खर्च भी हो चुका था, उससे 30 हेक्टेयर सिंचाई भी नहीं हो पायी थी, यह था उसका सबसे भद्दा स्वरूप । 78 में चम्बल डाल पुर परियोजना बनी । यह इधर एक साल में बनी उससे पहले क्यों लम्बित पड़ी रही । 29 परियोजनाएं क्यों लम्बित रहीं । अब हम 5 परियोजनाएं 5 साल में और 7 परियोजनाएं इस साल पूरा करने जा रहे हैं और 8 परियोजनाएं अगले वर्ष पूरी करके 20 परियोजनाओं का लक्ष्य पूरा करेंगे । कहीं-कहीं प्राथमिक नियोजन में गलती रही है । परियोजनाएं चलती रहीं और सिंचाई क्षेत्र बढ़ता गया । नई परियोजनाएं तो बनी लेकिन जो पूरानी परियोजनायें बनी थीं, जो चल रही थीं उनके रख रखाव का कोई ध्यान नहीं रखा गया जिसका कारण यह हुआ कि नहरें अपनी क्षमता खोती गईं और कमजोर होती गई । वहां पानी जितना चलना चाहिए था नहीं चला । निर्माण पर ध्यान दिया गया लेकिन पिछलों के रख-रखाव पर ध्यान नहीं दिया गया । यह कुछ चौकाने वाले आंकड़े हैं । इस प्रदेश के पिछले वर्षों के नियोजन को व्यक्त करते हुए नवीं पंचवर्षीय योजना में 10 लाख हेक्टेयर नयी सिंचन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 4.2 लाख हेक्टेयर नयी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करके जल जमाव से जो फसलें नष्ट हो जाती हैं उसको रोक कर 1300 किमी० ट्रंक की सफाई करके 4 साढ़े चार किलोमीटर सफाई करके डेढ़ दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त किया है । नई नीति का निर्धारण किया जाय पुरानी को बनाकर रखें उसके पुनर्स्थापन का कार्य करें । नई योजनाओं के साथ-साथ कोशिश करें कि जो पुरानी हैं उनकी सिंचन क्षमता कम न होने पाये । यह नीति लेकर हमने सिंचाई विभाग में नियोजन का काम किया है और इसी के अनुरूप हम इस बजट के कुछ बिन्दुओं को आपके सामने रख रहे हैं । मान्यवर, 2001 में जैसा हमने बताया 29 में से 20 परियोजनाओं को नवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का लक्ष्य लेकर जा रहे हैं ।

एक बात और बतला दें । जब यह सब योजनायें प्रारम्भ हुई थीं 860 करोड़ रुपये इनकी लागत थी आज उनकी लागत बढ़कर 5000 करोड़ हो गई है । यह सब विलम्ब का परिणाम है कि इन पर इतना अधिक धन लगाना पड़ रहा है । अगर हम इन परियोजनाओं को समय से पूरा कर पाते तो किसान के घर समृद्धि आती, प्रदेश के अन्दर सिंचाई क्षमता बढ़ती । खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा होता, प्रदेश विकास की गति पर तेजी से बढ़ता । आज 860 करोड़ रुपये के स्थान पर 5000 करोड़ रुपये न खर्च करने पड़ते । गलत नियोजन और गलत दिशा ने इस प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है । इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसके लिए जिम्मेदार है इस सरकार के आने से पहले लम्बे काल तक शासन में बैठे हुए लोग । प्रदेश को सही नीति और नियोजन, सही दिशा में विकास के रास्ते पर नहीं ले जा सके । इस साल हमने 9 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है । पथरई बांध मुख्य गंगा

समान्तर हाथरस, पूर्वी गंगा, शारदा सहायक, चरखारी, चम्बल डालपुर, मौदहा बांध, ज्ञानपुर परियोजना। कानपुर प्ररियोजना में शेष बचे हुए कार्य में 38 किलोमीटर बनाना बाकी है इसमें किसान के साथ जमीन का विवाद था। इस तरह से परियोजनाओं में कुछ न कुछ विवाद था उनको दूर करके इन परियोजनाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, वर्ष 1991-92 में सिंचाई विभाग की अकर्मण्यता का परिचय दिया जाता था लेकिन आज हम कह सकते हैं कि चम्बल डाल नहर परियोजना को सिंचाई विभाग ने एक साल में बनाया है, तो यह सिंचाई विभाग की क्षमता का उदाहरण है। इसलिए आज प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मान्यवर, नयी सिंचन क्षमता का सृजन के लिए हम योजनायें ला रहे हैं। इसके साथ ही साथ पुरानी योजनाओं की क्षमता को बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। मान्यवर, टेल तक पानी न पहुंचने की शिकायत होती है किन्तु बेलन नहर, हरदोई, कानपुर, फतेहपुर में जो पुरानी नहरें हैं, जो जीण-शीर्ण हो चुकी हैं, उन सभी के बारे में प्लान बना कर नाबार्ड से पैसा लेने के लिए भेजा है और पैसा लेकर अगले सत्र में उनकी क्षमता का पुनरोद्धार कर दिया जायेगा। मान्यवर, हरदोई ब्रांच पिछले साल तक 4800 क्यूसेक पर चलती थी लेकिन इस साल 6000 क्यूसेक पर हमने चलाया है। इसलिए पुरानी 8 प्रणालियों को हमने आधुनिकीकरण और उनके नवीनीकरण के लिए योजना बनाया है।

मान्यवर, दूसरी तरफ इस प्रदेश की समृद्धि को देखें तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई है वे क्षेत्र समृद्ध हैं जैसे पश्चिम क्षेत्र समृद्ध है। इसका श्रेय गंगा नहर को जाता है चूंकि यह सबसे पुरानी नहर है। यमुना नहर भी पश्चिम में है। इसलिए पश्चिमी क्षेत्र समृद्ध है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में 32 परसेन्ट सिंचाई है इसलिए वह क्षेत्र गरीब है। इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन इस प्रदेश में व्याप्त हो गया है। जिसके कारण लोगों की आर्थिक समृद्धि में अन्तर दिखायी पड़ता है। मान्यवर, पहाड़ में 30 प्रतिशत और बुन्देलखण्ड में 32–40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचन क्षमता है। पूर्व और मध्य में 63 प्रतिशत तथा पश्चिम में 85.5 प्रतिशत सिंचन क्षमता है। इस प्रकार सिंचन में जो विषमता है वही विषमता उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विषमता परिलक्षित होती है। इसलिए इस साल के बजट में बुन्देलखण्ड को प्राथमिकता दी गयी है और नयी-नयी योजनाएं प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। मान्यवर, पथरई, अपर नहर, चरखारी आदि कई योजनाओं को चालू किया जायेगा। इसी प्रकार 15 लघु जलाशयों और 4 लघु योजनाओं को स्वीकार किया है। लखेरी-रसिराज बांध के लिए वित्तीय व्यवस्था कर दी गयी है। आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है। इस प्रकार जब बुन्देलखण्ड में यह परियोजनायें चालू हो जायेंगी तो वहां सिंचन क्षमता 50 प्रतिशत हो जायेगी इसलिए इस नीति के कारण वहां समृद्धि आयेगी।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में बजट की घोषणा के प्रति सभी में विश्वसनीयता बढ़े इसलिए प्रगति का विवरण सभी माननीय विधायकों को वितरित कर दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि बलिया में जून, 2000 तक 400 क्यूसेक पानी पहुंचा दिया जायेगा जैसा कि पिछली बार हमने कहा था। इससे बलिया जनपद में खरीफ की फसल को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। मान्यवर, यह पूर्वी क्षेत्र है सिंचन क्षमता को बढ़ाने के लिए दो विशेष कार्य किये जा रहे हैं। शारदा सहायक मध्य और पूर्वी दोनों में है। शारदा सहायक योजना 2002 तक पूरी हो जायेगी यह कहा गया है। दो महीने के लिए यह बन्द की गयी है अगले साल से ये बन्द नहीं होगी क्योंकि उसका लाइनिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जो पांच साल में पूरी होने वाली थी उसको तीन साल में सुदृढ़ और सही नियोजन के माध्यम से पूरा करेंगे। बेलन नहर पुरानी और जीर्ण-शीर्ण है उसके लिए लिए पैसे का इन्तजाम हो गया है मध्य क्षेत्र में इसका आधुनिकीकरण किया जायेगा। पश्चिम क्षेत्र में सिंचाई बढ़ाने के लिए समान्तर हाथरस शाखा है डाल परियोजना इसको दो साल इस पूरा करा लेंगे बैराज बनकर तैयार हो गया है उससे मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों पानी लेते हैं।

यह तेजी से हो रहा है 8 किलोमीटर में 3 किलोमीटर बन चुका है पांच किलोमीटर अगले डेढ़ साल में बन जाएगा । पश्चिम क्षेत्र में जो परियोजनायें चल रही हैं उनको शीघ्र पूरा करायेंगे । लखवाड़ी व्यासी परियोजना शीघ्र पूरा कराने की योजना है । बाढ़ से क्षति होती है बाढ़ से सुरक्षा हो इसलिए योजनायें बनाई हैं एक-एक नदी को लेकर सारे कटानों को पक्का करेंगे ।

प्रथम स्टेज पर यमुना नदी को लेने की घोषणा की गयी है सात जिलों में 27 स्थान पर पक्के कार्य कराये जायेंगे इससे किसानों को जो क्षति होती थी वह नहीं होगी । वह स्थिति नहीं आएगी. इसमें 1424 करोड़ का नाबार्ड ने ऋण स्वीकृत कर दिया है अगले सत्र के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है । यमुना किनारे के गांव के किसान अब बाढ़ पीड़ित नहीं रहेंगे । यही नहीं मान्यवर, विभिन्न क्षेत्रों में छोटे-छोटे बांध बनाकर बाढ़ से मुक्ति दिलाई जायेगी । विभिन्न क्षेत्रों से पैसा प्राप्त करके 11 सौ करोड़ की बाढ़ की योजना बनाकर प्रस्तुत की गयी है हमें उम्मीद है कि यह स्वीकृत हो जायेगी । कई अन्य विषय हैं जिससे कृषि प्रभावी है आठ हजार ट्रंक ड्रेन हैं जिनकी सफाई नहीं हुई है पहली बार यह सरकार ने उधर ध्यान दिया है और प्रथम वर्ष में तेरह सौ किलोमीटर ट्रंक ड्रेन की सफाई मशीनों द्वारा करायी थी । जिस-जिस क्षेत्र में हुई थी वहां के विधायकों ने इस अभियान की सराहना की थी । पिछले वर्ष कुछ वित्तीय संसाधनों में कमी होने के कारण एक हजार किलोमीटर की सफाई नहीं हो पायी थी । केवल 450 किलोमीटर ही करा पाये थे लेकिन इस बार फिर एक हजार किलोमीटर ट्रंक ड्रेन्स की मशीनों द्वारा सफाई कराने की योजना बनायी है और हमारा प्रयास है कि जो जल जमाव होता है जिससे किसानों की फसल की क्षति होती है, आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है वह नहीं होगा । इतना ही नहीं नहरों की सफाई जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी, हमने पहली बार 20 हजार किलोमीटर नहरों की सफाई कराई थी तो इसकी बड़ी प्रशंसा की गयी थी । लेकिन पिछले वर्ष नौ हजार किलोमीटर ही करा पाये ।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में नहीं हुई । हमने जहां-जहां करायी है उसकी सूचना दी है । इस वर्ष 25 हजार किलोमीटर की सफाई कराने का लक्ष्य रखा है । पहले मेन्टीनेंस के लिए पैसा नहीं रहता था, कुल 30–35 करोड़ रुपया मिलता था इस वर्ष हमने रख-रखाव के लिए पहली बार 79 करोड़ नहरों की सफाई का रख-रखाव के लिए प्राविधान किया है । एक बात और कह दूं हम चाहते हैं कि आप सहयोग करें । यह सही है कि नहरों की सफाई में कदाचार है इसको आपको देखना होगा । जो नहरें चयनित होंगी उसकी सूची आपके पास पहले से भेज देंगे । हर सदस्य उसकी सूची पायेगा और उस सूची के अनुसार कार्यकर्ताओं को आप लगा दें वह देखता रहे जिससे नहरों की सफाई ट्रंक ड्रेन्स की सफाई हो जाय और किसानों का उद्धार हो जाये । मान्यवर, जब सारा काम हो जाता है तो फिर जांच से काम नहीं चलता है । हम केवल दण्डित ही तो कर पायेंगे । तो इससे काम नहीं होता है । इस बार फिर कह दूं । जिनके जिले में सफाई की जानी है वहां पर प्रत्येक नहर का नाम, लम्बाई और कितना धन आवंटन हुआ है उसका विवरण देंगे । कोई भी कदाचारी आदमी जनता के इस पैसे की लूट नहीं कर सकेगा । मान्यवर, इसके साथ ही प्रशासनिक सुधार पर भी हम काम किये हैं। हमने दो-दो अधिकारियों की बीस टीमें बनायीं हैं जो शिकायत मिलने पर उसकी जांच करेंगी । उसने दो वर्ष में 656 प्रकरणों का निस्तारण किया है जिसमें से 649 अधिकारियों को दण्डित किया गया है । 458 नयी जांच के आदेश दिये हैं । निश्चित रूप से जो हमें शिकायतें मिलती हैं हम उसकी जांच कराते हैं । नार्दन इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट यह सौ साल पुराना है इसको सही करेंगे । तो इस तरह से हमने नीति बनायी है बाढ़ से सुरक्षा, नयी सृजन क्षमता, पुरानी क्षमता को बढ़ाना । यह बजट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । मान्यवर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग के रूप में और समर्थन के रूप में पूरा सहयोग मिलेगा । धन्यवाद (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93—सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ? कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीव अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उ० प्र० के सर्वोच्च शिखर पर बैठे महान व्यक्तित्व के इस मंत्रिमण्डल के सर्व शक्तिशाली माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये सिंचाई विभाग के बजट पर आने मुझे विचार रखने का मौका दिया, मैं आभारी हूं । मान्यवर, इतने शक्तिशाली और इतने दिनों से विभिन्न उच्च पदों पर रहे माननीय ओम प्रकाश सिंह जी आज बजट रखने पर किंचित भी कुंठित नहीं हुए । मुझे तो यह ताज्जुब आया कि इस वर्ष के बजट में और गत वर्ष के बजट में लगभग चार अरब रुपये की कमी है ।

इस पर कोई टिप्पणी नहीं की । मान्यवर, इतने वरिष्ठ और शक्तिशाली मंत्री इनका पूरा बजट काट दिया मुख्य मंत्री जी ने, 400 करोड़ रुपये कम कर दिये गये पिछले साल से । जहां 400 करोड़ रुपये की कमी हो बजट में और माननीय मंत्री जी क्या कह रहे उत्तम नियोजन, जब पैसा नहीं है तो नियोजन क्या है ? अब तक का नियोजन सामने है । माननीय मंत्री जी ने आंकड़े स्वयं रखे तब से अब तक जहां थे वहीं रह गये । हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के किसानों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न की समस्या अपनी ताकत पर, अपनी मेहनत पर, पसीने की कमाई पर इस प्रदेश को भूखा रखने से बचाया और ज्यादा अनाज पैदा किया जो दूसरी जगह जा सके । लेकिन जहां तक सरकार की बात है वहां हमने क्या किया इस पर दृष्टिपात करना होगा । आजादी के बाद आज 52 वर्ष हो गये हम सिंचाई के प्रसार में, व्यवस्था करने में, साधन जुटाने में कहां हैं अगर हेम इसको देखें तो हम कहना चाहते हैं जब से माननीय ओम प्रकाश सिंह जी के हाथ में इस प्रदेश के सिंचाई की बागडोर गई है तब से यहां के किसानों को और यहां की कृषि का बिल्कुल बंटाधार हो गया । हम आपको वह चीजे बतायेंगे जिससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

मान्यवर, गत वर्ष और इस वर्ष एक इंच नहर का निर्माण नहीं हुआ, एक ट्यूबवेल नहीं लगा, सिंचाई मंत्री जी कह रहे है कि 9000 कि० मी० कराई तो जब तक नहर नहीं बनेगी, ट्यूबवेल नहीं चलेगें नहर की सफाई नहीं होगी तो सिंचाई का साधन क्या होगा । जहां तक नहरों की सफाई की बात है 74000 कि० मी० नहर में 9000 कि० मी० नहर की सफाई हुई और बाकी में सिल्ट बनी रहे तो टेल तक पानी कैसे पहुंचेगा और टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा तो किसान सिंचाई कैसे करेगा तो यह सब ऐसी चीजे हैं जिसको सरकार स्वीकार करती है । मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि 74000 कि० मी० में से 9 हजार कि० मी० नहर की सफाई हुई अगर आप देहात के रहने वाले होगें तो आपको पता होगा कि जो नहर की सफाई नहीं होती तो वहां आप पानी दे ही नहीं सकते शुरू में तो किसान बांधबूंध कर कर लेता है लेकिन पानी टेल तक पहुंच ही नहीं सकता । मैं कहना चाहता हूं 61 हजार कि० मी० नहर की सफाई हुई ही नहीं तो वह विभाग आपका क्या करता रहा, आप क्या करते रहे यह कहने में हिचक नहीं लगती । जहां तक सिंचाई का सवाल है, सिंचाई के आकड़ें माननीय मंत्री जी ने दिये नहीं, देने चाहिये थे । मान्यवर, तीन तरह के आंकड़ा है इनकी किताबों में जितनी किताबें हैं इनकी एक ही साल की सबमें अलग-अलग आंकड़े हैं एक ही साल के । जो कार्यपूर्ति दिग्दर्शक हमारे पास है, उसके अनुसार 99-2000 में 43.88 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हुई थी और एक दूसरी किताब में 99-2000 में 40.07

लाख हेक्टेयर लिखा है और एक तीसरी किताब छपी है, सिंचाई विभाग कार्य प्रगति का संक्षिप्त विवरण, इसके पेज नं० 66 पर लिखा है कि 51.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हुई । अब यह 3 किताबें आपके विभाग ने छापी है और एक ही वर्ष में तीनों के अलग-अलग आकड़े हैं। इसमें कौन सा सही है, यह माननीय मंत्री जी बतायेंगे । अब या तो माननीय मंत्री जी के पास समयाभाव है, जिसकी वजह से विभाग को देख नहीं पा रहे हैं । यह सारे आंकड़े कम्प्यूटर में फीड रहते हैं, तो गलती होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन जो पढ़ो सब गलत निकलता है । माननीय मंत्री जी के पास समय नहीं है, पूरे प्रदेश को संगठित कर रहे हैं या फिर अधिकारियों के दबाव में हैं, उनकी चपेट में हैं, कुछ कह नहीं पाते । जो चाहे सो करो । अगर मंत्री जी ने स्वयं देखा होता तो मुझे विश्वास है कि यह गलती कभी हो ही नहीं सकती ।

मान्यवर, 99-2000 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उसमें निर्माण कार्यों के लिये 1415.93 करोड़ रुपये रखा गया था और 98-99 के बजट में 1019.15 करोड़ रुपये था, लेकिन इस बार जो बजट आया है, वह 400 करोड़ कम है, इससे सिंचन क्षमता का सृजन नहीं होगा, नहरों की सफाई नहीं होगी, निर्माण कार्य नहीं होगा, नलकूप बनेगा नहीं, नाली बनेगी नहीं तो सिंचन की क्षमता कैसे बढ़ेगी और सिंचन का क्षेत्र कैसे बढ़ेगा, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ? जहां तक सिंचन क्षमता का सृजन है, 1999-2000 में 111.55 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाबूराम जी संक्षेप कर लें ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, अभी तो शुरू किया है । 400 करोड़ रुपये बजट कम कर दिया गया, इस पर सत्तापक्ष के हमारे सम्मानित सदस्य गम्भीर क्यों नहीं है, क्या कास्तकार को, क्या उत्तर प्रदेश के कास्तकार को बिल्कुल जहन्नुम भेजना चाहते हैं । क्या उनकी रोजी-रोटी को समाप्त करना चाहते हैं, क्या इस प्रदेश को भूखों मारना चाहते हैं ? 400 करोड़ का बजट कोई मामूली बजट नहीं होता, इसे कम कर दिया गया और मान्यवर, एक अखबार छपा है, अधिष्ठाता महोदय, एक पत्र छपा है, मेरे पास है और यह 29 मार्च का छपा हुआ है, इसमें माननीय मंत्री जी का फोटो छपा है और यह लिखा है "माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी, मंत्री, सिंचाई एवं उच्च शिक्षा के कुशल नेतृत्व में सिंचाई विभाग के बढ़ते कदम" क्या कदम बढ़े हैं, बतायें ? 29 परियोजनायें जो 77-78 में शुरू की गयी थीं आज तक पूरी नहीं हुईं । आपने पिछले बजट में वायदा किया था लेकिन कोई परियोजना आज तक पूरी नहीं हुई । दो परियोजना, चम्बल डाल, बाढ़ आयी थी दो साल पहले पूरा ऊपर तक सिल्ट भर गया है, किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है ।

ये परियोजनायें जिसके लिए इनका फोटो छपा है, इसमें बढ़ते कदम, क्या बढ़ते कदम, आपके नेतृत्व में एक भी योजना पूरी नहीं हुई और जो आपने दिया है परियोजनाओं का, यह मेरे पास इसका नक्शा है । लखवाड़ व्यासी परियोजना इस पर कितनी लागत बढ़ गयी । साढ़े तीन साल से आप मंत्री हैं, पहले भी डेढ़ साल रह चुके हैं, कुछ तो करते । कितनी बढ़िया भाषा है आपकी, विद्वान हैं, योग्य हैं, उचित नियोजन, उत्तम नियोजन । क्या नियोजन है, नियोजन का तो नाम ही नहीं है । आप पहले भी डेढ़ साल रह चुके हैं । 5 साल में आपने क्या किया, बता दें ? लखवाड़ व्यासी परियोजना पर 925.75 प्रतिशत लागत बढ़ गयी । यह शुरू हुई थी 72 में आज तक पूरी नहीं हुई । 5 साल में इसे पूरा कर देते । किसाऊ बांध परियोजना 742.69 प्रतिशत बढ़ गया । यह 78-79 में शुरू हुई थी, अभी तक पूरी नहीं हुई । पथराई बांध परियोजना पर 825.25 प्रतिशत लागत बढ़ गयी और यह 82-83 में शुरू हुई थी और आज तक अपूर्ण है । मंत्री जी का फोटो चला गया पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिन्दुस्तान में,

ठीक है । अब मान्यवर, जहां तक किसानों की बात है, जहां तक सिंचाई की बात है, खेती को पानी देने की बात है, उसमें कोई विचार नहीं होगा, उस पर यह विभाग काम ही नहीं कर रहा है और काम इसलिए नहीं कर रहा है कि ऐसी चीजें आयी हैं जिनको बताने में बड़ी शर्म लगती है । नहरों की दुर्गति हमने आपको बता दी । नलकूपों की हालत और भी खराब है । माननीय मंत्री जी ने गुस्से में या न जाने किस दबाव में 23 नलकूप निर्माण खण्डों को तोड़ दिया । लेकिन इनका स्टाफ वहां का वहीं है और सारी सुविधायें स्टाफ को मिल रही हैं । बिना काम किये हुए वेतन मिल रहा है । 25 लाख रुपये एक खण्ड पर व्यय होता है और अब तक इन पर 5.75 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं । अगर इन कर्मचारियों को कहीं और भेज देते हैं तो यह कुछ काम करते लेकिन सरकार की मेहरबानी देखिये कि बिना काम के तनख्वाह कर्मचारियों को दे रही है और कर्मचारी सरकार की जय जयकार कर रहे हैं । इनके साथ काम करने की जो मशीनें थीं वह वैसे की वैसे खड़ी हैं । रिग्स, कंप्रेसर पंपिंग मशीनें, ट्रक सब खड़े हैं और उनके पुर्जे निकाल कर छोटे कर्मचारी बेच रहे हैं । यह बढ़िया नियोजन ओम प्रकाश जी का है ।

जहां तक नलकूपों की बात है 1449 नलकूप हमारे आगरा मण्डल में हैं साढ़े तीन सौ नलकूप बंद थे, पिछले वर्ष भी हमने कहा था, आज 530 नलकूप बन्द हैं । आगरा मण्डल में जो पुराने नलकूप हैं जो 15–20 साल के हो गये हैं वह ठीक चल रहे हैं और अनेक ट्यूबवेल जो 4-5 साल के बने थे वह फेल हो गये हैं । इसकी जांच होनी चाहिए ताकि वह पता चल सके कि बनाने वालों ने क्या घपला किया है ? मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और आज फिर निवेदन कर रहा हूं कि इनके बनाने में अधिकारियों ने बहुत बड़ी गड़बड़ियां की हैं और कदाचार किया है । आगरा मण्डल का पानी खारा होने की बात कही जाती है लेकिन पुराने ट्यूबवेल जो खारे पानी के हैं वह 15–20 सालों से चल रहे हैं वह खराब क्यों नहीं हुए और जो 4-5 साल के बने हैं वह खराब हो गये इसकी जांच होनी आवश्यक है। इसी तरह से नलकूपों के रखरखाव की बात है, तो अभी तक नलकूपों से सिंचाई नहीं लिखी गयी है, जमाबंदी नहीं बनी है क्योंकि जो कर्मचारी थे वह पंचायत में चले गये । पिछले साल का लेखा, आप देखें आपके रिकार्ड में कहीं कोई जिक्र नहीं है । यह इतना बढ़िया नियोजन आपने किया कि आपने सिंचाई नहीं लिखी जमाबन्दी नहीं बनी । मुख्य सचिव ने फरमान जारी किया कि जो पिछला है उससे 10 प्रतिशत बढ़ाकर लिख दो, हो गयी जमाबन्दी । इस तरह से यहां के किसानों के साथ यह सरकार गद्दारी, धोखाधड़ी कर रही है । मैं किन शब्दों में भर्त्सना करूं । नलकूप चले या न चले इसका कोई मतलब नहीं, जो पिछली सिंचाई है उससे 10 प्रतिशत बढ़ा दो, यह यहां के मुख्य सचिव का पत्र है । मंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए, यह आपके विभाग को लिख कैसे दिया ? आप विभाग के मालिक हैं, मुख्य सचिव कौन होते हैं जो आपके विभाग के लिए पत्र लिखते हैं ? मैं कहना यह चाहता हूं कि मुख्य सचिव क्या होते हैं कि आपके विभाग में पत्र लिख दें कि 10 प्रतिशत बढ़ाकर लिख दो । यह शर्म की बात है, आपके, हमारे और सबके लिए, इस विधान मण्डल के लिए । एक अधिकारी पूरे सदन को चलायेगा । आप तो किसी लालच में उसके अन्डर में काम करो लेकिन हम नहीं कर सकते । इसी तरह से मान्यवर, सिंचाई का पता नहीं लेकिन ट्यूबवेलों पर खर्चा आ रहा है, सिंचाई हो नहीं पा रही है । मैं इस सरकार से और माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि पुण्य कमा लें जो किसान जिस क्षेत्र में आते हैं उन किसानों को सामूहिक रूप से सोसाइटी बनाकर नलकूप दे दें । इससे नलकूप अच्छे चलेंगे, किसानों का काम भी होगा और नलकूप चलाने में सरकार का जो खर्चा है वह भी बच जायेगा ।

सिंचाई विभाग की बात हो, बाढ़ की बात न हो तो सिंचाई विभाग अधूरा है । बाढ़ के लिए पिछला साल छोड़कर, पिछले साल पूर्व में बहुत भयंकर बाढ़ आयी । इतनी बाढ़ आयी कि जिससे पूरा इलाका त्राहि-त्राहि हो गया था । लेकिन आज तक जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं उसका सीमांकन नहीं

हो पाया । पहले सर्वे का काम होता था लेकिन अब वह बंद हो गया । अब तक यह पूरा नहीं कर पाये कि उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है । इनके पास सही जानकारी नहीं है । यह बता रहे हैं कि 15 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित कर पाये हैं । इस पर बहुत रुपया सरकार का प्रतिवर्ष खर्च होता है। माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि बारिस होने से पहले यह चिन्हित कर लिया जाये कि किन-किन इलाकों में बाढ़ का खतरा ज्यादा है । अभी तक 40 लाख हेक्टेयर भूमि वैसे बाढ़ से प्रभावित होती है, जो आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार । लेकिन यह आंकड़े सही नहीं लगते । 58.72 लाख हेक्टेयर ऐसी जमीन है जिसको सुरक्षित किया जा सकता है लेकिन सुरक्षित हुई नहीं । 15 लाख हेक्टेयर जमीन मुश्किल से सुरक्षित हुई है यह सरकार कह रही है लेकिन हुई नहीं है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बाढ़ आने से पहले सुरक्षा का इंतजाम हो जाना चाहिए ताकि जनता को कोई कठिनाई न हो । कदाचार की बात मंत्री जी ने स्वयं कही है । माननीय मंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मंत्री जी आपने कदाचार की बात स्वयं कही है । हम थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं । यह जो सबसे बड़ा कदाचार आपके यहां है वह नलकूप के मोटर तो जलने हैं आपके यहां नलकूप के मोटर के जले हुए तार इंजीनियर का कहना यह है कि उसमें से 97 प्रतिशत वापस आता है और तार उसमें भरा हुआ है । जले हुए तार निकाले जाते हैं और 97 प्रतिशत तार वापस आता है लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इसी में है उसमें 70 प्रतिशत तार जो इंजीनियर लोग हैं वह वापस करके नीलामी करते हैं यह बीच का 70–73 प्रतिशत करते हैं उससे प्रतिवर्ष पूरे प्रदेश में तीन से साढ़े तीन करोड़ रुपये की हानि होती है यह लगातार हो रहा है । दो साल पहले मैंने कहा था लेकिन आज तक चेक नहीं किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बाबूराम यादव–

ओखला बैराज बनने के लिए 4.671 एकड़ जमीन अर्जित की गयी थी जब ओखला बैराज बना तो वह 2.651 एकड़ में बनकर तैयार हुआ शेष 2.020 एकड़ जमीन बच गयी दो साल पहले मैंने इंगित किया था कि उस जमीन पर कब्जा हो रहे हैं इस पर मकान बन रहे हैं । मंत्री जी आपको तो पता होगा मैं सदन को बताना चाहता हूं कि खसरा नम्बर 318, 189, 190, 317, 204, 398, 192, 207, 67, 68 इन पर कब्जा हो गया है और मकान बन गये हैं इसकी जांच नहीं हुई । प्रमुख सचिव इस संबंध में गये उनको लगा कि यह गलत हो रहा है उन्होंने कहा कि आप कागज दिखाएं जब कागज नहीं दिखाए गये तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस संबंध में कागज लेकर लखनऊ आएं जब अधिकारी कागज लेकर लखनऊ नहीं आये जब प्रमुख सचिव ने हल्ला किया तो सरकार ने उनसे कहा कि आप चुप बैठें तुमसे कोई मतलब नहीं है । 200 करोड़ की जमीन पर कब्जा हो चुका है कितने मकान बन गये हैं क्या कार्यवाही हुई किन-किन लोगों के जमाने में मकान बने कौन-कौन सहायक अभियन्ता थे, कौन-कौन अधीक्षण अभियन्ता थे वहां पर सरकार की जमीन 700 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बिक रही है । मंत्री जी इस संबंध में आप पर सारे अधिकारियों का दबाव है । सरकार जांच कराने के लिए तैयार नहीं है । लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी यह कहेगी कि ओम प्रकाश सिंह जी के समय इतनी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया क्या लोग कहेंगे क्या सोचेंगे ? आप इसकी जांच कराकर दोषी लोगों को सजा दीजिए । मैं तो साफतौर से कहना चाहता हूं कि यह अगर आपके चहेते लोग हैं तो उनसे सम्बन्ध खत्म करें उनके दबाव में मत रहिए अगर आपको लालच हो तो आप जानें । लेकिन इतने बड़े और ऊंचे पद पर बैठ कर आपको इसकी जांच करानी चाहिए थी । यही मेरी सलाह है आपसे और यही मांग ।

श्री अधिष्ठाता–

बाबूराम जी आप 40 मिनट से बोल रहे हैं बाकी सदस्यों का समय चला जा रहा है। कृपया संक्षिप्त करें।

श्री बाबूराम यादव–

जो विभाग का मंत्री होता है उसके लिए पूरा विभाग एक परिवार के समान होता है। बी० एम० खेनकर, पी० डी० सिंह, वी० पी० सिन्हा, आर० बी० शाह को एक्सईएन का चार्ज दिया हुआ है और बाकी सीनियर पद पर घर बैठे हैं। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। यदि मंत्री जी को जानकारी नहीं है तो मैं दे रहा हूं। आपको निवेदन करना चाहिए कि कम से कम चार अरब रुपये सरकार और दे नहरों की सफाई, नलकूपों को बनाये जाने के लिए। अभी तक 29 परियोजनायें जो हैं वे पूरी नहीं हुई हैं आप इस सदन में घोषणा करें कि 31 मार्च, 2001 तक सारी योजनायें पूरी हो जायेंगी अन्यथा मैं मंत्रि पद से इस्तीफा देकर पार्टी का कार्य देखूंगा। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। कटौती का प्रस्ताव इस सदन के बड़े पुराने और सिंचाई मंत्री रह चुके श्री बाबू राम यादव जी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके शासन काल में और 20–25 वर्षों से ये 29 परियोजनायें लम्बित पड़ी थी हमारी सरकार ने तो उसमें से 11 पूर्ण करा दी हैं और नौ 2001 तक पूरी किये जाने की घोषणा की है। कम से कम इसके लिए तो हमारे मंत्री जी को साधुवाद दे देते। आपने एक बात और कही कि सिंचाई विभाग की मशीनें जंग खा रही हैं नटबोल्ट बिक रहे हैं चोरी हो रही है तो इसकी जानकारी सिर्फ दो लोगों को ही हो सकती है पहली है पुलिस और इसके बाद बाबूराम जी को इसकी जानकारी पुलिस विभाग से पहले प्राप्त हो रही है इसका अन्दाजा मान्यवर; आप लगा सकते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। माननीय बाबू राम जी जब मंत्री थे तो उन्होंने कितनी नहरों की सफाई करवा दी। हमारे मंत्री जी ने तो 9 हजार किलोमीटर नहर की सफाई की है और घोषणा की है कि 25 हजार की सफाई और करेंगे। 450 किलोमीटर मशीनों से सफाई की गई। एक बात और बाबूराम जी ने कही कि 400 करोड़ रुपये का बजट कम हो गया। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में स्वयं कहा कि हम नियंत्रित तथा नियोजित बजट पेश कर रहे हैं। जो पैसा जेब में चला जाता था, उसको रोकने का प्रयास माननीय मंत्री जी ने किया है, इसके लिए उन्हें आपको साधुवाद देना चाहिए। बुन्देलखण्ड को विकसित करने का प्रयास किया गया है। शारदा सहायक योजना जो आजमगढ़ में भी है, वह पूरी हो गयी है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बाढ़ की बात कही गई। यमुना के कटान के लिए 14 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मेरे क्षेत्र के अन्दर आसोंसा गांव में, वेसो नदी पर शारदा सहायक खण्ड–23 एक रजबहा निकाला गया है, जिसके कारण वहां जल जमा हो जाता है, जिसके कारण 100–150 गांव प्रभावित हो जाते हैं, उसके बगल में पुल बनाया गया है, पुल में केवल साईफन है, जिसके कारण जल जमा हो जाता है और 100–150 गांव प्रभावित होते हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देकर इस समस्या के समाधान हेतु प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करते हुए आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया। सिंचाई विभाग का पूरा ढांचा वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर करता है। अगर वर्षा का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पानी नहीं होगा तो सिंचाई विभाग का पूरा ढांचा चरमरा जायेगा और यह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हितकर होगा कि हमें बरसात के पानी की और सरफेस वाटर को रोकने का ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना होगा। बुन्देलखण्ड के परिपेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि छोटे-छोटे बांध बनाना ज्यादा उपयोगी होगा। बरसात के पानी में काफी ऊर्जा समाहित है, इससे ऊर्जा भी मिलती है, पेयजल भी मिलता है और सिंचाई का भी काम कर सकते हैं। बुन्देलखण्ड में छोटी-छोटी नदियां हैं, उनके पानी को रोककर छोटे-छोटे बांध बनाने की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। बुन्देलखण्ड की तरफ माननीय मंत्री जी की दृष्टि गई है परन्तु कथनी और करनी में फर्क न होने पाये, जो कह रहे हैं फिर वही करें। सिंचाई राज्य मंत्री जी भी बुन्देलखण्ड के रहने वाले हैं। निगरानी और निरीक्षण निर्माण कार्यों का जरूरी है अन्यथा घोषणायें केवल घोषणायें रह जायेंगी और सारा पैसा अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार मिलकर खा जायेंगे। बरसात के पानी को रोकना जरूरी है क्योंकि भूगर्भ जल हमारा चुकता जा रहा है। बुन्देलखण्ड में 10 फिट नीचे भूगर्भ जल चला गया है। मैं बुन्देलखण्ड के परिपेक्ष्य में यह बात कह रहा हूं और मान्यवर, मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री ददू प्रसाद–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

ददू प्रसाद जी, अब समाप्त करें। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री ददू प्रसाद–

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जाइये। लिखा नहीं जायेगा। माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा। कृपया बैठ जाइये। जय प्रकाश जी आप शुरू करें।

श्री ददू प्रसाद–

जो जरूरी बात है उसको कह रहे हैं कोई लम्बा चौड़ा भाषण नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गई है। बाकी आप लिखकर मंत्री जी के पास भेज दें। जय प्रकाश जी आरम्भ करें।

(दोनों सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री ददू प्रसाद–

[× × ×]

श्री जय प्रकाश निषाद–

मान्यवर, माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(श्री दद्दू प्रसाद व श्री जय प्रकाश निषाद जी के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

एक निश्चित समय सीमा है उसके अन्दर आपको मौका दिया गया। यह तो तरीका ठीक नहीं है। सबका समय आप ले लेंगे। कृपया बैठें अनुशासन बनाये रखें।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, कितना समय दिया है बता दें ? आधा घंटा दिया है या बीस मिनट दिया है, बता दें।

श्री अधिष्ठाता–

जैसा कि पहले कहा है कि पौने नो बजे तक इस बजट की चर्चा समाप्त करनी है। जो निर्धारित समय सीमा है वह आप देख रहे हैं। सभी को मौका मिल जाय। मैं प्रयास कर रहा हूं। यह कहना कि हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। बी० एस० पी० के लोगों को कम समय दिया जा रहा है, यह उचित नहीं है। पीठ के प्रति इस तरह का आक्षेप किसी भी तरह से संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आप स्वयं देखें। इस तरह सबको अपनी बात कहने का मौका मिले मैं प्रयास कर रहा हूं। जितने नाम आये हैं उसके अनुसार बुला रहा हूं। कृपया सहयोग करें।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, जो पीठ पर आक्षेपात्मक शब्द कहे गये हैं उनको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

वह लिखा ही नहीं गया है। वह मैंने पहले ही निर्देश दे दिया था।

(श्री दद्दू प्रसाद बोलने के बाद सदन त्याग कर चले गये)

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि बहुजन समाज पार्टी के 5-6 नाम गये हैं, 15 नाम इधर से गये हैं और 15 माननीय सदस्य उधर से बोलेंगे, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या 5 लोगों को उस समय सीमा में बांधेंगे ?

मेरा अनुरोध है श्री दद्दू प्रसाद जी को आप दो मिनट और बोल लेने दें और वह समय जब मुझे बोलने का समय दें तो उसमें कम कर देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्रीराम पाल जी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों को बराबर-बराबर समय मिलेगा, आपको भी दल के सदस्यों के आधार पर समय मिलेगा, यदि समय आपको कम मिले तो आप कह सकते हैं। इसलिए अब आप बैठ जायं और श्री जय प्रकाश जी को अपनी बात कहने दें।

श्री जय प्रकाश निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 9 हजार कि०मी० नहरों की सफाई कराकर ड्रेन से टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में जो समुचित सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए उसमें काफी सुधार उन्होंने किया और सिंचाई विभाग में गुणात्मक सुधार मा० मंत्री जी किये हैं।

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखते हुए बाबू राम जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद सबसे बड़ा नुकसान सिंचाई विभाग का वर्तमान समय में हुआ है। जबकि मैं समझता हूं और

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में पहली बार एक गुणात्मक सुधार यह हुआ कि पहले इससे नहरों की सफाई में भ्रष्टाचार होता था और सफाई के नाम पर गलत पेमेन्ट खेतिहर कार्यों में होते थे उसको मंत्री जी ने समाप्त करने का कार्य किया और भ्रष्ट माफियाओं के ऊपर नियंत्रण करने का काम किया है । इसलिए मैं पुनः मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं मंत्री जी को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 1998-99 में भीषण बाढ़ आयी थी और उसमें पूर्वांचल में 56 बांध क्षतिग्रस्त हो गये थे और ऐसा लगता था कि एक-एक बंधे को बनाने में वर्षों लग जायेंगे लेकिन मंत्री जी के प्रयास से उन बंधों को 1999 तक पुनर्निर्माण कराकर पिछले साल बाढ़ से बचाने का काम किया था । मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी नेपाल से निकलकर देवरिया बार्डर में घाघरा नदी में मिल जाती है । तो उस राप्ती नदी में जो पानी आया और नेपाल से जो पानी आया उसको नियंत्रण करने के लिए केन्द्र सरकार के माध्यम से नेपाल सरकार से बात करने के लिए एक पत्र लिखने का साहसिक कार्य किया गया है उससे भविष्य में नियंत्रित पानी यहां आयेगा जिससे भीषण बाढ़ में रुकावट होगी । मान्यवर, राप्ती नदी बस्ती–गोरखपुर से निकलती है, तो गोरखपुर में गोरया घाट से राप्ती नदी से ही कटकर गुर्रा नदी बन जाती है और 50 कि०मी० पर सचौली पटवतिया के पास पुनः राप्ती नदी में ही मिल जाता है । इसके नाते राप्ती और गुर्रा के बीच का क्षेत्र द्वावा हो जाता है गुर्रा नदी और राप्ती नदी के बीच का क्षेत्र है एक तरफ राप्ती है दूसरी तरफ गुर्रा हो जाता है इससे जिसके नाते बाद में दोनों नदियों के मार से और ज्यादा पानी का उफान हो जाता है । जहां से राप्ती नदी से गुर्रा निकलता है उसको बंधवा दिया जाए राप्ती नदी जहां कट रही है और जहां दोनों नदी आपस में मिलती हैं उसके बीच के क्षेत्र को गहरा करा दिया जाए । गुर्रा वहां से समाप्त हो जायेगा। राप्ती सिद्धार्थनगर गोरखपुर बस्ती से निकलती है । पूरे क्षेत्र में उसी राप्ती से पानी गोरखपुर बार्डर या देवरिया जनपद में घुसता है । इसलिए गुर्रा नदी को समाप्त करने की व्यवस्था हो ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री जय प्रकाश निषाद–

इससे उस क्षेत्र का द्वावा क्षेत्र का भला होगा । गुर्रा जो है वहां पर आप पानी इकट्ठा कर सकते हैं और सिंचाई के साधन लगा सकते हैं इसकी सफाई कराई जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री जय प्रकाश निषाद–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थना करता हूं ।

* श्री रामवीर सिंह–

मान्यवर, सिंचाई विभाग के बजट पर जो माननीय बाबूराम जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मेरे क्षेत्र जसराना जनपद फिरोजाबाद में दो नाले हैं आवा नाला और भरैरा नाला–तीन चार वर्षों से हजारों एकड़ जमीन और किसानों की फसल बरबाद होती है आवा नाला जो है कि प्रखण्ड इटावा व फिरोजाबाद तहसील जसराना, जनपद फिरोजाबाद हैं इसकी 40 किलोमीटर लम्बाई है तीस किलोमीटर इस नाले की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सफाई हुई है 10 किलोमीटर छोड़ दिया। अब जब इस नाले की सफाई नहीं होगी तो किसानों की फ़सल बर्बाद हो जाएगी भरैरा नाला जो कि मैनपुरी प्रखण्ड में तहसील जसराना, जनपद फिरोजाबाद में आता है जिसमें लाखों बीघा जमीन किसानों की बरबाद हो गई किसानों के मकान गिर गये, पशु मर गये हजारों की तादाद में कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया, जिलाधिकारी के यहां प्रदर्शन किया गया, किसानों की मांगों को लिया गया इतने प्रदर्शन के बाद भी इसकी सफाई नहीं हुई है। तमाम किसान बेकार हो गये। इसी तरह से मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा गोपालपुर पुल नं० धारू कैलई खड़ीत पुल टूटे हैं इसमें बाढ़ आती है तो नुकसान होता है इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, प्रखण्ड इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद जितने भी माइनर हैं वहां एक बूंद भी पानी नहीं आया है किसान बरबाद हैं। माइनर कई डिवीजनों से प्रचलित है जिन माइनरों की आज तक सफाई नहीं हुई है नहर की पटरियां जितनी हैं जर्जर हालत में हैं। कानपुर ब्रांच और इटावा ब्रांच व भोगनीपुर ब्रांच नहर हैं इससे हजारों लोगों की फसल बरबाद हो जाती है गांव बह जाते हैं, फसल बरबाद हो जाती है। यह दोनों नाले प्रखण्ड इटावा व मैनपुरी में आते हैं। नाले इतना विकराल रूप धारण कर लेते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि किसानों की फसल की बरबादी न हो इसको रोकने के लिए उपचार करें। यह सरकार किसान विरोधी है। मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये सिंचाई बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, सिंचाई मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस सदन को अवगत कराया कि 87-88 से सिंचाई क्षमता में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई और न ही खाद्यान्न में बढ़ोत्तरी हुई है। मान्यवर, प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई और खाद्यान्न की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 2020 तक सात सौ लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार ने हेड से टेल तक पानी देने का काम किया है। यह मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नौ नहरें निकली हैं और सभी में पानी जाता है और किसान अच्छा उत्पादन करता है। विगत वर्ष में सिंचाई का पड़ताल नहीं किया गया इस वर्ष भी नहीं किया गया। इसमें कुछ किसानों का नुकसान होता है और कुछ सरकार का नुकसान होता है। ऐसी व्यवस्था मंत्री जी बनायें कि समय से पड़ताल हो। मान्यवर, मेरा एक सुझाव है, जिस नहर में सिल्ट भरी होती है और पानी ज्यादा छोड़ दिया जाता है तो नहर कट जाती है और पानी सीवान में चला जाता है।

नहर विभाग पूरे क्षेत्र की पड़ताल कर लेता है। उस क्षेत्र के अन्दर जो निजी नलकूप चलाकर सिंचाई करते हैं उनका भी पड़ताल कर लिया जाता है तो ऐसा कानून बनना चाहिए कि यह न हो। इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। मान्यवर, पुराने पुल तीन-चार किलोमीटर तक बने हुए हैं आज जनसंख्या वृद्धि के कारण चाहे टोले हों पुरवे हों आवागमन में असुविधा हो रही है। तीन चार किलोमीटर दूर जाकर खेती का कार्य करता है और वापस आता है। तो उसका आधा समय तो आने जाने में लग जाता है। मेरा अनुरोध है कि उचित स्थानों पर सर्वे कराकर पुलों का निर्माण कराना चाहिए। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक छोटी सी नदी टेढ़वा नदी विकास खंड घुघली में है। तीन सौ तट बंध कटकर पतली हो गयी है। विगत वर्ष में कटते-कटते बची और जो पांच गांव बसते हैं। जल स्तर ऊंचा है गांव नीचे है अगर तटबंध कट गया तो पांचों गांव की फसल और वहीं की जनता तबाह हो जायेगी। उस तटबंध का निर्माण मात्र 300 मीटर होना आवश्यक है। मान्यवर, नहर के किनारे कई प्रकार के वृक्ष लगाये जाते हैं ऐसा प्रायः देखा जा रहा है कि चाहे विभाग की कमजोरी कह लीजिये, किनारे के जो पेड़ हैं वे सब धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास कोई व्यवस्था

नहीं है कि रखवाली कर सकें तो इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए । इसी के साथ बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र आजमगढ़ में जो नहर विभाग की व्यवस्था है वहां निजामाबाद रजबहा है उसकी सफाई 2-3 साल में एक बार होती है वह भी नाममात्र की, जो सफाई होती है उसका फर्जी भुगतान कराया जाता है । हमारे यहां बैरमपुर बनहरा माइनर है कभी टेल तक पानी नहीं पहुंचा है । देवरिया माइनर है कभी टेल तक पानी नहीं गया है । इसी तरह से गद्दीपुर माइनर है कभी टेल तक पानी नहीं गया है यह जो पानी जाता है समस्त किसानों को पानी नहीं मिलता है । जब वे किसान बुआई रोपाई कर लेते हैं तब पानी उन्हें मिलता है फसलें नष्ट हो जाती हैं । मान्यवर, आजमगढ़ जो जिला है वह मुख्यालय है मान्यवर, वहां जो बाढ़ का हेडक्वार्टर है आफिस है उसको बलिया किया जा रहा है मान्यवर, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ जिला बाढ़ से घिरा हुआ है वहां घाघरा टोंस नदी है अनेक-अनेक नदियां हैं तो उस बाढ़ के हेडक्वार्टर को आजमगढ़ में ही रखा जाय । वहां सिलनी ड्रेन है 10 वर्षों से सफाई नहीं हुई है बरसात में पानी से भर जाता है और किसान तबाह हो जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस तरह की समस्यायें हैं उसको समाप्त करें । इसी के साथ मैं बाबू राम जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री बिन्दु लाल–

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, बताया गया कि आज वही कृषि भूमि सिंचित है जितनी 15 साल पहले थी उसका कारण गलत नियोजन बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणायें की गयी हैं और उन पर कोई कार्य 20–25 साल में नहीं हुआ लाखों एकड़ जमीन खेती की बरबाद हो गयी इस कारण सिंचाई क्षमता नहीं बढ़ पायी । पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने उसकी प्लानिंग बनायी लम्बित जो योजनायें थी उस पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया ताकि वह पूरी हो जायें और जनता को लाभ मिलने लगे । जो घोषणायें पिछले वर्ष बजट में माननीय मंत्री जी ने की थी उन सबको पूरा कर दिया गया है और उसका लाभ जनता को मिलने लगा । नहरों की सफाई कराके जो ट्यूबवेल हैं उनकी रिपेयरिंग करके जो सिंचाई क्षमता बढ़ायी है उसको किसानों को लाभ मिला है । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में 5-6 बन्धे हैं जो बहुत पुराने बने हैं वह इस समय कार्य नहीं कर रहे हैं नहरें खुदी हैं, बंधे पट गये हैं इसलिए बंधों में पानी रुक नहीं पा रहा है । मझगवा, दिनेशपुर, बघेलखण्ड और खैरवान बन्धे ऐसे हैं जिसमें अगर थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया जाय तो हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है । मान्यवर, नेवलगढ़ बन्धे के लिए जमीन एक्वायर की गयी थी लेकिन वह आज तक ऐसे ही पड़ी हुई है मैं चाहूंगा कि उस पर काम शुरू किया जाय । तो या तो उसे किसानों को वापस कर दी जाय या स्थाई तौर पर किसानों को पट्टा कर दिया जाय । मान्यवर, करमाना पैगापुर बंधे टूट गये हैं जिससे 25–30 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं मैं चाहूंगा कि कुछ बजट देकर बरसात से पहले इन बंधों को बनवाया जाय, इससे गांव जो डूब जाते हैं और हजारों एकड़ जमीन बरबाद होती है उसको बचाया जा सकेगा । मान्यवर, एक नयी व्यवस्था लागू की है कि इनके जितने कर्मचारी हैं वह सब बहुउद्देशीय कर्मचारी हो गये हैं उसके कारण थोड़ी कठिनाई आ रही है चाहे नहर की कटान हो या ट्यूबवेल का हो उससे सिंचाई क्षमता कम होगी इसलिए इस पर पुनः विचार कर लें । इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सतीश ज़तारिया–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बुन्देलखण्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड जनपद में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है और किसान मकान और खेत छोड़कर भाग रहे हैं। बुन्देलखण्ड के झांसी जनपद में छोटे-छोटे बंधे हैं जिसमें 80-80 फिट सिल्ट जमी हुई है उस सिल्ट से डैम में पानी नहीं रुक पाता है और नहरों में पानी नहीं पहुंचता है। माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में बताया है कि पिछली बार उन्होंने 5 हजार कि०मी० नहरों की सफाई कराई थी लेकिन मान्यवर, बुन्देलखण्ड में एक भी कि०मी० नहर की सफाई नहीं हुई हैं। झांसी जनपद में जो बबीना विधान सभा का गांव है साजूपुर उसमें जो किसान हैं वह खेती बेचकर भाग रहे हैं वहां पानी टेल तक पहुंचता नहीं है मान्यवर, मेरी मांग है कि बबीना विधान सभा क्षेत्र में नहरों की सफाई अधिक से अधिक कराई जाय ताकि किसान वहां से भागे नहीं। मान्यवर, हमारे झांसी संसदीय सीट में सी० पी० सिंह जैसे अधिशासी अभियन्ता बैठे रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है उन्होंने 4.36 लाख रुपये ठेकेदारों को अधिक से अधिक पैसे में ठेका देकर गबन किया है। ऐसे लोगों को वहां रहने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तुरन्त वहां से हटाया जाय।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि उनके कुशल निर्देशन में जनपद कन्नौज और हमारे विधान सभा क्षेत्र उमर्दा में पिछले वर्ष एक करोड़ रुपये की लागत से नहर, रजबहों की सफाई हुई जिससे किसानों को लाभ हुआ है, मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में जितने नाले हैं, वह सब पांडु नदी में गिरते हैं। पांडु नदी में सिल्ट बहुत ज्यादा हो गयी है। मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र भी दिया था, उन्होंने आदेश किया था कि इस्टीमेट बनवाकर सफाई करायेंगे लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। मैं निवेदन कर रहा हूं कि पांडु नदी का इस्टीमेट बनवाकर यथाशीघ्र सफाई करा दें। हमारे जनपद कन्नौज में एक कानपुर ब्रांच है, कई वर्षों से उसकी सफाई नहीं हुई है। मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बताया था कि इस वर्ष 25 हजार कि०मी० नहरों की सफाई होगी, यदि उसमें यह कानपुर ब्रांच शामिल है तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं शामिल है तो कृपया इस कानपुर ब्रांच को उसमें समायोजित कर लें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं, नई व्यवस्था के अन्तर्गत नहर के हेड से टेल तक पानी की शिकायत पहुंचाने के संबंध में एक अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति की गई है, यह नियुक्ति 3-4 जनपदों को मिलाकर की गई है, इससे किसान के लिए एक बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गयी है, यदि किसी व्यक्ति को अधिशासी अभियन्ता से शिकायत करनी है तो उसे 2-3 जनपद छोड़कर जाना पड़ता है, वह भी जाने के बाद पता नहीं अधिकारी मिले या न मिले। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जनता के हित में पूर्व की भांति प्रत्येक जनपद में एक अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय खोले जायें, जिससे कोई भी किसान अपनी शिकायत दूर कर सके।

हमारे सम्मानित सदस्य नहर कटने का जिक्र कर रहे थे। हमारे विधान सभा क्षेत्र उमरदा में ऐसे समय नहर कटी, जिस समय गेहूं की फसल पकी थी, इससे लाखों रुपये की पकी फसल चौपट हो गई और किसान के पास खाने को नहीं रहा, जानवरों के लिए चारा नहीं रहा और इसके बाद नहर कटने के लिए पुरानी परम्परा के अनुसार लोगों पर तावान की कार्यवाही की गई। माननीय मंत्री जी किसानों के लिए उदार हृदय हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वह इस व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें ताकि

किसानों को बचाया जा सके। अन्त में मैं अपने विधान सभा क्षेत्र उमरदा के संबंध में चाहूंगा कि वहां जो नाले रह गये हैं, उनका सर्वे करा लें और उनकी सफाई करा दें। इसी के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय बाबूराम जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, मैं आभारी हूं। मैं प्रदेश लेविल की नहीं, बल्कि अपने जिले और क्षेत्र लेविल की समस्यायें बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र असतौली ड्रेन, बिलासपुर ड्रेन हिनौटी ड्रेन की पिछले 10 वर्षों से खुदाई नहीं हुई है। पिछले वर्ष जबरदस्त बाढ़ आई थी, हजारों एकड़ फसल डूब गयी थी, यहां तक कि धान की फसल भी नहीं हो पाई थी। इसके अलावा माट ब्रांच मेरे पूरे क्षेत्र से होकर निकलती है। वैट रजबहा बड़ौदा, हसनपुर, पारसौल, अराबली आदि सब माट ब्रांच से निकली हैं, इनकी 5-5. 7-7 माइनर्स हैं, जिनकी खुदाई पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पाई हैं, इसकी वजह से सिंचाई कार्य बाधित है। इसी प्रकार हमारे यहां कालदा रजबहा में टेल तक पानी नहीं पहुंचा, 1980 के बाद। मैं यह बताना चाहता हूं कि सिंचाई के लिए पानी तो उपलब्ध है नहीं लेकिन पम्पिंग सेट से या दूसरे साधनों से जब किसान अपने खेत की सिंचाई करने का काम करता है तो सरकार के सींचपाल भराई और भर देते हैं, दो-दो जगह किसानों को एक-एक खेत की भराई देनी पड़ती है। इसलिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए थी इस बजट में जहां पानी नहीं जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज ही पानी पहुंच जाये लेकिन उनसे आपासी न ली जाय। जब से सींचपाल और नलकूप के आपरेटर बहुउद्देश्यीय कर्मचारियों में शामिल हो गये हैं, तब से उन्होंने जमाबन्दी बनाने का कार्य और जो कार्य था नहीं किया है। मान्यवर, एक चूहड़पुर माइनर है उसमें एक भी कुलावा नहीं है और सिंचाई बराबर आती है और किसानों को तवान देने पड़ते हैं। माठ ब्रांच बाजर चंदपुरा उससे 2 कि०मी० पूर्व सुनपेड़ा पुल ध्वस्त है, 50 गांवों का रास्ता आने-जाने का बन्द है। मान्यवर, मैंने पिछले वर्ष भी अनुरोध किया था लेकिन आज नयो पुल क्या पुराने पुल की मरम्मत का काम भी नहीं हुआ है। अगर नया पुल नहीं बना सकती हैं तो उसी के दो दर बना दिये जाते तो आने-जाने का रास्ता हो जाता।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र में रमानी पुल है, एक दर टूट चुका है, वहां भी रास्ता बन्द है लेकिन किसानों से आपासी बराबर ली जा रही है, किसानों से सरकार समय से पहले वसूल रही है। इस साल तो सींचपाल नहीं है, नलकूप आपरेटर नहीं थे, सिंचाई के ट्यूबवेल हैं वह एक भी चालू हालत में नहीं है, सिवन्दसबाद क्षेत्र में कोई डेढ़ दो सालों से बन्द हैं। मीटिंगों में हम बराबर उठाते रहे हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। नहरों की स्थिति इतनी दयनीय हो गयी है, मेरे क्षेत्र में 70 प्रतिशत खेती की सिंचाई माइनर ब्रांच और उनकी माइनर्स और रजबहों से की जाती है लेकिन वहां पर कोई भी व्यवस्था सरकार ने आज तक नहीं की। मैं क्या कहूं स्वयं मंत्री जी ने एडमिट किया कि पूरे प्रदेश में 74 हजार किलोमीटर रजबहे और नहरें हैं जिनमें से मात्र 9 हजार किलोमीटर की खुदाई करायी गयी है, यह तो मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अभी बरसात आने वाली है, पिछले साल बड़ी बाढ़ की तबाही हुई थी कम से कम जो ड्रेन्स हैं जिनसे बरसात का पानी निकल जाए उसमें अभी काम करा दिया जाए जिससे क्रिसानों की फ़सलें तो बच जायेंगी। बरसात सिर पर है, गर्मी का मौसम चल रहा है इस समय काम हो सकता है। आपने समय दिया, मैं आभारी हूं और माननीय बाबू राम जी के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा० ज्ञानवती सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उसमें जब तक सिंचाई की व्यवस्था ठीक नहीं होगी

इस देश की उन्नति किसी भी तरह सम्भव नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने जो वृहद सिंचाई परियोजनायें हैं, बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजनाएं हैं और पेयजल परियोजना है के साथ-साथ बुन्देलखण्ड क्षेत्र को भी सिंचाई करने की परियोजनाएं बनायी हैं इससे अवश्य ही हमारे देश की सिंचाई भूमि का विकास होगा और उपज बढ़ेगी। मेरे क्षेत्र की एक विशेष कठिनाई है और उस पर भी मंत्री जी ने ध्यान दिया है, यमुना की कटान से होने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों की जमीन जो हरियाणा में जाती थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने परियोजना बनायी है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि नाबार्ड से जो धन स्वीकृत होकर आ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाय जिससे मई महीने में ही इस पर काम शुरू हो जाय नहीं तो इस परियोजना पर नाबार्ड द्वारा लगाया गया धन व्यर्थ हो जायेगा और किसानों को भी कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। वर्षा ऋतु आने के पहले यह काम हो जाना चाहिए, वैसे मंत्री जी पूरी तरह सजग हैं और हमारे अधिकारी भी पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के लिए चाहूंगी कि यह परियोजना के अन्तर्गत तुरन्त ही कार्यवाही शुरू की जाय ताकि अनेक गांव जलमग्न होने से बच जाएं। मान्यवर, माठ ब्रांच में सिल्ट ज्यादा हो गयी है। उसमें जब तक 400 क्यूसेक पानी की क्षमता नहीं होगी तब तक जितने रजबहे और छोटी नहरें हैं, उनमें पानी पूरी क्षमता के साथ नहीं पहुंच सकेगा जिससे किसानों की जमीन असिंचित रह जायेगी। इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाय ताकि 400 क्यूसेक पानी माठ ब्रांच में जा सके। मैं अपने क्षेत्र में घटित एक घटना से मंत्री जी से अवगत कराना चाहती हूं कि 5-6 फरवरी की रात को मांठ ब्रांच से निकली कन्सेरा रजबहे की पटरी जहां कमजोर हो गयी थी वहां पर नहर विभाग की लापरवाही से क्षमता से अधिक पानी छोड़े जाने से पटरी कट गयी और उससे 2 गांवों की ज़मीन जलप्लावित हो गयी इस कारण 100 एकड़ में बोई गई गेहूं की फसल बरबाद हो गयी। अब वहां के किसानों को आबपाशी देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं आग्रह करूंगी कि ऐसे किसानों से आबपाशी न ली जाय जिनकी फसल नष्ट हो गयी और जिनकी जमीन जलप्लावित हो गयी है। इसके अलावा नहर परं जो पुल टूटे हैं उनका निर्माण जल्दी से जल्दी कराया जाय और नये पुल भी बनवाये जायं। कुछ शरारती तत्व अपने स्वार्थ में अनेक रजबहों पर अवैध कुलाबे बना लेते हैं जिससे टैल तक रजबहों में पानी नहीं जाता इसलिए नहर की पटरियों की देखभाल के लिए चौकीदार रखे जायं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

डा० ज्ञानवती सिंह–

चौकीदार जब तक पूरी कर्मठता से काम नहीं करेंगे तब तक नहर और रजबहों की पटरियों का काटा जाना बंद नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए बजट का समर्थन करती हूं जिसको मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान मैनपुरी जनपद के बेवर फीडर परियोजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसका उद्घाटन सिंचाई मंत्री ने कर दिया है। मैं उनको निमंत्रण देता हूं कि वह मेरे क्षेत्र में आयें। एक दिन भी एक इंच पानी उसमें नहीं गया है, बेवर ब्रांच में पानी फीड नहीं किया गया है आप किसी दिन कोई तारीख रख लें और आयें और आलीपुर खेड़ा पर जाकर वहां के किसानों से फूछ लें अगर पानी आना साबित हो जाय तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा वरना आप दोषी इंजीनियर्स के खिलाफ कार्यवाही कर दें। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने बौछार परियोजना 98 में शुरू की है ? मैं सिंचाई मंत्री से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की यह

परियोजना जो उत्तर प्रदेश में आयी है कितना रुपया इसमें अभी तक एलाट किया गया, किस-किस जनपद में वह परियोजना लागू की गयी और यदि लागू नहीं की गयी है तो कौन सी अड़चनें हैं जिसकी वजह से परियोजना आरम्भ नहीं हुई । बौछार सिंचाई परियोजना का लक्ष्य इसलिए रखा गया था कि जलाशय भण्डारण क्षमता कम हो रही है तो केन्द्र सरकार द्वारा बौछार सिंचाई परियोजना चलायी गयी है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जब वह अपना उत्तर भाषण दें तो इस परियोजना के बारे में प्रकाश डाले । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी माननीय बाबू राम जी ने कहा था कि सींचपाल बहुउद्देशीय कर्मी बना दिये गये हैं । नये कानून में परिवर्तन हुआ था, पड़ताल का काम लेखपालों को दिया लेकिन उन्होंने अपना संघ बना लिया और पड़ताल का काम उन्होंने नहीं किया । लेखपालों के पास पहले से ही काम ज्यादा था, जो उनके दायित्व हैं कि उन्हीं का वह निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं । अतिरिक्त बोझ समझकर सारे प्रदेश में सिंचाई का पड़ताल करने से मना कर दिया । यह जो डेड लॉक खड़ा हो गया है कि लेखपाल करेंगे या सींचपाल करेंगे ? मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह नीति स्पष्ट कर दें कि भविष्य में इसका पड़ताल लेखपाल करेंगे या सींचपाल करेंगे ?

आपने डिवीजन का निर्धारण कर दिया उसी हिसाब से अधिशासी अभियंता तैनात कर दिये । उदाहरण के तौर पर पूरे प्रदेश की तो नहीं 2-4 जिलों की आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैनपुरी डिवीजन में बेवर ब्रांच आता था । आपने "बेवर" को "एटा" डिवीजन में कर दिया लेकिन उससे किसानों का बड़ा नुकसान होता है । 100–150 किलोमीटर दूर अपनी समस्या हल कराने के लिए दूसरे जनपद में जाना पड़ता है । आपकी क्या पालिसी रही हैं इस संबंध में मैं नहीं कहता लेकिन व्यवहारिक दिक्कत पैदा हो रही है । आप अगर पुनर्विचार कर लें इस योजना पर तो किसानों के लिए बेहतर होगा । आपने कृपापूर्वक हमारे क्षेत्र में दो पुल मंजूर किये बेवर कोडर पर नं० 1 शम्भू व तिलियानी के मध्य में धन भी दिया लेकिन डिवीजन चेंज हुआ डेढ़ लाख रुपया मैनपुरी और एक लाख रुपया एटा डिवीजन में चला गया । पुल अधूरा है उसे पूर्ण कराया जाये। मझौला स्केप का पुल आपने सोवनपुर के पास स्वीकृत किया उस पर एक लाख रुपया दिया अभी दो लाख रुपया दिया अभी दो लाख रुपया और देना है । मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा रुपया और दे दें पुल पूरा हो जाए । मैं इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । 5 हजार किलोमीटर नहरों की सफाई का कार्य विगत वर्ष किया है । इस वर्ष रख-रखाव के लिए 79 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है, यह सराहनीय और प्रशंसनीय है । पहली बार यह हुआ है । विगत वर्ष जिन नहरों की सफाई प्रस्तावित थी उसकी सूचना जनप्रतिनिधियों के पास और यहां तक कि ग्राम प्रधानों के पास भेजा गया जिससे सफाई की मानीटरिंग का काम सुचारु रूप से हो सके और काम की पारदर्शिता ठीक प्रकार से देखी जा सके । यह मंत्री जी ने सराहनीय कार्य किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की दो प्रमुख समस्याओं पर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बखिरा पम्प नहर–2 नलकूप खण्ड–1 गोरखपुर जिससे पाली विकास खण्ड में सिंचाई का काम किया जाता है । इस ब्लाक में इण्डो डच कलस्टर योजना प्रस्तावित थी इस नहर को उपयोगी बताकर दूसरे ब्लाक में योजना को स्थानान्तरित कर दिया गया । मैं 1991 में जब पहली बार निर्वाचित होकर आया, तो पम्प खराबी के कारण सिंचाई नहीं हो पाती थी माननीय मंत्री जी से आग्रह किया तो 10 लाख रुपये की व्यवस्था किये और नये पम्प लग गये, ऊर्जीकृत हो गये लेकिन समस्या जस की तस अपनी जगह पर बनी हुई है । मैं, 4 साल से प्रयत्नशील हूं लेकिन सिंचाई का पानी खेत तक नहीं पहुंचा । उसका कारण है कि इसका ऊर्जीकरण टोढिया सब स्टेशन सन्त कबीरनगर से

किया गया है । जब ऊर्जीकरण किया गया तब स्वतंत्र फीडर था इस समय इस फीडर से पावर लूम, आटा चक्की प्राइवेट कनेक्शन दे दिये गये हैं जिसके नाते 5-6 घंटे बिजली मिलती है । जिला स्तर की बैठकों में मैंने प्रस्ताव किया और यह सुझाव दिया कि जब तक स्वतंत्र फीडर हमारे क्षेत्र में घटसरा सब स्टेशन से नहीं जोड़ दिया जाएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा । जिस पर 16 लाख रुपये खर्च होगा । ऐसा कर देने से विद्युत सप्लाई ठीक हो जायेगी तथा टेल तक पानी पहुंच जायेगा । मैंने नियम 51 में भी सूचना दी थी उसमें यह कहा गया कि 16 लाख रुपये पूर्वांचल विकास निधि से जिला अधिकारी व्यवस्थित करा देंगे मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पूरा सदन जानता है कि पूर्वांचल विकास निधि से जिला अधिकारियों को पैसा देने का कोई अधिकार नहीं है । मैं ऐसी स्थिति में मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि 16 लाख रुपये की व्यवस्था कराने की कृपा करें । एक दूसरी समस्या राप्ती नदी नेपाल से निकलकर गोरखपुर जनपद में प्रवेश करती है । सहजनवां निर्वाचन क्षेत्र को सर्व प्रथम तबाह करती है । पहले राप्ती नदी बाएं पाट पर बहती थी अब नदी का कटान दाहिने पाट पर आ गया है जिसके नाते सहजनवां-डुमारिया बाबू बांध के सिसई गांव और बुंधना गांव के पास भयंकर कटान हो रही है । अगर वहां सुरक्षात्मक कार्य नहीं होगा तो आने वाले दिनों में बांध कट जायेगी और सैकड़ों गांव तबाह हो जायेंगे । क्षेत्र की जनता ने अवगत कराया है कि वहां पर एक रिंग बांध देने का प्रस्ताव है जिसका टेंडर हुआ है जिसमें वह बांध बनाया जायेगा जो उपयुक्त नहीं है मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि सिसई व बुंधनी गांव पर कटान रोकने के लिए डैम्पवर एवं बेल्डर पीचिंग की व्यवस्था करायें जिससे आगे आने वाली भयंकर बाढ़ से हमारा क्षेत्र सुरक्षित रह सके । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । हमारे विधान सभा क्षेत्र एतमादपुर की गम्भीर समस्या है । चहरपुर नाले को बने हुए 26 साल हो गये उस समय कास्तकारों की भूमि अर्जित की गई थी लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया वहां के कास्तकार बहुत परेशान हैं । इस सम्बन्ध में मेरा प्रश्न भी 10-5-2000 को लगा था उसमें उत्तर दिया गया कि उनका भुगतान धन की प्राप्ति के बाद किया जायेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि 26 साल से इन्तजाम नहीं हो पाया आपने इस बजट में उसके भुगतान का कोई इन्तजाम किया है या नहीं किया है । यह धनराशि लगभग 2-1/2 करोड़ रुपये है वहां पर भुखमरी फैल गई है इसका भुगतान करा दिया जाये तो मैं आपका आभारी रहूंगा । यह बहुत ही ज्वलंत समस्या है । मैं पिछले तीन साल से इस संबंध में चक्कर काट रहा हूं आज तक किसी अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया ऐसा लगता है कि इस धनराशि को सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने गबन कर लिया है ऐसा हो तो उनके विरुद्ध 409 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जाये ताकि धनराशि का पता लगे कि कहां चली गई? दूसरी समस्या मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में जो समस्या है उससे लोग परेशान हैं । हमारे यहां मण्डी नहीं है । कृषि की भी समस्या है । हाथरस सिकन्दराराऊ में बुरखा गांव में नल लगवा दिये जांय । मैं कटौती का समर्थन करता हूं ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मुझे मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । जहांगीरगंज अम्बेडकर नगर में नहरों की सफाई नालों की सफाई नहीं हुई है मैंने कई पत्र लिखे पर कार्यवाही नहीं हुई । वहां एक एक्सीएन बैठा दिया है जो भ्रष्ट है घोटाले कर रहा है । एक बार उसका ट्रांसफर हुआ था लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

फिर वहीं पर आ गया है। हमारे यहां पुरानी पुलियां जो बहुत संकरी हैं साइकिल के अलावा रिक्शा तक नहीं जा पाता है। आबादी के हिसाब से उसे चौड़ा किया जाय। धन्यवाद। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मैं जो सुझाव दे रहा हूं उनको अपने उत्तर भाषण में समायोजित कर लें। मेरे क्षेत्र गोबर्धन बहुत ऊंचाई पर होने के कारण ट्यूबवेल फेल हैं जिससे सिंचाई नहीं हो पाती। यमुना का पानी खारा व गंदा होने के कारण मिट्टी पर सफेद परत जम जाता है। अपर कैनाल के कुछ भाग मथुरा में पड़ते हैं कार्य यहां होता है और ऑफिस आगरा में है मैं जब कभी आगरा कार्य के सम्बन्ध में जाता हूं तो पता लगता है कि अधिकारी भ्रमण पर गये हैं। यह कार्यालय मथुरा में होना चाहिये। सिंचाई मंत्री की बैठक में अधिशासी अभियन्ता भाग नहीं लेते। मैं अपर कैनाल आगरा के कोसी रजबहा के मील नं० 23 पर रेगुलेटर की मांग करता हूं। 18 गांवों को पानी देने के लिए मथुरा कार्यालय से एक प्रस्ताव बनाया गया था लेकिन शासन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यह भी कहना चाहूंगा कि अपर कैनाल का हेड साफ न होने से वहां समस्या उत्पन्न हो गयी है। अगर हेड साफ नहीं होगा तो पानी कैसे पहुंचेगा ? फरह, वटारी, कोंटर, अड़ींग, गोवर्धन रजबहा सूखे पड़े हैं माइनरों में पानी कहां से आ सकता है। बड़ी भयानक स्थिति है। एक सुझाव और देना चाहता हूं। जिलाधिकारी, मथुरा को आदेश दिये गये थे कि पोखरों को तत्काल भर दिया जाय परन्तु वह भरे नहीं गये, सब सूख गये हैं, जिससे किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या हो गई है, जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिये माननीय मंत्री जी इसमें सीधे-सीधे हस्तक्षेप करके इसकी जांच करायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं यह नहीं पूछूंगा कि किस-किस नहर के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है और कितने किलोमीटर की आपने नहर बनाई आदि-आदि। अगर उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखें तो जमुना नदी के किनारे भी बस्ती है, इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को होनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत बड़ा प्रदेश है। मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जो हिस्सा हरियाणा की तरफ पड़ता है और उसके विकास के लिये उन्होंने जो बांध बनाये हैं और जो आप बना रहे हैं, उनमें कितना फर्क है। बजट में आपने इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया है कि पूर्वी यमुना नदी को पानी कैसे मिलेगा। यमुना में पानी नहीं है परन्तु जो किसान जमन नहर से आबपासी करते हैं, उनको पानी आप किस जरिये से देंगे। 2-4 जिले इस जमन नदी से सिंचाई करते हैं और प्रदेश की पैदावार में बहुत योगदान देते हैं। गाजियाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर तक, जहां से यमुना निकलती है, यह गंगा नदी की तरह नहीं है कि सीधे बहे, यह अपना चैनल बदलती रहती है, आज जहां है, दो साल बाद वहां पर नहीं होगी, जिसकी वजह से गांव कट रहे हैं इसकी जानकारी मंत्री जी को होगी। हरियाणा के अंदर उन्होंने बंधे बना दिये, उसके दो नुकसान हो रहे हैं। उन्होंने अच्छे बंधे बनाये हैं जब उन पर टक्कर लगती है तो सारा पानी हमारे प्रदेश में चला आता है जिससे गांव कट रहे हैं, उसका तो कोई जिक्र इस बजट में होता। अगर मंत्री जी ने बजट में प्राविधान नहीं किया है तो अब तो कर दें। 23 सरकारी ट्यूबवेल के जो डिवीजन थे, उनको आपने खत्म कर दिया, आज वे चल नहीं रहे हैं बंद पड़े हैं। ग्राम सभाओं के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब उनका क्या हश्र होगा। गर्मी का सीजन आ रहा है।

श्री कौकब हमीद–

गर्मी का मौसम आ रहा है। पानी की जरूरत है उसके बारे में क्या करियेगा, वह कैसे ठीक होगी उसके बारे में जरूर बतायें ?

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का मौका दिया इसके लिए आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता–

इसके बाद माननीय बाबू राम जी बोलेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

लगभग 20 माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, हम बताना चाहते हैं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत दो नहरें भोगनीपुर और कानपुर ब्रांच हैं। भोगनीपुर से तीन माइनर निकलती हैं किशनी माइनर, चितान माइनर और पिरतापुर माइनर। इन तीनों में पानी नहीं पहुंच रहा है। रबी की फसल में किसानों को पानी नहीं मिल पाने के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं और किसान बर्बाद हो गये हैं। इसी तरीके से कानपुर ब्रांच से एक नगरिया रजबहा निकलती है जो राम औतार शाक्य जी के मकान के पीछे से होकर निकलती है लेकिन उसमें भी पानी नहीं आता है। यह 36 किलोमीटर का रजवाहा है जिसका सेक्शन टाइट है और सैक्शन टाइट होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिलता है। कई वर्षों से सिंचाई मंत्री जी को और जनपद में जो अधिकारी हैं मुख्य अभियंता हैं उन सबको कई बार कहा। कानपुर, इटावा और मैनपुरी के अधिकारियों को कहा लेकिन वहां माइनर में पानी आज तक नहीं पहुंचा।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

हमारे क्षेत्र विधान सभा में एक माइनर किशनी निकलती है जिस पर ग्राम कछपुरा के निकट पुलिया नहीं है और उससे 50 हजार लोग प्रभावित होते हैं। पुलिया न होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनेकों बार लिखा है लेकिन पुलिया नहीं बनी है। किशनी विधान सभा क्षेत्र में जितनी माइनर हैं उसके संबंध में कहना है कि ब्रांचें कमजोर हैं और सफाई विगत कई वर्षों से फर्जी तौर से कागजों पर ही हो रही है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि किशनी क्षेत्र के अन्तर्गत जो भी नहरें पड़ती हैं उनकी खुदाई व सफाई कराने की कृपा करें। इसके साथ ही किशनी विधान सभा क्षेत्र ग्राम अजीतगंज से एक नाला निकलकर इस नदी तक पहुंचता है उसमें पानी भरा रहता है। एक हजार एकड़ जमीन पानी से जलमग्न हो जाती है और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपनी बात कहते हुए समाप्त करता हूं और बाबू राम जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा० इन्द्रदेव सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं पर आता हूं। मेरे क्षेत्र में अफजलगढ़ जिले में हरेवनी से रामगंगा नदी से नहर निकलती है वहां हजारों बीघा जमीन में पानी भरा है। सीपेज की गम्भीर समस्या वहां है। इस प्रकार किसानों को प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है इसलिए अनुरोध है कि उस नहर के 5-6 कि०मी० की लाइनिंग कराने का काम आप करें। मान्यवर, कालागढ़ के निकट लिफ्ट कैनाल है जो कि बन्द है इसलिए उसको चालू कराया जाय। मान्यवर, हमारे यहां एक नहर "खोह" नदी से निकली है। नगीना होकर जाती है। उसमें पानी कम आता है इसलिए मैं चाहता हूं कि उसे गंगा नहर से जोड़ दिया जाय। दूसरी समस्या हमारे क्षेत्र में लगभग 20–22 छोटी नदियां हैं जो पहाड़ से निकलकर हमारे क्षेत्र में आती हैं जिनके पानी से हमारे यहां बाढ़ जैसी समस्या पैदा हो जाती है। इसलिये निवेदन है कि उसका एक पैकेज बनाकर उस बाढ़ की समस्या का आप निराकरण करायें।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अफजलगढ़ जो बिजनौर जनपद में आता हैं उसका सिंचाई खण्ड कार्यालय काशीपुर में है ज़ो अब उधम सिंह नगर में आता है इसलिए वहां की नहर की सफाई के लिए जो पैसा आता है वह उधम सिंह नगर में लगा दिया जाता है और मेरे क्षेत्र की नहर बिना सफाई के रह जाती है इसलिए मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। मा० मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री रामाधार सिंह–

मान्यदर, मेरा क्षेत्र विधान सभा राठ, जनपद हमीरपुर में है। राठ और चरखारी विधान सभा क्षेत्र की सिंचाई लहचूरा बांध से होती है। यह बांध 93 वर्ष पूराना है जो पट गया है, इसलिए उसमें पानी भरने की क्षमता कम हो गयी है जिससे नहरों की टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। बांध कमजोर हो गया है और कभी भी टूट सकता है जिससे जन-धन की हानि हो सकती है। मान्यवर, 10 वर्ष पहले तत्कालीन सरकार ने इस हालत को देखते हुए उसके नीचे 5 कि०मी० आगे नवीन लहचूरा बांध की बुनियाद डाली थी जिसके ऊपर दो करोड़ रुपया खर्च हो गया किन्तु अब काम बन्द पड़ा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि लहचूरा बांध का काम शुरू किया जाय।

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र से लगा हुआ मौदहा बांध है जिसका नाम अब स्वामी ब्रह्मानन्द बांध हो गया है। बांध से केवल एक नहर निकाली गयी है जिसका पानी मौदहा क्षेत्र को जाता है। सर्दियों में 4 महीने नहर चलने पर भी बांध खाली नहीं हुआ क्योंकि पानी की आमद बहुत है। वहां मेरे क्षेत्र में मौदहा शाख नाम से नहर है जिसके टेल तक पानी नहीं पहुंचता है इसलिए मैं चाहता हूं कि उसमें लिफ्ट द्वारा ग्राम पडरा से 5 कि०मी० नहर बनाकर लिफ्ट द्वारा पानी डाल दिया जाय तो किसानों की सिंचाई हो सकती है। मान्यवर, राठ रजबहा में 6-7 कि०मी० के बीच पानी का रिसाव होता है जिससे किसानों की फसलें सड़ जाती हैं। वर्ष 1997-98 में मैंने 19,22,000 रुपये बुन्देलखण्ड विकास निधि से रजबहे के रिसाव को रोकने के लिए नहर विभाग को दिया था किन्तु पूरा पैसा खर्च हो जाने के बावजूद भी वैसा ही रिसाव हो रहा है। इसलिए अनुरोध है कि मंत्री जी इसकी जांच करायें और इस संबंध में मंत्री जी अपने उत्तर में प्रकाश डालेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्री बाबूराम जी का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठें। लगभग 22 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं लेकिन शत-प्रतिशत सदस्य चाहते हैं कि मुझे अनुमति मिल जाए। मैंने कल भी कहा था यह व्यावहारिक नहीं है। जो माननीय सदस्य भाग नहीं ले पा रहे हैं वह लिखित रूप से माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दें।

श्री अम्बिका चौधरी–

सिंचाई विभाग का बजट चल रहा है, साढ़े 6 बजे यह शुरू हुआ और 9 बज रहा है इससे ज्यादा अपरिहार्य विभाग दूसरा नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना सुन लें आप हमारे विपक्ष के सदस्यों को दो-दो मिनट का समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

फिर सत्तापक्ष के सदस्यों को क्यों नहीं ? फिर इस तरह तो प्रातःकाल तक चलेगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

तो प्रातःकाल तक चलवा लें ।

श्री अधिष्ठाता–

अधिकांश माननीय सदस्यों की बात आ गयी है । बाकी माननीय सदस्य जो अनुरोध कर रहे हैं इधर के और उधर के अगर दोनों को सुना जाएगा तो चार बज जायेंगे । आपने कहा था कि नये सदस्यों को समय दे दें ।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

हर विषय पर हर दिन सब लोग बोलेंगे यह कौन सा तरीका है ? लिखकर दे दें उससे भी तो काम चल जाएगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जिन माननीय सदस्यों को आपने दूसरे बजट पर बोलने का अवसर दिया है उनको बाद में बुलवा लें, जिनको किसी में बोलने का समय नहीं मिला है उनको समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसे तो राम प्यारे जी और राम विशुन जी हैं ।

(व्यवधान)

आप बतायें कौन से दो माननीय सदस्यों को सुन लें ?

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसकी गौरव गरिमा को बढ़ा रहे हैं चार पांच लोग हैं इनको सुन लें । यह सिंचाई का बजट है । पूरे प्रदेश का मामला है । आप हमें संरक्षण दें । आप एक-एक मिनट दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है एक-एक मिनठ में अपनी बात कह दें ।

* डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, आपने मुझे अनुदान संख्या–93, 94 पर माननीय बाबू राम जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, हमारे जनपद में ब्लाक मेजा में डार्क घोषित कर दिया है । ट्यूबवेल नहीं लग सकते हैं तो सिंचाई का साधन क्या बने। मेरा सुझाव है कि उस ब्लाक में नहरों का इन्तजाम कर दिया जाय । मान्यवर, लखीमपुर में शारदा सहायक पोषक नहर निकलती है उसके सीपेज से नुकसान हो रहा है । हमारे तमाम गांव मोतीपुर, पटेरा, देवरिया आदि गांव डूब गये हैं । अगर उसमें नाला निकाल दिया जाय तो अच्छा होगा ।

श्री राम प्यारे सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था भरे मन के साथ कि हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने अपने बोलने में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया, पूर्वांचल के बारे में कि पूर्वांचल के जिले प्रत्येक वर्ष बाढ़ से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रभावित होते हैं। हजारों एकड़ जमीन की फसल बाढ़ के कारण नष्ट होती है। सैकड़ों पशु मरते हैं और बाढ़ से मनुष्यों की भी मृत्यु होती है। मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, ओम प्रकाश जी प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जिनकी जिम्मेदारी पर दो तीन अच्छे विभाग हैं। जो स्वयं दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि पूर्वांचल के लोगों को बाढ़ से कैसे छुटकारा मिलेगा ? वहां का जनमानस किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा। इसका बजट में प्राविधान होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें। टाइम हो गया है। श्री अरिमर्दन सिंह आप बोलें।

*श्री अरिमर्दन सिंह–

मान्यवर, मैं अपने जनपद के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरे यहां महोबा में 6 पम्प सेट खराब पड़े हैं अगर इसमें पैसा लगा दिया जाय तो ये ठीक हो सकते हैं। मान्यवर, भवनताल, कल्याणताल आदि सात ताल हैं जिसमें करोड़ों रुपये का धन है। पृथ्वी राज चौहान के समय में लोग अपना सोना चांदी इसमें छोड़कर चले गये थे। मान्यवर, यह तालाब खुदवा दिये जायें तो यह सरकार को धन मिल जायेगा सिंचाई की क्षमता बढ़ जायेगी। माननीय मंत्री जी ने सिंचाई विभाग–अच्छा विभाग लिया है और काफी कड़ाई से काम भी किया है। मेरी मांग है कि वहां पुराने तालाब खुदवायें जायें और मिट्टी निकालें जिससे किसानों का भला हो सके। मान्यवर, सिंचाई राज्य मंत्री जी के सुझाव पर मेरे अपने यहां की दो नहरों के लिये मैंने विधायक निधि से रुपया दिया था अभी तक काम नहीं हुआ है ऐसे अधिशासी अभियंता को वहां से तत्काल हटाया जाये और यह काम पूर्ण कराये जायें। धन्यवाद।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, हमारे यहां आजम सिरौली बांध है उसका रखरखाव का कार्य बहराइच में होता है, उसका रखरखाव का कार्य गोण्डा में किया जाने वाला है यह 60 कि०मी० है यह व्यवस्था सही नहीं हो

(व्यवधान)

पायेगी इसको बहराइच में ही करें। मान्यवर, पानी तो है लेकिन इस सरकार का पानी खत्म हो गया है, 100 मिनिस्टर हैं खाये-पीये मस्त हैं चूना लग रहा है सिंचाई विभाग को, बाकी लोग मस्त हैं सिंचाई विभाग आपका मंत्री जी गर्त में जा रहा है। जब गोण्डा बहराइच बाढ़ से प्रभावित होंगे तब ध्यान जायेगा। इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मिनट में हम क्या बोलेंगे सिंचाई विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का बजट प्रस्तुत हुआ है। क्षेत्र में माइनर की क्या हालत है किस तरीके से अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं ?

मान्यवर, आपने मुझे बाबू राम यादव जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। किसानों को सस्ता पानी मिले उसके लिये बड़े अच्छे ढंग से बड़ी अच्छी चिन्ता मंत्री जी ने व्यक्त की है मान्यवर उन्नाव जनपद के अन्तर्गत।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाबू राम जी आपको कटौती के प्रस्ताव पर कुछ बोलना है।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, उन्नाव जनपद में लगभग दो करोड़ रुपया खर्च करने का काम मंत्री जी ने किया चाहे उन्नाव ब्रांच हो या पुरवा रजबहा हो मान्यवर, टेल तक पानी देने की बात जो होती है स्थिति क्या है। सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है आज सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं वह कहीं भी पूरे प्रदेश में बंधा बनाने का काम कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के अभियंता सांठगांठ करके ठेकेदारी करने का काम कर रहे हैं आप सारे प्रकरणों की जांच कराने का काम करें।

(श्री राम विशुन आजाद, श्री सीता राम निषाद तथा श्री वसीम अहमद के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें। मैने सभी को मौका दे दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक-एक मिनट दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं नहीं दे पाऊंगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, पूर्व सिंचाई मंत्री रहे सीता राम निषाद जी को दो मिनट में अपनी बात कह लेने दें, एक मिनट दे दें। एक मिनट में कुछ बिगड़ता नही है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं नहीं दे पाऊंगा। मा० बाबू राम जी कटौती प्रस्ताव पर उत्तर भाषण रखें।

(व्यवधान)

मुझे लगता है कि माननीय अम्बिका जी, माननीय बाबू राम जी आप लोगों ने मुझसे कहा तो मैने उन सभी माननीय सदस्यों को दुबारा सुना है लगभग सभी को समय मिल गया है, एक दो लोगों को छोड़कर कई सदस्य ऐसे हैं जो यहां अपने वक्तव्य देकर चले गये, शत-प्रतिशत लोगों को सुनने की स्थिति बनेगी तो उचित नहीं रहेगा।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अधिष्ठाता जी, सिंचाई के बजट पर चर्चा हो रही है समाजवादी पार्टी इस सदन में विपक्षी दल में सबसे बड़ा दल है उसके बाद बहुजन समाज पार्टी है समाजवादी पार्टी द्वारा कटौती भी रखी गयी। आपने बड़ी कृपा की कि सारे सदस्यों को बुलवा दिया तो अब दो सदस्य रह गये हैं इनको दो दो मिनट दे दें। (व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, विधायक झांसी बड़े विद्वान सदस्य हैं उनके विचार नहीं आ सकते, बड़ी टेक्निकल मामला है तो उनका समय तो दे दें।

श्री बाबूराम यादव–

मा० अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी साथियों का आभारी हूं, जिन्होनें सिंचाई के बजट पर अपने विचार रखें। मैं सम्पूर्ण सदन को एक खतरे से आगाह कर रहा हूं। इस प्रदेश में सिंचाई प्रतिवर्ष कुछ न

कुछ कम होती जा रही है और इसी तरह से कम होती गई तो बहुत बड़ी दिक्कत आयेगी । जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है । वर्ष 1991-92 में 64.15 लाख हेक्टेयर रकबे में सिंचाई हुई थी और 99-2000 में 51.54 लाख हेक्टेयर जमीन सींची गई । लगभग 13 लाख हेक्टेयर जमीन कम सीचीं गई इन 9 साल में। अगर इस तरह से हुआ तो यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की चिन्ता का विषय है, सम्पूर्ण सदन की चिन्ता का विषय है । मैं सरकार में बैठे सभी माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर विचार करें और विचार करके इसके निराकरण के लिये कोई उपाय करें, क्योंकि अगर इसी तरह रकबा सिंचन क्षेत्र का कम होता गया तो एक दिन वह आयेगा, जब उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न के लिये लोग तड़फड़ायेंगे । इसी तरह से नलकूपों का भी है, राजकीय नलकूपों के रखरखाव पर 30.32 करोड़ व्यय करने के उपरान्त करीब 1407 फसली में पश्चिम परिक्षेत्र में 16. मध्य क्षेत्र में 14. पूर्वी क्षेत्र के 11 तथा वाराणसी क्षेत्र के 11. कुल मिलाकर 52 जिलों में राजस्व प्राप्ति शून्य रही । यह ऐसी चीजें हैं, जिस पर सम्पूर्ण सदन को और माननीय मंत्री जी आपको ध्यान देना चाहिए । अगर यह ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी दिक्कत किसानों के सामने आने वाली है और पूरे प्रदेश पर इसका असर पड़ने वाला है ।

मान्यवर, जहां तक बजट की कमी की बात है, मैं कह भी चुका हूं और पुनः माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रहपूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि आपमें शक्ति है, आप सिंचाई का बजट बढ़वायें, इसे पुनरीक्षित करायें और 400 करोड़ बजट अगर नहीं बढ़ता है तो अगले वर्ष सिंचाई आधी रह जायेगी, ऐसा मेरा मानना है । क्योंकि इस बजट में नलकूपों की टूटी नालियों का कोई जिक्र नहीं है । हमारा जो सिंचाई का सिस्टम है, उसके रखरखाव के लिये कोई अलग से बजट का प्राविधान नहीं है, तो यह सारी चीजें ऐसी हैं, जो चिन्ता का विषय है । इस पर गंभीरतापूर्वक इधर और उधर के माननीय सदस्यों को तथा माननीय मंत्री जी सबको विचार करना चाहिये । आखिरकार कृषि का क्या होगा, अगर यही होता रहा, इसी तरह चलता रहा ।

दूसरी बात जो मैनें रखी थी, उसे फिर दोहराना चाहता हूं । ओखला की जो जमीन बिक रही है, उस पर निश्चित रूप से तुरन्त रोक लगवा दें । अगर नहीं रोक लगेगी तो इतनी कीमती जमीन हाथ से निकल जायेगी वैसे भी दिल्ली में नोएडा, ओखला मिल चुके हैं । यदि यह जमीन बिकनी बंद नहीं हुई तो एक दिन वह आयेगा, जब सारी जमीन बिक जायेगी । जो जमीन बैराज के काम नहीं आई है, जिस पर लोग अपने मकान बना रहे हैं, आप इस समय एक मजबूत सरकार में हैं । आप इतना कर सकते हैं कि उसको जैसा आपके प्रमुख सचिव, सिंचाई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चाहते हैं कि जांच हो और कार्यवाही हो लेकिन आपकी वजह से, ऐसे दो चार अफसरों को उसमें लायें और जो लोगों ने मकान बना रखे हैं, उनको शासन तुड़वाये और उन्हें खाली कराये और जिन अधिकारियों की सांठ-गांठ से ऐसा हुआ उनके खिलाफ कार्यवाही करें, यह हम चाहते हैं । अभी मेरी नागर साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि ऐसा हो रहा है । यह हमारे सब के लिए चिन्ता का विषय है और कलंक की बात है कि सरकार की इतनी बड़ी जायदाद पर कब्जा हो जाये और सरकार चुपचाप देखती रहे और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है जो इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए, क्या दिक्कत है, अगर दिक्कत भी है तब भी कार्यवाही कीजिए, इससे आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी जैसे एक और रखा है कटारपम्प योजना में अनावश्यक रूप से धन हड़पने में 1 लाख 52 हजार 9 सौ 26 रुपये की वसूली हुई, आर० पी० गुप्ता, नलकूप पश्चिम, मेरठ, इसकी वसूली के आदेश हुए, इसके बाद स्थानांतरण हुआ, 25 अक्टूबर, 99 को अधिकारियों ने कर दिया लेकिन वह वहीं रुका हुआ है ।

वह सरकार की मंशा की वजह से ही तो रुका और जो जले हुए तार की बात आई थी उसमें 140 लाख रुपये का दो साल में नुकसान किया सरकार का और उसके बाद वह वहीं के वहीं । ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए । यह गुप्ता साहब इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं हैं जो माननीय मंत्री

जी से भी ज्यादा शक्तिशाली हों। रुपये की रिकवरी भी नहीं, ट्रांसफर भी नहीं, आर्डर तो हुआ लेकिन वहीं के वहीं पड़े हैं और 140 लाख रुपया वसूल होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। यह सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो सिंचाई विभाग के लिए बहुत बड़ी, एक कलंक ही है। सब चीजें सामने हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि यह सब आता-जाता रहता है लेकिन आप विश्वास के साथ दृढ़तापूर्वक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें इसमें आपको कीर्ति और यश मिलेगा। हमारे क्षेत्र में करहर रजबहा है, आधा बन्द हो गया है, वहां तक पानी नहीं पहुंचता है, आधे में पानी पहुंच रहा है उसको आप जरूर दिखवा लें और इसके साथ ही जो बिन्दु उठाये गये हैं उस पर हम आपकी टिप्पणी चाहते हैं और इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, बहुत सुभाषित आपने भी पढ़े होंगे जिनमें भी कुछ विद्वान कहे जाते हैं और जो विद्वान नहीं होते उनको कभी-कभी महाविद्वान कहा जाता है। मैं बाबूराम जी को पहले जो जानता था तो विद्वान की श्रेणी में रखता था लेकिन आज की बात सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस श्रेणी में रखूं। जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए, "शर्म करनी चाहिए", "शर्म की बात है", "कलंक है" तो मुझे उन्होंने कुछ सावधान किया। मैं तो सावधान कर रहा हूं पूरे सदन को कि संसदीय परम्परा और संसदीय मर्यादा का क्या होगा ? मान्यवर, सिर्फ आलोचना की, मैं तुलसी दास जी के दोहे का आदर्श लेकर उन आलोचनाओं को स्वीकार करूंगा--

"बूंद आघात सहें गिरि कैसे", मान्यवर, इसके आगे की लाइन मुझे नहीं मालूम है। मेरे संसदीय जीवन का यह पहला कट मोशन है। जिसमें सदन को पूरी तरह से गुमराह करने का अथक प्रयास किया गया है। ज्ञान का होना ठीक है लेकिन ज्ञान का गर्व हो जाता है तब आदमी बुद्धिमान के विलोम की श्रेणी में चला जाता है। इन्होंने कहा कि 4 अरब रुपये का बजट कम हो गया है। अब आधी अधूरी जानकारी रहती है तो ऐसे ही आरोप लगाये जाते हैं। पिछले वर्ष 1999-2000 में कुल 639.82 करोड़ रुपये जिसमें 389.7 करोड़ रुपये ब्याज की राशि शामिल थी। वह ब्याज की राशि इस बार अलग करके भारित मद में दिखायी गयी है। तो इतना कष्ट नहीं किया इसको पढ़ लें और कह दिया कि बजट में कमी हो गयी है। इसके अलावा दूसरी बातें भी उन्होंने नहीं देखी। 1999-2000 में 1026.53 करोड़ रुपये निर्माण के लिए व्यवस्था थी। इस बार यह राशि 1228.70 करोड़ रुपये है अर्थात 202.2 करोड़ रुपये पिछले वर्ष के बजट से अधिक है।

यह इसलिए रखी गयी है ताकि योजनाओं को त्वरित गति से पूरा किया जा सके। यह हमारी प्राथमिकता है और हमारी नीति है कि परियोजनाओं को हम जल्दी पूरा करके इस प्रदेश की सिंचन क्षमता को बढ़ायें। तीसरी बात उन्होंने कहा कि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग आंकड़े दिखाये गये हैं। मान्यवर, आय-व्ययक में 40.7 लाख हेक्टेयर है, कार्य प्रगति में 57.17 लाख हेक्टेयर है और दूसरी जगह पर 51.54 है तो यह बिल्कुल सही है। आंकड़े लिखे जाते हैं समझने के लिए कोई पढ़े या पूछे तो समझा दिया जाय जब केवल आलोचना ही करेंगे तो कहां से समझ में आयेगा ? यह मदें अलग-अलग हैं। 57.17 कार्य प्रगति में दिया गया है। आय-व्ययक के पृष्ठ 129 पर 40.07 दिखलाया गया है और इसी तरह से राजकीय साधनों से सींचा गया क्षेत्रफल 51.54 लाख हेक्टेयर है, जो दोनों साधनों को मिलाकर बताया गया है,अलग-अलग प्रकार की सिंचाई के आंकड़े अलग-अलग दिखाये गये हैं और अन्तर तो रहेगा। इसलिए यह कहना कि आंकड़े गलत हैं, अलग-अलग किताबों में अलग-अलग ही दिखाये गये हैं, यह सही नहीं है। मान्यवर, कहा गया कि शर्म करनी चाहिए, मुख्य सचिव ने कर दिया, मान्यवर, सब जानते हैं कि नलकूपों का स्थानान्तरण पंचायतों को कर दिया गया है और नहरों के पड़ताल का काम राजस्व विभाग को दे दिया गया है। जो लेखपाल हैं उनके ऊपर नियंत्रण करने

वाला डी० एम० है । जब राजस्व विभाग को दे दिया गया तो डी० एम० को सारा काम करना है तो आदेश कौन जारी करेगा ? सिंचाई मंत्री या प्रमुख सचिव, सिंचाई तो करेगा नहीं, जब काम ही सिंचाई विभाग का नहीं रह गया । जिस विभाग के जिम्मे काम किया गया है उसका मुखिया ही आदेश देगा । यह समझ कहां से लायें कि जो चीज विदित है कि क्या होने वाला है और क्या हो गया है । बार-बार नलकूपों की बात की जा रही है । सभी जानते हैं कि नलकूप का हस्तान्तरण हो चुका है, पड़ताल का काम ग्राम पंचायत को दे दिया गया है, रख-रखाव का मद भी पंचायत विभाग को दे दिया गया है । पंचायत विभाग पैसा देता है, सिंचाई विभाग केवल मरम्मत का काम करता है । सारी चीजें सर्वविदित हैं।

इस सरकार ने पंचायतों के विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिया है, वह लागू हुआ है अब एक साल बाद उसका परीक्षण कर लिया जायेगा कि कहां क्या कमियां हुईं, क्या अच्छाइयां रहीं, उसके बाद संशोधन पर विचार करेंगे लेकिन इस तरह से सदन को गुमराह करने का काम मेरे जीवन में किसी संसदीय फोरम में बजट कटमोशन में नहीं किया गया है । कह दिया कि एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई । सब जानते हैं कि चित्तौड़गढ़, टोंस पम्प कैनाल पूरी हो चुकी हैं । चम्बल जो जानते हैं वह कहते हैं कि केवल 38 किलोमीटर बाकी रह गया है । मौदहा बांध का कार्य पूरा हो गया है खरीफ में सिंचाई होगी । गुण्टा नाला पूरा हो गया है । चरखारी, जाखलौन पम्प, झांसी में पूरा हो गया है, बिजली का कनेक्शन मिल गया है और इस बार खरीफ में सिंचाई होगी । यह कहना कि एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई, मैं तो कहता हूं कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है, इतना बड़ा असत्य कह दिया कि एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई । मेरे संसदीय जीवन में कभी भी तथ्य को इतना तोड़-मरोड़कर, पूरी तरह से सदन को गुमराह करने का प्रयास आज तक कटमोशन में नहीं किया गया । पिछली बार भी आपने कटमोशन रखा था लेकिन उस समय मुझे प्रसन्नता हुई थी और बहुत बढ़िया बोले थे । हमारी व्यस्तता है हमने इन दोनों बजट को आज प्रातः 5.00 से तैयार किया है । आपने कहा कि आप बजट को देख नहीं पाये । कोई मंत्री आज तक बजट का एक-एक शब्द देखता है क्या ? शासन का अंग अधिकारी है, वह बजट बनाता है, कमियां होंगी तो वह जवाब देगा । जितने भी प्राविधान किये गये हैं वह सब ठीक हैं ।

इसी तरह से कहा गया कि डिवीजन तोड़ दिये गये, थोड़े खण्ड नहीं तोड़े, पूरे 104 खण्ड तोड़े हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं था । एक तरफ काम नहीं था दूसरी तरफ परियोजनाओं पर अधिकारी नहीं थे । इसी नियोजन के कारण, अभी तक जो अधिकारी जहां थे वह वहीं मौज-मस्ती कर रहे थे । परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अलग मुख्य अभियन्ता रखा । अब हर परियोजना पर एक मुख्य अभियन्ता रहता है । 104 खण्ड के लोगों को हमने जगह-जगह परियोजनाओं पर भेजा । जो बचे हैं डी० आर० डी० ए० मांग रहा है, वहां भेजने वाले हैं । जो व्यापार कर विभाग है वह कुछ सिविल इंजीनियरों को चाह रहे हैं वह भी अपना कुछ सरप्राईज चेकिंग वगैरह करा रहे हैं । किसी को बैठाकर तनख्वाह देने का काम यह सरकार नहीं करेगी । इस प्रदेश की उन्नति में उनका योगदान करायेगी । ओखला की बात कही गई एक बात कही गई कि ओखला में जो लोग हैं वह आपके बड़े प्रिय हैं मेरे प्रिय हैं केवल इस संबंध में अपने नेता जी से पूछ ले और यह कहें कि इस संबंध में मैंने आलोचना की है देख लीजिये उनका क्या जवाब होता है । इसके बाद कुछ नहीं कहना है । कौन-कौन लोग हैं । किस-किस की सिफारिश से हैं ?

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप सूप हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मैंने केवल संकेत दिया है। जहां तक ओखला जमीन के अतिक्रमण की बात है यह एक साल दो साल तीन साल में नहीं हुआ है न ही एक सरकार के दो सरकार के कार्यकाल में हुआ है जब से नोयडा और दिल्ली का विस्तार शुरू हुआ है तब से लगातार उसमें अतिक्रमण हो रहा है। कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण हो रहा है जिसके लिए दिल्ली से लोग दबाव डालते हैं सब पार्टी के लोग दबाव डालते कि उनको नहीं हटायें। यह पहली सरकार है जिसने ओखला की सारी जमीन को खाली कराने के लिए अधिकारियों की एक टीम बनायी है जिसमें एक ए० डी० एम, एक डी० वाई० एस० पी० तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल व अन्य राजस्व कर्मचारी रखे हैं। जो उसको देख रहे हैं चेकिंग कर रहे हैं। 150 के ऊपर मुकदमें हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसको लड़ रहे हैं पैसा दिया गया है कि जमीनें खाली कराते चलो और उसकी बैरीकेटिंग करते चलो। बाद में सारी जमीन नीलामी द्वारा बेची जायेगी। इसकी गारन्टी है। उसको खाली कराने का संकल्प लिया है। यह कमेटी आपने क्यों नहीं बना दी ? आपने क्यों नहीं खाली कराई ?

श्री अम्बिका चौधरी–

साढ़े तीन साल में कितनी जमीन खाली हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

150 से ऊपर मुकदमें हैं उनके निस्तारण के लिए ही टीम बनाई है। एक बात मुआवजे की कही गई। मुआवजा 15–20 साल का है उनको मुआवजा मिलना चाहिए लेकिन आज विकास कार्यों को भी पैसा दे रहे हैं उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा दे रहे हैं जो कई सालों से रुकी रहीं। जरौल पम्प नहर कई साल से रुकी थी। मनहर परियोजना को शुरू करने के लिए इस बजट में वित्तीय प्राविधान कर दिया है। बिहार की सरकार सहमति नहीं दे रही है। तनहर परियोजना पर कार्य शुरू कराने जा रहे हैं। जो भी माननीय सदस्यों ने कहा है मैं पूरी कार्यवाही निकलवाकर जिसकी जो समस्या है कार्यवाही करके अवगत कराऊंगा कि क्या प्रगति हुई है जांच होगी तो जांच कराऊंगा। मैं पारदर्शिता चाहता हूं। जिन-जिन क्षेत्रों की नहरें पुरानी हो गयी हैं उनके पुनरुद्धार के कार्यक्रम बना चुके हैं नाबार्ड से पैसा लेकर पुनर्स्थापना करेंगे। टेल तक पानी पहुंचाने का संज्ञान भी मैंने लिया है। इसलिए कि यह प्रदेश के हित का सवाल है। इसका कारण है कि इस वर्ष पूर्वी यमुना नहर में लगभग 50 प्रतिशत पानी कम आया क्योंकि पहाड़ पर मौसम बहुत खराब था। इससे पहले पिछले वर्ष गंगा में 30 प्रतिशत कम पानी आया। जैसे ही इसकी जानकारी हमको हुई हमने तुरन्त सभी यमुना के क्षेत्रों के डी० एम० को लिखा कि इसकी जांच करा ली जाय। जो किसान आपत्ति व्यक्त करता है तो विभाग की परवाह न करके उसको लाभ पहुंचाया जाय। यमुना की कटान की बात है हम 27 स्थानों के कटान को रोकेंगे जैसे हरियाणा में किया गया। हमनें पिछली बार घोषणा की थी और अब इस बार 14 करोड़ नाबार्ड से स्वीकृत हो चुके हैं जिसमें सात करोड़ रिलीज हो गये हैं शेष बाद में मिलेंगे। हमनें मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर अपनी बात रख दी है। मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छे सुझाव दिये। मैं आलोचना को भी सुझाव मान रहा हूं। बाबू राम जी से मैं कहूंगा कि कटौती के प्रस्ताव को वापस लें।

(श्री राम औतार शाक्य के बोलने पर व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

बेवर फीडर परियोजना उद्घाटन के बाद चालू नहीं हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

मा० शाक्य जी ने जो कहा है, उसको देख लीजिये।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में जो भूमिका बांधी, उससे यह ध्वनित होता है, और निश्चित रूप से मैंने जो आंकड़े दिये, वह बजट से ही दिये और उन्हीं को मैंने रखा कि आर० एस० एस० के लोगों जैसा निराधार बोलने वाला और कोई आदमी नहीं है । सदन को हम गुमराह कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । इस विधान सभा में आर० एस० एस० कहां से गया । यहां पर तो बी० जे० पी० के लोग हैं अन्य दलों के लोग हैं, इतने वरिष्ठ सदस्य को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए और यह अच्छा नहीं है, इसलिये इसे आप कार्यवाही से निकाल दीजिये ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर,एक फोदिया होता है । आर० एस० एस० का फोबिया बाबू राम जी को परेशान कर रहा है और कोई बात नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, डंग साहेब ने कहा कि आर० एस० एस० इस सदन में कहां से चला गया? ऐनकेन प्रकारेण आर० एस० एस० तो इस सदन में चला तो आया ही है, इसी नाते गड़बड़ी हो रही है । उसका जो चरित्र है.....

श्री अधिष्ठाता–

श्री बाबू राम जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आप इस उच्च पीठ पर बैठे हुए हैं आप हमें संरक्षण दें । उन आंकड़ों को झुठलाकर यह कहा गया कि ये आंकड़े तो हैं ही नहीं । अब तक तो आप जो करते रहे, वह करते रहे यह सदन है, यहां पारदर्शिता होनी चाहिए । कम से कम इतनी गड़बड़ी न करें । एक बात भी सत्य नहीं कह रहे हैं । पहले जो आंकड़े बताये, ठीक बताये, दुबारा जो बताया गलत बताया । जो पर्ची उन्होंने पढ़ी आंकड़ों की, वह नितान्त असत्य है । इतना असत्य बोलने वाले मंत्री जिस सरकार में होंगे, उस सरकार का क्या होगा और इस प्रदेश का क्या होगा ? पहले मैं पूछ तो लूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं । कटौती पर आप बल दे रहे हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

इन्होंने निराधार आंकड़े रखकर सदन को गुमराह किया है क्योंकि मंत्री जी हैं इसलिए इनको प्रीविलेज है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बाबू राम ज़ी जो परम्परा है वह यह है कि इस समय या तो आप कटौती पर बल दीजिये या वापस लीजिये । कोई स्पष्टीकरण मांगना है तो मांग लेते । आपने स्पष्टीकरण मांगा नहीं । मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जो कटौती रखी है उस पर बल दे रहे हैं या वापस ले रहे हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

स्पष्टीकरण ही तो मांग रहे हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, परम्परा यह है कि माननीय मंत्री जी बजट प्रस्तुत करते हैं और उस पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य रखते हैं उसके बाद उस पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कहते हैं कुछ सुझाव रखते हैं समर्थन करने वाले सदस्य समर्थन करते हैं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले कटौती पर बल देते हैं । उसके बाद माननीय मंत्री जी का उत्तर भाषण आता है । तो यह सब हो गया है । अब आप बजट पास करायें । यह कोई वॉलीबाल का मैच नहीं है । प्रश्नोत्तर तो रात भर होता रहेगा । श्री बाबू राम जी राजी हैं तो ठीक है नहीं तो आप प्रश्न उपस्थित करके व्यवस्था कर दें । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । यह सदन परम्पराओं से चले ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

डंग साहब ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस संदर्भ में परम्परा यह है कि माननीय मंत्री जी के उत्तर भाषण के पश्चात् या कोई एक आध प्रश्न पूछना होता है तो वह पूछ सकते हैं । कोई स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है । मा० शाक्य जी ने स्पष्टीकरण मांगा मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया कि मैंने सबका संज्ञान ले लिया है । यही उत्तर है । परम्परा यह है कि अब बाबू राम जी से अनुरोध करेंगे कि वे कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बाबू राम यादव–

मैं कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहा हूं या उस पर बल दे रहा हूं यह अलग बात है । डंग साहब ने जो रास्ता दिखाया बहुत योग्यता का परिचय देकर आपको भी गुमराह किया है । गुमराह न करते होते तो यह यहां बैठे होते ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

जो माननीय मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं वह बजट साहित्य पर आधारित नहीं हैं । सदन को गुमराह किया है । हमने जो आंकड़े दिये हैं वह सही हैं । यह मंत्री जी हैं उनको अधिकार है, इनका बड़ा दल है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–93 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,21,61,25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,20,33,96,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

पालीथीन बैग्स के कारण जनस्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न साइलाज बीमारी को देखते हुए प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबंदी लगाये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा के अनुरोध पर मैं इस चर्चा को स्थगित करता हूं।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 11 मई, 2000 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं:—

(1) श्री गोपाल कृष्ण — जनपद पीलीभीत में नैपाल से आने वाली शारदा नदी की बाढ़ से पूरनपुर क्षेत्र को बचाने व पूरनपुर में बाढ़ प्रखण्ड कार्यालय की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रभु नारायण सिंह यादव,
श्री भीम प्रसाद सोनकर,
श्री रामप्यारे सिंह — जनपद चन्दौली की तहसील सकलडीहा के ग्राम पुरोविजयी तथा जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम चकजीयन में हुए अग्निकाण्ड के पीड़ितों को समुचित सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री अजय कुमार पोइया — जनपद मथुरा की निरन्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा पुलिस द्वारा की जा रही मनमानी एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(4) श्री पीटर फैन्थम — प्रदेश में एंग्लोइण्डियन स्कूल तथा उससे सम्बद्ध स्कूलों में शिक्षण कार्य, पाठ्यक्रम तथा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के कान्ट्रीब्यूटरी फण्ड आदि के लिए अल्पसंख्यक स्टेट बोर्ड फार एंग्लोइण्डियन एजुकेशन बोर्ड का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रूप चौधरी — जनपद गाजियाबाद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड लोनी में अवैध भू-खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोरखनाथ पाण्डेय — जनपद संत रविदासनगर की गोपीगंज नगरपालिका परिसर के थाना परिसर में बने पेयजल नलकूप के ओवर हेड टैंक के निर्माण के सम्बन्ध में।

(7) श्री सीताराम निषाद — जनपद फैजाबाद के थाना हैदरगंज अन्तर्गत ग्राम करौन्दी में दबंगों द्वारा पिछड़ी जाति के परिवारों को उत्पीड़ित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं :--

(1) श्री रामवीर उपाध्याय — श्रीमती हरप्यारी देवी इण्टर कालेज, रोहई, जनपद-हाथरस के प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री लालजी वर्मा — जनपद अम्बेडकर नगर में विशिष्ट बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की नियुक्ति जनपद के बाहर किये जाने तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति न किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राम विशुन आजाद — प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कुएं खुदवाने की योजना को प्रभावी रूप से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नरेन्द्र सिंह भाटी — लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन, एटा के प्रांगण में अधिशासी अभियन्ता के साथ की गयी मारपीट की घटना की प्राथमिकी पर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री उदयराज यादव — जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत सरकारी गेहूं क्रय केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) डा० वकार अहमद शाह — जनपद बहराइच शहर में स्थित दरगाह की प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा की जा रही मनमानी तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता हैं :--

(1) श्री पूर्णमासी पंकज — जनपद संत रविदास नगर में निर्माणाधीन भदोही से सुनियावां तक 33 के०वी० विद्युत लिंक लाइन का कार्य अधूरा छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती विजमा यादव — ग्राम-केथवल, तहसील-फूलपुर, जनपद-इलाहाबाद में चकबन्दी विभाग द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामचन्द्र यादव — जनपद फैजाबाद में नाबार्ड योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सेतु मड़हा नदी पर चन्दौरा हरखपुर सम्पर्क मार्ग को परिवर्तित कर मड़हा नदी पर गदुरही अरहार मार्ग पर बनाये जाने के सम्बन्ध में ।

(4) चौधरी बाबूलाल — जनपद मथुरा में राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित काश्तकारों एवं यू० पी० एस० आई० डी० सी० की बहुमूल्य भूमि पर बाबा जय गुरुदेव द्वारा अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(5) श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया — गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शासनादेशों का पालन न किये जाने के कारण राज्य नगर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर एच० आई० जी० भवनों में रहने वाले आवंटियों को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में ।

(6) श्री नेतराम सिंह — इलाहाबाद शहर के राजरूपपुर मोहल्ले में ट्यूबवेल न होने से नागरिकों को हो रही पेयजल की असुविधा के सम्बन्ध में ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत की गई हैं उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

1—डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, 2—श्री राम औतार शाक्य, 3—डा० धर्मज्ञ मिश्र, 4—श्री राम जग, 5—श्री श्रीराम पाल, 6—श्री संजय गर्ग, 7—श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, 8—श्री हरपाल सिंह, 9—श्री अरविन्द गिरि, 10—श्री विजय पाल सिंह, 11—श्री राम प्यारे सिंह, 12—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, 13—श्री लालमणि प्रसाद, 14—श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, 15—श्री सतीश जतारिया, 16—श्री राम तेज यादव एडवोकेट, 17—श्री संजय गर्ग, 18—श्री कृष्णपाल सिंह, 19—श्री तेजभान सिंह ।

श्री अधिष्ठाता—

कार्य सूची की मद संख्या—21, 22, 23, 24 25, 26 और 27 पर अंकित संलग्न वक्तव्य पढ़े हुए माने गये ।

जनपद बहराइच में विद्युत उपखण्ड महसी के अन्तर्गत विश्व बैंक योजना के अधीन संचालित नलकूपों के लगभग 12 कि०मी० तार कटे होने के कारण नलकूपों की बन्दी के बावजूद किसानों को सिंचाई शुल्क की नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० बकार अहमद शाह द्वारा नियम—51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शिव शंकर)—

[नियम—51 के अन्तर्गत मा० सदस्य द्वारा जनपद—बहराइच में विद्युत उपखण्ड महसी के अन्तर्गत विश्व बैंक योजना के अधीन संचालित नलकूपों के लगभग 12 कि०मी० तार कटे होने के कारण नलकूपों की बन्दी के बावजूद किसानों को सिंचाई शुल्क की नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2—जनपद–बहराइच में सरयू परियोजना के इमाम गंज नहर प्रणाली में जल का संबर्द्धन करने एवं परियोजना क्षेत्र में ऊंचे भू-जल स्तर होने के कारण वाटर लागिंग पर नियंत्रण रखने के लिये 100 अदद संबर्द्धन नलकूपों का निर्माण अब तक किया गया है।

विद्युत उपकेन्द्र महसी के सोहरवा फीडर पर नलकूप संख्या–7ई से 48ई(42 अदद) तक संबर्द्धन नलकूपों में से 34 अदद संबर्द्धन नलकूप विद्युत दोष से बन्द हैं। शेष 8 अदद नलकूप सिंचाईरत हैं।

सोहरवा फीडर पर महसी से सोहरवा गांव तक नलकूप संख्या–7ई से 24ई तक (18 अदद) संबर्द्धन नलकूप स्थित हैं। यह सभी 18 अदद संबर्द्धन नलकूप दिनांक 25-6-99 से विद्युत तार की चोरी हो जाने से बन्द हैं। नलकूप संख्या–7ई, 8ई, 10ई, 11ई एवं 20ई तार चोरी होने के पूर्व से विद्युत दोष से बंन्द हैं।

पूरे सोहरवा फीडर पर एच० टी० लाइन का तार चोरी होने के कारण नलकूप संख्या–7ई से 28ई तक (कुल 22 अदद) दिनांक 25-6-99 एवं नलकूप संख्या–35ई से 37ई एवं 39ई, 40ई एवं 43ई से 48ई (11 अदद) दिनांक 8-4-99 से बन्द हैं। इसके अतिरिक्त नलकूप संख्या–33ई ट्रान्सफार्मर की खराबी से दिनांक 14-8-99 से बन्द हैं। इनमें से 9 अदद नलकूप संख्या–7ई, 8ई, 10ई 11ई, 20ई, तथा 35ई, 36ई, 37ई एवं 39ई तार चोरी से पूर्व से विद्युत दोष के कारण बन्द हैं।

3—पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत सिंचाई विभाग के सींचपालों को ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय कर्मी के रूप में नियुक्त कर दिये जाने के फलस्वरूप सींच अंकन का कार्य अब राजस्व विभाग के लेखपालों को सौंपा गया है। 1407 फसली खरीफ में विद्युत उपखण्ड महसी सोहरवा फीडर से केवल नलकूप संख्या–42ई से निम्न प्रकार सींच अंकन सम्बन्धित लेखपाल द्वारा किया गया है तथा तद्नुसार ही जमाबन्दी बनाकर सम्बन्धित तहसील महसी में राजस्व की वसूली हेतु जमा करायी गयी है :—

1—श्री बुधई पुत्र श्री लालता ग्राम असमानपुर	0.41 हे०
2—श्री मुन्ना लाल पुत्र श्री लालता, ग्राम असमानपुर	0.32 हे०
3—श्री मंगरे पुत्र श्री मुनई ,, तदैव	0.38 हे०
योग =	1.11 हे०]

प्रदेश में पेयजल हेतु सरफेस वाटर के प्रयोग को बढ़ावा देकर भू-गर्भ जल के दोहन के फलस्वरूप हो रही डार्क एवं ग्रे की स्थिति से प्रदेश को बचाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[मा० सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि प्रदेश में नगरीय जल सम्पूर्ति एवं ग्रामीण जल सम्पूर्ति के स्रोत सामान्यतः भू-जल है। गहरे नलकूप तथा इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराकर भू-जल प्राप्त किया जाता है। उक्त नलकूप एवं इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प भू-जल के दूसरे अथवा उससे निचले स्तर पर लगाये जाते हैं जिससे मौसम के कारण भू-जल स्तर गिरने से जल सम्पूर्ति प्रभावित न हो।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2—प्रदेश के 684 नगरों में से 43 नगरों को पाइप्ड पेयजल की सुविधा प्राप्त नहीं है । इन नगरों को 2002 तक पाइप्ड पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

3—प्रदेश के मुख्य नगरों की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु बल दिया जा रहा है । आगरा, मथुरा, वृन्दावन नगरों की पेयजल समस्या के लिए दीर्घकालीन समाधान हेतु यमुना नदी पर गोकुल के समीप गोकुल बैराज का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । सिंचाई विभाग द्वारा उक्त निर्माण कार्य त्वरित गति से कराये जा रहे हैं । बैराज के शीघ्र पूर्ण होने की सम्भावना है । आगरा नगर को अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से आगरा नगर में भी एक बैराज निर्माण कराये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है । इस हेतु ताज ट्रेपोजियम निधि से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है । उक्त बैराजों के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर गोकुल बैराज से मथुरा तथा वृन्दावन नगरों को 30 क्यूसेक पानी तथा आगरा नगर की पेयजल आपूर्ति हेतु 115 क्यूसेक जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसी प्रकार कानपुर नगर की पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु कानपुर में गंगा नदी पर बैराज का निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

4—लघु सिंचाई विभाग एवं भू-गर्भ जल विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में विगत कई वर्षों से वर्षों की मात्रा, उसका क्षेत्रीय विस्तार, वितरण एवं अवधि की अनिश्चितता की स्थिति के साथ-साथ भू-जल स्रोतों की निरन्तर बढ़ती हुई मांग व निर्भरता तथा अनियंत्रित दोहन के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में भू-जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है । विगत दस वर्षों में परिलक्षित हुई भू-जल स्तर में गिरावट निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	मण्डल	विकास खण्डों की संख्या	भू-जल स्तर में गिरावट से प्रभावित विकास खण्डों की सं०	भू-जल स्तर में गिरावट का न्यूनतम एवं अधिकतम स्तर (मीटर)
1	2	3	4	5
1	मुरादाबाद	36	28	0.10–4.20 एम
2	मेरठ	76	52	0.10–8.18 मी०
3	आगरा	77	56	0.18–12.47 मी०
4	बरेली	54	33	0.14–8.11 मी०
5	लखनऊ	96	60	0.05–6.76 मी०
6	कानपुर	48	44	0.17–13.96 मी०
7	झांसी	47	22	0.07–8.59 मी०
8	इलाहाबाद	56	39	0.18–9.15 मी०
9	फैजाबाद	100	70	0.06–5.85 मी०
10	गोरखपुर	93	37	0.03–2.53 मी०
11	आजमगढ़	67	27	0.04–3.38 मी०
12	वाराणसी	58	18	0.12–7.75 मी०

5—भू-गर्भ जल विभाग द्वारा किये गये भू-जल उपलब्धता आंकलन के आधार पर नाबार्ड द्वारा इनका मूल्यांकन कर 111 विकास खण्ड डार्क तथा 198 विकास खण्ड ग्रे श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं। प्रदेश में भूजल स्तर व डार्क ग्रे विकास खण्डों की संख्या वर्षा की मात्रा एवं भूजल दोहन के स्तर के कारण परिवर्तनशील है।

6—भू-जल स्तर में परिलक्षित हो रही गिरावट की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते 'हुए लघु सिंचाई विभाग एवं भू-गर्भ जल विभाग द्वारा गतवर्षों से भू-गर्भ जल रिचार्ज हेतु प्रयास किये जा रहे हैं जो इस प्रकार है :—

(1) लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों हेतु भू-गर्भ जलभरण की एक व्यापक योजना बनायी गयी है जिसकी अनुमानित लागत रु० 622.48 करोड़ है। इस योजना के वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

(2) समस्याग्रस्त क्षेत्रों में भू-जल प्रबन्धन एवं भू-गर्भ जल भरण की परियोजनायें तैयार कर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित की गयी है। सिंचाई विभाग की विश्व बैंक पोषित वाटर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के अंश के रूप में भू-गर्भ जल प्रबन्धन एवं रिचार्ज की 583.96 करोड़ रु० की एक योजना बनायी गयी है।

7—भू-गर्भ जल पर आधारित पेयजल योजनाओं में सामान्यतः नलकूप से प्राप्त भू-जल को वितरित करने से पूर्व क्लोरीनेशन किया जाता है क्योंकि इस प्रकार प्राप्त जल प्राकृतिक रूप से छना होता है जबकि भूस्तरीय जल पर आधारित पेयजल योजनाओं में रावाटर इन्टेकवेल, रावाटर पम्पिंग प्लाण्ट आवश्यकतानुसार जलशुद्धीकरण संयंत्र, शुद्ध जल भण्डारण आदि के अतिरिक्त कार्यों के कारण लागत अधिक आती है। सामान्यतः नलकूप आधारित पेयजल योजनाओं में प्रति व्यक्ति लागत लगभग रु० 750–1000 तथा भूस्तरीय जल पर आधारित पेयजल योजनाओं में प्रति व्यक्ति लागत लगभग रु० 2000–2500 आती है। इस कारण भूस्तरीय जल की अपेक्षित मात्रा में वर्ष पर्यन्त अनुपलब्धता, भू-जल की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होने तथा कच्चे जल को पेयजल के रूप में शोधित करने आदि में निहित वित्तीय उपाशय के दृष्टिगत भू-गर्भ जल को पेयजल के रूप में प्रयोग करने को प्राथमिकता दी जाती है।]

जनपद रामपुर स्थित शिवा पेपर मिल धमौरा के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन न किये जाने से जनजीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में श्री शिव बहादुर सक्सेना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पर्यावरण मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

[जनपद रामपुर स्थित शिवा पेपर मिल, धमौरा के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मानकों का अनुपालन न किये जाने से जन-जीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के संबंध में मा० सदस्य द्वारा सूचना दी गयी है।

2—उपरोक्त सूचना के संबंध में उल्लेखनीय है कि मै० शिवा पेपर मिल्स लि०, जैन नगर, धमौरा, रामपुर में वर्ष 1981 से उत्पादनरत है। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में बैगास, रद्दी कागज, रोजिन एलम आदि का प्रयोग कर राइटिंग/प्रिन्टिंग पेपर का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 60 मी०टन/दिन पेपर उत्पादन करने की है। उद्योग के उत्पादन प्रक्रिया से प्रदूषित उत्प्रवाह प्रति

नोट :– | | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिन लगभग 6500किली०/दिन निकलता है । उद्योग के द्वारा उत्प्रवाह शुद्धीकरण हेतु वांछित क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित किया गया है । उद्योम का निरीक्षण पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से दिनांक 9 जनवरी, 1999 को कराया गया था । क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति एवं उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये जाने के कारण उद्योग को वर्ष 1999 हेतु सशर्त जल सहमति निर्गत की गयी थी तथा उद्योग को निस्तारित उत्प्रवाह से रंग को यथा सम्भव न्यूनतम रखने के निर्देश दिये गये थे ।

3—उद्योग का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 15-2-2000 को क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया गया । निरीक्षण के समय लिये गये नमूने को विश्लेषण आख्या बोर्ड मानक से अधिक पाई गयी जिसके परिणाम निम्न है :–

क्रमांक	पैरामीटर	परिणाम	निर्धारित मानक
1—	निलम्बित ठोस	116.0मिग्रा०/ली०	100.0मिग्रा०/ली०
2—	बी०ओ०डी०	66.0मिग्रा०/ली०	30.0मिग्रा०/ली०
3—	सी०ओ०डी०	608.0मिग्रा०/ली०	250.0मिग्रा०/ली०

उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या बोर्ड मानकों के अनुरूप न होने तथा वर्ष 1999 हेतु सशर्त सहमति की शर्तों का अनुपालन न करने के कारण उद्योग की सहमति वर्ष 2000 हेतु दिनांक 17 अप्रैल, 2000 को अस्वीकृत की जा चुकी है । उद्योग को अपना उत्प्रवाह बोर्ड मानकों के अनुरूप करने एवं उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का सुचारू रूप से संचालन व रख-रखाव करने के निर्देश दिये गये हैं।

4—प्रश्नगत उद्योग का उत्प्रवाह परिसर के समीपस्थ नाले द्वारा ग्राम–कमरूद्दीन नगर, एचौरा, ग्राम–किरमथा, ग्राम–रहपुरा, ग्राम–बेगमाबाद, सलावतपुर, नौराहा आदि गांवों से होते हुए अंततः रामगंगा नदी में निस्तारित होता है । नाले के समीपस्थ स्थित गांवों में स्थापित 7 हैण्ड पम्पों के जल के नमूने दिनांक 3 जनवरी, 2000 को किये गये सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किये गये थे । एकत्रित नमूनों की विश्लेषण आख्या के अनुसार हैण्ड पम्पों में रंग व दुर्गन्ध की समस्या नहीं पायी गयी। जल के नमूनों में विभिन्न परिचालकों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों (पियजल हेतु) के अनुरूप पाया गया ।

5—उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह से आस-पास के गांव में बीमारी फैलने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर से सूचना मांगी गयी थी । मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 07 जनवरी, 2000 द्वारा सूचित किया गया कि मै० शिवा पेपर मिल्स लि० के आस-पास कोई संक्रमित बीमारी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, न ही कोई संक्रमित बीमारी क्षेत्र में फैल रही है ।]

ग्राम नेवादा सातन, विकास खण्ड टोडरपुर, थाना हरियावां, जनपद हरदोई में हुए भीषण अग्निकाण्ड में तीन व्यक्तियों के जलकर मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० अशोक बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)–

। जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र पिहानी के ग्राम नेवादा सातन में दिनांक 20/21 अप्रैल, 2000 को रात्रि लगभग 12 बजे श्री रामचन्द्र उर्फ बड़कन्नू के घर में आग लगने से

नोट :–.। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्रीमती फूलमती पत्नी रामचन्द्र उर्फ बड़कन्नू उम्र 55 वर्ष की घटना स्थल पर जलकर मृत्यु हो गयी । कुमारी सीमा उम्र 4 वर्ष, पुत्री मन्ना लाल की मृत्यु अस्पताल ले जाते समय एवं देशराज उम्र 7 वर्ष पुत्र मन्नालाल की मृत्यु जिला चिकित्सालय में हो गयी थी । श्रीमती सुनीता पत्नी राम कुमार जलने से घायल हो गयी थीं जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया ।

उक्त अग्निकाण्ड की घटना की स्थलीय जांच उप जिलाधिकारी, शाहाबाद, क्षेत्राधिकारी सदर, हरदोई, तहसीलदार शाहाबाद एवं नायब तहसीलदार की उपस्थिति में की गई । घटना से पीड़ित श्री रामचन्द्र उर्फ बड़कन्नू व मन्ना लाल के बयान लिये गये इन लोगों ने अपने बयानों में रामकिशोर पुत्र रिखेश्वर व रिखेश्वर के पुत्र शहिजादे ब्राह्मण तथा मगरे लाल पुत्र मितान द्वारा आग लगाये जाने की आशंका व्यक्त की गयी । ग्राम प्रधान श्रीमती रमकोरा के पति रामचरन ने भी अपने बयानों में कहा है कि रामचन्द्र आदि से मुझे जानकारी मिली है कि आग राम किशोर रिखेश्वर व मंगरे लाल द्वारा लगाई गई क्योंकि पूर्व से ही रामचन्द्र एवं रिखेश्वर आदि के मध्य रंजिश चल रही थी ।

इस प्रकार रामचन्द्र उर्फ बड़कन्नू, मन्नालाल व राम चरन के बयानों से स्वतः स्पष्ट है कि यह अग्निकाण्ड की घटना दैवी आपदा के अन्तर्गत नहीं पायी गयी, अपितु मानव जनित अपराधिक कृत्यों से घटित हुई । उपरोक्त घटना दैवी आपदा के अन्तर्गत न घटित होने के कारण कोई राहत सहायता वितरित नहीं की गयी है ।

प्रदेश में विशेषतः बभनान एवं बलरामपुर शुगर मिल क्षेत्रों में गन्ना किसानों के गन्ने की बिक्री में की जा रही अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री राम बिशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गन्ना विकास मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

[मा० सदस्य द्वारा दी गई सूचना में यह उल्लिखित किया गया है कि देवीपाटन मण्डल के बलरामपुर चीनी मिल और बभनान चीनी मिल द्वारा गन्ना माफिया व उनके दलालों की मिली-भगत से अधिक रकबा कम्प्यूटर में फीड करके अधिक पड़ताल दिखाकर अधिक पर्चियां निकालकर धन अर्जित किया जा रहा है तथा चालू सत्र में जिस तरीके से धांधलीबाजी में कृषकों को परेशान होना पड़ा है ऐसा कभी नहीं हुआ है । गन्ना कृषकों के वास्तविक रकबे को पड़ताल करके कम्प्यूटर में फीड कर पर्चियां नहीं निकाली जा रही है, जिससे खेतों में खड़ा गन्ना सूख रहा है और गन्ना जलाने पर किसान विवश है । पुनः सर्वे कराकर गन्ना बिकवाने की व्यवस्था करने तथा किसानों के व्यापक स्तर पर मिलों द्वारा शोषण किये जाने का उल्लेख किया गया है ।

2—माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में उल्लिखित करना है कि पेराई सत्र 1999-2000 के लिए कृषकों के गन्ना उपलब्धता तथा क्षेत्रफल आदि का सर्वे निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत माह जून व जुलाई, में कराया गया तथा कृषकों से उनके क्षेत्रफल गन्ना उत्पादन के बारे में घोषणा-पत्र भराया गया तथा राजस्व अभिलेखों के आधार पर उनकी भूमि की उपलब्धता आदि समस्त बिन्दुओं की जांच की गई तथा सर्वेक्षण के उपरान्त जो गन्ना क्षेत्रफल आया उसकी सूचियों का प्रदर्शन समिति स्तर पर तथा मिल स्तर पर कराया गया तथा जिन कृषकों का क्षेत्रफल अथवा सट्टा छूटा हुआ था उनसे आपत्तियां लेकर निराकरण कराया गया । इस प्रकार जिन कृषकों ने आपत्तियां

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दर्ज कराई उनका समाधान कराया गया तथा अन्तिम आंकड़े प्राप्त होने के उपरान्त कम्प्यूटर में कृषकों के डाटा फीड हुए। इतना ही नहीं कृषकों को कलेण्डर की प्रतियां उपलब्ध कराई गयीं।

3—बभनान चीनी मिल में कुल कृषकों की संख्या 72152 रही है तथा इन कृषकों से गन्ना समिति बभनान, गौराचौकी, गौर, गोविन्दनगर, मनकापुर, विक्रमजोत व नवाबगंज तथा मुण्डेरवा के माध्यम से गन्ना आपूर्ति हेतु 110.02 लाख कुन्टल गन्ने का सट्टा हुआ तथा 96.87 लाख कुन्टल गन्ने का आफर समिति से चीनी मिल को किया गया । दिनांक 30-4-2000 तक 95.56 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई चीनी मिल बभनान द्वारा की गई है तथा चीनी मिल ने यह लिखित रूप से अवगत कराया है कि पेराई हेतु उपलब्ध सम्पूर्ण गन्ना खरीद कर ही मिल बन्द की जायेगी। अभी चीनी मिल पेराई कार्य कर रही है।

4—बलरामपुर जनपद की चीनी मिल बलरामपुर के क्षेत्र में कुल कृषक सदस्यों की संख्या 95087 है तथा गन्ना समिति बलरामपुर, बहराइच, मनकापुर, गोण्डा, उतरौला, मेजापुर व नवाबगंज से 183.51 लाख कुन्टल का सट्टा हुआ था जिसके विरुद्ध 147.75 लाख कुन्टल गन्ने का आफरइन समितियों द्वारा चीनी मिल को किया गया था। दिनांक 30-4-2000 तक चीनी मिल में 164.34 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई कर चुकी है और अभी भी चीनी मिल चल रही है तथा मिल ने लिखित रूप से यह आश्वासन दिया है कि पेराई योग्य समस्त उपलब्ध गन्ने की पेराई की जायेगी तथा री-सर्वे के आधार पर छूटे हुए कृषकों के गन्ने की आपूर्ति की जा रही है।

5—बलरामपुर चीनी मिल की प्रतिदिन पेराई क्षमता 10,000 मी० टन तथा बभनान चीनी मिल की प्रतिदिन पेराई क्षमता 7000 मी० टन है। सामान्यतया पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के लिए जब सट्टा किया जाता है तो यह मानकर चला जाता है कि चीनी मिलें सम्पूर्ण पेराई सत्र में अधिकतम 160 दिन पेराई का कार्य करेंगी। उक्तानुसार बलरामपुर तथा बभनान चीनी मिलों के लिए वर्तमान पेराई सत्र में क्रमशः 183.51 तथा 110.02 लाख कुन्टल गन्ने का सट्टा किया गया और उसके विरुद्ध उक्त चीनी मिलों को क्रमशः 147.75 तथा 96.87 लाख कुन्टल गन्ने का आफर समितियों द्वारा किया गया। दिनांक 30-4-2000 तक इनके द्वारा क्रमशः 164.34 तथा 96.87 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई की जा चुकी है और चीनी मिलें अभी पेराई का कार्य कर रही हैं। यह लिखित रूप से भी दिया गया है कि उक्त मिल क्षेत्र में उपलब्ध समस्त अनुबन्धित गन्ने की पेराई करने के पश्चात् ही मिलें बन्द की जायेगी। मिल से प्राप्त जानकारी के अनुसार बलरामपुर तथा बभनान चीनी मिलों के द्वारा क्रमशः 175 लाख कु० तथा 105 लाख कु० गन्ने की पेराई किये जाने की सम्भावना है, जबकि इन चीनी मिलों के द्वारा विगत पेराई सत्र में क्रमशः 124.58 तथा 74.76 लाख कुन्टल गन्ने को पेरा गया था। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों चीनी मिलों के द्वारा बन्द होने के पूर्व समितियों द्वारा आफर किये गये गन्ने से अधिक गन्ने की पेराई कर ली जायेगी। इस प्रकार यह कहना कि उक्त चीनी मिलों के द्वारा कृषकों का शोषण या गन्ना आपूर्ति में किसी प्रकार की धांधली की जा रही है, तथ्यात्मक नहीं है।

6—इतना ही नहीं इन चीनी मिलों के द्वारा कृषकों को गन्ने के मूल्य के भुगतान की स्थिति भी प्रदेश की अन्य चीनी मिलों की अपेक्षा काफी बेहतर है। बलरामपुर चीनी मिल में कृषकों को गन्ने के मूल्य के रूप में कुल० रु० 13611.94 लाख देय है, जिसके सापेक्ष रु० 11655.46 लाख का भुगतान किया जा चुका है और इस प्रकार मात्र 14.37 प्रतिशत गन्ने का मूल्य बकाया है। इसी प्रकार बभनान चीनी मिल में रु० 7857.58 लाख देय है, जिसके सापेक्ष रु० 6704.15 लाख का भुगतान कृषकों को किया जा चुका है। इस प्रकार 14.68 प्रतिशत ही बकाया है। यह भी उल्लेखनीय है कि बलरामपुर चीनी मिल में 98.99 के पेराई सत्र में 82358 कृषकों के गन्ने की पेराई की गयी थी और वर्ष 99–2000 में 95687 कृषकों के गन्ने की पेराई की गयी थी इसी प्रकार बभनान चीनी मिल में 98-99 में 59581 कृषकों के गन्ने की पेरी की गयी थी जबकि 99-2000 में 72152 कृषकों के गन्ने

कीं पेराई की गयी है । स्पष्ट है कि गन्ना आपूर्ति में किसी प्रकार की धांधली नहीं हो रही है तथा शासन तथा विभाग पूर्णतया कृषकों के हित संरक्षण के लिए सजग है तथा चीनी मिलों द्वारा की जा रही गन्ना आपूर्ति पर लगातार निगाह रखी जा रही है ।]

जनपद मथुरा के वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अंजय कुमार पोइया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

[विधान सभा के मा० सदस्य श्री अंजय कुमार पोइया के पत्र दिनांक 4-5-2000 में उठाये गये बिन्दुओं की जांच प्रमुख वन संरक्षक, उ० प्र० के माध्यम से वन संरक्षक, आगरा से कराई गई । उनकी जांच के अनुसार बिन्दुवार स्थिति निम्न प्रकार है :––

(1) मथुरा वन प्रभाग के भ्रष्टाचार के बारे में जो आरोप लगाये गये हैं वे सही नहीं पाये गये।

(2) गोवर्धन पर्वत पर वृक्षों की अवैध कटान के बारे में जांच में यह पाया गया कि इस पर्वत का 51.076 हे० क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में पुनर्ग्रहीत किया गया है । लेकिन इसका कब्जा अभी तक वन विभाग को राजस्व विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। यह भूमि अभी ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में है । फिर भी वर्ष 1998-99 में गोवर्धन पर्वत पर वन विभाग द्वारा वृक्षों की सुरक्षा हेतु श्रमिक रखे गये हैं तथा वर्तमान में इस पर्वत पर कोई अवैध कटान नहीं हो रहा है । विगत दो वर्षों में इस क्षेत्र में 0–20 से०मी० व्यास वर्ग के 17 वृक्ष अवैध काटे गये हैं जिस पर विधिवत कार्यवाही की गयी है ।

"गहवर" वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 77.115 है० है जिसमें से मात्र 6.845 हे० वन भूमि है । इस वन भूमि में किसी प्रकार का अवैध पातन नहीं हुआ है । शेष 70.27 हे० भूमि ग्राम समाज एवं उद्यान विभाग के अधीन है ।

(3) गांठौली व अगरपाला की 2 पौधशालाओं को मितव्ययिता की दृष्टि से बन्द कर दिया गया था । इन पौधशालाओं में कुल बचे पौध एवं बसौली पौधशालाओं में बचे पौध, कुल 1,11,315 पौधों का रख रखाव कार्य किया गया है । बसौली नर्सरी में वर्ष 1999-2000 में नये पौध उगाने का कोई लक्ष्य नहीं अतः नई पौध नहीं उगाई गई । इस प्रकार बसौली पौधशाला में किसी धनराशि का दुरुपयोग नहीं पाया गया ।

(4) मथुरा–भरतपुर रेलवे लाइन तारसी फाटक सेंहा से भरतपुर तक 10 हे० भूमि में 80,000 पौध लगने की शिकायत की जांच पर यह पाया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1998 में मात्र 10 हे० क्षेत्र में 12,000 पौधों का रोपण लक्ष्य के अनुसार किया गया । इस प्रकार 80,000 पौधों के न लगाये जाने की बात कहना समीचीन नहीं है ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(5) बरौंठ खादर वन ब्लाक में अवैध कटान की कूम्बिंग का कार्य मार्च, 97 से अक्टूबर, 99 तक की अवधि में समय-समय पर कराया गया है । इस कूम्बिंग में विभिन्न व्यास वर्ग के कुल 2883 वृक्ष कटे पाये गये । उक्त अवैध कटान में शीशम प्रजाति के वृक्ष नहीं थे तथा इस ब्लाक में शीशम के कोई वृक्ष नहीं हैं । इस अवैध कटान के लिए दोषी कर्मचारियों को चिन्हित कर 2 राजि अधिकारी, 2 वनविद, 2 वन रक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

(6) बरौंठ वन ब्लाक में वन भूमि पर धन लेकर अवैध कब्जा कराने के बारे में जांच में यह पाया गया कि बरौंठ वन ब्लाक में कहीं भी सीमा स्तम्भ न होने के कारण अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति का आंकलन नहीं किया जा सका । इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण व सीमांकन कराये जाने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल पायेगा जिसके लिए विभागीय स्तर से कार्यवाही के निर्देश दे दिये गये हैं ।

(7) अवैध आरा मशीनों को धन देकर चलाने की बात जांच में सही नहीं पायी गयी । अवैध आरा मशीनों को मा० उच्चतम न्यायालय के जनहित याचिका संख्या–202/95, टी० एन० गोडावर्मन बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में दिये गये निर्णय के फलस्वरूप वर्ष 1997 में ही बन्द करा दिया गया है ।

(8) श्री फौजी सहित वफादारी से कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को कार्य से हटाये जाने के बारे में जांच में यह पाया गया कि योजना अवधि तक बजट की उपलब्धता के आधार पर दैनिक श्रमिकों को रखा जाता है । योजना की समाप्ति होने/बजट उपलब्ध न होने/कार्य में लापरवाही बरतने पर उन्हें कार्य पर न आने को कहा जाता है । श्री फौजी नामक, दैनिक श्रमिक को कार्य में लापरवाही व अनुशासनहीनता के लिए दिनांक 30-5-99 को कार्य से हटा दिया गया । पेड़ काटने सम्बन्धी कोई सूचना इनके द्वारा नहीं दी गयी है ।अतः यह कहना कि इसी वजह से इन्हें कार्य से हटाया गया है, सही नहीं है ।

(9) विभागीय पानी के टैंकरों को धन लेकर दुरुपयोग करने की बात जांच में सही नहीं पायी गयी ।

(10) गोवर्धन सात कोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे कदम्ब एवं फलदार वृक्ष लगाकर श्रद्धालुओं को सुविधा न दिये जाने के प्रकरण पर जांच में यह पाया गया कि परिक्रमा मार्ग के किनारे उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत बन विभाग द्वारा वर्ष 1996 में 8440 पौध व वर्ष 1998 में 865 पौध शोभाकार, फलदार, छायादार तथा कदम्ब के पौध लगाये गये हैं ।

(11) प्रभागीय वनाधिकारी व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों के अपने मुख्यालय पर न मिलने की शिकायत की जांच में यह पाया गया कि वे अपने-अपने मुख्यालयों पर रहते हैं तथा ड्यूटी में अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं ।

2—उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सतर्कता अधिष्ठान/सी०बी०सी०आई० डी० से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है । यदि कोई विशिष्ट बिन्दु पर पुष्टि कारक अभिलेखों के साथ शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच करायी जा सकती है ।]

जनपद गोण्डा में ग्रामीण वृक्ष अधिनियम, 1976 के प्रभाव के कारण किसानों को अपनी जमीन पर लगाये गये पेड़ों को काटने में हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री बिन्दु लाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

[उ० प्र० ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 यथासंशोधित अधिनियम 1996 में किसानों की सुविधा तथा पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से समय-समय पर सरलीकरण इस उद्देश्य से किये गये हैं कि ग्रामीण जनता को उनके द्वारा उगाए गए वृक्षों को काटने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। अधिसूचना दिनांक 20-1-82 द्वारा लोकहित में 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल की व्यक्तिगत कृष्य या अकृष्य जोत पर उगने वाले वृक्षों की 16 प्रजातियों को बिना परमिट के काटने की छूट प्रदान की गयी। तदोपरान्त अधिसूचना दिनांक 14-1-83 द्वारा वृक्षों के अन्य 11 प्रजातियों को भी 2 हेक्टेयर की सीमा तक बिना परमिट काटने की छूट प्रदान कर दी गयी। फलस्वरूप 2 हेक्टेयर की सीमा तक उगाए गए कटान की अनुज्ञा से छूट प्राप्त प्रजातियों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई। उक्त छूट प्रदेश के समस्त पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान रूप से अनुमन्य रही। परन्तु मैदानी क्षेत्र में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपरोक्त वर्णित 27 वृक्ष प्रजातियों में से 19 वृक्ष प्रजातियों के लिए 2 है० की सीमा की अधिसूचना दिनांक 16-9-91 द्वारा समाप्त कर दिया गया।

2—उन प्रकोष्ठ प्रजातियों के वृक्ष जिनके वाणिज्यिक कटान हेतु परमिट की अनिवार्यता है, निजी एवं वास्तविक उपयोग के लिए कटान करने हेतु किसी परमिट की आवश्यकता नहीं है केवल पर्वतीय क्षेत्र में यह सुविधा प्रति परिवार प्रतिवर्ष एक वृक्ष तक सीमित है।

3—उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वृक्षों के कटान हेतु परमिट जारी करने का अधिकार वन विभाग में जो केवल प्रभागीय वनाधिकारी को था उसे जनता की सुविधा हेतु एक वर्ष में 2 वृक्षों की सीमा तक अब वन राजि अधिकारी को भी दे दिया गया है ताकि जनता परमिट प्रभागीय कार्यालय से बजाय स्थानीय रूप से रेंज कार्यालय से प्राप्त कर सके।

4—उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जनता की सुविधा एवं पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् अनेकों बार अधिनियम के उपबन्धों का सरलीकरण किया गया है और जनता को अनावश्यक परेशान करने की बात सही नहीं है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु वृक्ष कटान के परमिट जारी करने से पूर्व वृक्षों की स्थलीय जांच, नपत एवं राजस्व अभिलेखों से स्वामित्व की पुष्टि आदि कराना आवश्यक होता है, जिसमें कुछ समय लग जाता है जो स्वाभाविक है।

वर्तमान में अधिनियम के उपबन्ध जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त सरलीकृत है।]

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक दिनांक 26 अप्रैल, 2000 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–3 मत्री (ख) के सम्बन्ध में श्री अम्बिका चौधरी व अन्य द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

मा० राम औतार शाक्य जी शुरू करें।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम औतार शाक्य–

यह महत्वपूर्ण चर्चा है इसमें प्रदेश का हित निहित है । आपसे अनुरोध है कि चर्चा जारी रखें ।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी ।

सांसद निधि की भांति प्रदेश में विधायक निधि की धनराशि के समयबद्ध तरीके से अवमुक्त करने तथा उसे दो गुना किये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार आदि की तारांकित प्रश्न सं०–3 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–29 पर कोई उपस्थित ही नहीं है इसको निरस्त कर रहे हैं । अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 10 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 11 मई, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 6 पर)

वर्ष 1999-2000 में आयोजित एकीकृत नाशीजीवन प्रबंधन के प्रदर्शन का विवरण

फसल का नाम	लक्ष्य	पूर्ति
1—चावल		
चावल आधारीय	1800	1637
गेहूं आधारीय	1660	1349
योग :	3460	2986
2—तिलहन		
मूंगफली	19	16
सोयाबीन	21	11
राई/सरसों	40	30
सूरजमुखी	20	3
योग :	100	60
3—कपास		
आई० पी० एम० प्रदर्शन	125	42
फेरोमोन ट्रेप	125	85
योग :	250	127
4—दलहन		
चना	10	4
अरहर	7	3
योग :	17	7
5—मक्का		
खरीफ	276	180
रबी	48	24
योग :	324	204
कुल योग :	4151	3384

वर्ष 2000-2001 के लिए कृषि रक्षा कार्यक्रमों का विवरण

प्रत्येक वर्ष कृषि विभाग द्वारा खरीफ, रबी एवं जायद की फसलों में लगने वाले कीड़ों, रोगों एवं खरपतवारों की रोकथाम हेतु कार्य योजना बनाई जाती है । इस कार्य योजना के अन्तर्गत बीज शोधन कार्य, सामान्य कीट, सघन कृषि रक्षा कार्यक्रम, खरपतवार नियंत्रण, चूहा नियंत्रण कार्य एवं अन्य भण्डारण कार्य हेतु लिये जाते हैं । वर्ष 2000-2001 के लिए जायद, खरीफ, रबी के लिए कृषि रक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :—

क्र०सं०	मद	इकाई	जायद	खरीफ	रबी	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	बीज शोधन	लाख हेक्टेयर	6.92	28.44	35.26	70.62
2	सामान्य कीट	,,	2.73	11.37	14.10	28.20
3	सघन कृषि रक्षा कार्यक्रम	,,	5.45	22.74	28.20	56.40
4	खरपतवार नियंत्रण	,,	1.36	5.70	7.06	14.12
5	चूहा नियंत्रण कार्यक्रम	,,	10.91	45.49	56.40	112.80
		योग :	27.37	113.74	141.02	282.14
6	अन्न भण्डारण	लाख/मै० टन		वार्षिक लक्ष्य		50.00
7	कृषक प्रशिक्षण	लाख संख्या		वार्षिक		11.50

पी०एस०यू०पी०–एल० 281 विधान सभा (606)–2001–813 (डी०टी०पी०) ।